''उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियाँ तथा क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन''

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की शिक्षा में पीएच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2006

मार्गदर्शक

प्रो० डी.एस. श्रीवास्तव

निदेशक (शिक्षा विभाग)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश)

शोधार्थी

आशुतोष त्रिपाठी

एम.ए., एम.एड.

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

(उत्तर प्रदेश)

अनुक्रमणिका

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री आशुतोष त्रिपाठी**, जो कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश), में **पीएच.डी** का छात्र है, ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से शिक्षा में पीएच.डी उपाधि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत शोध कार्य *''उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियाँ तथा क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन''* मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया है ।

यह शोध कार्य इनकी निष्ठा एवं लगन से किया गया मौलिक प्रयास है, जो पूर्व में इस आशय से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उत्तर प्रदेश) की पीएच.डी उपाधि हेतु प्रस्तुत किये जाने योग्य है । पर शोध - शोध प्रयत्नदेश के समक्ष [illegible] की पूर्ति करता है)

स्थान — झाँसी

दिनांक — 12.10.06

मार्गदर्शक

प्रो. डी.एस.श्रीवास्तव
Ex निदेशक (शिक्षा विभाग)
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश)

कृतज्ञता—ज्ञापन

विद्या देवी माँ सरस्वती की वंदना के उपरान्त प्रस्तुत शोध कार्य की पूर्णता के लिये मैं अपने मार्गदर्शक प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव, निदेशक (शिक्षा विभाग), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उत्तर प्रदेश) का कृतज्ञ हूं, जिन्होंने समय—समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर मेरे इस शोध कार्य को पूर्ण कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

मैं विश्वविद्यालय के विद्वान एवं सुयोग्य कुलपति महोदय एवं कुशल रजिट्रार महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने अनुकूल वातावरण, सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान कर मेरा कार्य सुगम बनाया ।

मैं शिक्षा संकाय के अपने समस्त गुरुजनों का शैक्षिक परामर्श के लिए आभारी हूँ, जिनसे मुझे परामर्श एवं अनुग्रह प्राप्त हुआ ।

मैं अपने समस्त सहयोगियों , मित्रों एवं अनुरागियों का हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण कराने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया ।

अंत में मैं अपने पूज्य पिता जी, माताजी एवं अपने परिवारजनों का सदैव ऋणी रहूंगा जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण कराने में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया ।

स्थान : झाँसी

दिनांक : 12.10.06

शोधार्थी

आशुतोष त्रिपाठी

आशुतोष त्रिपाठी,
एम.ए., एम.एड.
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश)

घोषणा—पत्र

मैं **आशुतोष त्रिपाठी** घोषणा करता हूँ, कि प्रस्तुत शोध प्रबंध ***"उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियाँ तथा क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन"*** मेरी निजी कृति है ।

प्रस्तुत अध्ययन मैने अपने विवेक एवं निर्देशक प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव, निदेशक (शिक्षा विभाग), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उत्तर प्रदेश) के मार्ग दर्शन में पूर्ण किया है ।

स्थान : झाँसी

दिनांक : 12.10.06

शोधार्थी
आशुतोष त्रिपाठी
आशुतोष त्रिपाठी,
एम.ए.,एम.एड.
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश)

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय-एक

शोध परिचय

1.01.0 प्रस्तावना :

देश तथा समाज के लिए उपयोगी, कुशल तथा सुविकसित राष्ट्र–निर्माण के प्रति समर्पित एवं सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव व्यक्तित्व के विकास और जीवन में प्रगति को सही दिशा, समग्र राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक पुनर्निमाण के लिए शिक्षा को निर्विवाद रूप में सर्वाधिक प्रभावी माध्यम माना गया है। विश्व के सभी देशों के चतुर्दिक विकास, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सामाजिक सौहार्द एवं विश्व–बन्धुत्व की भावना के संवर्द्धन में शिक्षा के योगदान को विश्व स्तरीय शिक्षा सम्मेलनों में भी सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है। स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण तथा संतुलित विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है।

शिक्षा और समाज दोनों अविच्छिन्न रूप से गुंथे हुए है। एक की प्रगति अथवा अवनति दूसरे की प्रगति अथवा अवनति पर निर्भर है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की हो जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें । आदि से आजतक भारत में शिक्षा को प्रकाश का वह स्रोत माना गया है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सही पथ–प्रदर्शन करती है। शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से जहाँ हमारे संशयों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है वहीं जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की शक्ति भी उत्पन्न होती है। शिक्षा से ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता हैं जो बुद्धि, विवेक तथा निपुणता की अभिवृद्धि करता है। प्राचीनकाल से ही भारत में यह दृढ़ विश्वास रहा है कि शिक्षा से विकसित बुद्धि ही यथार्थ बल है। दृढ़ता से कहा गया था कि शिक्षा कल्पतरु के समान हमारे समस्त मनोरथों को सिद्ध करती है। इस प्रकार यह दृढ़ विचार था कि शिक्षा के नैसर्गिक जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। संक्षेप में प्राचीन काल में शिक्षा का तात्पर्य ऐसी अन्तर्ज्योति और शक्ति से था जिससे मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक बलों का संतुलित विकास होता था।

आधुनिक राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा एक प्रधान कारक है। राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है।

हमारे सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी शैक्षिक पिछड़ापन है। देश के स्वतंत्र होने के इतने वर्षों बाद भी हम विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों को प्रारम्भिक विद्यालयों में नहीं ला पाये है। निर्धनता, रुढ़िवादिता, अन्धविश्वास कतिपय विकृत परम्पराएं एवं भेदभाव मूलक विरासत में प्राप्त आदतें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ में कराने में बाधक तत्वों के रूप में सामने आती है। इनका उन्मूलन शिक्षा के प्रसार के लिए जरूरी है। बच्चे में स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वरन् पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता उत्पन्न करना भी हमारा उद्देश्य है। अतः हमें समाज के सभी वर्गों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था देने की आवश्यकता है जो सैद्धान्तिक के साथ–साथ व्यावहारिक भी हो जिससे बच्चे अपनी आवश्यकतानुसार भावी जीवन में उपयोग कर सकें।

शिक्षा हमारे बेहतर जीवन की अनिवार्य शर्त है। ज्ञान के क्षितिज शिक्षा ही खोलती है। यह हमारे वर्तमान को सँवारती है और भविष्य के स्वप्न को साकार करती है। शिक्षा हमें कल, आज और आने वाले कल से जोड़ती है। हम अतीत के अनुभवों से भी सीखते हैं। शिक्षा वर्तमान को सँवारती है और भविष्य को सुन्दर बनाने का स्वप्न रचती है। हमारे आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करना ही 'भविष्य के लिए शिक्षा' है। हमें भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें आज की पीढ़ी को तैयार करना होगा। इसके लिए शिक्षा के स्वरूप में बदलाव जरूरी है।

शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास के हर युग में समाज को दिशा और स्वरूप प्राप्त हुआ है। मनुष्य के सर्वोच्च आदर्शों को शिक्षा ने प्रभावित किया है। मानव इतिहास की व्यक्तिगत और सामूहिक उल्लेखनीय उपलब्धियों को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। विश्व के देशों ने औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में जब भी पहला कदम बढ़ाया, वहाँ औद्योगीकरण और शिक्षा के लोकप्रियता के बीच सीधा सम्बन्ध दिखाई पड़ा। औद्योगिक क्रान्ति का प्रसार जैसे–जैसे विभिन्न देशों में हुआ, उससे शिक्षा प्रसार को बढ़ावा मिला और सार्वजनिक तथा अनिवार्य शालेय (विद्यालय) उपस्थिति की अवधारणा उत्पन्न हुई।

भारतीय प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है । सैकड़ो वर्षों की परतंत्रता ने राष्ट्र की नींव को हर प्रकार से खोखला कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय परतंत्रता की विरासत से मिली अनेक समस्याएं राष्ट्र के सम्मुख मुंह बाए खड़ी थी। भारतीय संविधान निर्माता ने इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार की आवश्यकता अनुभव की। इसी अवधारणा को हृदयंगम रखते हुए भारतीय संविधान के भाग–4 में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की शोचनीय स्थिति का अवलोकन करते हुए यह संवैधानिक प्रतिबद्धता दर्शायी गई कि 1960 तक 6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं के

लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी परन्तु हम अभी तक इस लक्ष्य का आंशिक भाग ही प्राप्त कर पाए। सभी के लिये शिक्षा या शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेशों द्वारा विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं का संचालन कर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है।

सभी के लिए शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता हो। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। गरीबी और सामाजिक अथवा आर्थिक असमानता का दुष्प्रभाव 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा में बाधक न हो । कोई बच्चा वंचित न रह जाय, चाहे शारीरिक, मानसिक या अन्य कोई विकलांगता क्यों न हो। प्रारम्भिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराना 'सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम' की प्रथम शर्ते होनी चाहिए। साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता भी संतोष जनक स्तर की होनी चाहिए। गुणवत्ता का केन्द्र बच्चों द्वारा सीखा हुआ 'ज्ञान एवं कौशल' है। अतः बच्चों द्वारा सीखे गये ज्ञान एवं कौशलों की एक मापनीय व्यवस्था भी 'सभी के लिए शिक्षा' कार्यक्रम की सार्थकता के लिए अपरिहार्य है।

1.02.0 **सबके लिए शिक्षा : विभिन्न आयोगों की संस्तुतियाँ** : सबके लिए शिक्षा की स्वतंत्रतापूर्व एवं स्वतंत्रताबाद की संस्तुतियॉ निम्नानुसार है –

1.02.01 स्वतंत्रतापूर्व :

भारत में शिक्षा व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थाओं में एक है। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देय था बालक के चरित्र का निर्माण करना। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र–निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था । इस काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर बल दिया गया। आत्म–सम्मान, आत्म–विश्वास, आत्म–संयम, न्याय आदि गुणों का विकास बालक में किया जाता था तथा समय–समय पर गोष्ठियाँ की जाती थीं और उनमें भाषण देने का अवसर दिया जाता था। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य बालक को नागरिक तथा सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना था। बालक को समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने की भी शिक्षा दी जाती थी। उनको शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन के योग्य बना दिया जाता था। इसमें शिक्षा का एक और उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार करना भी था। बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी साहित्य, संस्कृति तथा व्यावसायिक परम्परा का संरक्षण भी कर सकें। इस काल में शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थी–

- गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 8 वर्ष की अवस्था में बालक को गुरु के गृह में भेज दिया जाता था और वह अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता

था। यह गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति के पुनीत प्रांगण में स्थित होते थे। विद्याध्ययन आरम्भ करने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था।

- ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाता था। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक था कि वह सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को मान कर चले।
- वैदिक काल में शिक्षा का शुभारम्भ बाल्यकाल में ही कर दिया जाता था। शिक्षा 5 से 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार करके आरम्भ कर दी जाती थी। डॉ0 अल्तेकर ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि "प्राचीन भारतीय समझते थे कि यदि शिक्षा आरम्भ करने में विलम्ब किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं।"
- वैदिक कालीन शिक्षा में दिनचर्या का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था विद्यार्थी सूर्योदय के पूर्व ही जग जाते थे। वहीं से उनके क्रिया–कलाप आरंभ हो जाते थे और रात्रि तक के क्रिया–कलाप कठोर श्रृंखला में बँधे हुए चलते थे।
- वैदिक काल में शिक्षा द्वारा बालक का केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं किया जाता था बल्कि उसके वर्तमान जीवन, भौतिक जीवन पर भी ध्यान दिया जाता था। बालकों को जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी इसीलिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी।
- गुरु और शिष्य का सम्बन्ध पिता–पुत्र की तरह था। गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिष्य बड़े ही अनुराग, प्रेम तथा आदर के साथ करता था।
- वैदिक काल में शिष्यों का जीवन धर्ममय होता था। शिक्षा धार्मिक तत्वों जैसे प्रार्थना, संध्या, यज्ञ, पूजा आदि से परिपूर्ण होती थी।
- उस समय की शिक्षा जीवन को योग्य बनाते हुए छात्रों के चरित्र और उनके व्यक्तित्व के विकास पर बल देती थी।
- वैदिक काल की शिक्षा में भिक्षावृत्ति की एक विचित्र प्रथा प्रचलित की। गुरु आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का यह धर्म होता था कि वह भिक्षा माँगे। इस भिक्षा द्वारा गुरु तथा शिष्यों का भरण–पोषण होता था।
- वैदिक कालीन शिक्षा में दण्ड की भी व्यवस्था थी। लेकिन यह दण्ड अत्यन्त कठोर नहीं होता था। जो दण्ड दिया जाता था वह केवल आत्म–सुधार के लिए ही होता था।
- विद्यार्थी जीवन के बाद भी स्वाध्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उस समय आचार्य विद्यार्थियों को यह आदेश देते थे कि अध्ययन काल ग्रन्थ पढ़े.है उनका पठन आगे भी करेंगे।

- वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, ब्राह्मण, सबकी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उस समय की शिक्षा धनी तथा निर्धन सभी लोग प्राप्त कर सकते थे।

वैदिक काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के पुरुषार्थ माने गये है। इस दृष्टि से शिक्षा में चित्रवृत्ति विरोध पर बल दिया जाता था। 'सा विधा विमुक्ते' का उद्घोष शिक्षा का उद्देश्य रहा है। 'शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार शिक्षा के प्रकालीन स्वरूप का आरम्भ वैदिक काल में हुआ। इसके बाद बौद्ध काल की शिक्षा का विकास मठों के माध्यम से हुआ।

वैदिक काल एवं बौद्ध काल में शिक्षा का प्रयत्नशील समाज में विस्तार हुआ। समाज एवं अभिभावक स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत मकतबों एवं मदरसों की शिक्षा उपलब्ध थी। शिक्षा से कोई वर्ग वंचित नहीं किया गया किन्तु लोगों स्वयं आगे आने की अपेक्षा थी। मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरम्भ किया गया। 1765 में इंगलिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्राथमिक स्तर में शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ किया। वारेन हेस्टिंग्ज के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप 1781 में 'कलकत्ता मदरसा' की स्थापना की गई। 1813 में कम्पनी के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयो की शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्श कम से कम एक लाख रूपये की धनरा‍ि ा व्यय करने का आदेश दिया। इसके अन्तर्गत संस्कृत एवं अरबी के भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना, अंग्रेजी, ज्ञान विज्ञान में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय शिक्षा के विकास हेतु व्यय करने के प्रावधान रखे गये थे।

शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। बैंटिग की 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा नीति बताया। आदेश पत्र ने यह मत प्रकट किया गया कि सम्पूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाय। 1854 के बुड़के "आदेशपत्र" के फलस्वरूप शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन परिलक्षित हुए। वर्ष 1882–1883 में भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिए–

- सरकार को राजकीय विद्यालयों की स्थापना की गति को शनैः–शनैः मंद कर के, इन विद्यालयों के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से पृथक हो जाना चाहिए।

- सरकार को सहायता अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

- सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके, उनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए।
- सरकार को माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों का प्रबंधन क्रमशः कुशलता–पूर्वक कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए।
- सरकार को भविष्य में केवल सहायता–अनुदान के आधार पर स्थापित किए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए।

भारत सरकार ने धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त "भारतीय शिक्षा आयोग" की सभी सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। लार्ड कर्जन (1898–1905) ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से 1901 में "शिमला शिक्षा सम्मेलन" का स्वयं सभापतित्व किया। उसके पश्चात् उसने "भारतीय विश्वविद्यालय आयोग" की नियुक्ति की, "भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम" पारित करवाया, और "शिक्षा–नीति सम्बन्धी प्रस्ताव" में लार्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का प्रमुख दायित्व बताया जिसके फलस्वरूप 1705 के बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता दृष्टिगोचर हुई। इसके बाद जार्ज पंच ने 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाने की बात कही। वर्ष 1929 में गठित हर्टांग समिति ने शिक्षा के अनेक कमियों की ओर ध्यान दिया तथा उन्होंने शिक्षा के गुणात्मक तथा संस्थात्मक विस्तार का सुझाव दिया। हटार्ग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप भारत–सरकार ने सन् 1935 में "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड" की पुनः स्थापना की। इस बोर्ड ने बच्चों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। हर्टांग समिति की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह पहली बार ब्रिटिश काल में प्रारम्भिक शिक्षा के कार्य के विस्तार में बाधक समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया। हर्टांग समिति ने प्रतिवेदन में अपव्यय एवं अवरोधन के कारण प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना बच्चे रह जाते है। (अपव्यय से तात्पर्य प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना विद्यालय छोड़ जाना है तथा अवरोधन से तात्पर्य एक बचे को एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाना है) इनके कारणों की विस्तार से चर्चा की गई।

हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने 1937 में बर्धा शिक्षा सम्मेलन में 'नई तालीम' जिसे 'वर्धा शिक्षा योजना' के नाम से पुकारा जाता है को प्रारम्भ किया। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करें। उन्होने शिक्षा को उत्पाद से जोड़ा। वर्ष 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट 12 भागों में प्रकाशित की गई। इसमें पूर्वप्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक और शि्क्षा के अनेक अन्य अंगों पर विस्तार से विचार किया गया। लेकिन ग्रामीण शिक्षा के बारे में कोई विचार नहीं दिया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 1917 से 1927 तक शिक्षा के सभी अंगों की तीव्र गति से प्रगति हुई और संख्यात्मक वृद्धि के साथ–साथ गुणात्मक उन्नति भी हुई है। समिति का कथन था– "प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की अत्यधिक संख्या व्यक्त करती है कि शिक्षा के प्रति जनता की उदासीनता का अन्त हो रहा है। भारत की स्त्रियों में सामाजिक एवं राजनीतक जागृति प्रारम्भ हो गई है और वे शिक्षा तथा सामाजिक सुधार की बल पूर्वक माँग कर रही है। शिक्षा प्राप्त करने वाले मुसलमानों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, दलित वर्गों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किये गये हैं और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप वे शिक्षा के अपने अधिकार की माँग करने लगे हैं। सार्वजनिक नेताओं में शिक्षा की जटिल एवं कठिन समस्या को समझने और सुलझाने की इच्छा है एवं शिक्षा–मंत्रियों ने शिक्षा पर पर्याप्त अतिरिक्त धन व्यय करने का प्रस्ताव किया है और व्यवस्थापिकाओं ने उनके कार्य का अनुमोदन किया है"।

भारतीय शिक्षा के इस सुन्दर पहलू का चित्रण करने के उपरान्त समिति ने दूसरे पहलू का भी चित्र प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि सम्पूर्ण शिक्षाव्यवस्था में अपव्यय एवं प्रभावहीनता के प्रमुख दोष दृष्टिगोचर होते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय सबसे अधिक है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में अवश्य वृद्धि हुई है, परन्तु उनकी योग्यता में कोई उन्नति नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षा के संगठन में महान दोष परिलक्षित होते हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षण से अधिक महत्व परीक्षाओं को दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के सभी अंगों की विशद व्याख्या करने के पश्चात् समिति ने लिखा– "हमसे शिक्षा के संगठन के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उस संगठन के प्रत्येक पहलू पर पुनर्विचार करने और उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है और शिक्षा के संगठन के लिये जो संस्थायें उत्तरदायी है, उनके पारस्परिक सम्बन्धों को पुनः निर्धारित करना अनिवार्य है।"

हर्टाग समिति और माध्यमिक शिक्षा

हर्टाग समिति ने उच्च शिक्षा के समान माध्यमिक शिक्षा की सूक्ष्म जाँच नहीं की। फिर भी समिति ने माध्यमिक शिक्षा के प्रधान गुण–दोषों की ओर संकेत किया और शिक्षा का स्तर उच्च करने के लिये सुझाव दिये। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की दशा, उनकी शिक्षण–योग्यता और स्कूलों के सामाजिक जीवन को व्यापक बनाने में उन्नति हुई है। परन्तु उच्च शिक्षा के समान माध्यमिक शिक्षा में भी संगठन के दोष है। "माध्यमिक शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली में आज भी उसी आदर्श की प्रधानता है कि प्रत्येक बालक जो माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, उसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये अपने आप को तैयार करना चाहिये, और 'मेट्रीकुलेशन' एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक विशाल संख्या में बालकों का असफल होना– प्रयास के एक महान् अपव्यय का द्योतक है" ।

इस प्रकार समिति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के दो प्रमुख दोष थे–

(अ) मेट्रीकुलेशन परीक्षा की प्रधानता, (ब) अनुत्तीर्ण छात्रों की विशाल संख्या। इन दोषों के निवारण एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये समिति ने अधोलिखित सुझाव दिये :–

- मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम इतना संकुचित है कि उसके अध्ययन के उपरान्त छात्र कोई जीवनोपयोगी कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाय और उसमें ऐसे विषयों को स्थान दिया जाय जो छात्रों को धनोपार्जन में सहायता दें।
- हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यापारिक विषयों को सम्मिलित किया जाय और विद्यार्थियों को इन विषयों का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।
- हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में ऐसे वैकल्पिक विषयों को स्थान दिया जाय जो विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद सिद्ध हों और जिन्होंने अपनी रुचि के अनुसार चुन सकें।
- मिडिल स्कूल का कोर्स समाप्त करने के पश्चात् परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाय और उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उन उद्योगों एवं व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया जाय जिनके लिये वे उपयुक्त समझें जायं।
- शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही प्रशिक्षण–विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय और उनमें शिक्षण की आधुनिकतम पद्धतियों को अपनाया जाय।
- प्रशिक्षण–विद्यालयों में अध्यापकों के लिये अभिनवयन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय।
- अध्यापकों के वेतन एवं सेवा–प्रतिबन्धों में सुधार किया जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति नहीं हो सकेगी।
- गैर सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को 9 माह के लिये नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार प्रबन्धक ग्रीष्मावकाश का वेतन बचा लेते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों से किसी प्रकार का लिखित संविदा नहीं भरवाया जाता है और उन्हें थोड़े समय का नोटिस देकर पद से पृथक् कर दिया जाता है। इन सब बातों में सुधार करके शिक्षक को अपने पद की सुरक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है।

हर्टॉग समिति और प्राथमिक शिक्षा

हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की समस्या का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। समिति के अनुसार इसका प्रमुख कारण यह था कि पिछले समय में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया था और प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की अवहेलना की गई थी। समिति ने कहा कि

यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था तथापि वह संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उसके मांग में अधोलिखित विशेष कठिनाइयाँ थी :–

- भारत की एक अति विशाल जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। अतः प्राथमिक शिक्षा एक ग्रामीण समस्या है। नगरों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सरलतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु ग्रामों में यह कार्य अति दुष्कर है।
- ग्रामों के स्कूल छोटे होते हैं। उनके लिये शिक्षक प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ग्रामीण वातावरण में निवास करना पसन्द नहीं करते हैं। ग्रामीण विद्यालयों के निरीक्षण में असुविधा का सामना करना पड़ता है।
- ग्राम–निवासी अशिक्षित, निर्धन और रूढ़िवादी है। अतः वे शिक्षा की उपादेयता को नहीं समझते हैं। इसीलिये वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। फिंर बच्चों को शिक्षा देने में उन्हें आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि उन्हें कृषि–कार्य के लिये अन्य व्यक्तियों को रखना पड़ता है।
- प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। बच्चों के लिये दूसरे गाँव के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना कठिन होता है, क्योंकि प्राकृतिक बाधायें, आवागमन के साधनों का अभाव एवं मौसमी बीमारियाँ उनके मार्ग में अवरोध डालती है।
- बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया गया है।
- बालकों को अपने माता–पिता के साथ कृषि–कार्य करना पड़ता है। अतः कार्य की अधिकता हो जाने पर वे विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते है।
- जातीय, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भेद–भाव प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है।
- कुछ क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अतः वहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक दुरूह कार्य हो जाता है।

समिति ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों और छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हो रही है। कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन अत्यधिक है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बालकों को किसी कक्षा में से हटा लेना 'अपव्यय' है। इस दशा में बालक जो कुछ थोड़ा–बहुत पढ़ना–लिखना सीख लेता है, उसे वह भूल जाता है और निरक्षर हो जाता है। साक्षरता का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब बालक कम से कम प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर लें। 'अवरोधन' का अर्थ स्पष्ट करते हुए समिति ने लिखा कि एक बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहना 'अवरोधन' है।

समिति के मतानुसार 'अपव्यय' एवं 'अवरोधन' के कारण निम्नलिखित थे :–

- जो छात्र प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यालयों को छोड़ देते हैं, उन्हें उचित वातावरण नहीं मिलता है। उनके माता–पिता अशिक्षित होते हैं। धनाभाव के कारण वे पुस्तकें और मासिक पत्रिकायें आदि नहीं खरीद सकते हैं। अतः थोड़े समय के उपरान्त वे निरक्षर बन जाते है।
- अधिकांश स्कूलों में एक ही शिक्षक है और सभी विद्यार्थियों को सभी विषयों की शिक्षा उसी के द्वारा दी जाती है। ऐसी दशा में शिक्षण उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। फलस्वरूप शिक्षा का स्तर निम्न हो गया है।
- प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के अनुपात में निरीक्षकों की संख्या अति अल्प है। परिणामतः विद्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं हो पाता है।
- शिक्षण–पद्धति प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक है। ऐसे शिक्षण से छात्रों को लाभ नहीं होता है।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिये शिक्षक उपलब्ध नहीं है और जो शिक्षक अध्यापन–कार्य कर रहे हैं उनमें आवश्यक योग्यता तथा प्रशिक्षण का अभाव है।
- पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है और उससे छात्रों का उचित हित नहीं होता है।
- विद्यालयों में उचित शिक्षण–सामग्री का अभाव है। साथ ही उनमें स्थान की कमी है।
- प्राथमिक विद्यालयों का वितरण अनियमित एवं अवैज्ञानिक है।
- अनेक विद्यालय ऐसे है, जिनको विद्यालय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। फिर भी वे अपने अस्तित्व को चला रहे हैं।
- कुछ प्राथमिक स्कूल नियमित रूप से नहीं चलते हैं और असमय ही टूट जाते है।
- ग्रामीण जनता इतनी निर्धन है कि वह बच्चों को अल्प आयु में ही कार्य में लगा देती है।
- धार्मिक एवं जातीय भेदों के कारण विभिन्न स्कूलों की मांग की जाती है।
- रूढ़िवादी अभिभावक बालिकाओं को बालकों के विद्यालयों में शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अतः वे पृथक् स्कूलों की स्थापना चाहते हैं।
- निरक्षर होने के कारण जनता अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालय का पूर्ण लाभ अपने बच्चों को नहीं उठाने देती है।
- प्राथमिक शिक्षा अधिनियम त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का कार्य स्थानीय संस्थाओं की इच्छा पर छोड़ दिया है।

शिक्षा–सम्बन्धी सुझाव

प्राथमिक शिक्षा के दोषों का विवेचन करने के उपरान्त समिति ने उनके निवारण के लिये निम्नांकित सुझाव दिये :–

- प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर जोर न देकर गुणात्मक उन्नति पर बल दिया जाय।
- शिक्षा को ठोस बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय।
- जो विद्यालय छोटे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या अति न्यून है और जिनमें शिक्षण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, उन्हें तोड़ दिया जाय।
- प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षा–अवधि 4 वर्ष होनी चाहिये और उनके शिक्षण–स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये।
- विद्यालयों के पाठ्यक्रम को वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार अधिक उदार तथा उपयुक्त बनाया जाय और उसे व्यावहारिक जीवन ने सम्बन्धित किया जाय।
- विद्यालयों का समय, अवकाश एवं कार्यक्रम स्थानीय ऋतु एवं आवश्यकताओ के अनुसार रखा जाय।
- विद्यालयों की निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय और उसमें होने वाले अपव्यय तथा अवरोधन को समाप्त करने के लिये दृढ़ प्रयास किया जाय।
- विद्यालयों में ग्राम–सुधार का कार्य रखा जाय, उसमें सफाई, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सहकारिता आदि गुणों का विकास किया जाय और उन्हें सामान्य चिकित्सा, मनोरंजन तथा प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र बनाया जाय।
- अध्यापकों के शिक्षण–स्तर को ऊँचा उठाया जाय। उनके प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि की जाय। प्रशिक्षण–विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय। उनमें अभिनवन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायं।
- शिक्षकों की वेतन–वृद्धि की जाय और उनके सेवा–प्रतिबन्धों में सुधार किया जाय, जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षण–कार्य के प्रति आकर्षित हों।
- विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिये निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय।
- प्राथमिक शिक्षा को संगठित एवं विस्तृत करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। अतः उसे पूर्णतया स्थानीय संस्थाओं पर नहीं छोड़ देना चाहिये, जैसा कि कियाा गया है।

- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में शीघ्रता न की जाय। जिस क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू की जानी है उसका पहिले अध्ययन किया जाय और वहाँ के लिये एक उपयुक्त योजना तैयार की जाय।

1.02.02 स्वतंत्रता के बाद :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, भारत सरकार ने इस देश की प्रारम्भिक शिक्षा को सुनियोजित और सुगठित करने का दृढ़ निश्चय किया और यह कार्य 1964 कोठारी कमीशन के माध्यम से प्रारम्भ किया।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की नियुक्ति का मूल लक्ष्य देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना था और इस प्रकार इस आयोग की नियुक्ति का मूल उद्देश्य शिक्षा के विविध स्तरों का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की संतृप्ति करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन के उद्देश्यों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं :–

- इस आयोग का सर्वप्रधान लक्ष्य भारत की परम्पराओं और मान्यताओं को ध्यान में रखकर नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना।
- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के राष्ट्रीय जीवन में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ और हमारे नेताओं व शासकों को अब इस युग में निम्नलिखित कार्यों का पूर्ण होना अत्यन्त आवयक प्रतीत होने लगा, यथा– (1) धर्म–निरपेक्ष जनतंत्र की स्थापना (2) जनता की निर्धनता का उन्मूलन, (3) तर्कसंगत या युक्तियुक्त जीवनयापन के स्तर की स्थापना, (4) द्रुतगति से देश का औद्योगिक विकास, (5) विज्ञान और प्रावधिक या औद्योगिक ज्ञान के अधिकाधिक विस्तार पर जोर देना, (6) भारत की आध्यात्मिक परम्पराओं से आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान के समन्वय पर जोर देना, तथा (7) देश में समाजवादी समाज की स्थापना। निस्सन्देह उक्त बातों की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव थीं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना करते समय इन बातों पर भी ध्यान रखा गया ताकि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आधार पर निर्मित हमारे देश के नव समाज को सुदृढ़ किया जा सके।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में संस्था और मात्रा की दृष्टि से तो वृद्धि हुई थी पर गुणात्मक उन्नति की दिशा में अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त न हुई थी। हम देखते हैं कि चौदह वर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल देते हुए भी अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई थी और निरक्षरता की समस्या का समाधान अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना करते समय भारत सरकार के समक्ष

उक्त सभी समस्यायें स्पष्ट रूप से विद्यमान थीं और शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन को भी इन समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत करना था।

- इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र का कल्याण सम्भव है और यदि हम शिक्षा सम्बन्धी व्यय को उत्पादक विनियोग के रूप में मान लें तो राष्ट्र का हित अधिक हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना के मूल में यह तथ्य भी विद्यमान था कि राष्ट्रीय वैभव और राष्ट्र कल्याण के माध्यम रूप में शिक्षा का उत्पादक विनियोग के रूप में महत्व स्पष्ट किया जाय।
- कोठारी कमीशन से पूर्व के शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के विविध पक्षों का पृथक्–पृथक् अनुशीलन कर उनके सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये थे और इससे यह अनुमान करना चाहिए कि उक्त आयोगों ने शिक्षा के विविध पक्षों को अपने आप में पूर्ण मान लिया था पर उचित तो यही है कि सम्पूर्ण शिक्षा को एक इकाई मानकर इसके लिए निश्चित कदम उठाये जायं।
- वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य भारत की परिस्थितियों के अनुसार ही शिक्षा का विनियोजन करना था पर यथासंभव अन्य देशों के अनुभवों से लाभ उठाना भी कुछ असंगत न था क्योंकि इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को कुछ न कुछ लाभ ही पहुँचता। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अन्य देशों के अनुभवों से लाभान्वित होने की दृष्टि से ही इस आयोग में विदेश के कुछ शिक्षा–शास्त्रियों को सदस्य बनाया गया।

क्रियाकलाप और कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार कर अपने कार्यों को विषयानुसार विविध शीर्षकों में विभाजित किया और तदुपरान्त प्रत्येक विषय से सम्बन्धित एक प्रश्नावली का निर्माण कर अध्यापकों के संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शिक्षा जगत से सम्बन्धित कई विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर सुविधानुसार उन्हें या तो अपने समक्ष उपस्थित होकर अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा या फिर उनसे अपनी प्रश्नावली का उत्तर माँगा। इस प्रकार प्राप्त उत्तरों या जानकारी के अनुसार शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये और यहाँ हम उसकी क्रियाओं की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :–

- **शिक्षा सुविधा की समानता–** आयोग ने इस बात पर भी विचार करने का निश्चय किया कि किस प्रकार शिक्षा की समान सुविधाएं सभी लोगों को मिलनी चाहिए। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित चार बातों पर विचार करने का निश्चय किया गया :–

  (क) महिला शिक्षा

  (ख) पिछड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा

(ग) क्षेत्रीय असंतुलन अथवा असमानता।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा

- **कृषि शिक्षा** – हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की समृद्धि तभी सम्भव है जब कृषि की दशा सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाय, क्योंकि यदि हम अपनी खाद्य समस्या में सुधार करने के लिए विदेशों पर ही निर्भर रहे, तो देश की स्वतंत्रता सुरक्षित न रह सकेगी। शिक्षा में कृषि पर विशेष बल न दिये जाने पर क्षोभ प्रगट किया गया और इस पर विचार करने का निश्चय किया गया। आयोग के उद्घाटन के अवसर पर डॉ0 कोठारी अध्यक्ष, आयोग के भाषण की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं :–

- **प्राविधिक, व्यावसायिक और जीविकोपार्जन सम्बन्धी शिक्षा** :– देश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिये प्राविधिक, व्यावसायिक और जीविकोपार्जन सम्बन्धी शिक्षा पर भी विचार करना आवश्यक था, अतः आयोग ने इन विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किये।

- **मानव शक्ति और शिक्षकों को बेरोजगारी की समस्या** – देश का नवनिर्माण सुनियोजित योजनाओं पर ही निर्भर है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सुशिक्षितों का एक विशाल वर्ग अब तक बेकारी का शिकार है। इस प्रकार इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोठारी आयोग ने अपने विचार व्यक्त किये।

- **शैक्षिक प्रशासन**– शैक्षिक प्रशासन में किसी भी प्रकार की त्रुटि से शिक्षा जगत में सम्यक् सुधारों का होना असम्भव ही है। इस प्रकार आयोग ने शैक्षिक प्रशासन के सम्बन्ध में भी आवश्यक विचार व्यक्त किये।

- **शैक्षिक वित्त व्यवस्था** – वित्त या अर्थ की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है और बिना धन के कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती, अतः आयोग ने शैक्षिक वित्त के सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त किये।

सिफारिशें और सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने कार्यक्रम को निर्धारित करने के पश्चात् शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया और आवश्यक जानकारी के लिये भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया। तदुपरान्त शिक्षा सम्बन्धी विविध समस्याओं का अध्ययन के पश्चात् उसने अपने लगभग डेढ़ हजार पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट 29 जून, 1965 को भारत

के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को सौंप दी। कोठारी कमीशन की प्रमुख सिफारिशों और सुझावों की जानकारी निम्नानुसार है –

- **शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य** :– कोठारी आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि हमारे सम्मुख जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका समाधान शिक्षा के द्वारा सम्भव है। हमारी प्रमुख समस्याएं खाद्य सामग्री में आत्म–निर्भरता, बेरोजगारी का अन्त, सामाजिक और राजनीतिक एकता और राजनीतिक विकास है। इस सम्बन्ध में आयोग का कथन है कि शिक्षा को इस रूप में ढाला जाय कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिये आयोग ने यह सुझाव दिया कि सामान्य विद्यालय प्रणाली के लक्ष्य को 20 वर्ष के अन्दर पूरा किया जाय और सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य बना दिया जाय तथा प्रत्येक जिले में श्रम और सामाजिक सेवा शिविरों की व्यवस्था की जाय जिसमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य है प्रजातंत्र की सुदृढ़ता ने लिये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। शिक्षा का आधुनिकीरण हो और प्रत्येक शिक्षा संस्था में नैतिक, सामाजिक और आध्यमिक मान्यताओं की शिक्षा प्रदान की जाय।

- **शिक्षा की संरचना** :– शिक्षा को संरचना के विषय में आयोग का मत है कि सामान्य शिक्षा की कुल अवधि 10 वर्ष हो। पहली कक्षा में 6 वर्ष से कम की आयु के बालकों की भर्ती की जाय। सामान्य कक्षा के पूर्व 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो। माध्यमिक शिक्षा का कार्य 7 या 8 वर्ष रखा जाये। इनमें से 5 वर्ष निम्न माध्यमिक स्तर के लिये हों और 3 या 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स हो। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 से 3 वर्ष निश्चित की जाय।

  प्राथमिक स्कूलों में वर्ष में 39 सप्ताह और माध्यमिक स्कूलों में 36 सप्ताह शिक्षण काल की व्यवस्था हो। वर्ष में 10 से अधिक छुट्टियाँ न हों। स्तरोन्नयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा उद्देश्यों की अन्य देशों से तुलना करके निर्धारित की जाय।

- **शिक्षकों की स्थिति** :– कोठारी आयोग ने शिक्षकों की स्थिति सुधारने के विषय में भी सुझाव दिये है। उसका यह सुझाव है कि सरकारी और गैरसरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को समान सुविधायें और समान वेतनक्रम प्राप्त होना चाहिए।

- **अध्यापक शिक्षा** :– आयोग ने अध्यापक शिक्षा के भावी रूप पर बहुत अधिक चिन्ता व्यक्त की और अध्यापकों की शिक्षा के लिए नवीन विद्यालयों की स्थापना और प्राचीन विद्यालयों में सुधार के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये। प्राथमिक शिक्षा के उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने सेकेन्डरी स्कूल का कोर्स उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष रखी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के स्नातक शिक्षकों के कुछ समय के लिए एक वर्ष

की रखी जाय जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी जाय। एम0एड0 की उपाधि भी दो वर्ष में दी जाय। प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार किया जाय और अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाय।

- **छात्र संख्या और जनबल :–** निरक्षरता का उन्मूलन किया जाय और शैक्षिक स्तरों की समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाय। शैक्षिक स्तरों की समानता के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या इससे पूर्व निम्न–माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को निःशुल्क देने के हेतु सबसे पहले 38 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय। अन्य खर्चों में कमी की जाय और छात्रवृत्तियाँ पर्याप्त मात्रा में दी जायं।

- **शिक्षा का विस्तार –** शिक्षा के विस्तार के हेतु आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के राजकीय शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक केन्द्र की स्थापना की जाय। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि 1985 –86 तक देश के समस्त भागों में सात वर्षों की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जाय। धार्मिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के 50 प्रतिशत छात्रों की प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाय। आयोग ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों को निर्धारण करके पाठ्यक्रमों में कार्य–अनुभव को विशेष महत्व प्रदान करने पर बल दिया। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर भी बल दिया। शारीरिक शिक्षा, कला एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता भी अनुभव की। आयोग ने बालक और बालिकाओं के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया और साथ ही यह भी सुझाव दिया कि बालकों के पाठ्यक्रम में गृह–विज्ञान, संगीत और ललित कलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय।

भाषा की समस्या– भाषा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए है उनका अध्ययन हम निम्न रूप से कर सकते हैं :–

त्रिभाषी फारमूला और उसमें संशोधन – भावात्मक एकता को ध्यान में रखकर, उसके लिए नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी लोगों को तीन भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। उसका मूल उद्देश्य था उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत की किसी भाषा की शिक्षा देना और दक्षिणी भारत के लोगों को उत्तर भारत की भाषा की शिक्षा देना तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना। आयोग ने इन तीन भाषाई प्रणाली में संशोधन का सुझाव दिया है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा का कुछ साहित्य देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि भारतीय भाषाओं का अध्ययन लिपियों के अन्तर के कारण कठिन हो जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं सभी के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यथा संशोधित 1992 तथा अनुवर्ती कार्ययोजना 1992 के अन्तर्गत सार्वभौम नामांकन के साथ ही सार्वभौम नियमित उपस्थिति, लिंग समता, सामान्य विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था, अवसरों की समानता, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने में समुदाय की सक्रिय सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सम्प्राप्ति आदि पक्षों पर अधिक बल दिया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'सभी के लिए शिक्षा' बुनियादी लक्ष्य रखा गया। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति, बालकेन्द्रित दृष्टिकोण तथा विद्यालय सुधार के संकल्प व्यक्त किये गये। इसके अतिरिक्त इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों, पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों तथा विकलांग बच्चों के लिये भेदरहित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्ष 1992 में संशोधन हुआ तथा एक नयी कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) निर्धारित हुई। इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया।

- सभी के लिए शिक्षा, सफलता और उच्च स्तर की प्राप्ति।
- शिक्षा का समान ढाँचा।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। प्रत्येक चरण में अध्ययन का स्तर।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था : समानता के लिए शिक्षा : इसके सम्बन्ध में निम्नानुसार सुझाव दिये गये

- राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात–पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।

- राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत यह जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना हो। 10+2+3 के ढाँचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढाँचे के पहले दस वर्षों के संबंध में यह प्रयत्न किया जाएगा कि उसका विभाजन इस प्रकार हो : प्रारम्भिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर और 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर, तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाईस्कूल।

- राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम के ढांचे पर आधारित होगी जिसमें एक "सामान्य केन्द्रिक" (कॉमन कोर) होगा और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढ़ाला जा सकेगा। "सामान्य केन्द्रिक" में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों

तथा राष्ट्रीय अस्मिता से सबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में पिरोये जाएंगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इंसान की सोच और जिन्दगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जायेगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में ये बातें शामिल हैं : हमारी समान सांस्कृति धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री–पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके के अमल की जरूरत। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित हों।

- भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिये सदा प्रयत्न किया है, और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्शों को संजोया है। इस परम्परा के अनुसार शिक्षा–व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़ें। शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

- समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिये सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था होना भी जरूरी है जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। इसके अतिरिक्त, समानता की मूलभूत अनुभूति केन्द्रिक शिक्षाक्रम के द्वारा करवाई जाएगी। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वग्रह और कुंठाएं दूर हों।

- प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जायेगा। ऐसे उपाय भी किये जाएंगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें। सम्पर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा, पुस्तकों का एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और बहुभाषी शब्द–कोशों और शब्दावलियों के प्रकाशन के लिये भी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। युवा वर्ग को अपनी कल्पना और सूझ–बूझ के अनुसार देश की महिमा और गरिमा पहचानने के लिये प्रोत्साहित किया जाय ।

- उच्च शिक्षा, खासतौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले हर छात्र को बराबरी के मौके दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की सुविधा दी जाय ।

- शोध और विकास तथा विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक तानाबाना (नेटवर्क) स्थापित करने के लिये विशेष उपाय किये

जायेंगे ताकि वे अपने–अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें।

- शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए, तथा इस प्रकार के अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा।

- आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है, और सार्वजनिक साक्षरता उसका अभिन्न पहलू। युवा वर्ग, गृहिणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि की अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर मुहैया करवाये जायेंगे। भविष्य में खुली शिक्षा एवं दूरशिक्षण की ओर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को संवारने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इन सभी संस्थाओं को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जायेगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो तथा अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम मजबूत बन सके। इन संगठनों को तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान की शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जायेगा।

- वर्ष 1976 का संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था। उसमें यह निहित है, कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उनके दायित्व में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में अब तक से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी । शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समाकलनात्मक (इंटीग्रेटिड) रूप को बल देना, गुणवत्ता एवं स्तर बनाए रखना (जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षकों के शिक्षण–प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं स्तर शामिल है), विकास के निमित्त जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और देखरेख, शोध एवं उच्च अध्ययन की जरुरतों को पूरा करना, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान देना और सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने का निरन्तर प्रयास करना।

समानता के लिए शिक्षा : इसके लिए निम्नानुसार सुझाव दिये :

- शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा–व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा–व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रही है, समर्थ और सशक्त हों। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन–पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों का पुनःप्रशिक्षण किया जायेगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृतसंकल्प होकर किया जायेगा। महिलाओं से संबधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरु करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

- महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती है, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जायेंगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जायेगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा। लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेद–भाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन को खत्म किया जा सके तथा गैर–परम्परागत आधुनिक काम–धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेंगी।

- अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा जिससे कि वे गैर–अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी है । ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में।

- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा। पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी।

- अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफी पिछड़े और वंचित हैं। समाजी इंसाफ और समता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाये। संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं

कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिए गए हैं, वे भी इनमें शामिल है। साथ ही पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुगतता रखी जायेगी तथा "सामान्य केन्द्रिक शिक्षाक्रम" के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जाएंगे।

- शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिएं।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया गया; (क) 14 वर्ष की अवस्थ तक के सब बच्चें को विद्यालयों में भर्ती और उसका विद्यालय में टिके रहना, और (ख) शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार। इसके लिए निम्न पर बल दिया गया–

बाल–केन्द्रित दृष्टिकोण : बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब वहाँ का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल–केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और उपचारात्म्क शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यों–ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जाएंगें और अभ्यास के द्वारा वे कुछ कुशलताएं भी ग्रहण करते चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जायेगी। बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जायेगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जायेगा और विद्यालय के समय का और छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जायेगा।

विद्यालय में सुविधाएं : प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल हैं। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होंगे, जिनमें एक महिला होगी। यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक–एक शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा की सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरु किया जायेगा जिसका सांकेतिक नाम "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" होगा। इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों का पहला उपयोग स्कूल की इमारतों के बनाने में होगा।

अनौपचारिक शिक्षा : ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गये है, या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं, और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकतीं, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधुनिक टेक्नालॉजी के उपकरणों की सहायता ली जायेगी। इन केन्द्रों में अनुदेशक के तौर पर काम करने के लिये स्थानीय समुदाय के प्रतिभावान और निष्ठावान युवकों और युवतियों को चुना जायेगा और उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायेगी। अनौपचारिक धारा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे योग्यतानुसार औपचारिक धारा के विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा कि अनौपचारिक शिक्षा का स्तर औपचारिक शिक्षा के समतुल्य हो।

- "राष्ट्रीय केन्द्रिक शिक्षाक्रम" की तरह का एक शिक्षाक्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिये भी तैयार किया जायेगा, लेकिन यह शिक्षाक्रम विद्यार्थियों की जरूरतों पर आधारित होगा और इसका सम्बन्ध स्थानीय पर्यावरण से रहेगा। उच्चकोटि की शिक्षण सामग्री बनाई जायेगी और वह सभी विद्यार्थियों को मुफ्त दी जायेगी। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में सहभागी होते हुए शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उपलब्ध किया जायेगा, और इसमें खेल–कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जायेगी।

- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज की संस्थाएं करेंगी। इस कार्य के लिये इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर दिया जायेगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की कुल जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी।

- नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्या के सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जायेगा और तदुनसार प्रभावकारी उपाय खोज कर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनाई जायेगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा, या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा, अवश्य मिल जाए। इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जायेगी।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्थापना

शिक्षकों के संदर्भ में सन् 1964–66 में "कोठारी" शिक्षा आयोग ने संस्तुति की थी "शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सभी घटकों में अध्यापक की योग्यता, सक्षमता तथा आचरण आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।" यह अंततः शिक्षक को प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण तथा अन्य शैक्षिक अनुसमर्थन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्व उपरोक्त सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) तथा राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रदान किया जाता था इसी तरह प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में यह समर्थन प्रौढ शिक्षा के केन्द्रीय निदेशालय तथा राज्य स्तर पर व राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रदान किया जाता था। राज्य स्तर के नीचे प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थान उपलब्ध थे, जिनकी गतिविधियाँ मुख्य रूप से सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा तक सीमित थी। इन संस्थानों के भौतिक, मानव तथा अकादमिक संसाधन उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु भी अपर्याप्त थी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा विधा समयानुसार नहीं थी।

राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को अंगीकृत करने के समय तक शिक्षा तथा प्रौढ प्रणाली का स्वरूप इतना बढ़ गया था कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की संस्थाओं द्वारा समर्थन प्रदान करना उपयुक्त हो गया था। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम में इसके विस्तार तथा गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गयी। अतः इस प्रकार का अकादमिक समर्थन विकेन्द्रीकृत रूप में अत्यन्त आवश्यक हो गया। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत जिला स्तर पर तीसरे चरण के रूप में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधन की संकल्पना की गयी। इन संस्थानों की स्थापना के बाद अकादमिक समर्थन के संदर्भ में अपेक्षाओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से बढ़ना लाजमी हो गया। इसका एक प्रमुख कारण इन संस्थाओं का क्षेत्र में नजदीक रहना भी था, इसके कारण ये समस्याओं तथा आवश्यकताओं के प्रति अधिक संजीदा थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 1987 में शिक्षा के पुर्नगठन के संदर्भ में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का संचालन किया गया। इस स्कीम के पाँच घटकों में से एक डायट की स्थापना रखा गया।

डायट के कार्य :

प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में संचालित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में अकादमिक तथा संसाधन समर्थन प्रदान करने के संदर्भ में जनपद में **डायट को स्वयं एक मार्गदर्शक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया ।** इसके लिए डायट को अपने लिये निर्धारित कार्यों का प्रभावी एवं सक्रिय नियोजना एवं क्रियान्वयन करना तथा एक रचनात्मक साफ सुथरे एवं आर्कषक संस्था के रूप में अपने को प्रस्तुत करना तय किया गया। इस प्रकार डायट के राष्ट्रीय लक्ष्यों को ग्राम स्तर तक उतारने में एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करना निर्धारित किया गया क्योंकि जिला एवं

प्रशिक्षण संस्थान को जनपद की शीर्षस्थ अकादमिक संस्था के रूप में संकल्पित किया गया ।

DIET a centre for-

- Academic guidance and counselling
- Academic resources/material
- Academic support & extension services
- Educational Innvoations & Experimentations
- Educational planning, monitoring & Evaluating programme
- Training need assessment of pre-service/in-service reacher, BRC/NPRC coordination
- Developing and managing training design
- District level training comptetions, workshops, seminars, conferences and exhibitions.

इस प्रकार डायट के मुख्य रूप से तीन कार्य है –

(क) प्रशिक्षण (सेवा पूर्व एवं सेवारत)।

(ख) संसाधन समर्थन (प्रसार/मार्गदर्शन/सामग्री विकास/मूल्यांकन/उपकरण विकास आदि)

(ग) क्रियात्मक शोध एवं नवाचार

उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन में डायट को बालकेन्द्रित विधा ही अपनाना है। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत भी सहभागिता पूर्ण तथा क्रियाशील अधिगम विधा पर बल दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही औपचारिक/अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा हेतु अध्यापकों तथा अन्य कर्मियों को सेवारत एवं अन्य क्रियाकलापों को विभाजित तथा संचालित करने हेतु रूपरेखा बनाई गयी। इसके लिये;

- कार्यक्रमों का आवश्यकता जनित होना।
- मात्र व्याख्यान से ही नहीं अपितु प्रयोगों, अभ्यासों, खोजो, नवाचारों आदि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अपनाना।
- शिक्षण/प्रशिक्षण में स्थानीय संसाधनों के प्रयोग पर बल दिया जाना।
- पाठ्यक्रम को अधिगम क्रियाओं में जोड़ा जाना।
- अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन तथा उनके प्रचार–प्रसार पर बल।

* प्रयोग प्रदर्शन हेतु लैब एरिया का चिन्हीकरण आदि शामिल है।

डायट को जिस विशेष वर्ग के लिये कार्य करना है उसमें

* बालिकायें तथा महिलायें
* अनुसूचित जाति एवं जनजाति
* अल्पसंख्यक
* विकलांग
* अल्प शैक्षिक रूप से अपने मित्रवर्ग (कामकाजी बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के बच्चे, रेगिस्तानी क्षेत्रों आदि के बच्चे शामिल है।)

उपर्युक्त दर्शन/कार्यों तथा लक्ष्य समूह के परिप्रेक्ष्य में डायट के कार्यों को इस प्रकार देखा जा सकत है।

* निम्नलिखित लक्ष्य समूह का प्रशिक्षण आयोजित करना :—
  (क) कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक (सेवारत एवं सेवा पूर्व)
  (ख) प्रधानाध्यापक/संकुल प्रभारी एवं ब्लॉक स्तर तक के शिक्षा अधिकारी।
  (ग) औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशक तथा पर्यवेक्षक
  (घ) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, समुदाय के नेता युवक तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य जो शैक्षिक गतिविधियों में अपना योगदान देना चाहते हैं।
  (ङ) ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण
* अन्य तरीकों से अकादमिक तथा संसाधन समर्थन प्रदान करना :—
  (क) प्रसार गतिविधियाँ तथा फील्ड के साथ अंर्तसंबंध
  (ख) अध्यापकों/अनुदेशकों को सीखने सिखाने की सेवा प्रदान करना।
  (ग) स्थानीय सहायक शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन के उपकरणों का विकास।
  (घ) विद्यालयों तथा कार्यक्रमों के लिये मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
* प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक शोध तथा प्रयोगों को संचालित करना।

डायट की संरचना :

उपर्युक्त कार्यों को देखते हुये निम्नलिखित अकादमिक क्षेत्रों में डायट स्टाफ की आवश्यकता समझी गयी —

* शिक्षा तथा अध्यापक विज्ञान

- प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय तथा

(क) भाषा

(ख) गणित

(ग) पर्यावरणीय अध्ययन सामाजिक विज्ञान

(घ) पर्यावरणीय अध्ययन विज्ञान

(ङ) कार्यानुभव

(च) कला शिक्षा

(छ) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

- अनौपचारिक शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा
- पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन
- सेवारत कार्यक्रम क्षेत्र अंर्तसम्बन्ध नवाचार, समन्वयन
- नियोजन एवं प्रबन्धन
- शैक्षिक तकनीकी

इस प्रकार उपर्युक्त कार्यों के संचालन एवं भाषा/विषय विशेषज्ञों को समेकित करते हुए कुल सात विभागों की संकल्पना डायट में की गयी जो इस प्रकार है –

1. सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग इसमें कार्यानुभव को छोड़ आधारभूत विषयों के विषय विशेषज्ञ होते है।
2. कार्यानुभव विभाग
3. जिला संसाधन इकाई अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिये।
4. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंर्तसम्बन्ध, नवाचार एवं समन्वय विभाग
5. पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यों का विभाग
6. शैक्षिक तकनीकी विभाग
7. नियोजन एवं प्रबन्ध विभाग ।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

नई शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सृजित करने के लिए उन्हे सातवीं योजनाविधि में निम्नतम अनिवार्य शैक्षिक संसाधन संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय भारत सरकार द्वारा

लिया गया । इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है इसके अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान उपलब्ध संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों का आकलन कर वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायँ, जिनकी विद्यालय में कमी है ।

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत शिक्षण हेतु विद्यालयों में न्यूनतम आव यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के आधीन देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया –

- पक्की ईंटो से बने दो बड़े कमरे जिनके सामने एक बरामदा भी हो ।
- कम से कम दो अध्यापक, जिनके यथा सम्भव एक महिला (धीरे–धीरे प्रयास होगा कि विद्यालय की हर कक्षा के लिए अलग–अलग अध्यापक हो जाए) ।
- खिलौना, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें एवं शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान किट, गणित किट आदि की उपलब्धता ।

1.03.0 सबके लिए शिक्षा का विश्वस्तरीय परिदृश्य :

सम्पूर्ण विश्व से निरक्षरता, अशिक्षा उन्मूलन एवं असमानता की खाई कम करने एवं शिक्षा की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहली बार 5–9 मार्च, 1990 में जोमेतियन, थाइलैण्ड में अंतराष्ट्रीय चार एंजेसियों– विश्व बैंक, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी. और यूनीसेफ के साथ विश्व के 147 देश एक साथ एक मंच पर आये थे और सभी के लिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिये विश्व के देशों को साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। इससे सभी के लिए बुनियादी शिक्षा "के विभिन्न देशों के कार्यक्रम को अधिक अंतराष्ट्रीय सहयोग तथ सुदृढ़ प्रोत्साहन एवं जागरुकता को गति मिली। सम्मेलन में ''सभी के लिए शिक्षा' और 'बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य की रूपरेखा'' सर्वसम्मति से अंगीकृत की गयी। इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा से संबधित नीतियों में प्रगति की व्यापक समीक्षा हेतु इसके दस वर्षीय आंकलन की आवश्यकता का पूर्वानुमान आंकलन किया गया।

विश्वव्यापी घोषणा निम्नलिखित कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

- स्कूल आयु के बच्चों के लिए अच्छी कोटि की प्राथमिक शिक्षा जिसमें स्कूल की अवधि पूरा करने के बदले शिक्षा उपलब्धियों पर बल दिया गया और

- युवकों और प्रौढ़ों को अपना जीवन स्तर सुधारने तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लाभ का भागीदार बनने के अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी शिक्षा और दक्षता कार्य की रूपरेखा में निम्नांकित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए–

– प्राथमिक शिक्षा :– प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करेगा कि 14 वर्ष की आयु तक के कम से कम 80 प्रतिशत बच्चे वर्ष 2000 तक संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा उपलब्धि का समान स्तर प्राप्त कर लेते हैं।

– प्रौढ़ शिक्षा : सभी के लिए बुनियादी दक्षता और ज्ञान की सुलभता और

– साक्षरता : निरक्षरता में भारी कमी, आयु और लिंग की प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए लक्ष्य प्रत्येक देश द्वारा तय किए जाएंगे।

दोनों प्रलेखों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर बल दिया गया है ;

(क) महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता;

(ख) शिक्षा की कोटि में सुधार की आवश्यकता, विशेषकर शिक्षा अर्जन और उपलब्धि;

(ग) समुदाय की भागीदारी;

(घ) गैर–सरकारी संगठनों में शामिल करना और प्राथमिक शिक्षा का अनौपचारिक विकल्प;

(ङ) प्राथमिक शिक्षा का अनौपचारिक विकल्प।

इसे 9 मार्च 1990 तक जोमेटियन (थाइलैण्ड) में उपस्थित सभी देशों ने 'सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन' निम्न को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित किये–

- यह प्रत्याह्वान करते हुए कि शिक्षा हमारे सम्पूर्ण विश्व के सभी आयु के सभी लोगों, महिलाओं और पुरुषों का मौलिक अधिकार है ;
- यह समझते हुए कि शिक्षा अधिक सुरक्षित, स्वस्थ, अधिक समृद्धशाली और पर्यावरण की दृष्टि से सुन्दर, विश्व सुन्दर करने में सहायक है, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति, सहिष्णुता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक है ;
- यह जानते हुए कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति की यथेष्ट शर्त न होते हुए भी अपरिहार्य कुंजी है;
- यह मानते हुए कि परम्परागत ज्ञान और मूल सांस्कृतिक विरासत की महत्ता और वैद्यता स्वयं सिद्ध है और इसमें निरुपण एवं विकास संवर्धन दोनों की क्षमता है;
- यह स्वीकार करते हुए कि शिक्षा की समग्र और वर्तमान व्यवस्था अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है और इसे अधिक तर्कसंगत तथा गुणात्मक दृष्टि से उन्नत बनाया जाना चाहिए एवं सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए;

- यह मानते हुए कि युक्ति बुनियादी शिक्षा उच्च स्तरों की शिक्षा और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय साक्षरता तथा क्षमता को सुदृढ़ करने एवं इस प्रकार वह आत्मविश्वास विकसित करने का आधार है; और
- यह स्वीकार करते हुए कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को चुनौती की विशालता तथा जटिलता का सामना करने के लिए बुनियादी शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण और नई वचनबद्धता देने की आवश्यकता है।

1.03.1 सभी के लिए शिक्षा पर विश्वव्यापी घोषणा : बुनियादी शिक्षा प्राप्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नांकित घोषणा की गई –

***अनुच्छेद–1* बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति** : प्रत्येक व्यक्ति–बच्चा, युवक और प्रौढ़ की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिससे वे अपना अस्तित्व बनाये रखने, अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से विकास करने, सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाहन करने और कार्य करने, विकास का पूर्ण सहभाग बनने, अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने, और निरंतर शिक्षा प्राप्त करते रहने में सक्षम हो सके।

***अनुच्छेद–2* दृष्टिकोण को साकार बनाना** : बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुनियादी शिक्षा के प्रति इस समय विद्यमान प्रतिबद्धता से अधिक प्रतिबद्धता की जरूरत है। आज आवश्यकता है ऐसी व्यापक दृष्टि की जो विद्यमान प्रणालियां बनाते समय वर्तमान संसाधन स्तरों, संस्थागत, संरचनाओं, पाठ्य–सामग्री और परम्परागत शिक्षण प्रणालियों में श्रेष्ठ हो। व्यापक दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है –

- शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और समानता की अभिवृद्धि करना, सीखने पर बल देना।
- बुनियादी शिक्षा के साधनों और क्षेत्र को व्यापक बनाना।
- शिक्षा के लिए परिवेश को व्यापक बनाना और
- साझेदारी को सुदृढ़ करना।

***अनुच्छेद–3* बुनियादी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और समानता की अभिवृद्धि करना–**

- बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को उपलब्ध होनी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छे स्तर की बुनियादी शिक्षाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और असमानताओं को कम करने के लिए निरंतर उपाय किये जाने चाहिए।
- सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ो को सम्मत स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अवसर समान रूप से दिए जाने चाहिए।

- बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा की कोटि सुधारने और शिक्षा उन तक पहुँचाने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी के रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए। लिंग के आधार पर शिक्षा देने की परम्परा समाप्त की जानी चाहिए।
- शिक्षा में व्याप्त सभी असमानताएं दूर करने के लिए सक्रिय वचनबद्धता होनी चाहिए। अक्षम वर्गों, गरीब, गलियों में भटकने वाले और काम–काजी बच्चों और दूर–दराज के निवासियों, खानाबदोशों, प्रवासी कामगारों, आदिवासियों, सजातीय, प्रजाति और भाषाई अल्पसंख्यकों, युद्ध से विस्थापित लोगों, विदेशी अधिपत्य वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए शिक्षा के अवसर जुटाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- विकलांगों की शिक्षा की जरुरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यता है। प्रत्येक किस्म के विकलांगों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है। यह शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग होना चाहिए।

***अनुच्छेद 4* सीखने पर बल** – किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा समाज के लिए व्यापक शिक्षा के अवसर उसके सार्थक विकास में सहायक होते है। इसलिए बुनियादी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य वास्तव में शिक्षा अर्जन, दक्षता प्राप्त करना और परिणाम हासिल करना होना चाहिए न कि केवल स्कूल में भर्ती होना, कार्यक्रमों में भाग लेना और प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।

***अनुच्छेद 5* – बुनियादी शिक्षा के साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना** : बच्चों, युवाओ और प्रौढ़ों की शिक्षा की जरुरतें विविधतापूर्ण, जटिल और परिवर्तनशील स्वरूप की हैं। इसलिए शिक्षा उनकी उम्र की आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिए।

अनुच्छेद 6– शिक्षा के परिवेश में वृद्धि करना – शिक्षा एकाकीपन में नहीं होती है। इसलिए समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षार्थी यथावश्यक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामान्य शारीरिक और भावात्मक सहायता प्रदान करें ताकि वे शिक्षा में सक्रियता से भाग ले सके और उससे लाभान्वित हो सकें। बच्चों और उनके माता–पिताओं या संरक्षकों की शिक्षा एक दूसरे की पूरक होती है। अतः इस अंतःक्रिया का उपयोग "सबके लिए शिक्षा" का सजीव और सहृदय परिवेश बनाने के लिए होना चाहिए।

***अनुच्छेद 7*– साझेदारी को सुदृढ़ बनाना** : बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन और मूल्यांकन में सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र स्थानीय समुदायों, धार्मिक वर्गों और परिवारों की साझेदारी लेकर कार्य करना।

***अनुच्छेद 8*– सहयोग की नीति विकसित करना** : सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग कि नीति अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और समाज में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना।

***अनुच्छेद 9*– संसाधन जुटाना** : पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं मानवीय संसाधन सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र से जुटाकर बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

***अनुच्छेद 10*– अंतराष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करना** : मौजूदा आर्थिक असमानताओं को मिटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एकता और न्यायसंगत तथा उचित आर्थिक संसाधन को सुनिश्चित करना।

सभी के लिए शिक्षा के घोषणा में सभी राष्ट्रों ने अपने घोषणा में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कार्य की रूपरेखा को स्वीकार किया।

सभी के लिए शिक्षा पर विश्वव्यापी घोषणा कार्यान्वयन के लिए विश्व के देश नीचे दिए गए आयामों के अनुसार 1990 के दशक के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किये –

- परिवार और समुदाय की भूमिका सहित विशेषकर गरीब, सुविधाहीन और विकलांग बच्चों के लिए शिशु देखभाल और विकास संबंधी कार्यों का विस्तार;
- वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और पूर्ति;
- शिक्षा प्राप्ति में सुधार जैसे आवश्यक शिक्षा प्राप्ति के निश्चित स्तर प्राप्त करने या उससे अधिक करने के लिए उपयुक्त आयु वर्ग के सम्मत प्रतिशत का निर्धारण;
- प्रौढ़ निरक्षरता दर में कमी। पुरुष और महिलाओं के बीच निरक्षरता दरों में विद्यमान असमानता को काफी कम करने के लिए महिला साक्षरता पर विशेष बल;
- युवकों और प्रौढ़ों के लिए बुनियादी शिक्षा और अन्य कौशलों में प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार, व्यवहार परिवर्तन और स्वास्थ्य रोजगार तथा उत्पादकता पर प्रभाव के अनुसार कार्यक्रम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन;
- बेहतर रहन–सहन और युक्तिसंगत तथा स्थायी विकास के लिए व्यक्तियों और परिवारों के ज्ञान, दक्षता और मूल्यों के अर्जन में वृद्धि करना आवश्यक है। इसके लिए जनसंचार माध्यमों, आधुनिक और परम्परागत संचार की अन्य प्रणलियों और सामाजिक कार्यों सहित सभी शिक्षा माध्यम उपलब्ध किए जाएं और व्यवहार परिवर्तन के आधार पर इनका मूल्यांकन प्रभावकारी ढंग से किया जाए।

1.03.2 सबके लिए शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित क़ार्य

उक्त के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तर के लिए कार्य निर्धारित किये गए–

(क) राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के कार्य : इसे अन्तर्गत निम्नांकित कार्य निर्धारित किये गये –

- आवश्यकताओं का मूल्यांकन और कार्ययोजना तैयार करना।
- सहयोग की नीति के परिवेश का विकास।
- बुनियादी शिक्षा की प्रगति के लिए नीतियाँ तैयार करना।
- प्रबंधकीय, विश्लेषणात्मक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं में सुधार करना ।
- सूचना और संचार माध्यमों को गतिशील बनाना।
- साझेदारी का निर्माण करना और संसाधन जुटाना।

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिकता के कार्य :– इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य निर्धारित किए गए –

- सूचना, अनुभव और विशेषज्ञता का आदान–प्रदान।
- संयुक्त रूप से कार्य शुरु करना।

(ग) विश्व स्तर पर प्राथमिकता के कार्य – इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य निर्धारित किए गए–

- अंतराष्ट्रीय संदर्भ में सहयोग
- राष्ट्रीय क्षमताएं बढ़ाना।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यों के लिए निरंतर दीर्घकालिक सहायता देना – निम्न क्षेत्रों में सहायता देने पर ध्यान देने पर बात कही गयी –
    - राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्ययोजना तैयार करना या अद्यतन करना।
    - प्राथमिक शिक्षा में संतोषजनक गुणवत्ता स्तर और प्रासंगिकता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास तथा सम्बद्ध देशों का आपसी सहयोग।
    - आर्थिक दृष्टि से अधिक गरीब देशों में सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
    - सुविधा वंचित वर्गों, स्कूल वाह्य युवकों और प्रौढ़ों की, जिनकी बुनियादी शिक्षा के अवसरों तक पहुँच कम रही है या बिल्कुल नहीं रही है, बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम।
    - महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रम।
    - शरणार्थियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम।

- जिन देशों में निरक्षरता की ऊँची दर है और निरक्षर लोगों की बहुत संख्या है, उनमें सभी प्रकार के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम।
- कम पैमाने पर अनुसंधान और नियोजन तथा प्रयोग की क्षमता विकसित करना।
- नीति संबंधी मुद्दों पर परामर्श।

1.03.3 डकार शिक्षा सम्मेलन में 'सबके लिए शिक्षा' के क्षेत्र में किये गये प्रयास

सबके लिये शिक्षा आकलन वर्ष 2000 में डकार (सेनेगल) में हुआ जिसका उद्देश्य वर्ष 1990 में हुए जोमेटियन सम्मेलन से लेकर अब तक सबके लिये शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति को जानना, बाधाओं को दूर कर प्रगति तेज करने के लिए प्राथमिकताओं का पता लगाकर इसके लिये कार्यनीति तैयार करना और इनके अनुसार राष्ट्रीय कार्ययोजना को संशोधित करने के लिए सहगामी देशों को समर्थ बनाना रखा गया।

विश्व शिक्षा फोरम (2000) ने सबके लिए शिक्षा के छः लक्ष्यों के प्रति अपनी सहमति प्रदान की जो दृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता तथा संकल्प के समक्ष अनिवार्य, प्राप्य तथा वहनीय माने गये। डकार फ्रेम वर्क में समस्त देशों ने सार्वभौम निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्ष 2015 तक उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। डकार सम्मेलन के घोषणा पत्र में निम्नांकित छः लक्ष्य तय किये गये–

- विस्तृत शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा विशेष रूप से अत्यन्त अभावग्रस्त एवं वंचित बच्चों के लिए शिक्षा का विस्तार व सुधार।
- यह सुनिश्चित करना कि 2015 तक सभी बच्चे, विशेष कर लड़कियाँ, कठिन परिस्थितियों से पीड़ित बच्चे तथा नृजातीय अल्पसंख्यक बच्चे गुणात्मक, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त एवं पूरा करें।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी युवकों एवं प्रौढ़ों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं समुचित अधिगम तथा जीवन कौशल कार्यक्रमों के द्वारा समान रूप से पूरी हो।
- 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तरों में 50 प्रतिशत सुधार लाना, विशेषतया महिलाओं के लिए तथा सभी प्रौढ़ों के लिए बुनियादी एवं सतत् शिक्षा का समान रूप से प्रावधान करना।
- 2005 तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विषमताओं को दूर करना तथा 2015 तक पूर्णतः लैंगिक समानता प्राप्त करना, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करते हुए कि लड़कियां सम्पूर्ण तथा समान रूप से अच्छी गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें।

- शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पक्षों में सुधार तथा सबकी उत्कृष्टता सुनिश्चित करना ताकि मान्य एवं मूल्यांकन योग्य अधिगम उपलब्धियां, विशेषतया साक्षरता, गणना तथा अनिवार्य जीवन कौशल सभी प्राप्त करें।

1.03.4 सबके लिए शिक्षा की विश्व स्तरीय प्रगति :

विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान सभी बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की ओर केन्द्रित हुआ है। यह 1990 में जोमेतियन में आयोजित सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव था जिसकी संपुष्टि उत्तरवर्ती दशक में आयोजित शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में निरन्तर की गई। अप्रैल 2000 में डकार में आयोजित विश्व शिक्षा फोरम द्वारा निर्धारित छः लक्ष्यो में से दो को उसी वर्ष (सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और लैंगिक समानता तथा महिला सशक्ति को प्रोत्साहन) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत अंगीकार किया गया। डकार फोरम के संकल्प में स्पष्ट किया गया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र वचनबद्धता की पूर्ति का लेखा–जोखा रखने के प्रति दायित्वपूर्ण रहें। राष्ट्रीय सरकारों ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु वचनबद्ध रहना स्वीकार किया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने यह प्रण किया कि वचनबद्ध किसी भी देश को, संसाधनों के अभाव के कारण अपने लक्ष्यों की पूर्ति से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा। इन शपथों के क्रियान्वयन में और अधिक दायित्वपूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के उपायों में एक था सबके लिए शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट की स्थापना।

सबके लिए शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट 2000 अधिगम अवसरों के बारे में है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि विश्वभर में शिक्षा सम्बन्धी लाभ किस हद तक सभी बच्चों, युवकों एवं वयस्कों तक पहुँच रहे है तथा दो वर्ष पूर्व अप्रैल 2000 में डकार विश्व शिक्षा फोरम में किए गए वायदे क्या पूरे किए जा रहे हैं।

वर्ष 1991 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 115.4 मिलियन स्कूल आयु के बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमं 56 प्रतिशत लड़कियां थी जो 1998 में डकार के लिए बताई गई 113 मिलियन की संख्या में थोड़ा सा अथवा न के बराबर परिवर्तन हुआ है। इनमें से लगभग 94 प्रतिशत बच्चे विकासशील देशों में रह रहे थे।

स्कूल से बाहर बच्चों का क्षेत्र बार वर्गीकरण निम्नानुसार है–

क्रमांक	क्षेत्र	विद्यालय से बाहर बच्चों का प्रतिशत
1.	उपसहारा अफ्रीका	37%
2.	दक्षिणी / पश्चिमी एशिया	34%
3.	उत्तरी अमेरिका / पश्चिमी यूरोप	2%

4.	लैटिन अमेरिका/कैरीबियन	2%
5.	पूर्वी एशिया/प्रशांत	13%
6.	केन्द्रीय एशिया	2%
7.	केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप	3%
8.	अरब देश/उत्तरी अफ्रीका	7%

स्त्रोत : विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट (1999/2000)

उच्च संकट ग्रस्त वर्ग में मुख्य रूप से 34 सहारा अफ्रीकी देश आते है। इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग है। इसी में भारत और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है।

लैंगिक तथा क्षेत्र वार सकल नामांकन अनुपात (GER) तथा लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) निम्नानुसार है –

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	सकल नामांकन अनुपात				लैंगिक समानता सूचकांक (समानता = 1)	
		1990		1999			
		बालिका	बालक	बालिका	बालक	1990	1999
1.	विश्व	93.1	105.5	96.5	104.0	0.88	0.93
2.	औद्योगिक देश	104.6	104.6	101.5	102.5	1.00	0.99
3.	विकसित देश	91.8	106.6	96.2	104.7	0.86	0.92
4.	परिवर्तनशील देश	91.6	91.8	90.1	91.4	1.00	0.99
5.	अरब देश	70.8	89.7	85.0	97.0	0.79	0.88
6.	केन्द्रीय एशिया	87.8	86.4	88.0	89.0	1.02	0.99
7.	केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप	99.6	103.9	92.6	96.1	0.96	0.96
8.	पूर्वी एशिया/प्रशांत	113.5	119.9	105.9	105.5	0.95	1.00
9.	लैटिन अमरीका/ कैरीबियन	103.1	105.4	124.5	127.5	0.98	0.98
10.	उत्तरी अमेरिका/ पूर्वी यूरोप	105.3	105.4	101.6	102.7	1.00	0.99
11.	दक्षिणी/पश्चिमी एशिया	78.4	104.2	90.0	107.8	0.75	0.84
12.	उप सहारा अफ्रीका	68.3	86.7	76.3	86.0	0.79	0.89

स्त्रोत : विश्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट (1999/2000)

1.04.0 सबके लिये शिक्षा का भारत देश का परिदृश्य :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारम्भिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन का काफी विस्तार हुआ है। परिणामतः हर दशक में उक्त क्षेत्रों में शिक्षा पद्धति में विस्तार हुआ है। इसे हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है।

साक्षरता दर और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

वर्ष	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			विद्यालयों की संख्या	
	कुल	पुरुष	महिला	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1951	18.33	27.16	8.86	215036	14576
1961	28.31	40.40	15.34	351530	55915
1971	34.45	45.95	21.97	417473	93665
1981	43.56	56.37	29.75	503763	122377
1991	52.21	64.13	39.29	566744	155926
2001	65.38	75.85	54.16	641695	198004

स्त्रोतःजनगणना रिपोर्ट

सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व घोषणा–पत्र और 'ज्ञानार्जन संबंधी भूल आवश्कताओं को पूरा करने के कार्य की रूपरेखा' पर देश में शिक्षा नीति निर्माण के सर्वोच्च निकाय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने 1991 और 1992 में विचार किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा में दी गई प्राथमिकता की अभिपुरित ही थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबके लिये शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने की परियोजनाएं शुरु करने के लिए अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से–

- कक्षा 1–5 और क़क्षा 1–8 के बीच पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना। यह दर इस समय 36.3 प्रतिशत है और 1994 में 56.5 प्रतिशत थी। इनमें क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक कमी लाना है।
- गुणवत्ता में सुधार के लिये अनेक नीतिगत दिशा–निर्देश बनाये गये है जैसे–
    - विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार।
    - अधिगम परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करना।
    - शिक्षक की क्षमता का विकास

1990 के दशक में सबके लिये शिक्षा की कार्यनीति :

वर्ष 1990 सबके लिये शिक्षा के विश्व घोषणा पत्र के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबके लिये शिक्षा सम्बन्धी मुख्य चुनौतियां इस प्रकार रही हैं–

- वंचित वर्गों और शिक्षा सुविधाओं के दायरे से बाहर की आबादी तक बुनियादी शिक्षा पहुचाना।
- शिक्षा की विषय–वस्तु और प्रक्रियाओं में गुणात्मक सुधार; ताकि उन्हें बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों, परिवारों, समुदाय के ज्ञानार्जन सम्बन्धी आवश्यकताओं और सामाजिक–आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।
- शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जल्दी हो, नवाचारी कार्यक्रमों और शिक्षाकर्मियों की नई बदलती भूमिका के जरिये ठोस आधार प्रदान करते हुए नई शुरुआत करना।
- शिक्षा को जन आंदोलन बनाते हुए इसमें समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- शिक्षा में कारगर और कुशल प्रबंधन ढाँचा तैयार करना।

सबके लिये शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रुपरेखा बनाने और उन्हें कार्यरूप देने के लिए विकेन्द्रीकरण प्रणाली का उपयोग किया गया।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की एक व्यापक रुपरेखा तैयार की। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने इस बात पर भी बल दिया कि बाह्य सहायता से जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों को शैक्षिक पुनर्गठन के लिए प्रयोग किया जाए और शैक्षिक पुनर्गठन, परम्परागत उपायों, जैसे– नए विद्यालय खोलना, विद्यालय भवन का निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति से कहीं बढ़कर हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाए गए तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा समर्थित लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यनीतियों को अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य को वर्ष 1950 से एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का प्रावधान है। इस संबंध में समग्र लक्ष्य सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्तायुक्त निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा को एक व्यापक रूप में स्पष्ट किया गया। इसमें नामांकन से अधिक भागीदारी और शिक्षा जारी रखने पर खास बल है। सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार किया गया था।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए लक्ष्यों के मुख्य कार्यकारी बिन्दु निम्नलिखित हैं–

- बालिकाओं, विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों, सहित सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल करना और उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बीच में विद्यालय छोड़ने वाले, कामकाजी बच्चों और औपचारिक विद्यालय न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर अनेक परियोजनायें संचालित की गई जिसमें बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं जनशाला कार्यक्रम प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया है। विभिन्न वर्षों में प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है–

वर्ष	शिक्षा पर कुल सरकारी चालू व्यय की प्रतिशतता के रूप में चालू सरकारी व्यय (प्रतिशत में)		सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में चालू सरकारी व्यय (प्रतिशत में)	
	प्राथमिक शिक्षा (1–5)	प्रारम्भिक शिक्षा (1–8)	प्राथमिक शिक्षा (1–5)	प्रारम्भिक शिक्षा (1–8)
1990	34.30	46.30	1.25	1.69
1991	34.22	46.30	1.18	1.60
1992	33.69	45.20	1.14	1.53
1993	34.20	46.20	1.02	1.38
1994	34.05	46.40	1.00	1.36
1995	35.30	48.50	1.05	1.44
1996	36.50	50.10	1.05	1.44
1997	37.10	50.40	1.08	1.47

स्त्रोत : बजटगत व्यय विश्लेषण (मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

1.05.0 सबके लिए शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

सबके लिये शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये है और उनके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। देश

के 18 राज्य के 461 जनपदों में 853601 विद्यालय संचालित है जिनमें से 87 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है। इनमें से सबसे अधिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में 119443, आंध्रप्रदेश में 37575, मध्यप्रदेश में 85225 तथा उड़ीसा में 81154 विद्यालय संचालित है तथा सबसे कम विद्यालय केरल में 11964, हिमाचल प्रदेश में 14778, उत्तरांचल में 17224 तथा झारखण्ड में 21238 विद्यालय संचालित है।

देश में विभिन्न कोटि वार संचालित विद्यालयों का प्रतिशत निम्नानुसार है–

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	प्रतिशत	ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति का प्रतिशत
1.	प्राथमिक विद्यालय	70.71	90.93
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	15.41	82.68
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	5.96	90.54
4.	हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.14	75.79
5.	उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2.18	58.29

स्त्रोतः नीपा रिपोर्ट–2002–2003

संचालित विद्यालयों में से 61.06 प्रतिशत विद्यालय शिक्षा विभाग 4.59 प्रतिशत विद्यालय आदिवासी विकास विभाग, 20.61 प्रतिशत विद्यालय स्थानीय निकाय तथा 11.70 प्रतिशत विद्यालय अशासकीय अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये जहाँ एक ओर प्राथमिक विद्यालय खोले गये है वही आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले गये है। प्रदेशवार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात निम्नानुसार है–

क्रमांक	प्रदेश का नाम	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अनुपात	
		प्राथमिक अनुपात	उच्च प्राथमिक
1.	गुजरात	1.56	1
2.	कर्नाटक	1.99	1
3.	केरल	2.01	1
4.	महाराष्ट्र	2.08	1

5.	हरियाणा	2.42	1
6.	मध्य प्रदेश	2.64	1
7.	तमिलनाडू	2.92	1
8.	राजस्थान	3.02	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3.13	1
10.	आंध्र प्रदेश	3.19	1
11.	उत्तरांचल	3.37	1
12.	उड़ीसा	3.59	1
13.	छत्तीसगढ़	3.60	1
14.	असम	4.19	1
15.	झारखण्ड	4.91	1
16.	बिहार	5.00	1
17.	उत्तर प्रदेश	5.24	1
18.	पश्चिम बंगाल	5.27	1

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

वर्ष 1994 के बाद 2002–03 तक 161279 विद्यालय विभिन्न योजना के अन्तर्गत संचालित किये गये है जिनमें से 82.63 प्रतिशत विद्यालयों के पास विद्यालय भवन है। आन्ध्र प्रदेश में 22552, मध्यप्रदेश में 19242, राजस्थान में 36793 और उत्तर प्रदेश में 33452 विद्यालय संचालित किये गये है। खोले गये विद्यालयों से 74.51 प्रतिशत (1,20,176) विद्यालय प्राथमिक के है जो कुल प्राथमिक विद्यालयों का 18.83 प्रतिशत है। 11.19 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक के साथ तथा 15.14 प्रतिशत हाईस्कूल के साथ संलग्न खोली गई है।

देश की 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में चहारदिवारी नहीं है तथा 7.38 प्रतिशत विद्यालयों (62996) के पास आज भी विद्यालय भवन नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के 80 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों के पास पक्का भवन है। देश के प्राथमिक विद्यालयों में भवन की स्थिति निम्नानुसार है–

क्रमांक	भवन का प्रकार	स्थिति (प्रतिशत में)
1.	पक्का भवन	70.19

2.	आंशिक पक्का भवन	10.79
3.	कच्चा	2.52
4.	टेन्ट	0.2
5.	बहुविकल्प प्रकार	8.35
6.	भवन विहीन	6.34

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

सभी का उत्तर न प्राप्त होने के कारण योग 100 प्रतिशत नहीं दर्शाता

शिक्षकों एवं कक्षा–कक्ष की स्थिति

लगभग 36 प्राथमिक विद्यालयों में तीन से अधिक शिक्षक है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतिशत 33 है। 11.72 प्रतिशत विद्यालयों में एक भी कक्षाकक्ष नहीं है जबकि 15.74 प्रतिशत में एक, 35.65 प्रतिशत में दो तथा 36.89 प्रतिशत में तीन या तीन से अधिक कक्षाकक्ष है। शिक्षक एवं कक्षाविहीन विद्यालयों को हम निम्न तालिका की सहायता से देख सकते हैं–

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कक्षविहीन विद्यालयों का प्रतिशत	शिक्षक विहीन विद्यालयों का प्रतिशत
1.	प्राथमिक विद्यालय	11.72	1.37
2.	उच्च प्राथमिक के साथ प्राथमिक विद्यालय	7.19	1.38
3.	उच्च प्राथमिक एवं सेकेण्डरी के साथ प्राथमिक विद्यालय	9.94	3.78
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	19.64	1.48
5.	हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय	5.92	3.77

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

नामांकन

देश 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों मं 100 से ऊपर नामांकन है। ग्रामीण क्षेत्र के 3.94 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 20 का नामांकन है, 27 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 21 से 60 के बीच, 16 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 101 से 140 के बीच तथा 87

प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 100 के ऊपर नामांकन है। वर्ष 2002—03 में बच्चों के नामांकन अनुसार विद्यालयों का प्रतिशत निम्नानुसार है—

क्रमांक	बच्चों की संख्या की आवृत्ति	विद्यालयों का प्रतिशत
1.	1—20	3.94
2.	21—60	26.91
3.	61—100	21.53
4.	101—140	16.01
5.	141—220	17.39
6.	221—300	7.18
7.	300 से अधिक	5.27
8.	छूटा नामांकन (Missng Enrolment)	1.77

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002—03)

विभिन्न प्रदेशों के एक शिक्षकीय विद्यालयों को हम निम्न तालिका की सहायता से देख सकते है।

क्रमांक	प्रदेश का नाम	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	20.1
2.	असम	17.2
3.	बिहार	25.5
4.	छत्तीसगढ़	13.6
5.	गुजरात	11.5
6.	हरियाणा	9.0
7.	हिमाचल प्रदेश	14.8
8.	झारखण्ड	35.2
9.	कर्नाटक	20.3
10.	केरल	0.1
11.	मध्यप्रदेश	15.0

12.	महाराष्ट्र	19.9
13.	उड़ीसा	23.5
14.	राजस्थान	38.6
15.	तमिलनाडू	7.2
16.	उत्तर प्रदेश	15.9
17.	उत्तरांचल	21.5
18.	पश्चिम बंगाल	8.1

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

विश्लेषक के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से 8.94 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 100 के ऊपर है, जबकि 3.65 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 4.50 प्रतिशत उच्च प्राथमिक तथा हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड विद्यालय के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय तथा 5.24 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 7.89 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 100 के ऊपर है। वर्ष 2002–03 के आकडों के अनुसार प्रदेशवार 100 से ऊपर शिक्षक छात्र अनुपात को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है–

क्रमांक	प्रदेश का नाम	विद्यालयों का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.4
2.	असम	3.2
3.	बिहार	31.6
4.	छत्तीसगढ़	30.9
5.	गुजरात	1.1
6.	हरियाणा	4.3
7.	हिमांचल प्रदेश	0.4
8.	झारखण्ड	11.9
9.	कर्नाटक	0.6
10.	केरल	0.1
11.	मध्यप्रदेश	3.1

12.	महाराष्ट्र	0.5
13.	उड़ीसा	3.3
14.	राजस्थान	3.3
15.	तमिलनाडू	1.1
16.	उत्तर प्रदेश	24.2
17.	उत्तरांचल	2.0
18.	पश्चिम बंगाल	8.9

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

सभी प्रकार के शैक्षिक सर्वे के अनुसार एक शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या में काफी कमी आई है तथा शिक्षक छात्र अनुपात में भी पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

कक्षा–कक्षों की स्थिति

शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के डाइस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में 15.7 प्रतिशत (94734 विद्यालय) प्राथमिक विद्यालय एककक्षीय है। वर्ष 2002–03 के आँकड़ों के अनुसार 15.7 प्रतिशत प्राथमिक, 4.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाई/हायरसेकेण्ड के साथ संलग्न प्राथमिक, 0.7 प्रतिशत हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी विद्यालय से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय एककक्षीय है। राज्यवार एक कक्षीय विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2002–03 के अनुसार निम्नानुसार है।

क्रमांक	प्रदेश का नाम	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.7
2.	असम	70.2
3.	बिहार	16.8
4.	छत्तीसगढ़	6.2
5.	गुजरात	16.4
6.	हरियाणा	5.4
7.	हिमांचल प्रदेश	10.1
8.	झारखण्ड	7.4
9.	कर्नाटक	24.7

10.	केरल	1.7
11.	मध्यप्रदेश	9.7
12.	महाराष्ट्र	19.1
13.	उड़ीसा	5.1
14.	राजस्थान	4.2
15.	तमिलनाडू	13.5
16.	उत्तर प्रदेश	2.7
17.	उत्तरांचल	2.9
18.	पश्चिम बंगाल	23.3

स्त्रोत– नीपा रिपोर्ट (2002–03)

विद्यालय के लगभग 55.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय के कक्षा–कक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। 13.5 प्राथमिक विद्यालय के कक्षा–कक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। 13.5 प्रतिशत कक्षा–कक्ष में सूक्ष्म मरम्मत की तथा 27.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में बृहदमरम्मत की आवश्यकता है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 66.2 प्रतिशत विद्यालयों के कक्षाकक्ष अच्छी स्थिति में है तथा हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 82.9 प्रतिशत विद्यालय के कक्षाकक्ष अच्छी स्थिति में है। प्रतिकक्षा 60 से अधिक विद्यार्थी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 25.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 22.1 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा–अनुपात 10.7 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 15.6 प्रतिशत तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी–कक्षा अनुपात 17.1 प्रतिशत है। 60 या इससे अधिक विद्यार्थी वाले प्राथमिक विद्यालयों की राज्य बार स्थिति निम्नानुसार हैं–

क्रमांक	प्रदेश का नाम	60 या इससे अधिक विद्यार्थी कक्षानुपात वाले प्राथमिक विद्यालय का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.4
2.	असम	37.2
3.	बिहार	59.0
4.	छत्तीसगढ़	14.0

5.	गुजरात	14.0
6.	हरियाणा	21.9
7.	हिमांचल प्रदेश	2.0
8.	झारखण्ड	22.5
9.	कर्नाटक	7.3
10.	केरल	3.4
11.	मध्यप्रदेश	15.6
12.	महाराष्ट्र	4.8
13.	उड़ीसा	4.2
14.	राजस्थान	9.0
15.	तमिलनाडू	10.2
16.	उत्तर प्रदेश	49.1
17.	उत्तरांचल	7.1
18.	पश्चिम बंगाल	42.6

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

खेल के मैदान, पीने के पानी एवं शौचालय की स्थिति

विद्यालय में खेल के मैदान में 42.22 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है जबकि 54.33 प्रतिशत उच्च प्राथमिक तथा 57.50 प्रतिशत हाईस्कूल और हायरसेकेण्डरी में संलग्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है। सबसे अधिक तमिलनाडु के 63 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है जबकि सबसे कम उड़ीसा के 17.45 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है।

विद्यालय में उपलब्ध पानी की सुविधा के अन्तर्गत 71.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 79.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 88.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक और सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्याालय, 75.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 89.4 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध है। राज्यवार विद्यालयों में उपलब्ध पीने के पानी की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	राज्य	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय में संलग्न	उच्च प्राथमिक एवं हाई / हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	42.5	71.9	84.4	74.4	80.8
2.	असम	60.5	71.3	82.9	58.4	86.2
3.	बिहार	79.0	86.8	87.7	85.9	92.8
4.	छत्तीसगढ़	74.8	70.1	83.1	68.6	80.5
5.	गुजरात	54.7	64.3	84.6	85.2	97.4
6.	हरियाणा	89.8	89.4	93.8	90.1	92.6
7.	हिमांचल प्रदेश	90.5	88.1	94.4	81.7	93.7
8.	झारखण्ड	71.9	81.8	73.4	89.7	74.7
9.	कर्नाटक	56.4	75.6	94.7	75.0	96.3
10.	केरल	86.8	94.6	95.7	93.3	95.6
11.	मध्यप्रदेश	78.5	82.9	85.7	75.0	82.8
12.	महाराष्ट्र	73.1	80.8	92.4	93.2	95.8
13.	उड़ीसा	68.8	80.3	79.0	62.5	86.0
14.	राजस्थान	64.0	85.0	91.2	81.7	91.9
15.	तमिलनाडू	80.6	86.6	89.6	86.5	87.1
16.	उत्तर प्रदेश	91.0	92.3	91.8	85.1	94.5
17.	उत्तरांचल	60.7	84.1	84.9	58.2	71.3
18.	पश्चिम बंगाल	71.1	84.2	88.0	82.8	93.0

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

देश के 29.06 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 48.29 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 67.36 उच्च प्राथमिक और हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न

प्राथमिक विद्यालय, 39.18 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 60.38 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये संयुक्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। जबकि 15.64 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 33.89 उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 69.71 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 28.14 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 64.65 प्रतिशत हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

शिक्षण अधिगम सुविधा

शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में श्यामपट का विशेष महत्व है। बिना श्यामपट्ट के कक्षा में शिक्षण अधिगम को सही रूप में नहीं किया जा सकता। वर्ष 2003 के डाइस आँकड़ों के अनुसार 9.38 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 8.11 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 8.92 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 6.37 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्यामपट्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

विद्यालयों में उपलब्ध बुकबैक की सुविधा के अन्तर्गत 40.76 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 41.47 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 51.91 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 38.01 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 57.89 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुक बैक की सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 81.33 प्रतिशत विद्यालयों में बुकबैक की सुविधा उपलब्ध है जबकि सबसे कम 14.43 प्रतिशत कर्नाटक के विद्यालयों में बुक बैक की सुविधा उपलब्ध है।

तकनीकी के युग में शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया को पारस्परिक बनाने के लिये भारत सरकार के सहयोग से राज्यों द्वारा विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये है ताकि बच्चे विद्यालय में नियमित आये तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया रोचक होने के कारण विद्यालय में रुके तथा सीखे। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष नवाचार मद के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को 50 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में वर्ष 2002–03 के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार देश के 4.07 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 9.57 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 46.73 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 6.27 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 29.33 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। सबसे अधिक केरल के 23.08 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा उपलब्ध है, जबकि सबसे कम 2.71 प्रतिशत पश्चिम बंगाल के विद्यालयों

में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। कुल मिलाकर भारत देश के 7.02 प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के स्वतंत्र विद्यालयों की तुलना में हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न विद्यालयों में 5–6 गुना ज्यादा कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

नामांकन तथा लैंगिक समानता सूचकांक की स्थिति :

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक एवं बालिका नामांकन तथा लैंगिक समानता सूचकांक को हम राज्यवार निम्न तालिका की सहायता से देख सकते है–

क्रमांक	राज्य	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		नामांकन बालक	नामांकन बालिका	लैंगिक समानता अनुपात	नामांकन बालक	नामांकन बालिका	लैंगिक समानता अनुपात
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.84	49.16	0.97	53.80	46.20	0.86
2.	असम	51.79	48.21	0.93	52.28	47.72	0.91
3.	बिहार	57.63	42.37	0.74	64.80	35.20	0.54
4.	छत्तीसगढ़	51.33	48.67	0.95	56.29	43.71	0.78
5.	गुजरात	53.85	46.15	0.86	58.06	41.94	0.72
6.	हरियाणा	52.27	47.73	0.91	53.02	40.98	0.89
7.	हिमांचल प्रदेश	51.89	48.11	0.93	52.01	47.99	0.92
8.	झारखण्ड	55.33	44.67	0.81	60.03	39.97	0.67
9.	कर्नाटक	51.46	48.54	0.94	52.78	47.22	0.89
10.	केरल	50.83	49.17	0.97	52.01	47.99	0.92
11.	मध्यप्रदेश	50.81	47.19	0.89	59.20	40.80	0.69
12.	महाराष्ट्र	52.10	47.90	0.92	52.48	47.52	0.91
13.	उड़ीसा	52.53	47.47	0.90	55.31	44.69	0.81
14.	राजस्थान	54.39	45.61	0.84	66.08	33.92	0.51

15.	तमिलनाडू	51.75	48.25	0.93	51.83	48.17	0.93
16.	उत्तर प्रदेश	52.74	47.26	0.90	58.46	41.54	0.71
17.	उत्तरांचल	50.58	49.42	0.98	52.43	47.57	0.91
18.	पश्चिम बंगाल	50.78	49.22	0.97	52.87	43.13	0.89
	समस्त राज्य	52.82	47.18	0.89	55.80	44.20	0.79

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 84.38 प्रतिशत बालक, 83.69 प्रतिशत बालिका तथा 84.05 प्रतिशत दोनों का नामांकन है। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर में 77.81 प्रतिशत बालक, 74.33 प्रतिशत बालिका तथा 76.28 प्रतिशत दोनो का नामांकन है। ग्रामीण नामांकन में प्राथमिक स्तर पर 53.02 प्रतिशत बालक तथा 46.98 प्रतिशत बालिका एवं उच्च प्राथमिक में 56.92 प्रतिशत बालक तथा 43.08 प्रतिशत बालिकायें नामांकित है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कुल नामांकन में राज्यवार नामांकन की स्थिति वर्ष 2002–03 के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है–

क्रमांक	राज्य	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर			
		अनु. जाति का नामांकन में प्रतिशत	अनु.जाति बालिका का कुल अनु.जाति के नामांकन में प्रतिशत	अनु.जनजाति का नामांकन में प्रतिशत	अनु.जनजाति का कुल अनु.जनजाति के नामांकन में प्रतिशत	अनुसूचित जाति का नामांकन प्रतिशत	अनु.जाति बालिका का कुल अनु.जाति के नामांकन में प्रतिशत	अनु.जनजाति का नामांकन में प्रतिशत	अनु.जनजाति का कुल अनु.जनजाति के नामांकन में प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.7	49.0	10.6	47.2	18.8	44.2	5.7	37.4
2.	असम	9.9	47.7	16.1	48.6	10.0	47.2	17.6	47.0
3.	बिहार	16.5	39.0	1.2	38.9	11.6	30.3	0.8	33.2
4.	छत्तीसगढ़	16.6	49.3	29.5	47.3	13.9	43.8	27.4	42.5
5.	गुजरात	8.3	47.3	18.9	46.7	9.9	43.9	13.5	41.3
6.	हरियाणा	32.3	47.1	0.3	52.2	24.6	43.7	0.4	50.3

7.	हिमांचल प्रदेश	30.1	48.6	4.7	49.0	25.6	48.1	4.4	46.0
8.	झारखण्ड	13.7	42.3	31.7	43.5	11.0	34.2	25.8	39.2
9.	कर्नाटक	20.3	48.8	8.0	48.7	18.3	46.2	7.1	45.9
10.	केरल	11.0	48.7	1.7	48.3	10.7	47.7	1.4	49.8
11.	मध्यप्रदेश	17.8	47.2	22.4	45.2	17.0	39.1	17.7	38.0
12.	महाराष्ट्र	15.7	48.3	12.7	47.4	16.0	47.3	10.1	44.9
13.	उड़ीसा	20.8	47.7	26.0	45.4	17.8	43.6	16.4	39.0
14.	राजस्थान	20.0	44.9	15.9	44.3	16.1	30.5	12.1	29.8
15.	तमिलनाडू	26.4	48.6	1.7	47.1	25.6	48.7	1.3	44.8
16.	उत्तर प्रदेश	31.9	47.2	0.2	46.4	29.6	39.9	0.3	43.2
17.	उत्तरांचल	26.7	49.4	4.1	49.4	21.2	44.3	4.4	47.1
18.	पश्चिम बंगाल	29.1	49.1	6.5	47.4	23.3	43.7	4.0	39.0
	समस्त राज्य	**21.8**	**47.0**	**9.6**	**46.0**	**19.9**	**42.1**	**7.8**	**39.8**

स्त्रोत – राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान रिपोर्ट (2002–03)

ट्रांजीशन दर

प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002–03 के आंकड़ों के अनुसार 64.48 प्रतिशत बच्चे नामांकित होते है जिनमें से 65.96 प्रतिशत बालक तथा 62.73 प्रतिशत बालिकायें है। केरल राज्य का ट्रांजीशन दर का प्रतिशत (94.77 प्रतिशत) अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है जबकि हिमाचल प्रदेश का ट्रांजीशन दर 30.28 है जो कि सबसे कम है।

उपलब्धि स्तर

प्राथमिक स्तर के बोर्ड में बालकों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 93.59 तथा बालिकाओं का 93.59 प्रतिशत है। यानि बालिकाओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बालकों की अपेक्षा अधिक है। 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वालों में बालकों का प्रतिशत 44.02 तथा बालिकाओं का प्रतिशत 44.43 है। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के बोर्ड में बालकों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 87.63 तथा बालिकाओं का 87.84 प्रतिशत है। 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले में बालकों का प्रतिशत 34.77 तथा बालिकाओं का

36.61 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बालिकाओं के उत्तीर्ण हाने का प्रतिशत बालकों की तुलना में अधिक है। प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर के बोर्ड में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की तुलना में काफी अधिक है।

शिक्षकों की स्थिति

विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षकों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2002–03 के आँकड़ों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में औसतन प्रति प्राथमिक विद्यालय 2.47, उच्च प्राथमिक विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 6.17, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 7.81, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4.15 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7.19 शिक्षक है। जबकि अशासकीय विद्यालयों में औसतन प्रति प्राथमिक विद्यालय 4.88, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 8.40, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 10.89, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5.34 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10.34 शिक्षक है। शिक्षकों की स्थिति में सुधार के साथ महिला शिक्षकों की संस्था में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2002–03 के आँकड़ों के अनुसार कुल शिक्षकों में महिला शिक्षक का प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में 34.4 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 40.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 54.6 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 23.6 प्रतिशत तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 36.6 प्रतिशत है।

प्रशिक्षित शिक्षकों में प्राथमिक स्तर पर 46.3 प्रतिशत पुरुष तथा 40.9 प्रतिशत महिलायें तथा 44.4 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है। उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 35.1 प्रतिशत पुरुष, 34.5 प्रतिशत महिलायें तथा 34.8 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है। उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में 10.4 प्रतिशत पुरुष, 8.4 प्रतिशत महिलायें तथा 9.4 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8.7 प्रतिशत पुरुष, 12.2 प्रतिशत महिला तथा 10.5 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है जबकि हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 9.7 प्रतिशत पुरुष, 12.6 प्रतिशत महिला तथा 9.15 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है।

वर्ष 2003–04 के आँकड़ों के अनुसार विभिन्न विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है–

क्रमांक	विद्यालय	सेकण्डरी या कम (प्रतिशत)	सेकण्डरी (प्रतिशत)	हायर सेकण्डरी (प्रतिशत)	स्नातक (प्रतिशत)	स्नातकोत्तर (प्रतिशत)	एम.फिल (प्रतिशत)	अन्य योग्यता (प्रतिशत)	जानकारी अप्राप्त (प्रतिशत)
1.	प्राथमिक विद्यालय	4.25	23.94	23.25	31.36	9.97	0.13	0.13	6.98
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2.17	25.75	21.99	29.45	12.37	0.16	0.21	7.91
3.	उच्च प्राथमिक एवं सेकण्डरी/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1.65	10.20	11.04	38.71	19.96	0.58	0.49	17.38
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	2.05	8.84	25.29	35.54	19.02	0.18	0.31	8.76
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1.57	11.54	9.17	33.90	21.08	0.39	0.48	21.88

स्त्रोत – नीपा रिपोर्ट (2002–03)

शासन स्तर से विद्यालय में शिक्षक–छात्र अनुपात को तर्कसंगत बनाने के लिए पैरा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान कार्यरत कुल शिक्षकों में पैराशिक्षक का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर 11.03, उच्च प्राथमिक के संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 5.90, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8.34 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2.76 है। पैरा शिक्षकों की योग्यता में 2.44 प्रतिशत सेकण्डरी के नीचे, 9.19 प्रतिशत सेकण्डरी, 32.35 प्रतिशत हायर सेकण्डरी, 32.58 प्रतिशत स्नातक, 17.38 प्रतिशत स्नातकोत्तर 0.13 प्रतिशत एम0फिल तथा 0.13 प्रतिशत अन्य योग्यता के है। कुल कार्यरत पैराटीचर्स में 34.47 प्रतिशत महिला पैरा टीचर्स हैं

इस प्रकार विभिन्न सूचकांकों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि देश में सबके लिये शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है तथा हम विश्व सम्मेलन के निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर है।

1.06.0 सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम : उत्तर प्रदेश का परिदृश्य

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा

के फलस्वरूप आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें अधिगम तथा ठहराव में आने वाली बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य और प्रावधान रखा गया। सबके लिये शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित हुई जो वर्ष 2000 में समाप्त हुई। जनपदों के पुर्नगठन के बाद इनकी संख्या 17 हो गई थी। वर्ष 1997 से उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित हुआ, जबकि 32 जनपदों में यह कार्यक्रम वर्ष 2000 से संचालित हुआ। इसके अतिरिक्त लखनऊ जनपद में जनशाला कार्यक्रम संचालित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जनपद सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001–02 सें संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत जहाँ एक ओर प्रत्येक बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु विद्यालयों को भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे है। विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिये तथा शिाक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी, रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिये प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। समुदाय को जागरुक बनाने के लिये उनको प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनको विद्यालयीन अधिकारों एवं दायित्व से अवगत कराया गया है। विषय वस्तु को बालकेन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं जेण्डर भेद मुक्त बनाया गया है। शिक्षकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया गया है और आवश्यकतानुसार दिया जा रहा है। संकुल केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की स्थापना कर उनको अकादमिक दृष्टि से मजबूत बनाया गया है तथा विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र की क्षमता संवर्धन का प्रयास किया गया है। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को आवश्यकता आधारित बनाने का प्रयास किया गया है। बालिका शिक्षा, अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू किया गया है। यद्यपि इन सबके परिणामस्वरूप सबके लिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिली है, फिर भी अभी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य निम्नानुसार परिलक्षित होता है।

जनसंख्या

वर्ष 1991 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 139112000 (पुरुष जनसंख्या = 74037000 एवं महिला जनसंख्या 65075000) है। इसमें 53.22 प्रतिशत पुरुष तथा 46.78 प्रतिशत महिलाएं है। वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 166052859 है जिसमें 87466301 पुरुष तथा 78586558

महिलायें है जिसमें 52.67 प्रतिशत पुरुष तथा 48.33 प्रतिशत महिलायें है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 898 है। जबकि हम देश के परिदृश्य में देखें तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 933 है। वर्ष 1991 की जनगणना के सापेक्ष जनसंख्या वृद्धि दर 19.4 है। पुरुषों में वृद्धि दर 18.1 एवं महिलाओं में वृद्धि दर 20.8 प्रतिशत है।

साक्षरता

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 40.06 प्रतिशत जिसमें पुरुष साक्षरता दर 53.35 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 26.02 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 है जिसमें 70.23 प्रतिशत पुरुष और 42.98 प्रतिशत महिलायें साक्षर है। वर्ष 1991 की जनगणना के सापेक्ष वर्ष 2001 में साक्षरता वृद्धि दर 16.30 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 14.88 एवं महिलाओं की साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 16.96 प्रतिशत है।

विद्यालयों की स्थिति

वर्ष 2002—03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधक प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 99778, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1914, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 269, उच्च प्राथमिक विद्यालय 16663 तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 619 है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 5.24:1 का है। प्रतिशत की दृष्टि से 83.54 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 1.60 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 0.23 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 13.95 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय, 0.52 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय तथ 0.17 प्रतिशत विद्यालय जिनकी जानकारी स्पष्ट नहीं है।

विभिन्न विभागों द्वारा विद्यालय का प्रबंधन

वर्ष 2002—03 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन आँकड़ों के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन की स्थिति प्रतिशत में निम्नानुसार है।

क्रमांक	विद्यालय का प्रबंधन	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हाई सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	जानकारी अप्राप्त	सभी विद्यालय
1.	शिक्षा विभाग	87.31	15.99	16.36	79.33	11.47	0.50	84.35

2.	आदिवासी विकास विभाग	0.50	0.99	0.37	0.17	0.00	0.00	0.46
3.	स्थानीय निकाय	0.91	3.34	4.83	2.12	4.68	0.00	1.15
4.	अशासकीय अनुदान प्राप्त	2.39	17.55	30.86	5.27	58.80	11.00	3.38
5.	अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त	8.57	59.51	44.61	12.76	23.75	0.00	10.12
6.	अन्य प्रबंधन	0.32	2.61	2.97	0.34	1.29	0.00	0.37

स्त्रोत : भौक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा खोले गये विद्यालयों की हिस्सेदारी –

(प्रतिशत में)

क्रमांक	विद्यालय का प्रबंधन	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हाई सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	जानकारी अप्राप्त	सभी विद्यालय
1.	सभी द्वारा	92.14	68.13	70.26	91.99	86.59	4.50	91.51
2.	शिक्षा विभाग	89.86	18.71	15.34	81.97	9.70	0.00	87.87
3.	आदिवासी विकास विभाग	0.52	1.15	0.53	0.17	0.00	0.00	0.47
4.	स्थानीय निकाय	0.86	3.37	3.70	2.09	4.48	0.00	1.09
5.	अशासकीय अनुदान प्राप्त	1.97	15.95	28.57	4.70	60.26	11.00	2.85
6.	अशासकीय अनुदान प्राप्त	6.55	59.20	48.68	10.76	24.25	0.00	7.93
7.	अन्य प्रबंधन	0.23	1.61	3.17	0.29	1.31	0.00	0.27

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

संकुल स्त्रोत केन्द्र से विद्यालयों की दूरी का प्रतिशत कुल विद्यालयों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्रमांक	संकुल से विद्यालय की दूरी	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हाई सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	जानकारी अप्राप्त	सभी विद्यालय
1.	1 किमी. के अन्दर	29.08	53.08	58.74	42.27	57.67	96.00	31.63
2.	2 से 5 किमी. के बीच	49.33	35.68	32.34	40.71	31.18	0.00	47.69
3.	5 किमी. से अधिक	21.51	11.02	8.92	16.80	10.34	0.00	20.56

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

विकासखण्ड स्रोत केन्द्र से विद्यालयों की दूरी का प्रतिशत कुल विद्यालयों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्रमांक	विकास खण्ड से विद्यालय की दूरी	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हाई सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	जानकारी अप्राप्त	सभी विद्यालय
1.	5 किमी. के अन्दर	21.80	44.41	50.19	23.74	33.60	96.0	22.19
2.	5 से 10 किमी. के बीच	36.33	29.89	25.65	37.17	34.09	0.00	36.25
3.	10 किमी. से अधिक	41.79	25.50	24.16	38.87	31.50	0.00	40.96

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

वर्ष 1994 के बाद वर्ष 2002–03 तक 26544 प्राथमिक विद्यालय खोले गये है। प्रतिशत की दृष्टि से 1994 के बाद 24.70 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 24.90 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 16.00 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर

सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 35.10 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 5.80 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये है।

चहारदीवारी की स्थिति

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 71.14 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 29.41 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 21.93 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 62.18 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 16.96 प्रतिशत हाईस्कूल से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी की सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध है।

भवन की स्थिति

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालय के प्रकार वार भवनों की स्थिति का प्रतिशत निम्नानुसार है–

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	भवन की स्थिति					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	भवन विहीन
1.	प्राथमिक विद्यालय	94.60	1.22	0.24	0.04	0.91	2.48
2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	87.15	3.76	0.42	0.00	6.27	1.62
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	90.71	1.12	0.00	0.37	4.46	2.23
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	91.22	1.22	0.04	0.03	1.75	4.93
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	92.08	0.81	0.00	0.00	4.36	1.29

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

कक्षाकक्ष की स्थिति

विद्यालय के प्रकार के अनुसार वर्ष 2002–03 में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष की स्थिति निम्नानुसार है–

(प्रतिशत में)

क्रमांक	कक्षा–कक्षों की संख्या	विद्यालय के प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	कक्षाविहीन	3.07	2.30	3.72	5.73	1.79
2.	एक कक्षीय	2.67	0.63	0.74	1.58	0.33
3.	दो कक्षीय	42.79	4.08	1.12	5.42	0.49
4.	तीन या अधिक कक्षीय	51.48	92.98	94.42	87.28	97.39

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

नामांकन की स्थिति

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (EMIS) के आँकड़ों के अनुसार विद्यालयवार बच्चों के नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है–

(प्रतिशत में)

क्रमांक	नामांकन अंतराल	विद्यालयों का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	1–20	0.45	0.37	0.74	3.47	0.49
2.	21–60	5.84	2.98	1.49	18.36	4.72
3.	61–100	13.81	4.03	5.58	21.28	6.84
4.	101–140	19.40	7.43	6.69	17.28	10.59

5.	141—220	32.26	18.12	17.47	19.92	19.54
6.	221—300	16.01	18.80	14.50	9.27	18.73
7.	300 से अधिक	11.96	48.01	53.53	9.94	38.44
8.	अप्राप्त नामांकन	0.26	0.26	0.0	0.48	0.65

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002—2003)

शिक्षकों की स्थिति

वर्ष 2002—03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है—

(प्रतिशत में)

क्रमांक	शिक्षकों की संख्या	विद्यालयों का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	शिक्षक विहीन	1.25	2.46	1.86	1.94	6.46
2.	एक शिक्षकीय	15.86	1.62	1.86	11.82	0.97
3.	दो शिक्षकीय	40.52	5.02	5.20	18.2	4.20
4.	तीन या अधिक शिक्षकीय	42.38	90.91	91.08	67.32	88.37

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002—2003)

प्री—प्राइमरी स्कूल

वर्ष 2002—03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार 8.95 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 7.26 उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय एवं 8.18 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में प्री—प्राथमिक विद्यालय की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है।

अन्य शैक्षिक सूचक

- उत्तर प्रदेश के 24.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 12.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 15.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 7.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 10.7 प्रतिशत

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 100 से अधिक है।

- प्रदेश के 4.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 10.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय एवं 14.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 या उससे कम विद्यार्थी अध्ययनरत है।

- प्रदेश के 49.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 25.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 21.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 17.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 12.6 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 60 से अधिक है।

- प्रदेश के 4.83 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों 4.18 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 8.92 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 8.47 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 4.20 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्यामपट्ट उपलब्ध नहीं है।

- प्रदेश के 91.0 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 92.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 91.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 85.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 54.5 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।

- प्रदेश के 55.03 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 75.24 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 76.21 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 55.45 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 84.65 प्रतिशत हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं जबकि 40.88 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 69.49 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 73.61 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 42.66 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 76.90 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था है।

- प्रदेश के 59.22 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 78.32 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 79.55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर

सेकेण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 62.44 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 85.78 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डर के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिये खेल का मैदान है।

कक्षाकक्षों की स्थिति

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार कक्षाकक्ष की स्थिति विद्यालय के प्रकार के अनुसार निम्नानुसार है– (प्रतिशत में)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष की स्थिति का प्रतिशत		
		अच्छी स्थिति	आंशिक मरम्मत की आवश्यकता	बृहद मरम्मत की आवश्यकता
1.	प्राथमिक विद्यालय	63.8	26.3	9.9
2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	80.4	16.0	3.6
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	83.5	12.1	4.5
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	67.1	23.5	9.4
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	85.4	11.1	3.5

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 1:64, उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:45, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:38, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:40 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:25 कक्ष विद्यार्थी अनुपात है।

नामांकन की स्थिति

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबधंन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति कक्षावार निम्नानुसार है–

कक्षा	कक्षा									
	I	II	III	IV	V	भाग .	VI	VII	VIII	योग
नामांकन	5523188	4208531	3613893	2933775	2493706	18773093	1153846	947804	825537	2927187

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय 2002–03	उच्च प्राथमिक विद्यालय 2002–03
1.	अनुसूचित जाति के नामांकरण का प्रतिशत	31.9	29.6
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	47.2	39.9
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0.2	0.3
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	46.4	43.2

बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत

क्रमांक	पाठ का प्रतिशत	प्राथमिक स्तर (2002–03) कक्षा 5		उच्च प्राथमिक स्तर (2002–03) कक्षा 8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.13	97.96	96.62	97.19
2.	60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण का प्रतिशत	37.71	35.21	34.78	37.97

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति

क्रमांक	सूचकांक (2002–03)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक के साथ सलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ सलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ सलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	47.4	40.1	48.0	41.9	37.0
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	67	46	52	40	43
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	64	45	38	40	25
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	4.5	10.4	17.1	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	24.2	12.4	15.6	7.2	10.7
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	27.5	29.1	30.7	19.0	9.5
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	24.7	29.1	16.0	35.1	5.8

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

शिक्षकों की योग्यता (पैराशिक्षक के अतिरिक्त) (वर्ष 2002–03)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी से नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	7955	38760	72999	59889	38321	585	487	30577

2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	114	463	2011	3933	2745	20	26	4263
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	33	69	251	485	438	14	20	698
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	861	2721	19955	17761	11782	78	74	7088
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	28	58	233	947	1379	11	0	1242
6.	पैरा शिक्षक की योग्यता	189	642	8020	5661	2323	22	10	4931

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैरा शिक्षक		
		योग	पुरुष	महिला	जानकारी अप्राप्त	पुरुष	महिला	जानकारी अप्राप्त
1.	प्राथमिक विद्यालय	271130	165515	67169	16889	11600	7504	2453
2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	13619	7306	3945	2324	24	16	4
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2012	1080	617	311	3	1	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	60508	45311	11461	3548	128	30	30

5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	3903	2570	368	960	3	2	0

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	23915	5804	29719	1193	507	1700
2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	847	227	1074	71	19	90
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	76	45	121	6	2	8
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	7982	1310	9292	389	92	481
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	190	31	221	24	2	26

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 002–2003 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	92395	57989	150384
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	12574	7021	19595

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002–2003)

1.07.0 सबके लिये शिक्षा के लिये किये गये संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों में यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करें कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्षों के अन्दर 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके। उपर्युक्त संवैधानिक दायित्वों के आलोक में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त नहीं किया जा सका।

वर्ष 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारण हुआ जिसमें "सभी के लिए शिक्षा" के बुनियादी लक्ष्य की पुनरावृत्ति की गई तथा जाति, धर्म लिंग, गरीब/अमीर अथवा किसी विकलांगता के भेदभाव के बिना सभी बच्चों की समता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुरूप शिक्षा के प्रकार एवं प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया है।

भारत के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया है। 93 वें संशोधन बिल को लोकसभा द्वारा 27 नवम्बर, 2001 को तथा राज्य सभा द्वारा 14 मई, 2002 को पारित किये जाने के बाद में संविधान की धारा 21 के पश्चात् एक नई धारा 21–A निम्नवत् जोड़ी गई–

"The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourtien year in such manner as the state may, by law, determine"

इसके साथ ही पूर्व की धारा 45 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है–

"The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six year"

इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 51–A में उपधारा (J) के पश्चात् एक उपधारा (K) निम्नवत् जोड़ी गयी है–

(k) "who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be, ward between the age of six and fourteen years"

शिक्षा अधिकार – सामाजिक निहितार्थ : 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य किये जाने के प्रकारान्तर से सामजिक निहितार्थ भी है–

- बालश्रम पर रोक
- बालिकाओं एवं अन्य समस्त प्रकार के पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर
- बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार।
- सामाजिक जागरुकता
- जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभाव ।

शिक्षा अधिकार – प्रशासनिक एवं आर्थिक निहितार्थ : 6–14 वय वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार को कार्यरूप में परिणतिं के अत्यन्त व्यापक प्रशासनिक एवं आर्थिक निहितार्थ है–

- 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा सुलभ हो सके। इसके लिये प्रत्येक क्षेत्र में एक से डेढ़ किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की व्यवस्था, अध्यापकों की व्यवस्था, विद्यालय भवन, उपकरण, साज सज्जा की व्यवस्था।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पुनर्बोधन की व्यवस्था।
- सभी बच्चे विद्यालय आयें – इन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सूचना पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तंत्र की प्रभावी व्यवस्था।
- सम्पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था।

शिक्षा का समवर्ती सूची में होना : वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका आशय यह है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकारें शिक्षा के संबंध में विधान बना सकती है। संविधान लागू होने से लेकर शिक्षा के समवर्ती सूची में आने के पूर्व शिक्षा राज्य का विषय था। यदि किसी मामले में राज्य और केन्द्र सरकार के कानूनों में कोई अन्तर होता है तो केन्द्रीय कानून प्रभावी होगा। संप्रति अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर उपलब्ध अधिनियम राज्य सरकारों के हैं। केन्द्रीय कानून का अभाव है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे इस संबंध में कोई अधिनियम बनाती हैं या नहीं। शिक्षा के समवर्ती सूची में आने के बाद भी कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन सका।

केन्द्रीय विधान तथा पंचायती राज्य संस्थाएं : संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है तथा स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को सौंपा गया है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इतिहास में यह नवीन अध्याय जुड़ा है। इसका आधारभूत प्रयोजन यह है कि विकासात्मक नियोजन की प्रक्रिया स्थानीय/क्षेत्रीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुकूल हो। संविधान संशोधन के 11वीं और 12वीं अनुसूची में प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन और नियंत्रण का अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं को दिया गया हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वानुमान किया जा सकता है कि शिक्षा के मूलभूत अधिकार के क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में पंचायती राज संस्थाएं होगीं।

शिक्षा हेतु जनसाधारण की माँग : यह विश्वास कि जन सामान्य अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहता, अब यह मिथक हो चुका है। यदि इस बात पर सहमति है कि लोग शिक्षा चाहते है तो इसका अर्थ है कि उन्हें बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए किसी दबाब की आवश्यकता नहीं है।

संतोषजनक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की माँग : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संकल्प व्यक्त किया गया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पूर्व 14 वर्ष तक के बच्चों को संतोषजनक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। यदि गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है तो माता–पिता अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

बाल अधिकार सम्मेलन 1992 का अनुसमर्थन : अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बाल अधिकार सम्मेलन में भारत सहभागी रहा है। चाहे ज्यामितियन 1990 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चाहे डकार 2000 हो, भारत ने सभी के लिए शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराई है।

संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाएँ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 83वें संशोधन बिल को लौटाते हुए पुनः आलेखित करने का सुझाव 1997 में दिया था। संशोधित आलेख हेतु समिति के कतिपय सुझाव इस प्रकार थे।

- केन्द्र द्वारा अनुवर्ती विधि व्यवस्था की रुपरेखा या ढाँचा दिया जाय। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा वहन होने वाले व्यय भार के अंश को भी इंगित किया जाय। शेष विस्तार राज्यों द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाय।
- माता–पिता या दण्ड प्रावधानति करने से बचा जाए। राज्यों की बाध्यता हो कि वे सभी के लिए शिक्षा हेतु आपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
- गुणवत्ता पर बल दिया जाए तथा अध्यापक–क्षमता का संवर्द्धन किया जाय।

- शिक्षा के अधिकार के अनुरक्षण में होने वाले वादों से उत्पन्न समस्याओं के सामना करने हेतु मार्ग/उपाय बताये जाय।
- 8वीं कक्षा के बाद औपचारिक प्रमाण–पत्र दिया जाय।
- निःशुल्क शिक्षा में अन्य अवयवों–पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री, गणवेश, दिन का भोजन, आवागमन जहाँ आवश्यकता हो आदि को भी शामिल किया जाय।
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा जाय ताकि वे अपनी सुविधानुसार लागू कर सकें।
- नीति निर्देशक सिद्धान्तों का जहाँ तक संभव हो, पालन किया जाय।

इस प्रकार सबके लिये शिक्षा के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये समय–समय पर संविधान संशोधन करने के साथ–साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम के सभी को शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास किया है/किया जा रहा है।

1.08.0 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सबके लिये शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयास :
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सबके लिए शिक्षा हेतु किये गये प्रयास निम्नानुसार है –

1.08.1 बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यकम –

सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की सम्प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के सम्पूरक के रूप में प्रदेश के दस जनपदों में विश्वबैंक की वित्तीय सहायता से एक व्यापक परियोजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत जुलाई 1993 में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण एवं भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर हुये। यह परियोजना अक्टूबर, 1993 में संचालित होकर वर्ष 2000 तक चली। इस परियोजना में प्रदेश के 17 जनपदों यथा– वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बाँदा, हाथरस, चित्रकूट, भदोही, कौशाम्बी, औरैय्या, चन्दौली, ऊधमसिंह नगर, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी और नैनीताल में संचालित की गई। वर्तमान में इसके तीन जनपद उत्तरांचल राज्य में हैं।

सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किया जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मई 1993 में पंजीकृत किया गया। परिषद एक स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित हुई जो सामाजिक मिशन की भांति कार्य करते हुए बेसिक शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने और तद्द्वारा उत्तर प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया।

इस परियोजना के कार्यक्रम घटक में पहला घटक उपागम विस्तार दूसरा धारण प्रोत्साहन, तीसरा गुणवत्ता संवर्द्धन, चौथा क्षमता निर्माण, पॉचवा नियोजन शोध एवं मूल्यांकन तथ छटवाँ पर्यवेक्षण और अनुश्रवण लिया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 193.9 मिलियन अमरीकी डालर या रुपये में 728.7 मिलियन थी।

1.08.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए वर्ष 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के रूप में समयबद्ध ढंग से प्रारम्भ किया। इसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना से अलग 22 जनपदों यथा– बदायूँ, बरेली, देवरिया, फिरोजाबाद, हरदोई, ललितपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, जे.पी. नगर, पीलीभीत, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, संतकबीर नगर, रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं वाराणसी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। वर्ष 1997 में लागू किया गया जिसके लिये कुल परियोजना परिव्यय रु. 629.93 करोड़ का रखा गया। तदोपरान्त प्रदेश के 38 जनपदों वर्तमान में 32 जनपद (6 जनपद यथा बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, तेहरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य में चले गये है) में अप्रैल 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। लागू किया गया। इस कार्यक्रम के लिये भारत सरकार के साथ विश्व बैंक के साथ 18 के 27 अक्टूबर, 1999 के बीच समझौता हुआ। इस कार्यक्रम के लिये अनुमानित लागत 764.26 करोड़ निर्धारित की गयी। इस कार्यक्रम से प्रदेश के आच्छादित 32 जनपद आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर देहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पडरौना, प्रतागढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। और ।।। के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये –

- सभी 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में दर्ज कराना।
- बालिकाओं तथा अनुसूचित जातियों के नामांकन, धारण और सम्प्राप्ति स्तर में विद्यमान अन्तर को 5 प्रतिशत तक लाना।
- भाषा तथा गणित में वर्तमान सम्प्राप्ति स्तर से 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
- ड्राप आउट दर को 10 प्रतिशत से कम करना।
- राष्ट्रीय, राज्य जिला स्तर की संस्था एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासकों की दक्षता संवर्धन करना।

1.08.3 जनशाला कार्यक्रम

भारत सरकार के सहयोग से कार्यक्रम वर्ष 1998 से लखनऊ जनपद में संचालित किया गया है। ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल की पाँच राष्ट्रीय संस्थाओं (यूनीसेफ, यू0एन0डी0पी0, यूनेस्को, यू एन एफ पी ए और आईएसओ) के सहयोग से संचालित है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी मलीन बस्तियों के शिक्षा संबंधित बच्चों के लिये चलाया गया है जिसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से आवश्यक एवं बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना हैं। यह कार्यक्रम वर्ष 2004–05 तक पूर्ण हो जाना है।

1.08.4 सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम :

यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2001–02 से संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अन्तरालों को पूरा करना है।

1.09.0 सबके लिये शिक्षा हेतु अब तक संचालित विभिन्न परियोजनाएं :

शिक्षा में सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्तमान शिक्षा की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया और सम्पूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरुपता लाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए किसी धर्म, जाति अथवा स्त्री–पुरुष भेद के बिना प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने पर जोर दिया गया है। सभी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके नामांकन विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति तथा उपलब्धि के सुधार को महत्वपूर्ण बताया है। फलस्वरुप प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न परियोजनायें राज्य स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से संचालित की गई।

1.09.1 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना :

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत शिक्षण हेतु विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अधीन देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

- पक्की ईटों से बने दो बड़े कमरे जिनके सामने एक बरामदा भी होगा।

- कम से कम दो अध्यापक होंगे जिनमें यथासम्भव एक महिला होगी (धीरे–धीरे यह प्रयास होगा कि विद्यालय की हर कक्षा के लिए अलग–अलग एक–एक अध्यापक हो जाए)।
- खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिये पुस्तकें एवं शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान किट, गणित किट आदि की उपलब्धता।

1.09.2 सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट) :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया है–

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए।
- माध्यमिक शिक्षकों के लिए।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरान्त वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट सामान्य) को पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई जिसमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके।

1.09.3 प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.)

विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व सौंपा है। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्ष 1993–94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गये। प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत किए गए– 1. न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं के विकास पर बल देना। 2. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग की क्षमता के वृद्धि करना तथा शिक्षकों को छात्र केन्द्रित उपागम अपनाने के प्रोत्साहित करना।

1.09.4 क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना :

इस परियोजना का संचालन यूनीसेफ की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में पाँच राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में किया गया । हमारे प्रदेश में यह योजना राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र. के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद द्वारा मीरजापुर के दो विकास खण्ड़ों के 217 गाँवों में वर्ष 1992 से चलाई गई। इस योजना के उद्देश्य हैं –

- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय के जीवन और विकास से सम्बन्धित उपायों का सहयोग।
- पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
- उन उपायों को विकसित करना जिनके द्वारा सामुदायिक सहभागिता सक्रिय हो सके।
- केन्द्र/राज्य सरकार और यूनीसेफ द्वारा विकास से सम्बन्धित संसाधनों को सम्मिलित करना।

1.09.5 विद्यालयी शिक्षा की तैयारी–कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को विद्यालय के साथ सामंजस्य एवं विद्यालयीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम छः सप्ताह से आठ सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में गीत, कहानी, खेलकूद एवं अन्य मनोरंजक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयीय क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें विशेषतः निम्नलिखित तीन क्षेत्रों की तैयारी पर बल दिया जाता है –

- वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी
- शैक्षिक तैयारी
- मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल
- गीत खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयी क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है।

1.09.6 प्री–विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम :

भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. के तहत एक योजना का क्रियान्वयन हुआ है जिसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी शिक्षा केन्द्र उन स्थानों में खोले गये जहाँ प्राथमिक विद्यालय

नहीं थे और शिक्षा की माँग थी। यहाँ 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए पोषाहार तथा साक्षरता की व्यवस्था की गई। यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र अभी भी चल रहे हैं

वर्तमान में डी.पी.ई.पी. परियोजना के तहत शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं जहाँ 3–6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इनमें पोषाहार की व्यवस्था की गयी है। परियोजना का प्रयास है कि इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय के निकट खोला जाए जिससे कि वह बच्चे जो छोटे भाई बहनों की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं अब जा सके और दोनों वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

1.09.7 रूचिपूर्ण शिक्षा :

यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा और यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में राज्य के 15 जनपदों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था। पहले केवल कक्षा 1 को लिया गया था। इस योजना में चयनित प्रत्येक जनपद से राज्य स्तर पर पाँच–पाँच सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए तथा जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से पाँच–पाँच सन्दर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया है जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक है। न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र स्तर पर कक्षा एक को पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

आनन्ददायी क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है । इस कार्यकम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है –

- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना।
- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाये रखना।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- विद्यालय में आनन्ददायी शैक्षिक क्रियाओं के आयोजन से बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण (गीत, खेल, कहानी, मुखौटे, चित्रों, पैकेट बोर्ड द्वारा) प्रदान करना।

1.09.8 पोषाहार वितरण योजना :

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है। कुपोषण से मन्द बुद्धि बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सम्बन्ध तथा सीधा प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है।

यह योजना 15 अगस्त, 1995 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। उसी तिथि से यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू की गई। बच्चों के नामांकन और उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। शुरु में जवाहर रोजगार योजना के द्वारा आच्छादित विकास खण्डों में यह योजना क्रियान्वित हुआ। इस समय प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों के सभी विकास खण्डों में इस योजना को चलाया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.4.2004 के अनुसार सभी बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन देने का निर्देश प्रसारित किया गया है । इसी के परिपालन में उत्तर प्रदे ा सरकार द्वारा 02 अक्टूबर 2004 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनि चत की है । दिसम्बर 2004 से उक्त व्यवस्था का राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद द्वारा स्थलीय अध्ययन कर राज्य सरकार को इसकी प्रगति रिपोर्ट भेजी है । रिपोर्ट में अध्ययन में लिये गये सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था संचालित पाई गई है ।

1.09.9 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना (सभी के लिए शिक्षा परियोजना)

यह योजना प्रथमतः 10 जनपदों (1993–2000) इटावा, इलाहाबाद, बाँदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ जनपद में प्रारम्भ की गयी। इन जनपदों में नये जनपद बनने के कारण संख्या 17 हो गयी थी।

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना की संगठनात्मक संरचना के मूलतः दो पक्ष है– प्रबन्धकीय और अकादमिक। प्रबन्धकीय व्यवस्था की दृष्टि से राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद (EFAPB), जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति (DEPC), विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक शिक्षा समिति (BEC) तथा ग्राम शिक्षा समिति (VEC) का गठन किया गया है।

अकादमिक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT), जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET), विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केन्द्र (BRC) तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (NPRC) की स्थापना की गई है। परियोजना की लागत 728.6 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसर थे–

- 6–10 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा 11–13 आयु वर्ग के 75 प्रतिशत बच्चों विशेषकर सभी अपवंचित वर्गों (बालिकायें, अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों) को उच्च प्राथमिक शिक्षा का उपागम प्रदान करना। और
- वर्ष 2000 तक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन और शिक्षापूर्ण करने की दरों का अभिवर्द्धन करना।

कार्यक्रम के घटक : बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में कार्य किया गया –

1. उपागम विस्तार :

- मैदानी क्षेत्र में 1.5 किमी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किमी0 की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
- 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
- प्राथमिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा का प्रतिरूप (माडल) उपलब्ध कराना।

2. धारण प्रोत्साहन :

- बेसिक शिक्षा परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबन्ध के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय, सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना।
- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
- समस्त प्रारंभिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करना।
- विद्यालय तैयारी के लिए 3–6 वयवर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी उम्र की बालिकाओं के सगे भाई–बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारंभिक बाल देख–रेख और शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
- हल्के संयत अधिगम/शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना।
- विद्यालयों प्रारम्भिक बाल देख–रेख एवं शिक्षा केन्द्रों, और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कर क्रियाशील बनाना।
- अन्य तृणमूल स्तरीय ढांचे जैसे महिला समूहों, युवा मंगल दलों आदि का सुदृढ़ीकरण/स्थापना करना।

3. गुणवत्ता संवर्द्धन :

- बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक एवं छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःक्रिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन करना।
- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित शिक्षकों के लिए गुणवत्ता संवर्द्धन की रणनीतियां।
- स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक, रोचक तथा अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धक करना।
- संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों), ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक संसाधन सहायता सुनिश्चित करना।
- बहुश्रेणी शिक्षण (बहु कक्षा शिक्षण) के लिए रणनीतियों का विकास।
- बालकेन्द्रित, रूचिपूर्ण, दक्षता आधारित शिक्षण–अधिगम सामग्रियों को विकसित कर पाठ्यपुस्तकों का संशोधन करना।

4. क्षमता निर्माण :

- राज्य परियोजना कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।
- विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तकें, अनुदेश सामग्री तथा मूल्यांकन प्रणाली और आधारभूत आंकलन अध्ययन सम्पादन आदि में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
- राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षण आयोजन, शैक्षिक नियोजन, और प्रबन्धन में प्रशासकों के लिए कार्यक्रम, शोध एवं मूल्यांकन, शैक्षिक सांख्यिकी का विश्लेषण, अभिलेखीकरण और प्रचार–प्रसार आदि में सांस्थानिक क्षमता का अभिवर्द्धन करना।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त स्टाफ की व्यवस्था, उपकरण, पुस्तकें, वाहन आदि से जिला परियोजना कार्यालयों की स्थापना और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

- शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक सहायता क्रियाकलापों के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य हेतु परियोजना जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र (ब्लाक) में ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकेन्द्रित सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना।
- सामुदायिक सहायता को गतिशील, विद्यालय प्रबंध और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण, और घरेलू (परिवार) सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना करना और उन्हें क्रियाशील बनाना।

5. नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन :

- विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया।
- नियोजन/क्रियान्वयन में शोध निवेश।
- सभी स्तरों पर शोध क्षमता का निर्माण (विकास)।
- कार्यक्रम संघटकों का मूल्यांकन।

6. पर्यवेक्षण और अनुश्रवण :

- परियोजना प्रबन्ध सूचना प्रणाली और शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली के माध्यम से निर्माण कार्यों का तृतीय दल द्वारा मूल्यांकन, डी.पी.ई.पी. ब्यूरों द्वारा जनपद और प्रदेश के वार्षिक कार्ययोजना और बजट की वार्षिक समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा व्यवस्थाओं का अर्द्धवार्षिक अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।
- प्रदेश और जनपद स्तर कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा विद्यालयी आंकड़ों के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिए शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विकास करना।

1.09.10 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम जिसे विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त है, प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। सम्बन्धित राज्य थे– मध्यप्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल।

डी.पी.ई.पी. के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम में पहले से भाग ले रहें 7 राज्यों के 50–60 और जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन नये राज्यों– गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। प्रस्तावित परियोजना कार्यक्रम में आच्छादित राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के सुव्यवस्थित विकास के लिए राष्ट्रीय/राज्य, जनपद तथा विकास खण्ड स्तरों पर प्रबन्धकीय तथा व्यावसायिक क्षमता के विकास का लक्ष्य रखा गया। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच को सरल बनाने, ह्रास को कम करने तथा अधिगम सम्प्राप्तियों में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। इन क्रियाकलापों में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा सामान्य विकलांग बच्चों की विशेष बल दिया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 1997 में डी.पी.ई.पी.–।। के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गयी। इनका चयन राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा निम्न महिला साक्षरता दर के आधार पर किया गया है। यह जनपद है– बरेली, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, जे.पी. नगर, संतकबीर नगर, रामपुर, बहराइच, बाराबंकी श्रावस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, देवरिया, बस्ती, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बदायूँ।

प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा डी.पी.ई.पी.।। के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए डी.पी.ई.पी.–।।। की शुरुआत सन् 2000 में की गयी जबकि डी.पी.ई.पी.–।। अक्टूबर, 1997 में प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में डी.पी.ई.पी.–।।। से आच्छादित 32 जनपद हैं– कुशीनगर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, महोबा, आजमगढ़, रायबरेली, फैजाबाद, आगरा, बिजनौर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, एटा, झाँसी, मैनपुरी, जालौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मऊ, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, गाजीपुर, अम्बेडकरनगर, बलिया, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, जौनपुर, बागपत, कानपुर देहात। परियोजना के तीन प्रमुख पक्ष हैं :–

- भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- गुणवत्ता का सुधार, सम्प्राप्ति ह्रास में कमी लाना।
- प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना।

डी.पी.ई.पी. परियोजना के प्रारम्भ में फाइनेंस स्टडी, सोशल एसेसमेंट जैसे अध्ययन संचालित किये जाते हैं जिससे परियोजना की समयबद्ध प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण किया जा सके। ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के चार प्रमुख उद्देश्य हैं –

- 6–11 वय वर्ग के सभी बच्चों को शत प्रतिशत विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना।
- सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंक्षित वर्ग के नामांकन, धारण तथा सम्प्राप्ति के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को 5 प्रतिशत से कम करना।
- बेस लाइन सर्वे के आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की सम्प्राप्ति में 25 प्रतिशत तक तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।

- ड्राप आउट की दर को 10 प्रतिशत तक कम करना अथवा धारण को 90 प्रतिशत तक बढ़ाना।

प्रमुख रणनीतियाँ

- योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता।
- बालिका शिक्षा को विशेष महत्व।
- विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल।
- वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
- सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल।
- अध्यापक दक्षता में वृद्धि।

डी.पी.ई.पी. परियोजना में चयनित प्रत्येक जनपद को 5 वर्ष में अपनी आवश्यकतानुसार अधिकतम 40 करोड़ रूपया व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसमें धन का प्रावधान 85 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वहन किया गया है। डी.पी.ई.पी. में खर्च पर मितव्ययिता बरतने की कही गयी है एवं संसाधनों का संतुलित ढंग से प्रयोग करने पर बल दिया गया है। निर्माण कार्यों पर 24 प्रतिशत तथा प्रबन्धन पर 6 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी ।

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य परियोजना परिषद इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के रूप में क्रियाशील है। शैक्षिक/अकादमिक प्रबंधन का दायित्व राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) निर्वहन कर रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं :–

• विकेन्द्रित नियोजन और असमुच्चय लक्ष्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रणनीति का क्रियान्वयन। • जनपदों में पांच वर्ष की परियोजना अवधि के लिए परियोजना प्रणाली का क्रियान्वयन। • वर्तमान कार्यक्रमों और संसाधनों के अभिसरण पर बल देते हुए योजनाबद्ध तरीके से समेकित समग्र उपागम का प्रयोग। • कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु के रूप में	• यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसकी 85 प्रतिशत परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है और शेष 15 प्रतिशत का योगदान प्रदेश सरकार करती है। भारत सरकार वित्त का स्रोत अंतराष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरण है। • सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिये प्रति जनपद लगभग 30–40 करोड़ की धनराशि निर्धारित । • वित्तीय सहायता अतिरिक्त सहायता के

स्थायित्व और समानता पर संकेन्द्रण। • सघन सामुदायिक सहभागिता पर बल। • शोध और मूल्यांकन से प्राप्त पश्च पोषण की सहायता से गुणवत्ता युक्त पक्षों की प्रधानता। • प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम। • वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने में अधिकार सम्पन्न राज्य स्तरीय रजिस्टर्ड सोसायटी में क्रियान्वयन दायित्व निहित।	सिद्धांत के रूप में दी जाती है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए परियोजना प्रारम्भ से पूर्व होने वाला परिव्यय राज्य सरकार द्वारा निरन्तर संरक्षित रहे। • अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरणों और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा वर्ष में दो बार विशेष पर्यवेक्षण की व्यवस्था।

1.09.11 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम :

डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन के घोषणापत्र में उल्लेखित छः लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत में सर्वशिक्षा अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वस्तुतः सर्व शिक्षा अभियान उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सुनियोजित योजना/प्रयास है।

विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रति समुदाय में अपनेपन या लगाव की भावना विकसित करने पर बल देकर सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। समूचे देश में गुणवत्ता पूर्ण बेसिक शिक्षा की माँग का यह समुचित उत्तर है। समुदाय के स्वामित्व में गहरी लगन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं का विकास करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान एक सुचिन्तित प्रयास है। इसकी अन्तनिहित विशेषताएं निम्नवत् हैं :

- सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम।
- सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की माँग के प्रति समुचित उत्तर।
- बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर।
- प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्ध समितियों, ग्राम तथा नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों के स्तर पर गठित शिक्षा समितियों, शिक्षक अभिभावक संगठनों, मातृ–शिक्षक संगठनों, स्वायत जनजातीय परिषदों तथा तृण–मूल स्तर के अन्य संगठनों को प्रभावी ढंग से सम्बद्ध करने का प्रयास।

- सम्पूर्ण देश में सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति।
- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच भागीदारी।
- राज्यों का प्रारम्भिक शिक्षा की अपनी संकल्पना विकसित करने का एक अवसर।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य : इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को उपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग सम्बन्धी अन्तरालों को पूरा करना हैं । इसकी संकल्पना के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा मूल्य–आधारित हो, जिसमें बच्चों को केवल अपने हित के कार्य करने की अपेक्षा एक दूसरे के हित के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाय। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है –

- सन् 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गांरटी केन्द्रों, वैकल्पिक और वापस विद्यालय/शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना।
- सन् 2007 तक सभी बच्चे पाँच की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सन् 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषप्रद गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।
- प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 तक सभी लिंग सम्बन्धी तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कराने पर बल ।
- स्न 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौम नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गयी है। वस्तुतः सर्वशिक्षा अभियान, राज्यों में सभी के लिए शिक्षा से सम्बन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करने का समग्र उपागम है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य : सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी और प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही स्कूलों के प्रबन्ध में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सहित सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं को पाटने का एक दूसरा लक्ष्य भी है। उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा,

एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आकांक्षा को व्यक्त करती है जो पृथक्कारी न हो और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देती हो। इसका प्रयोजन यह है कि बच्चों को अपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में ऐसे ढंग से समझने और उसके बारे में निपुणता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है ताकि वे आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों दृष्टियों से अपनी मानवीय क्षमता का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह अनिवार्यतः एक ऐसी मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए जो कि बच्चों को मात्र स्वार्थपूर्ति के प्रयोजनों की बजाय एक दूसरे के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करने का अवसर प्रदान करती हो।

सर्व शिक्षा अभियान शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा का महत्व स्वीकार करता है और वह 0–14 वर्ष आयु वर्ग को एक अटूट क्रम के रूप में मानता है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के समर्थन के लिए आईसीडीएस केन्द्रों में अथवा गैर–आईसीडीएस क्षेत्रों मं विशेष स्कूल–पूर्व केन्द्रों में स्कूल–पूर्व अध्ययन की सहायतार्थ सभी प्रयास किए जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान के दो पहलू हैः

1. यह प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत अभिसारी कार्यतंत्र उपलब्ध कराता है।
2. यह एक ऐसा कार्यक्रम भी है जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट प्रावधान शामिल है।

यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय योजनाओं से सभी निवेश सर्व शिक्षा अभियान के कार्यतंत्र के एक अंग के रूप में परिलक्षित होंगे किन्तु कुछ वर्षों के भीतर वे सभी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल हो जायेंगे। एक कार्यक्रम के रूप में यह प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यूईई) के लिए अतिरिक्त संसाधनों के प्रावधान का परिचायक है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यनीतियां : सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम की महत्वपूर्ण कार्य नीतियां निम्नानुसार है निर्धारित की गई है –

- **संस्थागत सुधार** : सर्व शिक्षा अभियान के एक अंग के रूप में केन्द्रीय और राज्य सरकारें आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने के लिए सुधार लायेंगी। राज्यों को अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना होगा और मौजूदा शिक्षा प्रणाली में ये क्रियाकलाप शामिल होंगे, शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, अध्यापकों की तैनाती और अध्यापकों की भर्ती की तर्कसंगत व्यवस्था, अनुश्रवण और मूल्यांकन, बालिकाओं, अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित समूहों की शिक्षा की स्थिति, निजी स्कूलों और ईसीसीई सम्बन्धी नीति। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए

आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने के प्रयोजन से कई राज्य पहले ही कई बदलाव ला चुके हैं।

- **दीर्घकालिक वित्तपोषण :** सर्व शिक्षा अभियान इस आधार वाक्य पर टिका है कि प्रारम्भिक शिक्षा का वित्तपोषण दीर्घकालिक होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी को लेकर एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य अपनाना होगा।

- **सामुदायिक स्वीकृति :** कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के जरिए स्कूल–आधारित हस्तक्षेपकारी उपायों की सामुदायिक स्वीकृति जरूरी होगी। महिला समूहों, वीईसी सदस्यों और पंचायती राज्य संसाधनों के सदस्यों को सहयोजित करके इस काम को बढ़ावा दिया जायेगा।

- **संस्थागत क्षमता निर्माण :** सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संस्थानों के लिए प्रमुख क्षमता निर्माण की भूमिका सौंपने की बात सोची गई है। गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से संसाधन व्यक्तियों और संस्थानों की एक समर्थनकारी सहायता प्रणाली जरुरी है।

- **मुख्य धारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधार :** इसके लिए संस्थागत विकास, नए दृष्टिकोणों के समावेशन तथा लागत प्रभावी और कारगर पद्धतियां अपनाकर मुख्यधारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधार लाना होगा।

- **पूर्ण पारदर्शिता सहित समुदाय आधारित अनुश्रवण :** इस कार्यक्रम में एक समुदाय आधारित अनुश्रवण प्रणाली होगी। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली (ई.एम.आई.एस), सूक्ष्म योजना और सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय–आधारित जानकारी के साथ स्कूल स्तरीय आंकड़ों का तालमेल करेगी। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल को समुदाय के साथ प्राप्त हुए अनुदान सहित समूची जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक स्कूल में एक सूचना–पट लगाया जायेगा।

- **योजना की इकाई के रूप में बस्ती :** सर्व शिक्षा अभियान योजना की इकाई के रूप में बस्ती सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है। जिला योजनाएं तैयार करने का आधार बस्ती आधारित योजनाएं होंगी।

- **समुदाय के प्रति जवाबदेही :** सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों, अभिभावकों और पीआरआई के बीच सहयोग और साथ ही समुदाय के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता की बात सोची गई है।

- **बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता :** बालिकाएं विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख सरोकारों में से एक होगी।

- **विशेष समूहों पर बल :** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समूहों, शहरी वंचित बच्चों अन्य सुविधाविहीन समूहों के बच्चों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के समावेशन और सहभागिता पर बल दिया जायेगा।

- **परियोजना–पूर्व चरण :** पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान एक सुनियोजित परियोजना–पूर्व चरण के साथ शुरु किया जायेगा जिसमें आपूर्ति और अनुश्रवण प्रणाली के सुधार के निमित्त क्षमता विकास के प्रयोजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में हस्तक्षेपकारी उपायों में इस आशय के प्रावधान शामिल है । पारिवारिक सर्वेक्षण, समुदाय–आधारित सूक्ष्म योजना और स्कूल मानचित्रण, सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण, स्कूल स्तरीय क्रियाकलाप, सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए सहयोग, कार्यालय उपकरण, निदानात्मक अध्ययन आदि।

- **गुणवत्ता पर बल :** सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा को बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर बल देता है और इस प्रयोजन के लिए यह पाठ्यचर्या में सुधार, बाल–केन्द्रित क्रियाकलाप और प्रभावी अध्यापन–अधिगम कार्यनीतियां तैयार करने पर विशेष बल देता है।

- **अध्यापकों की भूमिका :** सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण और केन्द्रीय भूमिका स्वीकार करता है और उनकी विकासात्मक जरुरतों पर बल दिए जाने का पक्षपोषण करता है। अध्यापकों की शैक्षिक और व्यावसायिक गुणवत्ता विकसित करने के लिए ये सभी क्रियाकलाप किए गए है– अर्हताप्राप्त अध्यापकों की भर्ती, पाठ्यचर्या सम्बन्धी सामग्री के विकास में सहभागिता के माध्यम से अध्यापकों की उन्नति के अवसर, क्लासरूम प्रक्रिया पर बल और अध्यापकों के लिए नवाचारी संस्थानों के दौरे।

- **जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएं :** सर्व शिक्षा अभियान कार्यतंत्र के अनुसार प्रत्येक जिला प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले तथा आवश्यक सभी निवेशों को दर्शाते हुए एक समग्र तथा अभिसारी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करेगा। जो कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षतया अधिक लम्बी समय–सीमा के क्रियाकलापों को कार्यतंत्र उपलब्ध कराएगी। साथ ही एक वार्षिक कार्य–योजना और बजट भी होगा जो वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्राथमिकतापूर्ण क्रियाकलापों को सूचीबद्ध करेगा। संदर्श योजना एक गतिशील दस्तावेज भी होगा जिसमें कार्यक्रम, कार्यान्वयन के दौरान सतत रूप से सुधार करने की व्यवस्था होगी।

सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी–निजी भागीदारी : सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था अधिकांशतः सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों द्वारा की जाती है। देश के कई भागों में निजी गैर–सहायताप्राप्त स्कूल भी हैं जो प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करते हैं। गरीब परिवारों के लोग देश के कई भागों में निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस देने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे निजी स्कूल भी हैं जो अपेक्षतया साधारण फीस लेते हैं और जहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ते है। कुछ स्कूलों में असंतोषजनक आधारित सुविधाएं होती है और उनके अध्यापकों को कम वेतन दिया जाता है। सरकारी–निजी भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना और डीपीईपी के नमूने पर सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे। यदि निजी क्षेत्र किसी सरकारी, स्थानीय निकाय अथवा निजी सहायता प्राप्त स्कूल के निष्पादन में सुधार लाना चाहता है तो इस सम्बन्ध में राज्य नीति के विस्तृत प्रतिमानों के भीतर भागीदारी निर्मित करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य नीतियों के अन्तर्गत, निजी गैर–सहायता प्राप्त संस्थानों को संसाधन सहयोग प्रदान करने के लिए ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रयोग किया जा सकता है परंतु इस आशय से होने वाला अतिरिक्त खर्च इन निजी निकायों द्वारा वहन करना होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय मानदण्ड :

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अधीन सहायता के निर्मित्त केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की साझेदारी नौवीं योजना के दौरान 85:15 के, दसवीं योजना के दौरान 75:25 के और तदनन्तर 50:50 के अनुपात में होगी। खर्चे की साझेदारी के सम्बन्ध में वचनबद्धता राज्य सरकारों से लिखित रूप में प्राप्त की जायेगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा में राज्य सरकारों को अपने निवेश का स्तर 1999–2000 के स्तर के बराबर रखना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य का योगदान इस निवेश के अलावा होगा।
- केन्द्रीय सरकार, निधियां सीधे ही राज्य कार्यान्चयन सोसायटी को प्रदान करेगी। सोसायटी को और आगे की किस्तें केवल तभी दी जाएंगी जबकि राज्य सरकार ने बराबर की निधियां सोसायटी को अन्तरित कर दी हों और अन्तरित की गई निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत (केन्द्र और राज्य) खर्च कर लिया गया हो।
- सर्व शिक्षा अभियान के अधीन नियुक्त अध्यापक के वेतन के लिए सहायता के निमित्त केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच की साझेदारी नौवीं योजना में 85:15, दसवीं योजना में 75:25 और तदनन्तर 50:50 के अनुपात में होगी।

- बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं सम्बन्धी सभी कानूनी करार तब तक लागू किए जाते रहेंगे जब तक कि वाह्य वित्तपोषी एजेसियों के साथ परामर्श करके विशिष्ट संशोधनों को लेकर सहमति न हो गई हो।
- विभाग की प्रारम्भिक शिक्षा की मौजूदा योजनाओं का नौवीं योजना के बाद अभिसरण कर लिया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा की पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) एक स्वतंत्र हस्तक्षेप बना रहेगा जिसके सम्बन्ध में खाद्यान्न और निर्धारित परिवहन का खर्च केन्द्र द्वारा तथा पके–पकाए भोजन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- जिला शिक्षा योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ पीएमजीवाई, जेजीएसवाई, पीएमआरवाई, सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के लिए संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों की क्षेत्रीय निधि, राज्य–योजना, विदेशी वित्तपोषण (यदि कोई हो तो) के अधीन उपलब्ध संसाधन निधियां और गैर–सरकारी क्षेत्र में निर्मित संसाधन स्पष्टतः दर्शाएं जाएंगे।
- स्कूलों के स्तरोन्नयन, रखरखाव, मरम्मत पर तथा अध्यापन–अधिगम उपकरण और स्थानीय प्रबन्ध के निमित खर्च की जाने वाली सारी निधियां, क्षेत्र विकेन्द्रीकरण के लिए उस विशिष्ट राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के अनुसार वीईसी/स्कूल प्रबन्ध समितियों/ग्राम पंचायत/अथवा किसी अन्य ग्राम/स्कूल स्तरीय व्यवस्था को अन्तरित की जाएगी।
- छात्रवृत्तियों और वर्दियों के वितरण जैसी अन्य प्रोत्साहन योजनाओं का वित्तपोषण राज्य योजना के अधीन किया जाता रहेगा। उनका वित्तपोषण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अधीन नहीं किया जायेगा।

1.09.12 जनशाला कार्यकम :

भारत सरकार ने जनशाला कार्यक्रम 1998 से चलाने का प्रयास किया। यह कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन की एजेन्सीयों (UNICEF, UNDP, UNEPA, UNESCO and ILO) इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन के सहयोग से राज्य एवं केन्द्र में प्रारम्भिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु चलाया गया।

इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं तथा विद्यालयों को प्रभावी बनाने के लिए समुदाय का सहयोग, प्रभावी प्रबन्धन, बच्चों के अधिकार के सम्बंध में विकासात्मक कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, अभिसरण कार्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण की ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। इसके लिए बहुश्रेणी शिक्षण विधि का

प्रयोग किया गया। यह कार्यक्रम चुने गये जनपदों में चलाए गये जो डी.पी.ई.पी. से आच्छादित नहीं है।

नौ राज्यों आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, लखनऊ में चल रहा है विभिन्न शहरों में यह कार्यक्रम पूर्ण प्रगति के साथ कार्यान्वित है, लखनऊ, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, जयपुर, अजमेर, भरतपुर एवं भिलाई।

1.10.0 सबके लिए शिक्षा के लिए लगाये विभिन्न हस्तक्षेप :

सबके लिये शिक्षा के लिये वर्तमान में निम्नानुसार हस्तक्षेप लगाये गये है।

हस्तक्षेप	मानदण्ड
1. अध्यापक	• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक। • एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापक। • उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक।
2. स्कूल/ वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधा	• प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के भीतर। • असेवित बस्तियों में राज्य मानदण्डों के अनुसार नए स्कूल खोलने अथवा ईजीएस जैसे स्कूल खोलने के लिए प्रावधान।
3. अपर प्राथमिक स्कूल /शाखा	• प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या पर आधारित आवश्यकता के अनुसार किन्तु अधिकतम सीमा प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक उच्च प्राथमिक स्कूल/शाखा की होगी।
4. क्लासरूम	• प्रत्येक अध्यापक अथवा प्रत्येक ग्रेड/कक्षा के लिए, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से जो भी कम हो, इस प्रावधान के साथ एक कमरा और कम से कम दो अध्यापकों वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बरामदे सहित दो क्लासरूम होंगे। • उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में मुख्याध्यापक के लिए एक कमरा।
5. मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	• प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी लडकियां/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बच्चे पर खर्च की अधिकतम सीमा 150/– रु. होगी। • मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वित्तपोषण जो सम्प्रति राज्य योजनाओं में से किया जा रहा है, राज्यों द्वारा जारी रखा

	जायेगा। • यदि किसी मामले में कोई राज्य प्रारम्भिक कक्षाओं के बच्चों को प्रदान की जा रही पाठ्यपुस्तकों की लागत आंशिक रूप से वहन कर रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता, पुस्तकों की लागत के उस अंश तक सीमित रहेगी जो बच्चों द्वारा वहन किया जा रहा है।
6. सिविल निर्माण कार्य	• सिविल निर्माण कार्यों के लिए कार्यक्रम निधियां, 2010 तक की अवधि के लिए तैयार की गई संदर्श योजना के आधार पर पीएबी द्वारा अनुमोदित समग्र परियोजना लागत की 33 प्रतिशत की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। • 33 प्रतिशत की निर्धारित अधिकतम सीमा में भवनों के रखरखाव और उनकी मरम्मत का खर्च शामिल नहीं होगा। • तथापि किसी वर्ष विशेष की वार्षिक योजना में सिविल निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रावधान को, उस वर्ष के कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को प्रदान की गई प्राथमिकता के अनुसार वार्षिक योजना व्यय के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता हैं किन्तु ऐसी व्यवस्था परियोजना की 33 प्रतिशत समग्र ऊपरी सीमा के भीतर की जाएगी। • स्कूली सुविधाओं में सुधार बीआरसी/सीआरसी के निर्माण के लिए। • सीआरसी का उपयोग एक अतिरिक्त कमरे के रूप में भी किया जाना चाहिए। • कार्यालय भवनों के निर्माण पर कोई राशि खर्च नहीं की जायेगी। • आधारित तंत्र सम्बन्धी योजनाएं जिलों द्वारा तैयार की जायेगी।
7. स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत	• केवल स्कूल प्रबन्ध समितियों/वीईसी के माध्यम से। • स्कूल समिति द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष 5000/– रु. तक। • सामुदायिक योगदान अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। • सिविल निर्माण कार्यों के लिए 33 प्रतिशत की सीमा का आंकलन करते समय भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत सम्बन्धी खर्च शामिल नहीं किया जाना चाहिए। • अनुदान केवल उन्हीं स्कूलों के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास स्वयं अपने भवन हैं।

8. ईजीएस को एक नियमित स्कूल के रूप में स्तरोन्नत करना अथवा राज्य मानदण्ड के अनुसार एक नया प्राथमिक स्कूल खोलना	• प्रत्येक स्कूल के सम्बन्ध में टीएलई के लिए 10,000/– रु. का प्रावधान। • टीएलई स्थानीय संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार। • टीएलई के चयन और प्रापण में अध्यापकों और अभिभावकों का सहयोजन। • अधिप्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके के बारे में निर्णय लेने के लिए वीईसी/स्कूल ग्राम स्तरीय उपयुक्त निकाय। • ईजीएस केन्द्र को स्तरोन्नत करने पर विचार करने के लिए वह जरूरी कि उस ईजीएस केन्द्र ने दो वर्षों तक सफलतापूर्वक काम किया हो। • अध्यापक और कक्षा–कक्षों के लिए प्रावधान।
9. उच्च प्राथमिक के लिए टीएलई	• जिन स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है, उनके मामले में प्रत्येक स्कूल के लिए 50,000 रु. की दर से। • अध्यापकों/स्कूल समिति द्वारा यथानिर्धारित स्थानीय विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार। • अधिप्राप्ति की सर्वोत्तम विधि के बारे में अध्यापकों के साथ परामर्श से निर्णय लेने का दायित्व स्कूल समिति पर। • यदि पैमाने की दृष्टि से लाभकारी हो तो स्कूल समिति जिला स्तरीय अधिप्राप्ति की सिफारिश कर सकती है।
10. स्कूल अनुदान	• बेकार पड़े स्कूल उपस्कारों के प्रतिस्थापन के लिए प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को 2000/– रु. प्रतिवर्ष। • उपयोग में पारदर्शिता। • केवल वीईसी/एसएससी द्वारा खर्च किया जाए।
11. अध्यापक अनुदान	• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक प्रति अध्यापक स्कूल में 500/– रु. प्रतिवर्ष। • उपयोग मे पारदर्शिता।
12. अध्यापक प्रशिक्षण	• प्रतिवर्ष सभी अध्यापकों के लिए 20 दिवसीय सेवाकालीन पाठ्यक्रम तथा नव–प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 70/– रु. प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिवसीय दिशा–अनुकूलन की व्यवस्था। • इकाई लागत निर्देशात्मक है; गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यून होगी। • समूची प्रशिक्षण लागत शामिल है। • मूल्यांकन के दौरान प्रभावी प्रशिक्षण की क्षमताओं के

	मूल्यांकन से विस्तार की सीमा तय होगी। • मौजूदा अध्यापक शिक्षा योजना के अधीन एससीईआरटी/डीआई ईटी के लिए सहायता।
13. राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) (एसआईईएमएटी)	• 3 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त सहायता। • इसे कायम रखने के लिए राज्यों को सहमत होना होगा। • संकाय के लिए चयन प्रक्रिया कठोर होगी।
14. सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण	• एक गांव में एक वर्ष में अधिक से अधिक 8 व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण। • प्रति व्यक्ति 30/– रु0 प्रतिदिन के हिसाब से।
15. विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान	• प्रतिवर्ष विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार विकलांग बच्चों के समेकन के लिए प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में रु. 1200/– तक। • विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए रु. 1200/– प्रति बच्चे के मानदण्ड के भीतर जिला योजना तैयार की जायेगी। • संसाधन संस्थानों का सहयोजन प्रोत्साहित किया जाए।
16. अनुसंधान, मूल्यांकन पर्यवेक्षण और अनुश्रवण	• प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1500/– रु. तक। • अनुसंधान और संसाधन संस्थानों के साथ भागीदारी राज्य विशिष्ट बल सहित संसाधन दलों का एकीकरण। • संसाधन/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से तथा एक प्रभावी ईएमआईएस के द्वारा मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के निमित्त क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता। • परिवार विषयक आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए नियमित स्कूल मानचित्रण/सूक्ष्य योजना का प्रावधान। • संसाधन व्यक्तियों का समूह गठित करके, अनुश्रवण, समुदाय–आधारित आंकड़ों, अनुसंधान अध्ययन लागत आंकलन और मूल्यांकन उपबन्ध तथा उनके क्षेत्र क्रियाकलाप, संसाधन व्यक्तियों द्वार क्लासरूम प्रेक्षण के लिए यात्रा अनुदान और मानदेय। • प्रति स्कूल समग्र आबटंन में से निधियां राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उपजिला, स्कूल स्तर पर खर्च की जाएं। • 100/– रु. प्रति स्कूल प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर खर्च किया जाए। • राज्य/जिला/बीआरसी/सीआरसी/स्कूल स्तर पर खर्च का निर्णय राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा लिया जाए, इसमें

	मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, एमआईएस, क्लासरूम प्रेक्षण आदि सम्बन्धी खर्च शामिल होगा। अध्यापक शिक्षा योजना के अधीन प्रावधान के अलावा एससीईआरटी को सहायता भी प्रदान की जाए। • राज्य विशिष्ट दायित्वों को वहन करने के इच्छुक संसाधन संस्थानों का सहयोजन।
17. प्रबन्ध सम्बन्धी खर्च	• जिला योजना के बजट के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। • कार्यालय खर्च, मौजूदा जनशक्ति पीओएल आदि के निर्धारण के बाद विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का खर्च शामिल होगा। • किसी विशिष्ट जिले में उपलब्ध क्षमता के आधार पर एमआईएस, सामुदायिक आयोजन प्रक्रियाओं, सिविल निर्माण कार्यों, लैंगिक आदि में विशेषज्ञों को प्राथमिकता। • राज्य/जिला/ब्लाक/संकुल स्तरों पर प्रभावी दल विकसित करने के लिए प्रबन्ध खर्च का प्रयोग किया जाए। • बीआरसी/सीआरसी के लिए कार्मिकों की पहचान का काम पूर्व–परियोजना चरण में ही एक प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि गहन प्रक्रिया आधारित योजना के लिए एक दल उपलब्ध रहे।
18. बालिका शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए नवाचारी क्रियाकलाप, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए हस्तेक्षपकारी उपाय	• प्रत्येक नवाचारी परियोजना के लिए 15 लाख रुपये तक तथा सर्व शिक्षा अभियान के मामले में प्रत्येक जिले के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये तक। • ईसीसीई और बालिका शिक्षा हस्तक्षेपकारी उपायों के लिए इकाई लागतें वहीं होगी जो कि अन्य मौजूदा योजनाओं के अधीन पहले से ही अनुमोदित हैं।
19. ब्लॉक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र	• प्रत्येक सामुदायिक विकास (सीडी) ब्लॉक में समान्यतः एक बीआरसी होगा। तथापि जिन राज्यों में जहाँ शैक्षिक ब्लॉकों अथवा परिमण्डलों जैसे उपजिला शैक्षिक प्रशासनिक तंत्रों का अधिकार क्षेत्र, सीडी ब्लॉकों तक सीमित नहीं होता वहाँ राज्य

	इस प्रकार की उप–जिला शैक्षिक प्रशासनिक इकाई में एक बीआरसी स्थापित करने पर विचार कर सकता है। तथापि ऐसे मामले में एमसीडी ब्लाक में बीआरसी तथा सीआरसी पर अनावर्ती तथा आवर्ती–दोनों प्रकार का समग्र व्यय प्रत्येक सीडी ब्लाक के लिए एक बीआरसी खोले जाने की स्थिति में बीआरसी और सीआरसी पर जो समग्र व्यय हुआ होता उससे अधिक नहीं होगा। • बीआरसी/सीआरसी यथासंभव स्कूल परिसर में खोले जाएंगे। • जहां कही आवश्यक हो, बीआरसी भवन के निर्माण पर 6 लाख रुपये की अधिकतम सीमा लागू होगी। • जहाँ कहीं आवश्यक हो सीआरसी के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये–इसका प्रयोग स्कूलों में एक अतिरिक्त क्लासरूम के रूप में किया जाए। • किसी भी जिले में गैर–स्कूली (बीआरसी तथा सीआरसी) निर्माण कार्य की कुल लागत किसी एक वर्ष में कार्यक्रम के अधीन समग्र प्रक्षेपित व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। • 100 स्कूलों से अधिक वाले ब्लाक में 20 अध्यापकों तक की, छोटे ब्लॉकों में बीआरसी और सीआरसी में संयुक्त रूप से 10 अध्यापकों तक की तैनाती। • एक बीआरसी के लिए एक लाख रुपये के और एक सीआरसी के लिए 10,000/– रुपये के फर्नीचर की व्यवस्था। • बीआरसी के लिए 12,500 रु. तथा सीआरसी के लिए 2,500 रु. प्रतिवर्ष का आकस्मिक अनुदान। • बैठकें, यात्रा भत्ताः प्रति बीआरसी 500/– रु. प्रतिमाह, प्रति सीआरसी 200/– प्रतिमाह। • टीएलएम अनुदानः प्रति बीआरसी 5000/– रु. प्रतिवर्ष तथा प्रति सीआरसी 1000/– रु. प्रति वर्ष। • प्रारम्भिक चरण के दौरान ही गहन चयन प्रक्रिया के बाद बीआरसी/सीआरसी कार्मिकां की पहचान।
20. स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तेक्षपकारी उपाय	• शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अधीन पहले से ही अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार निम्न प्रकार के हस्तक्षेपकारी उपायों की व्यवस्था : ❑ असेवित बस्तियों में शिक्षा आश्वासन केन्द्रों की स्थापना।

	❑ वैकल्पिक स्कूली शिक्षा माडलों की स्थापना। ❑ स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में मुख्यधारा में शामिल करने पर बल देते हुए सेतु पाठ्यक्रम, उपचारी पाठ्यक्रम, वापिस स्कूल चलो शिविर।
21. सूक्ष्म योजना, परिवार सर्वेक्षण, अध्ययन, सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल आधारित क्रियाकलाप, कार्यालय उपस्कर, सभी स्तरों पर प्रशिक्षण तथा दिशा–अनुकूलन आदि के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप	• राज्य द्वारा यथाअनुशंसित जिले के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार/जिले अथवा महानगरों के भीतर शहरी क्षेत्रों को आवश्यकता के अनुसार योजना के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में समझा जाए।

1.11.0 शोध हेतु चयनित झाँसी मण्डल का परिचय :

झाँसी मण्डल तीन जनपदों से मिलकर बना है जिसमें एक स्वयं झाँसी, दूसरा जालौन तथा तीसरा ललितपुर जो अपेक्षाकृत नवसृजित जनपद है। झाँसी मण्डल उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, इसके पूर्व में हमीरपुर एवं महोबा जनपद हैं और उत्तर में जालौन जनपद है एवं दक्षिण में ललितपुर जनपद स्थित है व दक्षिण तथा पश्चिम में मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी तथा दतिया जिले की सीमायें हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन झाँसी मण्डल के तीनों जनपदों झाँसी, जालौन एवं ललितपुर में किया गया है। अतः झाँसी मण्डल के अलग–अलग जनपदों का परिय निम्नानुसार है –

1.11.01 झाँसी जनपद का परिचय :

झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर 25.30 और 24.27 उत्तरी अक्षांश एवं 78.40 और 79.25 देशान्तर दिशाओं के मध्य स्थित है। जनपद में 760 आबादी ग्राम, 444 ग्राम पंचायतें, 73 न्याय पंचायतें, 6 नगर पालिकायें, 7 नगर पंचायतें, 2 छावनी क्षेत्र तथा नोटीफाइड़ ऐरिया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से झाँसी जनपद में पाँच तहसीले क्रमशः झाँसी, मोंठ, मउरानीपुर, गरौठा एवं टहरौली है। विकास की दृष्टि से जनपद को 8 विकास खण्डों – बबीना, बड़ागाँव, बंगरा, मऊरानीपुर, चिरगाँव, मोठ, बामौर एवं गुरसॉय में

बांटा गया है। जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है जिसके कारण ग्रीष्मकाल में काफी गर्मी और शीतकाल में काफी ठण्ड पड़ती है। जिले में सामान्य औसत 85 मिली. वर्षा होती है।

जनपद की जनसंख्या :

वर्ष 1991 में जनपद झाँसी की जनसंख्या 1429698 थी जिसें 767430 पुरुष (53.7 प्रतिशत) तथा 662268 महिलायें (46.3 प्रतिशत) थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1746715 है जिसमें 53.5 प्रतिशत पुरुष तथा 46.5 प्रतिशत महिलायें है। वर्ष 1991 की तुलना में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 22.2 (21.7 प्रतिशत पुरुष तथा 22.7 प्रतिशत महिला) प्रतिशत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या 863 थी जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 870 हो गयी है। जनपद में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.22 प्रतिशत है तथा जनपद में जनसंख्या का घनत्व 348 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

जनपद की साक्षरता :

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 52.0 प्रतिशत जिसमें 67.3 प्रतिशत पुरुष तथा 34.0 प्रतिशत महिला साक्षरता थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 66.7 प्रतिशत है जिसमें 80.1 प्रतिशत पुरुष तथा 51.2 प्रतिशत महिला साक्षरता है। वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता वृद्धि की दर 14.7 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरत वृद्धि दर 12.8 तथा महिला साक्षरता वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिला साक्षरता वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिला साक्षरता के लिए अन्तर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 28.9 प्रतिशत का है। वर्ष 1991 की जनगणना के सापेक्ष वर्ष 2001 में महिला साक्षरता वृद्धि की दर पुरुषों की अपेक्षा काफी अधिक है।

शैक्षिक परिदृश्य : जनपद में वर्ष 2000–01 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III संचालित किया गया है। वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है। जनपद में 08 विकासखण्ड संसाधन केन्द्र तथा 65 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र है।

जनपद में 1081 प्राथमिक तथा 322 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के लिये 2697 शिक्षकों के विरुद्ध 2750 शिक्षक तथा 563 शिक्षामित्र कार्यरत है जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 722 शिक्षकों के सृजित पदों के विरुद्ध 676 शिक्षामित्र कार्यरत है। जनपद में एक कक्षीय 71, दो कक्षीय 568, तीन कक्षीय 250, चार कक्षीय 11 तथा पाँच या इससे अधिक कक्षीय 9 विद्यालय है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन कमरे करने का प्रावधान किया गया है। 828 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प तथा 214 प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की सुविधा उपलब्ध है।

प्राथमिक विद्यालयों में विगत वर्षों का कक्षावार बच्चों का नामांकन निम्नानुसार हैं–

कक्षा / लिंग		वर्ष						
		1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
1	बलक	25670	26134	28316	28376	29302	27006	27665
	बलिका	15018	19567	22507	24900	25987	22562	23680
	योग	40688	45698	50820	53276	55286	49568	51347
2	बलक	21866	24457	23095	24591	25078	29656	27781
	बलिका	13071	15279	19282	20670	21362	28299	24300
	योग	34937	39736	42377	45282	46440	57955	52081
3	बलक	18679	21141	22803	22740	23928	25092	25897
	बलिका	12208	13660	17722	19273	20301	20949	22290
	योग	30887	34801	40525	42013	44229	46041	48177
4	बलक	16236	17912	19234	20521	22745	21471	24003
	बलिका	9634	12725	15603	16768	18609	18829	20002
	योग	25870	30637	34837	37289	41354	40300	44005
5	बलक	15728	14056	14347	18163	18600	18551	19363
	बलिका	10243	10835	11882	14886	15236	14707	15529
	योग	25971	24891	26229	33049	33836	332258	34892

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चे : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झाँसीज जनपद में 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या 269667 (142991 बालक तथा 126676 बालिका) है। 0–6 आयु वर्ग में बालकों का प्रतिशत 53 तथा बालिकाओं का 47 है। 6–11 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या 260376 (बालक 137995 तथा बालिकायें 122381) है। प्रतिशत की दृष्टि से 53.0 प्रतिशत बालक तथा 47.0 प्रतिशत बालिकायें है। जबकि 11 से 14 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या 108398 (57450 बालक तथा 50948 बालिकायें) है। प्रतिशत की दृष्टि से 53 प्रतिशत बालक एवं 47 प्रतिशत बालिकाएं है। विद्यालय जाने योग्य बच्चों में 6–11 आयुवर्ग में कुल जनसंख्या का 7.9 प्रतिशत बालक 7.0 प्रतिशत बालिका तथा 14.9 प्रतिशत दोनों है। 11–14 आयुवर्ग में 3.3 प्रतिशत बालक, 2.9 प्रतिशत बालिका तथा 6.2 प्रतिशत दोनों है।

शैक्षिक सुविधा की स्थिति : वर्ष 2002–03 के आँकड़ों के अनुसार झांसी जनपद की 836 बस्तियों में से 1.5 किमी. की दूरी और 300 की जनसंख्या पर 693 बस्तियों, 1.5 किमी. से कम दूरी या 300 की जनसंख्या पर 32 बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। कुल सेवित बस्तियों का प्रतिशत 86.7 तथा असेवित बस्तियों का प्रतिशत 13.3 है।

उच्च प्राथमिक सुविधा के अन्तर्गत 3 किमी. की दूरी और 800 की जनसंख्या पर 452 बस्तियों तथा 3 किमी. से कम दूरी या 800 की जनसंख्या पर 185 बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। जनपद की 76.2 प्रतिशत बस्तियाँ उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से सेवित है जबकि 23.8 प्रतिशत बस्तियाँ असेवित है।

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात :

वर्ष 2002–03 के भौक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जनपद के प्राथमिक विद्यालयों सकल नामांकन अनुपात 102 प्रतिशत है जबकि शुद्ध नामांकन अनुपात 99.48 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 101 प्रतिशत तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 98.5 प्रतिशत है।

ड्राप आउट दर एवं शिक्षक विद्यार्थी अनुपात : वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में जनपद का ड्राप आउट दर 18 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 12 प्रतिशत है। शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक स्तर पर 52.42 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 51.26 है।

सम्प्राप्ति स्तर :

झाँसी जनपद के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए बेसलाईन एवं मध्यावधि मूल्यांकन में कक्ष 2 एवं 5 के भाषा एवं गणित में उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार प्राप्त हुआ।

कक्षा	विषय	बेसलाइन मूल्यांकन	मध्यावधि मूल्यांकन
2	भाषा	59.6	75.99
5	भाषा	40.1	62.88
2	गणित	61.3	81.27
5	गणित	24.3	52.93

स्त्रोत : बेसलाइन एवं मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होने के पूर्व (वर्ष 1999–2000) झाँसी जनपद में क्रमशः 917 प्राथमिक विद्यालय परिषदीय तथा 2475 प्राथमिक अध्यापक परिषदीय थे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होने (वर्ष 2001–02) के पश्चात् वर्ष 2003–04 की स्थिति में 1081 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 2750 शिक्षक तथा 563 शिक्षामित्र परिषदीय विद्यालय में कार्यरत है।

वर्ष 2001–02 के आँकड़ों के अनुसार जनपद का प्रमोशन रिपीटीशन एवं ड्रापआउट दर निम्नानुसार है–

छर	लिंग	कक्षा				
		1	2	3	4	5
प्रमोशन दर	बालक	84.59	91.94	94.19	84.66	93.24
	बालिका	82.07	92.20	90.75	84.15	92.44
	योग	**83.41**	**92.06**	**92.61**	**84.43**	**92.88**
रिपीटीशन दर	बालक	5.02	4.37	5.80	6.46	6.76
	बालिका	5.29	4.48	6.35	6.67	7.56
	योग	**5.14**	**4.42**	**6.06**	**6.55**	**7.12**
ड्राप आउट दर	बालक	10.4	3.69	0.00	8.88	0
	बालिका	12.6	3.32	2.90	9.18	0
	योग	**11.4**	**3.52**	**1.33**	**9.02**	**0**

स्त्रोत : ज़िला वार्षिक कार्ययोजना (2004–05)

वर्ष 2003–2004 के आकड़ों के अनुसार जनपद का इनपुट आउटपुट अनुपात 1.21 (1.20 बालक 1.21 बालिका) है। बच्चों को कक्षा 5 पास करने में औसतन 6.07 (बालक 5.99 एवं बालिका 6.18 वर्ष) वर्ष लगता है। जनपद का कोहार्ट ड्राप आउट दर 24.6 तथा कोहार्ट रिटेन्शन दर 75.4 प्रतिशत है।

01.11.02 जालौन जनपद का परिचय :

जालौन जनपद 25.46 और 2.27 उत्तरी अक्षांश 79.52 और 78.56 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। जनपद का मुख्यालय उरई में है। पूर्व से पश्चिम में इसकी लम्बाई 93 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई 68 किलोमीटर है। इसका आकार त्रिभुज की तरह है। जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पूर्व में यमुना नदी इसे इटावा, औरैया एवं कानपुर देहता जनपदों से अलग करती है। जनपद में 5 तहसीलें 09 विकास खण्ड, 81 न्याय पंचायत, 564 ग्राम पंचायत, 04 नगर पालिका, 06

नगर क्षेत्र, समिति तथा 1042 आबाद ग्राम/बस्तियां/मजरे है। (वर्ष 1997 की सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार)।

जनपद की जनसंख्या : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जालौन जनपद की कुल जनसंख्या 1219377 (पुरुष 666865 एवं महिला 552512) थी, जिसमें 54.7 प्रतिशत पुरुष तथा 45.3 प्रतिशत महिलायें थी तथा प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात 829 था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1455859 (788264 पुरुष एवं 667595 महिलाएं) है जिसमें 54.1 प्रतिशत पुरुष तथा 45.9 प्रतिशत महिलायें है तथा प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 847 है। वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत 19.4 (पुरुष वृद्धि दर 18.2 एवं महिला वृद्धि दर 20.8 प्रतिशत) है।

साक्षरता की स्थिति : जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2000–01 में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 50.7 प्रतिशत (पुरुष साक्षरता 66.2 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 31.6 प्रतिशत) थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 66.1 प्रतिशत (79. 1 प्रतिशत पुरुष एवं 50.7 प्रतिशत महिला) जनसंख्या साक्षर है। जनपद में वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 17.8 (पुरुष साक्षरता वृद्धि का परिषद 14.9 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता वृद्धि का प्रति 21.1 प्रतिशत) है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता में पुरुष की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है लेकिन उसके बावजूदर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर में 28.5 प्रतिशत का अंतर है।

विद्यालय जाने योग्य बच्चे : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 231156 (बालक 122609 एवं बालिका 108547) है जिसमें 53.0 प्रतिशत बालक एवं 47.0 प्रतिशत बालिकायें है। 6–11 आयुवर्ग में कुल बच्चों की संख्या 211499 (बालक 113213 एवं बालिका 98286) है जिसमें 53.5 प्रतिशत पुरुष एवं 46.5 प्रतिशत महिलाएं है तथा 11 से 14 आयुवर्ग में कुल बच्चों की संख्या 86905 (बालक 47129 एवं बालिकाएं 39776) है जिसमें 54.2 प्रतिशत बालक एवं 45.8 प्रतिशत बालिकाएं है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चों में 6–11 आयु वर्ग में बच्चों का कुल जनसंख्या का 14.5 प्रतिशत (बालिकाओं का 6.8 एवं बालकों का 7.8) है जबकि 11–14 आयु वर्ग में विद्यालय जाने योग्य बच्चों का प्रतिशत 6.0 (बालक 3.2 एवं बालिका 2.7) है।

जनपद शैक्षिक परिदृश्य : वर्ष 2001–02 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनपद की 1042 बस्तियों में से 837 बस्तियों में 1.5 किमी. की दूरी

और 300 की जनसंख्या पर तथा 117 बस्तियों 1.5 किलोमीटर से कम दूरी या 300 की जनसंख्या पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जनपद की प्राथमिक शिक्षा से सेवित बस्तियों का प्रतिशत 91.6 तथा 8.4 बस्तियां वर्ष 2001–02 के आँकड़ों के अनुसार असेवित है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 318 बस्तियां 3 किलोमीटर की दूरी और 800 की जनसंख्या तथा 403 बस्तियां 3 किमी. से कम की दूरी या 800 की जनसंख्या पर सेवित है। जनपद की 69.2 प्रतिशत बस्तियां उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवित है तथा 30.8 प्रतिशत बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जनपद की भात प्रतिशत बस्तियां प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा से सेवित है ।

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात : वर्ष 2001–02 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जनपद का सकल नामांकन अनुपात 90.2 तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 77.8 है।

रिपीटीशन एवं ड्रापआउट : वर्ष 2000–01 के भौक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े के अनुसार जनपद का रिपीटीशन एवं ड्राप आउट दर को हम निम्न तालिका की सहायता से देख सकते है।

क्रमांक	दर	कक्षा					प्रतिशत माध्य
		1	2	3	4	5	
1.	रिपीटीशन दर	1.4	1.6	1.9	1.6	1.4	1.6
2.	ड्राप आउट दर	10.0	13.2	18.9	16.0	0	14.5

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रणाली आंकड़े (2000–01)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक ड्राप आउट कक्षा 2, 3 एवं 4 में होता है।

प्राथमिक विद्यालय भौतिक संसाधन : वर्ष 2001–02 के आँकड़ों के अनुसार जनपद का शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:45 तथा कक्षा विद्यार्थी अनुपात 1:50 है। जनपद के 1097 प्राथमिक विद्यालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है तथा 99 विद्यालयों में चहारदिवारी की सुविधा उपलब्ध है।

विद्यालय के बाहर बच्चे : वर्ष 2003–04 के हाऊस होल्ड सर्वे के अनुसार, विभिन्न कारणों से जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे बच्चे में 6–11 आयुवर्ग के 394 तथा 1 से 14

वर्ग के 616 बच्चे विद्यालय से बाहर है। विभिन्न कारणों से विद्यालय से बाहर बच्चों को हम लिंगवार निम्न सारणी की सहायता से देख सकते हैं–

क्र.	कारण	6–11 वर्ष			11–14 वर्ष			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के काम में लगे होना	77	51	128	91	105	196	168	156	324
2.	मजदूरी में लगे होना	42	34	76	70	28	98	112	62	174
3.	भाई बहिन की देखभाल करना	60	45	105	50	85	135	110	130	240
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	27	29	56	76	44	120	103	73	176
5.	अन्य कारण	18	11	29	31	36	67	42	47	96
	योग	**224**	**170**	**394**	**318**	**298**	**616**	**542**	**468**	**1010**

स्त्रोत : हाउस होल्ड सर्वे (2003–2004)

ट्रांजीशन दर : वर्ष 2002–03 में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजीशन दर 65 प्रतिशत थी जो वर्ष 2003–04 में 72 प्रतिशत हो गई।

अन्य शैक्षिक सूचकांक : वर्ष 2003–04 के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जनपद का सकल नामांकन अनुपात 107 प्रतिशत तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 99 प्रतिशत है। जनपद में ड्राप आउट दर 8 प्रतिशत तथा ठहराव दर 92 प्रतिशत है। जनपद का शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1.48 20 प्रतिशत तथा कक्षा विद्यार्थी अनुपात 1:57.01 है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार जनपद में सकल नामांकन अनुपात 79 प्रतिशत तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 75 प्रतिशत है। ड्राप आउट दर 14.6 प्रतिशत तथा ठहराव दर 85.4 प्रतिशत है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:36.26 तथा कक्षा विद्यार्थी अनुपात 1:30.88 है। जनपद में प्राथमिक स्तर पर सकल शिक्षा पहुँच अनुपात 98 प्रतिशत तथा उच्च स्तर पर 70 प्रतिशत है। जनपद का प्राथमिक स्तर भाषा में उपलब्धि का प्रतिशत 91 तथा गणित में 83 प्रतिशत है। वर्तमान में जनपद की भात प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

1.11.03 ललितपुर जनपद का परिचय :

झांसी मण्डल का ललितपुर जनपद ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत सम्पन्न जनपद है। इसकी उत्तर दक्षिण लम्बाई 93 किलोमीटर तथा पूर्व–पश्चिम की लम्बाई 54 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 5043 वर्ग किलोमीटर है। जनपद की दक्षिण, पश्चिम व पूर्व की सीमायें मध्यप्रदेश राज्य को छूती है।

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद में 03 तहसीले, 06 विकासखण्ड, 340 ग्राम सभायें, 692 राजस्व ग्राम है। नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 01 नगरपालिका 03 टाउन एरिया तथा 56 वार्ड है। जनपद में 48 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र है।

जनपद की जनसंख्या : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 752043 (पुरुष = 403685 एवं महिला = 348358) थी, जिसमें 53.67 प्रतिशत पुरुष तथा 46.33 प्रतिशत महिलायें थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 977477 है जिसमें 518928 पुरुष एवं 458519 महिलायें है। प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में 53.08 प्रतिशत पुरुष तथा 46.92 प्रतिशत महिलायें है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 884 है। वर्ष 1991 के सापेक्ष जनसंख्या वृद्धि की दर 30.0 (पुरुष में 28.5 एवं महिलाओं में 31.6) है। यानि महिला वृद्धि दर पुरुषों के सापेक्ष अधिक है।

जनपद की साक्षरता : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 32. 12 प्रतिशत थी। लिंग के अनुसार पुरुष की साक्षरता 45.23 एवं महिलाओं की साक्षरता 16. 62 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता 49.93 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरतर दर 64.45 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 33.25 प्रतिशत है। वर्ष 1991 की साक्षरता दर के सापेक्ष साक्षरता वृद्धि दर पुरुषों में 13.22, महिलाओं में 16.63 तथा संकुल में 17.81 प्रतिशत है। निम्न महिला साक्षरता दर होने के कारण ही इन जनपद को सर्वप्रथम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 में लिया गया था।

विद्यालय जाने योग्य बच्चे : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चों में 0–6 आयुवर्ग की कुल जनसंख्या 198032 (बालक 102285 एवं बालिका 95747) है। 6–11 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 152716 (बालक = 81077, बालिका = 71639) है तथा 11–14 आयुवर्ग में कुल जनसंख्या 54920 (बालक = 29157 एवं बालिका = 25763) है।

वर्ष 2001 के आँकड़ों के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चों में 6–11 आयुवर्ग में कुल जनसंख्या का 8.3 प्रतिशत बालक तथा 7.3 प्रतिशत बालिकायें है। 11–14 आयुवर्ग में 3.0 प्रतिशत बालक तथा 2.6 प्रतिशत बालिकायें है।

शिक्षा सुविधा की उपलब्धता : वर्ष 2001–02 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जनपद की 1256 बस्तियों के सापेक्ष 523 बस्तियां 1.5 किलोमीटर की दूरी एवं 300 की जनसंख्या के आधार पर तथा 225 बस्तियां 1.5 किमी. से कम दूरी या 300 से कम जनसंख्या के आधार पर सेवित है। जनपद की 59.6 प्रतिशत बस्तियां सेवित है तथा 40.4 प्रतिशत बस्तियां असेवित है। जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा के अन्तर्गत जनपद की 84.6 प्रतिशत बस्तियां सेवित है तथा 15.4 प्रतिशत बस्तियां असेवित है। वर्तमान में जनपद की भात प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर कीं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है ।

सकल और शुद्ध नामांकन अनुपात :

वर्ष 97–98 से वर्ष 2000–01 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के आधार वर्ष 97–98, 98–99, 99–00 एवं 2000–01 में जनपद का सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 74.6, 100.5, 103.9 तथा 108.3 प्रतिशत है जबकि शुद्ध नामांकन अनुपात क्रमशः 63.6, 84.5, 93.89 तथा 97.4 प्रतिशत है। वर्ष 2003–04 के आँकड़ों के अनुसार जनपद में प्राथमिक स्तर का सकल नामांकन अनुपात 105.4 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 74.75 प्रतिशत है।

रिपीटीशन एवं ड्राप आउट दर :

वर्ष 97–98, 98–99 एवं 99–2000 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जनपद के रिपीटीशन एवं ड्राप आउट दर को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते है।

क्रमांक	दर	वर्ष	कक्षा					
			1	2	3	4	5	प्रतिशत माध्य
1.	रिपीटीशन दर	1997–98	11.6	6.8	8.6	7.2	4.4	9.6
		1998–99	4.3	4.1	6.1	4.4	2.1	5.3
		1999–00	5.2	6.2	9.1	7.6	3.8	8.0
2.	रिपीटीशन दर	1997–98	7.9	11.0	12.1	10.8	–	10.5
		1998–99	4.7	10.7	12.6	11.5	–	9.9
		1999–00	6.3	5.2	11.6	12.8	–	9.0

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े

जनपद की वर्ष 1997–98 में कोहार्ट ड्राप आउट दर 34.1 प्रतिशत वर्ष 98–99 में 35.7 प्रतिशत एवं वर्ष 99–00 में 33.8 प्रतिशत थी ।

जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता : जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2003–04 के अनुसार जनपद में विद्यालयों की स्थिति को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते है।

क्र. सं.	थ्वद्यालय	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	812	28	840	70	85	155	882	113	995	89	27	86
2.	मा0वि0 से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	03	03	01	05	06	01	07	08	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	265	05	270	18	28	46	283	33	316	06	20	26
4.	मा0वि0 से संलग्न उ0प्रा0 विद्यालय	03	05	08	07	07	14	07	12	19	01	0	01

स्त्रोत : जनपद सांख्यिकीय पत्रिका (2003–2004)

शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003–04 के जिला सांख्यिकी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सृजित 1949 शिक्षक एवं 914 शिक्षामित्रों के विरुद्ध 1461 शिक्षक तथा 294 शिक्षामित्र कार्यरत है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत 877 शिक्षकों के विरुद्ध 496 शिक्षक कार्यरत है।

वर्ष 2003–04 के आँकड़ों के सापेक्ष शैक्षिक सूचकों की स्थिति : वर्ष 2003–04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सूचकों की स्थिति को हम निम्न तालिका की सहायता से देख सकते है।

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	सकल नामांकन अनुपात	105.4	74.75
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	99.36	71.29

3.	ड्राप आउट	36.06	11.9
4.	ठहराव	63.94	88.1
5.	सकल शैक्षिक सुविधा अनुपात	67	–
6.	शिक्षक छात्र अनुपात	1:75.20	1.43.85
7.	कक्षा–छात्र अनुपात	1:66.52	1:40.99

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003–04)

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजीशन दर 81 प्रतिशत है।

1.12.0 झाँसी मण्डल में शिक्षा की वर्ष 2002–03 के आँकड़ों के अनुसार स्थिति :

झाँसी मण्डल की तीनों जनपद, जालौन, ललितपुर एवं स्वयं झाँसी की वर्ष 2002–. 03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार शिक्षा की जनपद वार स्थिति निम्नानुसार है।

1.12.1 झाँसी जनपद की शिक्षा की स्थिति वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है–

विद्यालयों की स्थिति :

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	1017	252	899	79
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	10	55	4	38
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	215	100	192	16
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

नामांकन की स्थिति

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	154277	41312	140810	11167
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2773	14235	955	8738
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	30268	11207	28044	2127
5.	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

प्रगति सूचकांक की स्थिति

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2002–03	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	8.7	0.0	0.0	3.5	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	9.7	0.0	0.0	10.5	0.0
3.	60 विद्यार्थी– कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	45.7	7.7	0.0	18.4	0.0
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	6.5	23.1	0.0	0.0	0.0

नामांकन की स्थिति :

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है।

कक्षा	1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
नामांकन	49858	44037	43814	36140	32697	206546	18382	15154	13990	47526

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति :

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2001–02	2002–03	2001–02	2002–03
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	35.2	35.5	38.1	37.7
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	47.7	46.5	35.6	37.9
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0.7	0.4	0.6	1
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	54.9	39.1	19.4	46.6

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति

क्रमांक	सकल / शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर (2002–03)	उच्च प्राथमिक स्तर (2002–03)
1.	सकल नामांकन अनुपात	77.2	43.0
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	70.3	34.5

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति

क्रमांक	सूचकांक (2002–03)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	47.1	36.5	0.0	40.3	0.0
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	47	37	0.0	39.0	0.0
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	52	34	0.0	35.0	0.0
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	6.4	3.1	0.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	11.7	3.1	0.0	7.0	0.0
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	29.0	19.7	0.0	18.5	0.0
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	19.9	32.3	0.0	29.2	0.0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

विद्यालयों की स्थिति :

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2002–03)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहुप्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	1211	27	7	0	0	21
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	63	2	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0

4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	285	4	0	0	1	23
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

कक्षाकक्ष की स्थिति :

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2002–03)				
		कुल कक्षा–कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	3745	75.9	18.1	6.0	1059
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	506	82.4	16.2	1.4	89
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1170	78.5	17.3	4.3	422
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) वर्ष 2002–03 :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	145	569	948	980	561	4	3	811
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	4	59	125	80	0	0	177

3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	26	30	299	255	222	2	0	219
5.	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	1	5	92	48	8	0	0	4

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	नियमित पैराशिक्षक			शिक्षक		
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला
1.	प्राथमिक विद्यालय	4179	2116	1170	735	117	41
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	447	183	88	176	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1053	654	195	204	0	0
5.	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	387	106	493	8	11	19
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय.	25	6	31	2	1	3
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	121	13	134	2	2	4
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति :

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	934	630	1564
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	186	115	301

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

1.12.2 जालौन जनपद की शिक्षा की स्थिति वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है –

विद्यालय की स्थिति

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	1183	278	1105	152
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6	22	2	8
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	0	2	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	168	76	160	44

5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	10	25	8	17

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	137626	35317	129238	19181
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	642	5396	213	2224
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	130	0	130	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	17451	10697	16606	7659
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1486	3238	1173	2047

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

प्रगति सूचकांक की स्थिति

क्र.	प्रगति सूचकांक वर्ष 2002–03	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	3.1	0.0	0.0	1.2	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	12.1	3.6	0.0	9.0	0.0
3.	60 विद्यार्थी– कक्ष अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	30.1	17.9	0.0	13.5	0.0

4.	नर्सरी विद्यालयों के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	34.8	82.1	50.0	48.0	82.9
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिये अलग से शौचालय है	23.7	75.0	50.0	38.5	74.3
7.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	79.6	10.6	100.0	62.0	31.5
8.	जिन विद्यालयों में कक्षा विद्यार्थी अनुपात 60 से अधिक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	46.1	28.5	0.0	27.3	0.0
9.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमे नामांकन का प्रतिशत	9.7	5.0	0.0	4.7	0.0
10.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ शिक्षक 2 या 2 से अधिक है का प्रतिशत	61.4	71.4	50.0	75.8	91.4
11.	भवन विहिनी विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	1.9	0.0	0.0	1.4	0.0
12.	श्यामपट विहीन विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	5.3	3.8	0.0	10.8	11.7
13.	5 वर्श से कम एवं 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले कक्षा 1 में नामांकित बच्चों का प्रतिशत	14.1	24.9	0.0	0.0	0.0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

नामांकन की स्थिति :

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन क्रमशः 177108 एवं 34875 है। यदि हम कक्षावार देखे तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में क्रमशः 40406, 37002, 39451, 32136, 28113, 13522, 11222 एवं 10131 है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति :

क्र.	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2001–02	2002–03	2001–02	2002–03
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	36.3	36	32.8	35.2
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	46.7	46	40.3	43.2
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0.2	0	0.5	0
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	46	50	31	50

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति :

क्रम सं.	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर (2002–03)	उच्च प्राथमिक स्तर (2002–03)
1.	सकल नामांकन अनुपात	79.7	38.0
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	68.8	26.9

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति :

क्र.	सूचकांक (2002–03)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	47.0	45.1	57.7	45.0	37.6
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	46	39	8	38	32
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	47	35	8	34	11
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	14.4	10.7	50.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षण–विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	9.4	14.3	0.0	4.9	8.6
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	17.0	10.7	17.6	10.6	4.2
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	18.9	14.3	0.0	31.6	0.0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

विद्यालयों की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की स्थिति (2002–03)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना
1.	प्राथमिक विद्यालय	1375	36	5	0	4	37
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	25	1	0	0	2	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	0	0	0	0

4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	226	9	0	0	1	7
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	35	0	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

कक्षाकक्ष की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की स्थिति (2002–03)				
		कुल कक्षाकक्ष	अच्छे कक्षाकक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	वृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	3684	57.9	30.8	11.3	1326
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	174	64.4	25.3	10.3	33
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	16	87.5	12.5	0.0	6
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	825	67.5	21.6	10.9	344
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	417	65.0	20.4	14.6	132

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) वर्ष 2002–03 :

क्र.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी से नीचे	सेकण्डरी	हाईस्कूल	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल.	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	227	423	1056	804	417	4	3	750

2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	1	12	22	10	0	0	99
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3	0	0	0	0	0	0	14
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	40	30	191	172	108	0	2	201
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	.2	3	13	18	0	0	102
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	5	3	30	13	5	0	0	30

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

लिंगवार शिक्षकों की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैरा शिक्षक	
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला
1.	प्राथमिक विद्यालय	3768	2340	626	718	41	15
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	149	33	16	99	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	17	0	3	14	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	745	473	79	192	0	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	142	40	6	96	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	378	61	439	23	3	26
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	9	0	9	1	0	1

3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	2	2	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	109	9	118	5	0	5
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	8	0	8	0	0	6

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

विकलांग बच्चों की नामांकन की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	869	566	1435
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	136	66	202

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

1.12..3 ललितपुर जनपद की शिक्षा की स्थिति वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित है–

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	757	138	715	75
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5	23	2	7
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	181	23	176	15
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	8	2	4

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

बच्चों का नामांकन :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	120502	22881	113594	12192
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1665	8494	720	2284
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2235	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	20835	4225	20261	2785
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1055	1472	389	773

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

प्रगति सूचकांक की स्थिति :

क्र.	प्रगति सूचकांक वर्ष 2002–03	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	4.2	0.0	0.0	1.0	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	24.0	0.0	0.0	17.2	0.0
3.	60 विद्यार्थी– कक्ष अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	42.3	0.0	0.0	10.8	0.0
4.	नर्सरी विद्यालयों के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	35.2	25.0	33.3	0.0	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	87.6	92.9	100.0	35.3	100.00

6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिये अलग से शौचालय है	74.4	82.1	100.0	23.5	66.7
7.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	84.0	16.4	100.0	83.1	41.7
8.	जिन विद्यालयों में कक्षा विद्यार्थी अनुपात 60 से अधिक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	55.2	0.0	0.0	21.5	0.0
9.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमे नामांकन का प्रतिशत	19.7	0.0	0.0	9.9	0.0
10.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ शिक्षक 2 या 2 से अधिक है का प्रतिशत	34.0	7.1	0.0	48.0	83.3
11.	भवन विहिनी विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	1.5	0.0	0.0	10.1	0.0
12.	श्यामपट विहीन विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0
13.	5 वर्ष से कम एवं 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले कक्षा 1 में नामांकित बच्चों का प्रतिशत	21.0	10.6	0.0	0.0	0.0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

नामांकन की स्थिति :

कक्षा / नामांकन	प्राथमिक स्तर (2002–03)						उच्च प्राथमिक स्तर (2002–03)			
कक्षा	1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
नामांकन	37290	33189	33089	33038	25935	150572	21120	13268	9031	32792

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति :

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2001—02	2002—03	2001—02	2002—03
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	31.6	31.9	24.3	24.3
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	44.0	44.7	25	27.6
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0	0.2	0.1	0
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	40	54.1	3.2	50

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002—03)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति :

क्रमांक	सकल / शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर (2002—03)	उच्च प्राथमिक स्तर (2002—03)
1.	सकल नामांकन अनुपात	99.9	52.7
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	84.7	40.7

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002—03)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति :

क्रमांक	सूचकांक (2002—03)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से सलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	44.5	37.3	86.7	29.8	19.9
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	58	31	64	42.0	26

3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	55	33	24	41.0	17
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	24.9	0.0	0.0	4.9	0.0
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	35.1	48.0	80.0	21.9	12.1
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	22.6	28.6	0.0	43.1	0.0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002—03)

विद्यालयों की स्थिति :

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2002—03)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहुप्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	846	17	0	0	7	23
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	26	1	0	0	1	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	172	0	0	0	1	31
5.	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	11	1	0	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002—03)

कक्षाकक्ष की स्थिति

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2002–03)				
		कुल कक्षा – कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	2606	59.1	30.7	10.2	743
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	304	97.7	2.0	0.3	93
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	95	100.0	0.0	0.0	10
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	605	63.5	29.6	6.9	245
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	148	89.2	7.4	3.4	51

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	62	348	794	849	245	2	4	
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	3	46	163	99	0	0	36
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	4	6	10	0	0	18

4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	7	34	242	213	91	1	0	5
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	3	41	54	0	0	1
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	3	3	63	43	7	0	0	3

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक			पैराशिक्षक		
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला
1.	प्राथमिक विद्यालय	2461	1511	825	4	83	38
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	329	169	158	2	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	35	7	28	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	594	462	130	1	1	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	99	86	12	1	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति :

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	209	60	269	1	3	4
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	14	2	16	1	0	1

3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	4	4	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	57	13	70	2	0	2
5.	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	8	0	8	0	0	0

स्त्रोत : नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002–03)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति :

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	731	435	**1166**
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	229	90	**319**

1.13.0 प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

देश तथा समाज के लिये उपयोगी, कुशल तथा सुविकसित राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित एवं नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा का अद्वितीय भूमिका है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए संविधान–संशोधन द्वारा बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसी के अनुरुप बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे शैक्षिक हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर सार्वभौम गुणवत्तायुक्त शिक्षा की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौम नामांकन के लिए जहाँ जन, समुदाय में शिक्षा के महत्व एवं प्रासंगिकता के प्रति चेतना विकसित करने की आवश्यकता है वहीं बच्चों के पूर्णकालिक ठहराव के लिए विद्यालय में आकर्षक तथा उपर्युक्त अधिम वातावरण का निर्माण भी आपेक्षित है। रुचिकर, बोधगम्य तथा आनंदमयी अधिगम–अनुभवों के माध्यम से ही बच्चों में कक्षानुसार निर्धारित ज्ञान, कौशलों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक संदर्भ में भारत एक अत्याधिक महत्वपूर्ण देश है। एक ओर भारत में अभी तक बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं और बहुत से बच्चे ठोस रूप में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते है। यह भारत के सामने एक बड़ी चुनौती

है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक ओर भारत सरकार ने संविधान में संशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया वही इसके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए विभिन्न परियोजनायें संचालित की गई है लेकिन उसके बावजूद अनेक चुनौतियों तथा अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वभौम नामांकन तथा ठहराव के साथ ही गुणवत्ता सुधार हेतु व्यापक स्तर पर आन्दोलन संचालित किया जा रहा है जिसमें ग्राम, न्याय पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर के संसाधन केन्द्र एवं समितियाँ उल्लेखनीय योगदान कर रही है।

सभी के लिए शिक्षा की विश्वस्तरीय घोषणा में केवल शिक्षा तक पहुँच के विस्तार की आवश्यकता पर ही नहीं अपितु इस आश्वासन के महत्व पर भी बल दिया गया कि बच्चों तथा वयस्कों को दी जाने वाली शिक्षा उच्च गुणवत्तायुक्त हो। निस्सन्देह गुणवत्ता के संवर्द्धन में किसी न किसी प्रकार इसके मापन का आशय निहित है। इस प्रकार विगत दशक में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्द्धन करने में मूल्यांकन की भूमिका के संबंध में चेतना विकसित हुई है।

हाल ही में विकासशील देशों में किये गये मूल्यांकन सर्वेक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की सम्प्राप्तियों में अन्तर देशों के बीच पाये जाने वाले ऐसे अन्तरों की तुलना में कई गुना अधिक है । ऐसे में स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सतत् मूल्यांकन की क्षमता विकसित करने के संदर्भ में इस विषय पर गहन चिन्तन तथा यथोचित निर्णय करने की आवश्यकता है।

सभी के लिये शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार के सहायता से विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो कमरे जिनके सामने एक बरामदा भी हो तथा दो शिक्षक जिसमें कम से कम एक महिला हो। इसके अतिरिक्त खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिये पुस्तक एवं शिक्षण सहायक सामग्री, गणित एवं विज्ञान किट आदि भी उपलब्ध कराई गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर वर्ष 1990 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993–94 में भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा एस.ओ.पी.टी. कार्यक्रम संचालित किया गया। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं के विकास पर बल देना एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग की क्षमता में वृद्धि करना तथा शिक्षकों को बालकेन्द्रित उपागमों के अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।

वर्ष 1992 में यूनीसेफ के सहयोग से प्रदेश के दो विकास खण्ड के 217 ग्रामों में क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना संचालित की गई। इसके निम्नानुसार उद्देश्य निर्धारित किये गये–

- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय के जीवन और विकास से संबंधित उपायों का सहयोग।
- पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
- उन उपायों को विकसित करना जिनके द्वारा सामुदायिक सहभागिता सक्रिय हो सके।
- केन्द्र/राज्य सरकार और यूनीसेफ द्वारा विकास से संबंधित संसाधनों को सम्मिलित करना।

वर्ष 1993–2000 में प्रदेश के 10 जनपदों में (नये जनपद बनने के बाद इनकी संख्या 17 हो गई तथा प्रदेश के विभाजन के बाद इनकी संख्या 13 रह गई) में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित की गई जिसके कार्यक्रम घटक उपागम विस्तार, धारण प्रोत्साहन, गुणवत्ता संवर्द्धन, क्षमता निर्माण, नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण और अनुभव थे। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार थे–

- 6–10 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा 11–13 आयुवर्ग के 75 प्रतिशत बच्चों विशेषकर अपवंचित वर्गों के बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना तथा
- वर्ष 2000 तक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन और शिक्षा पूर्ण करने की दरों में वृद्धि करना।

इसके बाद वर्ष 1997 में प्रदेश के 22 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। तथा वर्ष 2000 में प्रदेश के 32 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये–

- 6–11 वय वर्ग के सभी बच्चों को शत प्रतिशत विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध कराना।
- सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के नामांकन, धारण तथा सम्प्राप्ति के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को 5 प्रतिशत तक कम करना।
- बेस लाइन सर्वे के आधार पर गणित तथा भाषा की सम्प्राप्ति में 25 प्रतिशत तक तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
- ड्राप आउट दर को 10 प्रतिशत तक कम करना अथवा धारण को 90 प्रतिशत तक बढ़ाना।

वर्तमान में प्रदेश के सभी 70 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है जिसके अन्तर्गत एक ओर प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा सभी बसाहटों में उपलब्ध कराने का

प्रयास किया जा रहा वही दूसरी ओर नामांकन, धारण एवं गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप लगाये गये। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है–

- सन् 2003 तक विद्यालयों, शिक्षागारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक और अन्य शिविरों में शामिल करना।
- सभी बच्चों द्वारा 2007 तक पाँच वर्षों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करना।
- सभी बच्चों द्वारा 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा पूरी करना।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को पाटना।
- 2010 तक शत–प्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में लखनऊ जनपद में जनशाला कार्यक्रम संचालित किया गया। इन कार्यक्रमों को जानने के लिये समय–समय पर मूल्यांकन किया गया। समय–समय पर सभी के लिये शिक्षा हेतु लागू की गई योजनाओं की क्या प्रगति हुई का एक साथ अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। इसीलिए प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि सभी के लिये शिक्षा के लिए समय–समय पर लागू किये गये विभिन्न कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियों तथा क्रियान्वयन की वर्तमान प्रगति क्या है।

1.14.0 प्रस्तुत शोध का कथन :

प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के लिये समय–समय पर प्रदेश में लागू की गई योजनायें अपने निर्धारित लक्ष्य में कहाँ तक सफल हुई है। इसके लिये विभिन्न योजनाओं की प्रगति को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष देखा गया है। इसके लिये प्रस्तुत अध्ययन का निम्नलिखित शीर्षक निर्धारित किया गया है –

"उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियाँ तथा क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन" ।

1.15.0 प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या :

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या निम्नानुसार है–

सभी के लिए शिक्षा कार्यकम :

'सभी के लिये शिक्षा' से तात्पर्य 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराना तथा उनके शत–प्रतिशत नामांकन एवं धारण क्षमता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने सम्बन्धी कार्यक्रम है।

प्रारम्भिक शिक्षा :

प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वयवर्ग के सभी बच्चों को 1–8 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने से है।

संकल्पना, रणनीतियां एवं क्रियान्वयन :

संकल्पना से तात्पर्य सभी के लिये शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट किये जाने से है, रणनीतियों का तात्पर्य प्रमुख हस्ताक्षेपों एवं प्रविधियों तथा क्रियान्वयन का तात्पर्य किसी योजना के लागू करने से है।

1.16.0 प्रस्तुत शोध के उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा तक सीमित रखते हुए अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये–

- प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण हेतु किये गये प्रयासों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना।
- सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर किये गये कार्यों पर प्रमुख शोध रिपोर्ट के निष्कर्षों का अध्ययन करना।
- विभिन्न योजनाओं के द्वारा 'सबके लिए शिक्षा' के अन्तर्गत हुई प्रगति विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में कठिनाइयों/बाधाओं का अध्ययन करना।
    - ❑ सार्वभौमीकरण
    - ❑ ड्रापआउट
    - ❑ सामाजिक आर्थिक विषमता
    - ❑ विकलांग बच्चों की शिक्षा
    - ❑ भौतिक संसाधन

1.17.0 परिकल्पनायें

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न शोध परिकल्पनाओं को लिया गया है–

- बच्चे के नामांकन की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- बच्चों के ठहराव की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- विद्यालय के भौतिक संसाधन की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- विद्यालय के शैक्षिक परिवेश की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।

अध्याय द्वितीय

प्रस्तुत शोध से संबंधित अध्ययन

अध्याय-द्वितीय

संबंधित साहित्य का अध्ययन

2.01.0 परिचय

केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सदियों में एकत्र किये गये ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मानव ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं– ज्ञान को एकत्र करना, एक दूसरे तक पहुँचाना और ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि वास्तविकता के समीप आने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है। व्यावहारिक रूप में तो धन की भाँति सम्पूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों तथा पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नये रूप में प्रारम्भ करता है । ज्ञान के विस्तृत भण्डार में उसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गये प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। शोध–कर्त्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है अथवा नहीं।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिये शोध–कर्त्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भाँति अवगत होना चाहिये। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप को प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य का पुनर्निरीक्षण करना होता है। 'साहित्य के समीक्षा' में दो शब्द हैं– 'साहित्य' और 'समीक्षा'। साहित्य शब्द परम्परागत अर्थ से विभिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है जैसे– हिन्दी साहित्य, आंग्ल साहित्य, संस्कृत साहित्य। इसकी विषय–वस्तु के अन्तर्गत गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि आते हैं। अनुसंधान विधि में साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और शोध अध्ययन आते हैं । 'समीक्षा' शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना है कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होगा। साहित्य की समीक्षा का कार्य अत्यन्त सृजनात्मक एवं थकाने वाला होता है । क्योंकि शोधकर्त्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिए प्राप्त ज्ञान को विलक्षण रूप से एकत्र करना होता है।

'समीक्षा' और 'साहित्य' दोनों शब्दों का ऐतिहासिक विधि में बिल्कुल भिन्न अर्थ है। ऐतिहासिक शोध में शोध–कर्त्ता को प्रकाशित तथ्यों के पुनर्निरीक्षण की अपेक्षा बहुत कुछ स्वयं करना होता है, वह ऐसी नई जानकारी को खोजने और एकत्र करने का प्रयास करता है जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई और न ही जिस पर कभी विचार हुआ। सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध की तुलना में ऐतिहासिक शोध में 'साहित्य की समीक्षा' में उपलक्षित विचार और प्रक्रिया के भिन्न अर्थ है। किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है, जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान

किये गये ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ होते हैं तो हमारा कार्य सम्भवतया तुच्छ और प्रायः उस कार्य की नकल मात्र ही होता है जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा चुका है।

सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में साहित्य की समीक्षा तथ्यों को एकत्र करके पहले से ही तैयार किये गये कार्यों की विभिन्नता को प्रदान करता है। इन शोध विधियों में साहित्य का पुनर्निरीक्षण, नये विषयों में एकत्र किये गये नये तथ्यों से किये जाने वाले नये अध्ययनों के लिए अतीत से प्राप्त सन्दर्भों को जानने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक विधि में हम अतीत को कभी भी अस्वीकार नहीं करते और उसमें साहित्य की समीक्षा ही तथ्यों को एकत्र करने की विधि है। इस सन्दर्भ में प्रयुक्त किये गये साधन शोध के 'आधार' तथा पुनर्निरीक्षित की गयी सामग्री 'तथ्य' होते है। अतः ऐतिहासिक शोध में साहित्य के पुनर्निरीक्षण का प्राथमिक कार्य शोध तथ्य प्रदान करना है।

साहित्य के पुनर्निरीक्षण के दो पक्ष होते है। प्रथम पक्ष के अन्तर्गत, समस्या क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री को पहचानना तथा जिस भाग से हम पूरी तरह अवगत नहीं है उसको पढ़ना आता है। हम उन विचारों और परिणामों का विकास करते हैं जिनके आधार पर हमारा अध्ययन किया जायेगा। साहित्य के पुनर्निरीक्षण के द्वितीय पक्ष में शोध अभिलेख के भाग में इन विचारों को लिखना निहित है। यह भाग शोधकर्त्ता और पढ़ने वाले दोनों के लिए लाभकारी है। शोधकर्त्ता के लिये यह उस क्षेत्र में भूमिका स्थापित करता है। पढ़ने वालों के लिए यह विचारों और अध्ययन के लिए आवश्यक शोधों का सारांश प्रस्तुत करता है।

2.02.0 साहित्य के समीक्षा की आवश्यकता :– साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है–

- शोधकार्य की योजना बनाने में प्रारम्भिक पदों में से एक रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों की समीक्षा करता है, इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्त्ता को एक दिशा का संकेत देता है।
- प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों द्वारा किये गये अपनी समस्या से सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भली–भाँति अवगत हो। वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षा समझा जाता है।
- यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है, शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। शोधकर्त्ता साहित्य के पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद–विवाद किया जा सकता है।

साहित्य का पुनर्निरीक्षण व्याख्या की जाने वाली समस्या की पूरी तस्वीर प्रकट करता है। उस क्षेत्र के साहित्य के पुनर्निरीक्षण के द्वारा क्षेत्र के पाण्डित्य विकसित किया जा सकता है।

2.03.0 साहित्य के पुनर्निरीक्षण के उद्देश्य : शोध कार्य में साहित्य की समीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- यह सिद्धान्त विचार व्याख्यायें अथवा परिकल्पनायें प्रदान करता है जो नयी समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते है।
- यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोध–कर्त्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पनायें बना सकता है।
- यह समस्या के समाधान के लिए उचित विधि, प्रक्रिया, तथ्यों के साधन और सांख्यिकी तकनीक का सुझाव देता है।
- यह परिणामों के विश्लेषीकरण के उपयोगी निष्कर्षों और तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है। सम्बन्धित अध्ययनों से निकाले गये निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है और यह समस्या के निष्कर्षों के लिए उपयोगी हो सकता है।
- यह शोध किये गये क्षेत्र में शोधकर्त्ता की निपुणता और सामान्य पाण्डित्य को विकसित करने में सहायक होता है।

ब्रूस डब्ल्यू0 टाकमन (1978) ने समीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताये है–

- महत्वपूर्ण चरों को खोजना।
- जो हो चुका है उससे जो करने की आवश्यकता है उसको पृथक करना।
- शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिए अध्ययनों का संकलन करना।
- समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका सम्बन्ध और प्राप्त अध्ययनों से इसके अन्तर को निर्धारित करना।

साहित्य का पुनर्निरीक्षण पूर्व अध्ययनों की सीमायें और महत्वपूर्ण चीजों के सन्दर्भ में अर्न्दृष्टि प्रदान करता है। यह उसकी अपने शोध में सुधार करने योग्य बनाता है।

साहित्य की समीक्षा के माध्यम से हम निम्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते है।

- विचारणीय शोध के लिए निर्देशों अथवा सन्दर्भों की धारणाओं को र्निमित करना।
- समस्या क्षेत्र के शोध की वस्तुस्थिति को समझना।
- शोध विधियों और तथ्यों के विश्लेषीकरण को आधार प्रदान करना।
- विचारणीय शोध की सफलता और निष्कर्षों की उपयोगिता अथवा महत्ता की सम्भावना को आंकना।

- शोध की परिभाषाओं, कल्पनाओं, सीमाओं और परिकल्पनाओं के विश्लेषीकरण के लिए आवश्यकता विशिष्ट जानकारी देना।

2.04.0 शोध से सम्बन्धित किये गये अध्ययन : प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयन के पूर्व विभिन्न शोध प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया। अध्ययन के अवलोकन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार के शोध कार्य बहुत कम हुए है जो भी शोध कार्य हुए है वे वर्तमान आवश्यक की पूर्ति नहीं करते है। आज 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान प्रगति क्या रही जानना वर्तमान की आवश्यकता है । शोधकर्ता द्वारा कुछ किये गये अध्ययन कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

- **कुलहमान केरोन (1985)** ने प्राथमिक दक्षता परीक्षण परिणामों का प्राथमिक विद्यालयों की संगठनात्मक विशेषताओं व विद्यार्थियों की विशेषताओं के साथ संबंध का अध्ययन किया। इस हेतु कक्षा 2, 3 व 4 के 1986 व 1982 वर्ष में सभी विद्यार्थियों का दक्षता परीक्षण किया गया। शोध का उद्देश्य यह ज्ञात करना था क्या विद्यालयों की संगठनात्मक संरचना व विद्यार्थियों की विशेषताओं का दक्षता परीक्षण के प्राप्तांकों पर कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं। इस हेतु चार प्रकार के विद्यालय चुने गये जिनसे विभिन्न परिवारों के विद्यार्थियों को लिया गया। इनसे (1) एक माता–पिता व दो माता–पिता वाले (2) दोपहर का भोजन मुफ्त, आधी कीमत व पूरी कीमत चुकाकर करने वाले विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों कि गणित पठन की दक्षताओं की जाँच की गई तथा यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कक्षा 2 के पठन के प्राप्तांक व गणित के प्राप्तांकों पर विद्यालय–विद्यार्थी की विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है। मल्टीपल रिग्रेशन एनालसिस द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्यालय के संरचनात्मक संगठन व विद्यार्थियों की विशेषताओं का विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की पठन व गणित की दक्षताओं के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं है।
- **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद** के तकनीकी निर्देशन तथा सहयोग के अन्तर्गत डॉ. दबे (1988) ने प्राथमिक स्तर पर छात्र उपलब्धि का अध्ययन किया। इसे 15 राज्यों में प्रारम्भ किया गया तथा इसके प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य के 30 विद्यालयों को इस कार्य के लिए चुना गया। 1980–84 के दौरान लगभग 2,480 विद्यालयों जिसमें लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। इस परियोजना के उद्देश्य विद्यार्थियों के नामांकन ठहराव का अध्ययन करना, विद्यार्थियों में न्यूनतम अधिगम स्तर जिस सीमा तक विकसित होते है उसे सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थी, विद्यालयी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का न्यूनतम अधिगम स्तरों के भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के छात्र उपलब्धि के साथ संबंध देखना।

इस अध्ययन के समग्र परिणाम इस प्रकार थे–

- कुछ पूर्ववर्ती चर प्राथमिक स्तर पर छात्र उपलब्धि में सार्थक रूप से संबंधित पाये गये।
- यह भी देखा गया कि कक्षा 1 में भाषा में छात्र उपलब्धि बहुत अच्छी है तथा कक्षा 3 में न्यूनतम से अच्छी है एवं कक्षा 4 में न्यूनतम है।
- इसी प्रकार पर्यावरण विज्ञान में कक्षा 1 तथा 2 में दो विद्यार्थियों की बहुत ही अच्छी थी तथा कक्षा 4 में सामान्य से नीचे।

- **डेम्बी (1986)** ने गेरी व इंडियाना सामुदायिक विद्यालयों की न्यूनतम दक्षता परीक्षण का व्यक्तिक अध्ययन" किया। फरवरी, 1974 में शिक्षार्थियों में पठन, गणित, लेखन व मौखिक अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर अर्जित करने हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे हाईस्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता बताया गया। अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि यदि उचित परिस्थितियों में प्रारम्भ से ही निदानात्मक परीक्षण कराये जाये तो सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है। अध्ययन से यह भी निष्कर्ष सामने आया कि न्यूनतम दक्षता परीक्षण में "गेरी पब्लिक स्कूल" अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा।

- **कोइन (1998)** ने पठन, गणित में न्यूनतम दक्षता परीक्षण पर विद्यार्थियों की विशेषताओं का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के संचयी अभिलेख का उपयोग किया। इसके लिए जाति, लिंग, माता–पिता का व्यवसाय, मानसिक योग्यता, उपस्थित व उनकी उपलब्धि ग्रेड में तथा स्ऐनफोर्ड का पठन व गणित निष्पति परीक्षण आदि चरों का उपयोग किया गया। इस अध्ययन हेतु दो विद्यालयों के कक्षा 8 के 234 शहरी मध्यम वर्ग के शिक्षार्थियों को शोध कार्य हेतु न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। डिसक्रिमेंट एनालिसिस फंक्सन प्रविधि द्वारा पाया गया कि पठन परीक्षण दक्षताओं के सदस्यों की शुद्धता 88.2 प्रतिशत जबकि गणित परीक्षण में शुद्धता 84.2 प्रतिशत पाई गयी। परिणाम यह प्रदर्शित करते है कि दक्षता परीक्षणों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में दक्षतायें उच्च अंश तक विद्यमान है।

- **चौहान (1989)** ने प्रमापीकृत गणित दक्षता परीक्षण व लिंग का संबंध ज्ञात किया। यह पता लगाया गया कि चूँकि विश्वविद्यालय स्तर पर स्त्री, पुरुष की गणित की दक्षताओं में काफी अंतर है। अतः गणित की दक्षताओं पर महाविद्यालय की श्रेणी महाविद्यालय का चयन व नागरिकता के प्रभाव का भी अध्ययन किया। अध्ययन में अंक गणित व बीज गणित की दक्षताओं में स्त्रियों व पुरुषों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

- **इक्का (1990)** ने उड़ीसा में स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के विकास का अध्ययन किया। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 73.48 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर

कक्षा छोड़ देते हैं। प्राथमिक स्तर पर 12.44 प्रतिशत तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 15.89 प्रतिशत रूद्धता है और 13.5 प्रतिशत शिक्षा इनमें पाई जाती है। शिक्षा में कमी का मुख्य कारण इनके लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजना का अपनी शिक्षा के लिये लाभ न उठाना है।

- **भंडारी सुधेशना (1998)** ने बच्चों के दर्ज एवं ठहराव पर मध्यान्ह भोजन के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके लिए सीतापुर जनपद के तीन विकास खण्डों का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजना योजना लागू है वहॉ पर बच्चों के दर्ज एवं ठहराव के परिणाम बहुत अच्छे पाये गये ।

- **अग्रवाल रीना (2002)** ने परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक की भूमिका का अध्ययन किया। इसके लये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का चयन किया गया। इसके अन्तर्गत 31 प्रधानाध्यापक, 46 शिक्षक (18 पुरुष, 28 महिला), 62 समुदाय के सदस्य एवं 33 पर्यवेक्षकों से जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये—
  - महिला शिक्षिका समुदाय को विद्यालय से जोड़ने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं करती है।
  - महिला शिक्षिका पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की कार्यशालाओं एवं सेमीनार में सहभागिता नहीं करती।
  - सिर्फ 50 प्रतिशत महिला शिक्षिका, शिक्षक संदर्शिका का विद्यालय की समस्या के समाधान में उपयोग करती है।
  - शिक्षिकायें बच्चों की समस्याओं को हल करने में कठिन परिश्रम करती है। अधिकतर महिलायें विद्यालय समय में व्यक्तिगत कार्य करती है।
  - प्रधानाध्यापक, पर्यवेक्षक, पुरुष शिक्षक एवं समुदाय के सदस्यों के अनुसार महिला शिक्षिक, शिक्षण की नई तकनीकी को जल्दी से अपनाती है। वे पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा बच्चों को नियंत्रित करने में ज्यादा सक्षम होती है।
  - 93 प्रतिशत महिला शिक्षिक अपनी नियुक्त दूरस्त क्षेत्रों में नहीं चाहती है।

- **दवे, अंजली; मेहरोत्रा, निशी; रस्तोगी, राधा एवं भटनागर, सुमन (2001)** ने आदर्श संकुल विकास उपागम के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बदायूँ, गोण्डा एवं बाराबंकी जनपद का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये—
  - आदर्श संकुल विकास उपागम (डब्ब।) के माध्यम से समुदाय एवं शिक्षा विभाग में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखने को मिला।

- बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में दोगुनी वृद्धि हुई।
- आदर्श संकुल विकास उपागम को सफल बनाने में समुदाय के साथ–साथ महिला प्रेरक समूहों की प्रभावशाली भूमिका रही है।
- अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है।

- **गरिया, पी.एस. (2002)** ने बी.आर.सी., संकुल स्त्रोत केन्द्र, एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिये जा रहे शैक्षिक सहयोग की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत एवं हरदोई जिले का चयन किया गया। न्यादर्श के रूप में 2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 विकास खण्ड स्रोत केन्द्र, 32 संकुल स्रोत केन्द्र तथा 80 विद्यालयों के 174 शिक्षकों को लिया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - जिला हरदोई की बी.आर.सी. ने शिक्षकों में माइक्रोप्लानिंग के प्रति जागरुकता पैदा की है।
  - हरदोई जिले के संकुल स्रोत केन्द्र, पीलीभीत जिले के संकुल स्रोत केन्द्रों की अपेक्षा प्रभावी संचालित नहीं है। वे पर्याप्त शैक्षिक सहयोग प्रदान नहीं कर रहे है।
  - जिले के कुछ बी.आर.सी. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार कुछ संकुल, बी.आर.सी. के सहयोग से संतुष्ट नहीं है।
  - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कम स्टाफ होने के कारण पर्याप्त सहयोग प्रदान नहीं कर पाते है। वे शिक्षक, बी.आर.सी. एवं संकुल स्रोत केन्द्र को निमंत्रित करने में असमर्थ पाये गये।
  - 50 प्रतिशत शिक्षक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्लॉक शैक्षिक संस्थान केन्द्र (बी.आर.सी.) एवं संकुल स्रोत केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले सहयोग से संतुष्ट नहीं पाये गये।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (2000)** ने कक्षाकक्ष का अवलोकन कर कक्षा में संचालित होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में संचालित बेसिक शिक्षा परियोजना के जिलों को लिया गया। अध्ययन में शिक्षक एवं बच्चों के बीच आदर का भाव देखने को मिला। शिक्षक एवं बच्चे शिक्षण के दौरान विषयवस्तु पर चर्चा करते है। अधिकतर विद्यालयों में कक्षा–कक्ष के अन्दर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया सहभागिता आधारित देखने को मिली।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (2000)** ने बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना की प्रगति को जानना था। इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन प्रदेश के 12

बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित जिलों में किया गया। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

- 10 जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया।
- शहरी, ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के उपलब्धि स्तर एवं अन्य बच्चों के उपलब्धि स्तर के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से कम पाया गया।
- बालक एवं बालिकाओं दोनों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया।

- **शर्मा, ए.के. पूर्व निदेशक (एन.सी.ई.आर.टी.) (2000)** ने शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर एवं फिरोजाबाद जनपद का चयन किया गया। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - शिक्षक प्रशिक्षण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई तथा उनकी उपस्थिति नियमित हुई।
  - शिक्षक शिक्षण के दौरान अपने पूर्व ज्ञान का अधिक प्रयोग करते है।
  - शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री को कक्षा एवं विषयवार व्यवस्थित करते है।
  - शिक्षक एवं बच्चों के संबंधों के बीच अधिकतर औपचारिकता रहती है। शिक्षक बच्चों को शिक्षण के दौरान कम प्रतिभागिता कराते है।

- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) (2000)** ने बेसिक शिक्षा परियोजना के 6 जनपदों में ड्रापआउट का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये उधमसिंह नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, बाँदा, इलाहाबाद एवं बाराबंकी का चयन किया गया। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - सभी जिलों के कोहार्ट ड्राप आउट दर में कमी आई है। (वर्ष 1992 में कोहार्ट ड्रापआउट दर 34.1 प्रतिशत थी जो 1998 में 31.8 प्रतिशत हो गई)।
  - वर्ष 1998–99 में सबसे अधिक ड्राप आउट दर अलीगढ़ जनपद (34.8 प्रतिशत) और वाराणसी (35.1 प्रतिशत) तथा सबसे कम उधमसिंह नगर (28.2 प्रतिशत) पाई गई।
  - वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 के आंकड़ों के अनुसार रिपीटीशन एवं ड्राप आउट की गणना करने पर 28 से 35 प्रतिशत बच्चे कक्षा 5 पहुँचते–पहुँचते विद्यालय छोड़ देते है।
  - वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 के बीच कोहार्ट ड्रापआउट दर में कमी आई। अलीगढ़ जनपद में सबसे अधिक (45.4 प्रतिशत से 34.8 प्रतिशत) कमी आई।

- सभी 6 जिलों में बालक एवं बालिकाओं के कोहार्ट ड्राप आउट में कोई खास अन्तर (बालक 32.0 प्रतिशत बालिका 31.4 प्रतिशत) देखने को नहीं मिला।
- अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के बच्चों के बीच ड्राप आउट में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिला।
- कक्षा 1 में रिपीटीशन दर सबसे अधिक तथा कक्षा 5 में सबसे कम पाई गई। सभी जिलों में कक्षावार रिपीटीशन दर कक्षा 1 से 5 में क्रमशः 9.7 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत पाई गई।
- सहारनपुर जनपद में कक्षा 1 में सबसे अधिक 16.0 प्रतिशत रिपीटीशन दर पाई गई जबकि वाराणसी जनपद में सबसे कम 4.4 प्रतिशत पाई गई।
- जाति वार रिपीटीशन दर में खास अन्तर नहीं पाया गया।
- 39.7 प्रतिशत विद्यार्थी 5 वर्ष में कक्षा पास करते है।
- सकल नामांकन अनुपात में सभी जिलों में वृद्धि हुई। (वर्ष 1997–98 में सकल नामांकन अनुपात 98.5 प्रतिशत तथा वर्ष 1999–2000 में 106.8 प्रतिशत)। लड़कों का सकल नामांकन अनुपात लड़कियों की तुलना में अधिक है। शुद्ध नामांकन अनुपात में भी वृद्धि हुई।

- **श्रीवास्तव, मयंक (2002)** ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का नामांकन एवं ठहराव पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया। इसके लये उत्तर प्रदेश के एटा एवं रामपुर जनपद का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणोरान्तर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है। बालिकाओं के नामांकन में बालकों की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई।
  - पिछड़े गाँवों में पाठ्यपुस्तक के वितरण का प्रभाव अन्य गाँव की तुलना में अधिक देखने को मिला। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई।
  - सामाजिक दृष्टि से पिछड़े गाँव के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण से नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है।
  - 83.5 प्रतिशत अभिभावक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मिलने संबंधी जानकारी से परिचित है।
  - 86 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार पुस्तकों के मिलने से बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा अभिभावक खुश है।

- **श्रीवास्तव, टी.के.; अहूजा, सुनीशा; गुप्ता प्रतिभा दास एवं झा, प्रभात (2000)** ने वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के चार जिलों

मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थ नगर का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

- बालशाला और आवासीय शिविरों में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सका है।
- वैकल्पिक केन्द्रों में बालिकाओं की संख्या बालकों के समान है (48.2 प्रतिशत)।
- वैकल्पिक केन्द्रों में अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया है।
- एक बड़ी संख्या में इन केन्द्रों से बच्चे औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। पूर्वोल्लिखित चार जनपदों से तीन हजार बच्चे औपचारिक विद्यालयों में आ चुके हैं। इनका नामांकन कुल बच्चों का 16 प्रतिशत है।
- समुदाय ने इन केन्द्रों के प्रति संतोष व्यक्त किया है और इनकी सफलता के कारण केन्द्रों की प्रशंसा की है।
- नीतिगत निर्णय के अनुसार इन केन्द्रों में अधिकांश महिला अध्यापिकाएं हैं परन्तु अध्यापकों ने समय से वेतन न मिलने पर असंतोष व्यक्त किया है और सम्बन्धित अभिकरणों का पूर्ण सहयोग न मिलने पर चिन्ता प्रकट की ।
- अधिकतर अध्यापक उसी गाँव के रहने वाले हैं जहाँ ये वैकल्पिक केन्द्र स्थित है, जिससे ये केन्द्र समय से खुलते हैं। यदि अध्यापक न आये तो दूसरे व्यक्ति को शिक्षण कार्य में लगा लिया जाता है।
- सभी अध्यापकों ने दो बार सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब इनके लिए बारह दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण भी दिया गया है।
- कक्षा 2 के बालकों का सम्प्राप्ति स्तर बालिकाओं के स्तर से अच्छा देखने को मिला।

- **चालम, के.यस. (2000)** ने अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय भेजने में प्रोत्साहन की स्थिति का अध्ययन किया। इसके लिये आन्ध्रप्रदेश के 19 जिलों के विद्यालय जाने एवं न जाने वाले बच्चों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

    - 90 प्रतिशत ग्रामीण दलित बच्चों को विद्यालय में मिलने वाली प्रोत्साहन योजना से परिचित नहीं है।
    - कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे कक्षा 1 में नामांकन के बाद कक्षा 7 तक पहुँच जाते है।

- विद्यालय स्तर की गणित से ग्राम शिक्षा समिति आदि के दलित समुदाय के लोग परिचित नहीं है।
- छः जनपदों महबूब नगर, निजामबाद, अहिलाबाद, मेडक, विजियानगरम और नेलोटे में अनुसूचित जाति के बच्चों का कम नामांकन एवं उच्च ड्रापआउट दर पाई गई।

- **रेड्डी, जी.नरसिम्हा (2000)** ने विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये नेल्लोरे जिले के 10 शहरी, ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन के निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए है–
  - 50 प्रतिशत विद्यालयों के समिति के सदस्य विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान के उपयोग से परिचित नहीं है।
  - 35 प्रतिशत विद्यालय समिति के सदस्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई मार्गदर्शी अनुदान संबंधी नियम के परिचित नहीं है।
  - समय पर अनुदान विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराई जाती।
  - अधिकतर विद्यालयों में अनुदान राशि का उपयोग अलमारी, कुर्सी, टेबिल आदि के क्रय पर उपयोग करते है।
  - 80 प्रतिशत समिति के सदस्य समझते है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुदान को उपयोग करने का दायित्व है।
  - 30 प्रतिशत विद्यालय समिति के सदस्यों के अनुसार अनुदान राशि से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में सुधार हुआ है तथा कक्षाकक्ष शिक्षण के लिये आकर्षक हुए है।
  - 50 प्रतिशत प्रधानाध्यापक विद्यालय सुविधा के लिये उपयोग किये जाने अनुदान की कोई योजना नहीं बनाते है।
  - 33 प्रतिशत अर्द्ध शहरी तथा 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाध्यापक अनुदान राशि के उपयोग का कैशबुक एवं भण्डारण पंजी रखते है।
  - 40 प्रतिशत शिक्षक अनुदान की राशि की उपयोग की कोई योजना नहीं बनाते है।
  - 50 प्रतिशत शहरी तथा 33 प्रतिशत ग्रामीण शिक्षक ने वर्ष 97–98 में आवश्यक सामग्री का क्रय किया।
  - अधिकतर शिक्षकों के अनुसार अनुदान राशि से बच्चों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि हुई है।
  - सिर्फ 20 प्रतिशत शिक्षक सभी विषयों के लिये अनुदान का उपयोग करते है।

- **शर्मा, एम.यस. (2000)** ने ग्राम शिक्षा समिति की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। इसके लिये आन्ध्र प्रदेश के विजियन नगरम जिले को न्यादर्श के रूप में लिया गया।

इसके लिय 3 मण्डल के 11 ग्रामों का चयन किया गया। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक से जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

- समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति काफी अच्छी रहती है।
- आदिवासी एवं शहरी क्षेत्रों में महिला सदस्यों की संख्या विद्यालय समिति में अधिक है।
- बच्चों की उपस्थिति पर मुख्य रूप से विद्यालय समिति की बैठक में चर्चा की जाती है।
- आदिवासी क्षेत्रों में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ड्रापआउट दर पर मुख्य रूप से चर्चा की जाती है।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य साफ–सफाई तथा बच्चों की नियमितता पर चर्चा की जाती है।
- समिति के सदस्य समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक एजेण्डा बिन्दुओं की चर्चा में महत्व देते है।
- समिति के सदस्य सहभागिता को बैठक के दौरान बढ़ाव देते है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहभागिता काफी अच्छी है।
- प्रधानाध्यापक बैठक की कार्यवाही विवरण को लिखता है।

- **सीथारमन, निर्मला (2000)** ने आन्ध्रप्रदेश के कामकाजी बच्चों पर अध्ययन किया। इसके लिये खतरनाक उद्योगों, कृषि मजदूरी, घरेलू कार्य, मजदूरी आदि में लगे प्रदेश के 19 जिलों पर किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - 33 प्रतिशत पिछडी जाति 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति 18 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति एवं 27 प्रतिशत अन्य जाति के अभिभावकों के अनुसार 69 प्रतिशत बच्चे कृषि कार्य से संलग्न है।
  - 76 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार वे बिना किसी प्रोत्साहन राशि के भी विद्यालय भेजना चाहते है। 55 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार प्रोत्साहन राशि बच्चों को विद्यालय भेजने के लिये अभिभावकों को प्रोत्साहित करती है तथा वे घर की वित्तीय समस्या को कम करने में सहयोग प्रदान करती है।
  - अधिकतर विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों कें अनुसार वे गरीबी के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। 85 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार

बच्चों को विद्यालय भेजने से उनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने की बात कहते है, जबकि 63 प्रतिशत अभिभावक प्रोत्साहन राशि के बारे में जानते ही नहीं है।

- शिक्षक बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर बच्चों को विद्यालय लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
- 78 प्रतिशत कामकाजी बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को कामकाज से अलग नहीं करना चाहते है।
- अधिकतर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के कर्मचारी हाईस्कूल स्तर के है तथा कम समय का प्रशिक्षण प्राप्त है।
- कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में बच्चों का नामांकन कम है।

- **कौर रंदीप एण्ड देका, यू. (2000)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये असम राज्य के दरंग और मोरिगाँव जिलों का चयन किया गया। अध्ययन 63 विद्यालय के 1045 बच्चों पर किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - विद्यालयों में सामग्री की उपलब्धता के बावजूद शिक्षण अधिगम सामग्री का विद्यालय में उपयोग नहीं होता है।
  - शिक्षक कक्षाकक्ष में जाने के पूर्व किसी प्रकार की योजना नहीं बनाते है।
  - विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में स्थान है। उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ 3 विद्यालयों में मिला।
  - बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था दोनों जिलों के विद्यालयों में देखने को मिली।
  - उपलब्धि स्तर लक्ष्य से काफी कम है।
  - गणित शिक्षण की विधि पारम्परिक तथा शिक्षक केन्द्रित है। विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन शिक्षण को पुस्तक के माध्यम से कराया जाता है।
  - अधिकतर बच्चे शिक्षक और विद्यालय के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखते है।
- **शर्मा, निर्मला; नाथ, एन. ककोत्य; यस. फूकनम और गोस्वामी, जी. (2001)** ने कक्षा 1 में नामांकन के ह्रास के कारणों का अध्ययन किया। इसके लिये असम राज्य के मोरिगाँव जिले के 40 विद्यालयों के 40 गाँव के 400 घरों से तथा 110 शिक्षकों से जानकारी अध्ययन हेतु एकत्र की गई। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - वर्ष 1997–98 की तुलना में नामांकन का ह्रास 2000 में अधिक हुआ (वर्ष 1999 में 9.2 प्रतिशत वर्ष 1999–2000 में 18 प्रतिशत)

- अशासकीय विद्यालयों की तत्पर्यता एवं भौतिक संसाधन ही शासकीय विद्यालयों में नामांकन ह्रास का कारण पाया गया।
- कक्षा 4 के 40–60 प्रतिशत शिक्षक, शिक्षण–अधिगम सामग्री का निर्माण करते है जबकि कुछ ही शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते है।
- 60–70 प्रतिशत शिक्षक एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते है।
- 50–70 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित होने में रुचि नहीं लेते है और 30–50 प्रतिशत सहयोग एवं नियमित उपस्थिति के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण रखते है।

- **बोरा, हरेन कुमार (2000)** ने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की शिक्षण विधि की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। इसके लिये मोरी गाँव जिले के 2 विकास खण्ड के 9 संकुल स्रोत केन्द्र के 30 विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - अधिकतर शिक्षक पर्यावरण अध्ययन की नई शिक्षण विद्या के प्रति धनात्मक विचार रखते है।
  - बच्चे प्रकृति अध्ययन के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि रखते है।

- **ब्रह्म कामेश्वर (2001)** ने वैकल्पिक शिक्षा की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये असम राज्य के कोकराझार एवं बोनगैगाँव जिले के 5 विकासखण्ड के 22 संकुल स्रोत केन्द्र के 22 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में भौतिक संसाधन यथा भवन, टेबिल कुर्सी आदि की स्थिति बहुत ही दयनीय है।
  - शौचालय एवं पीने के पानी की सुविधा का अभाव है जबकि खेल के मैदान की पर्याप्त सुविधा है।
  - बच्चों के लिये पाठ्यपुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में पर्याप्त है।
  - शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता नगण्य है।
  - ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति जबावदेह नहीं है।

- **मो. अहमद, जाफर अली (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये असम राज्य के बोनगैगाँव जिले के 5 विकासखण्ड के 41 विद्यालयों के 1000 विद्यार्थियों का चयन किया। अध्ययन कक्षा 2 एवं 4 के विद्यार्थियों पर किया गया। कक्षा 4 के 464 विद्यार्थियों में से 260 बालक एवं

204 बालिकायें तथा कक्षा 2 के 646 विद्यार्थियों में से 309 बालक तथा 337 बालिकायें थी। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

कक्षा 2 की उपलब्धि

- बालिकाओं का उपलब्धि स्तर अक्षर एवं शब्द पढ़ने में बालकों की तुलना में सार्थक अधिक पाया गया।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का अक्षर एवं शब्द पढ़ने में उपलब्धि स्तर अच्छा पाया गया।
- बालक एवं बालिकाओं का प्राप्तांक, नम्बर पहचानने, जोड़ एवं घटाने में समान पाया गया।
- अनुसूचित जाति के बच्चों का प्राप्तांक, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की तुलना में अच्छा पाया गया।

कक्षा 4 की उपलब्धि

- बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के आधार पर भी उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- बालकों के उपलब्धि का प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में अधिक था लेकिन अन्तर सार्थक नहीं पाया गया।
- लगभग 80 प्रतिशत शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के उपलब्धि का प्राप्तांक उत्तीर्ण अंक तक ही पाया गया।

- **मो0 अहमद, जाफर अली (2000)** ने शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। इसके लिये असम प्रदेश के बोनगैगाँव जिले के 5 विकासखण्ड स्रोत केन्द्र के 91 संकुल स्रोत केन्द्र के 1321 शिक्षकों का चयन किया। अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 के 90 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते है, लेकिन 60–70 प्रतिशत शिक्षक इसको कक्षा–कक्ष में उपयोग करते है।
- **तिवारी, युगल किशोर (2002)** ने शिक्षागारंटी स्कूल के शिक्षकों की दक्षता का अध्ययन किया। इसके लिये छत्तीसगढ़ जिले के राजनंदगांव जिले के 10 विकास खण्ड के 100 शिक्षकों का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - 33 प्रतिशत शिक्षा गारंटी विद्यालय शिक्षक अवश्य योग्यता को पूरा नहीं करते है।
  - स्थानीय शिक्षक पाठ्यक्रमीय क्षेत्र में काफी कमजोर है।

- **अमीन, पी.जे. (2000)** ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। अध्ययन गुजरात राज्य जिला पंचायत एवं अशासकीय प्रबंधन द्वारा संचालित विद्यालयों पर किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - अधिकतर शिक्षकों के अनुसार न्यूनतम अधिगम आधारित शिक्षण ने कक्षा शिक्षण की कठिनाइयों को दूर किया है। शिक्षकों का न्यूनतम अधिगम स्तर के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला।
  - शिक्षक अंग्रेजी एवं गणित शिक्षण पर और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते है।
- **भट्ट, हिरेन (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये गुजरात राज्य के भावनगर के जिलों के सभी 938 कक्षा 6 पढ़ाने वाले शिक्षकों पर किया गया। अध्ययन में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के प्रति शिक्षकों का धनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला।
- **चौधरी, बी.पी. (2000)** ने आनंददायी सिखाने का कक्षा 1 के विद्यार्थियों की उपस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन गुजरात राज्य के 225 विद्यालयों पर किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।
  - वर्ष 1994 के नामांकन के सापेक्ष 1997 में 20 प्रतिशत अधिक नामांकन हुआ।
  - 72 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार आनंददायी शिक्षण बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है।
- **जोशी, जे.बी. (2000)** ने प्राइमरी शिक्षक का सेवारत शिक्षण–प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिये गुजरात राज्य के बनस्कन्था जिले के 280 शिक्षकों पर अध्ययन किया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।
  - प्रशिक्षण का समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक पर्याप्त समय है।
  - नवाचारात्मक गतिविधि तथा नवाचारात्मक तरीकों को अपनाने से प्रशिक्षण ज्यादा उपयोगी हो जाता है।
  - प्रशिक्षण उपरान्त उसका फीडबैक लेना आवश्यक है।
  - समूह चर्चा को सबसे अधिक प्रशिक्षण में महत्व देना चाहिये।
- **पाण्डेय, छाया ए. (2000)** ने संकुल स्रोत केन्द्र समन्वय का शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया। अध्ययन गुजरात राज्य के सूरत जिले के 236 संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयकों पर किया गया। अध्ययन में पाया गया कि लोक सहयोग के प्रति संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयकों का धनात्मक दृष्टिकोण पाया

गया । जेण्डर एवं अनुभव का सार्थक प्रभाव देखने को नहीं मिला । उनकी योग्यता का सार्थक प्रभाव उनके दृष्टिकोण पर दिखाई पड़ा।

- **साहू वैशाली (2000)** ने संकुल स्रोत समूह को कक्षा 6 के विज्ञान विषय पर दिये गये प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये गुजरात राज्य के सूरत जिले के 236 संकुल स्रोत समूह का चयन किया गया। अध्ययन में प्रशिक्षण को बहुत ही उपयोगी तथा प्रभावी पाया गया।

- **बोहरा, एस.एन. (2000)** ने डायट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पर प्राइमरी शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन के लिये गुजरात राज्य के 195 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को लिया गया। शिक्षकों के अनुसार समूह चर्चा से शिक्षकों में सहयोग की भावना का विकास हुआ है जबकि जेण्डर के अनुसार प्रभाव देखने को नहीं मिला।

- **बेहुरी, दीप्ति बंदना (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 के छात्रवृत्ति परीक्षा की उपलब्धि के कारकों का अध्ययन किया। इसके लिये हरियाणा राज्य के 4 जिलों कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और गुड़गाँव का चयन किया गया। प्रत्येक जनपद से 10 विद्यालयों को लिया गया जिसमें 5 विद्यालय उच्च उपलब्धि के ("ए" कोटि) तथा 5 विद्यालय निम्न उपलब्धि ("बी" कोटि) के थे। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।

  - जो बच्चे कक्षा 5 के विभागीय परीक्षा में बैठे उनमें से "ए" कोटि के विद्यालय के बच्चे मैरिट में आये तथा उनको छात्रवृत्ति दी गई जबकि 'बी" कोटि के बच्चे मेरिट में चिन्हित नहीं हुये।
  - "ए" कोटि के अधिकतर विद्यालयों में भौतिक संसाधन, वाहन सुविधा बहुत अच्छी है। अधिक कक्षा में वर्ग है। शिक्षक डायरी लिखते है तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था करते है।
  - "ए" कोटि के अधिकतर विद्यालय शहरी क्षेत्रों में है जिनका प्रभावी प्रबंधन है। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कार्य दक्षता उच्चकोटि की है।
  - "ए" कोटि के विद्यालयों के बच्चों की योग्यता "बी" कोटि के विद्यालयों से बहुत अच्छी है।

- **कुमार, योगेन्द्र और अरोरा, आर.पी., चौधरी, ममता (2000)** ने बालिकाओं के ड्राप आउट की घटना एवं कारकों का अध्ययन किया। इसके लिये हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के 3 गाँव का चयन किया गया।

  - सबसे अधिक ड्राप आउट कक्षा 3 एवं 5 में पाया गया।

- सबसे अधिक ड्राप आउट का प्रतिशत अनुसूचित जाति की बालिकाओं में पाया गया।
- अधिकतर ड्राप आउट होने वाली लड़कियाँ 9 से 12 वय वर्ग की पाई गयी।
- अधिकतर ड्राप आउट लड़कियों के अभिभावक निरक्षर है।
- बालिकाओं के ड्राप आउट का मुख्य कारण घर में कार्य करना तथा बच्चों की देखभाल करना पाया गया। कम उम्र में शादी हो जाना भी ड्राप आउट का कारण पाया गया।
- परिवार की आर्थिक स्थिति भी ड्राप आउट का कारण पाया गया।

- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), (2002)** ने विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग तथा शिक्षण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और फतेहपुर जनपद के दो–दो विकास खण्ड से 10–10 विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन में कक्षा एक से पाँच तक की कक्षा–कक्ष का अवलोकन किया गया तथा अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों से संदर्शिकाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं जानने हेतु साक्षात्कार किया गया। अध्ययन के परिणामों व निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संदर्शिकाओं का संज्ञान शिक्षकों ने लिया है। अनेक अध्यापकों द्वारा इनको प्रयोग में लाया जा रहा है किन्तु इस सम्बन्ध में अध्ययन में कुछ मुख्य बिन्दु उभर कर आए हैं। अधिकांश अध्यापकों ने संदर्शिकाओं को बहुत उपयोगी बताया। उनके अनुसार ये संदर्शिकाएँ ज्ञान–वृद्धि के साथ–साथ कक्षा को जीवन्त रखने में सहायता प्रदान करती है। बच्चों द्वारा जो गतिविधियाँ कराई जाती है तथा अनेक पाठसम्बन्धी जानकारियाँ दी जाती हैं उनसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ जाती है।

बच्चे भी शिक्षक द्वारा पाठ के रोचक प्रस्तुतीकरण और गतिविधि–आधारित शिक्षण के कारण मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। विद्यालयों में कक्षा का वातावरण बहुत जीवन्त होता गया। अधिकांश शिक्षकों के पास संदर्शिकाएं उपलब्ध थीं परन्तु कुछ शिक्षकों को इनकी विषय–वस्तु की विस्तृत जानकारी नहीं थी। ऐसा लगा कि कुछ अध्यापकों ने इन्हें भली प्रकार से पढ़ा नहीं है। इन संदर्शिकाओं में प्रस्तुत शैक्षिक क्रियाकलाप, अभ्यास कार्य, छात्र मूल्यांकन इत्यादि सामग्री से अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सुविधा होती है।

- **विनायक (2002)** ने शिशु देख–रेख तथा शिक्षा कार्यक्रम (ई.सी.सी.ई.) का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय से

आच्छादित चार जनपदों ललितपुर, महराजगंज, मुरादाबाद तथा शाहजहाँपुर का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

- प्राथमिक विद्यालय परिसर में शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना होने से केन्द्र के साथ ही विद्यालय में बच्चों के कुल नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेषरूप से बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होता है क्योंकि बालिकाओं में शिक्षा प्राप्त करने के प्रति रुचि विकसित हुई है और नामांकित बालिकाओं की संख्या में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है।
- केन्द्रों में खेलों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने से बच्चों में अधिगम–क्षमताओं का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है। कक्षा एक में प्रविष्ट बच्चों को पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा, गणित, परिवेश आदि से सम्बन्धित अधिगम–बिन्दुओं को समझने में सहायता मिली है और इन विषयों में उनकी सीखने की गति उन बच्चों की तुलना में अधिक है जिनको इन केन्द्रों में विद्यालयपूर्व शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला है।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि से अनुकूल परिणाम प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार प्रवेश लेने वाले बच्चों की दर (ट्रांजीशन रेट) लगभग 61 प्रतिशत है।
- शिक्षार्थियों के माता–पिता, अभिभावकों, शिक्षकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से प्राप्त उत्तरों/प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से बच्चों में विशेष रूप से बालिकाओं को सर्वाधिक लाभ हुआ है। छोटे भाई–बहनों के केन्द्र में प्रविष्ट हो जाने से इन बालिकाओं को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है और इसके फलस्वरूप उनको कक्षा एक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होती है।
- प्राथमिक विद्यालय के कार्य समय में कोई हस्तक्षेप किये बिना अतिरिक्त दो घंटे के समय में शिशु शिक्षा केन्द्र का संचालन किये जाने से बच्चों की शिक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। केन्द्र तथा विद्यालय दोनों परस्पर पूर्ण सामंजस्य तथा तालमेल के साथ अपना–अपना कार्य करते है।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से उनमें शिशुओं को स्नेह तथा धैर्य के साथ मृदुल व्यवहार करने और उन्हें सीखने के अनुकूल अवसर देने की कुशलताएँ विकसित हो जाती हैं। वे अपेक्षित दक्षता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं।

- **सीमैट (2002)** ने 'आदर्श संकुल विकास उपागम' की तीन वर्ष की सफलता तथा प्रभावकारिता का आकलन करने के उद्देश्य से एक मूल्यांकन अध्ययन राज्य शैक्षिक

प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा डी.पी.ईपी. ।। जनपदों बदायूँ, गोण्डा तथा बाराबंकी में किया गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे –

- डी0पी0ई0पी0 जनपदों में चल रहे आदर्श संकुल विकास उपागम के बालिका शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करना।
- इस कार्यक्रम में ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावकों तथा समुदाय की भूमिका का अध्ययन करना।
- बालिका शिक्षा में वृद्धि लाने के लिए एम0टी0ए0/पी0टी0ए0/डब्ल्यू0एम0 जी0 तथा आदर्श संकुल विकास उपागम की भूमिका को जानना ।
- समुदाय व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेण्डर समानता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावकारिता का आकलन करना।
- एम0सी0डी0ए0 रणनीतियों का प्रभाव तथा शिक्षकों तथ विद्यालय प्रबन्धन पर बालिका शिक्षा की बढ़ोत्तरी हेतु योगदान का आंकलन करना।

यह अध्ययन डी0पी0ई0पी0 के तीन जनपदों बदायूँ, गोण्डा तथा बाराबंकी में कराया गया । प्रत्येक जनपद में दो एम0सी0डी0ए0 संकुल तथा एक संकुल जिसमें एम0सी0डी0ए0 लागू नहीं था, लिये गए– एम0सी0डी0ए0 के द्वारा नामांकन तथा ठहराव में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से वंचित वर्ग की बालिकाओं के संदर्भ में यह कथन सत्य है। इसका श्रेय जाता है समुदाय के शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों को तथा भौतिक संसाधनों की सुलभता को। इस कार्यक्रम में समुदाय से वार्ताओं तथा सहयोग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में एक बड़ा परिवर्तन पाया गया,, विशेषकर महिलाओं की अभिवृत्तियों में जो कि उन के डब्लू0एम0जी0/ एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 में सक्रिय प्रतिभाग से दर्शित है। समुदाय ने अपना सहयोग बच्चों के नियमित रूप से विद्यालय आने, शिक्षकों के विद्यालय आने तथा शिक्षा के लिए सही वातावरण बनाने के लिए दिया है। हर संकुल में "मीना" फिल्म के माध्यम से समुदाय के लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। फिल्म के बाद अभिभावकों में एक नया उत्साह देखा गया। उनका व्यवहार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के प्रति बदल चुका था। उनमें एक नई सोच पैदा हुई कि बालिकाओं की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। पढ़ लिखकर वे चिट्ठी लिख सकती हैं, उनमें सही–गलत सोचने की क्षमता आ जाएगी तथा शादी के बाद भी वे बुरे व्यवहार का सामना कर सकती है।

एम0सी0डी0ए0 (Modd cluster development approach) के बाद की स्थिति में बालिका नामांकन तथा ठहराव में दुगनी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य श्रेय 'स्कूल चलो अभियान', समर कैंप व ठहराव सम्बन्धी क्रियाकलाप को जाता है। कई बार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद विद्यालय का वातावरण बालिकाओं के प्रति अच्छा हुआ है तथा शिक्षण विधियों में भी सुधार आया है। महिला शिक्षकों की नियुक्ति ने बालिका नामांकन पर काफी

प्रभाव डाला है। नई शिक्षण विधियों, नवाचार तथा गतिविधि–आधारित शिक्षण भी सफल हुए हैं। समर कैम्प्स में बालिकाओं को पढ़ाई के साथ–साथ कढाई–सिलाई सिखाई जाती है। मुसलिम बालिकाओं को उर्दू पढ़ाई जाती है। इन क्रियाकलापों से अभिभावकों में बालिकाओं को विद्यालय भेजने के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है। बदायूँ में 37 समर कैम्प आयोजित हुए जिनमें 1425 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इनमें से 1406 बच्चे विद्यालय में नामांकित हुए। गोण्डा में 38 कैम्प लगे जिनमें 1523 बच्चे थे और 1515 बच्चे विद्यालय जाने लगे। इन कैम्पों द्वारा सबसे अधिक लाभान्वित बालिकाएँ हुई। इनके विद्यालयों में दुगना नामांकन हुआ था।

आदर्श संकुल विकास उपागम (एम.सी.डी.ए.) का प्रभाव उन संकुलों में भी परिलक्षित होता है जहाँ एम0सीडी0ए0 नहीं चल रहा है, खासकर उन संकुलों में जहाँ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सक्रिय थे तथा समुदाय की सहभागिता अधिक थी। एम0सी0डी0ए0 को सफल बनाने में समुदाय के साथ–साथ महिला प्रेरक समूहों (डब्लू0एमजीएस0/एम0टी0ए0एस0/पी0टी0ए0एस0) की बड़ी प्रभावशाली भूमिका रही है। समर कैम्प में आने के पश्चात् बालिकाओं में सरकार द्वारा दिये गये इन्सेन्टिव जैसे छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के वितरण के कारण अनुसूचित जाति (एस0सी0), अल्पसंख्यक तथा बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय भेजने लगे हैं क्योंकि उन पर अतिरिक्त धन व्यय नहीं हो रहा है। बदायूँ में अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे छात्रवृत्ति से बच्चों के लिए नये साफ कपड़े बनवाएँ।

- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) 2002** ने नामांकन, ठहराव तथा अधिगम सम्प्राप्ति में परिवार तथा समुदाय की भूमिका का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के दो जनपदों बस्ती तथा सिद्धार्थनगर का चयन किया गया। इस अध्ययन में कुछ मुख्य परिणाम संकेत देते हैं कि यदि अभिभावक शिक्षित हो या शिक्षा के प्रति रुचि रखते हों तो वे निस्सन्देह अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, उनके सम्प्राप्ति–स्तर के लिए बराबर अध्यापकों से सम्पर्क बनाए रखेगे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं– इन सब पर ध्यान देंगे। अभिभावकों से वार्ता के द्वारा ज्ञात हुआ कि 86 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। वे रोज विद्यालय जाना चाहते हैं। 93 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय जाकर अध्यापकों से विचार–विनिमय करते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं। अध्ययन के बीच, साक्षात्कार के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं पर भी दृष्टि गई जैसे अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं पर यह शंका उनके मन में सदा बनी रहती है कि क्या शिक्षा उनके बच्चों को कुछ बना पायेगी। अध्ययन के समय देखा गया कि अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है और यही

कारण है कि वे किसी न किसी बहाने कभी घर के काम काज को लेकर और कभी गरीबी की दुहाई देकर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं।

- **राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट (2002)** ने सफल विद्यालय प्रबंधन पर एक अध्ययन किया । इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सफल विद्यालयों की विशेषताओं का पता लगाना, सफल विद्यालय प्रबन्धन में विभिन्न कारकों की भूमिका का अध्ययन करना तथा प्रधानाध्यापकों के प्रबन्ध कौशल तथा नेतृत्व–क्षमता का अध्ययन करना।

अध्ययन में, विशेष रूप से विद्यालय प्रबन्धन में, प्रधानाध्यापकों की भूमिका, विद्यालय समुदाय के साथ सम्पर्क तंत्र तथा डायट, बी.आर.सी. और सी.आर.सी. (एन.पी.आर.सी.) द्वारा शैक्षिक अनुसमर्थन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। अध्ययन हेतु पाँच प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जिनमें से तीन परिषदीय विद्यालय तथा दो प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय लिए गए। उन प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जो श्रेणीकरण के मानकों के आधार पर तीन वर्षों से 'ए' श्रेणी में अपनी सफलता के कारण चिह्नित किये गये थे। इन विद्यालयों का चयन सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के अनुरोध के पश्चात् पाँच जनपदों से किया गया अर्थात् झाँसी, सोनभद्र, लखनऊ, मथुरा तथा इलाहाबाद। प्राइवेट विद्यालयों का चयन उनकी लोकप्रियता, जनता की उनके प्रति धारणा तथा उनकी कार्यक्षमता के आधार पर किया गया। ये पाँच विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रहमतनगर, गोसाईगंज, लखनऊ, प्राथमिक विद्यालय, झारोकलाँ, दुद्धी, सोनभद्र, प्राथमिक विद्यालय पालरी, योजना विकास खण्ड, झाँसी, महर्षि पतंजली विद्यामन्दिर, प्रयाग, इलाहाबाद तथा अमरनाथ विद्या आश्रम, मथुरा थे । क्षेत्र के अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों को इस अध्ययन का महत्व स्पष्ट करने के पश्चात् उनसे समय लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, अभिभावकों, ग्राम शिक्षा समिति (व्ही.ई.सी.) के सदस्यों से विद्यालय के अलग–अलग पक्षों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। शोधकर्त्ताओं को काफी समय विद्यालयों में व्यतीत हुआ और बहुत मुक्त वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर सामने आए।

विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त होना आवश्यक है परन्तु गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए केवल यही आधार नहीं है। विद्यालयों को सफल बनाने में प्रधानाध्यापकों की भूमिका श्रेष्ठतर प्रमाणित हुई है। जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों में कुशल नेतृत्व की क्षमता है वे विद्यालय निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों में कमी के बावजूद प्रभावी तथा सफल विद्यालय बन जाते हैं। विद्यालयों में एक सुखद वातावरण बनाने, शिक्षकों को प्रेरित करने तथा बच्चों और अभिभावकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने में प्रधानाध्यापक की प्रमुख भूमिका है। पाँच परिषदीय तथा प्राइवेट विद्यालयों की केस स्टडी यह दर्शाती है कि सफल विद्यालय केवल परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुए है वरन् प्रधानाध्यापक के गतिशील

प्रभाव नेतृत्व, नियोजन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, दार्शनिक चिंतन तथा कुशल प्रबन्धन की क्षमता का परिणाम है। "संसाधन मात्र ही सफलता की गारंटी नहीं है, कर्तव्य–पालन के प्रति निष्ठा बहुत प्रभावकारी सिद्ध होती है।" प्रधानाध्यापक आदर्श भूमिका का निर्वहन करता है। वह समय से विद्यालय आता है ताकि उसके शिक्षक कभी विलम्ब से न आएँ, वह शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण करने में सहयोग प्रदान करता है, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा समुदाय से अच्छा तालमेल बनाए रखता है और शिक्षकों से एक मित्र तथा सलाहकार की तरह सम्बन्ध बनाए रखता है। विद्यालय को सफल बनाने में प्रधानाध्यापक नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का प्रयोग अधिक करता है।

सफल विद्यालयों में शिक्षण रुचिपूर्ण होती है। यहाँ शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के अच्छे व्यवहार तथा कार्य को सराहा जाता है और भविष्य में और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोनों प्रकार के विद्यालयों (परिषदीय तथा प्राइवेट) में बच्चों को कक्षाकार्य तथा गृहकार्य नियमित रूप से दिया जाता है और शिक्षकों द्वारा जाँच के उपरान्त अभिभावकों को निदान सम्बन्धी पश्चपोषण प्रदान किया जाता है। जिन बच्चों को सम्प्राप्ति–स्तर कम है उन्हें विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की सुविधा दी गई है जिससे बच्चों का सम्प्राप्ति–स्तर बढ़ सके। यद्यपि परिषदीय तथा प्राइवेट विद्यालयों के भौतिक संसाधनों में बहुत अंतर है, फिर भी प्रधानाध्यापक की दूरदर्शिता एवं नियोजन द्वारा समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावकों तथा बच्चों के सहयोग से इन विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। अध्ययन हेतु लिए गए पाँच विद्यालयों की केस स्टडीज के आधार पर प्रधानाध्यापक की मुख्य भूमिका के अतिरिक्त जो कारक विद्यालयों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं वे हैं कुशल पर्यवेक्षण, विद्यालय–समुदाय के बीच निकटतर सहयोग आदि।

अध्याय तृतीय

शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रक्रिया

अध्याय–तृतीय

शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रक्रिया

3.01.0 भूमिका :

समस्या से ही शोध का प्रारम्भ होता है। शोध का प्रथम चरण समस्या है। बिना समस्या के शोध सम्भव नहीं है। समस्या एक प्रश्न है जिसका समाधान ढूँढ़ना होता है। समस्या के माध्यम से हम दो या दो से अधिक चरों में क्या संबंध है का पता करते है। कभी–कभी समस्याओं की पहचान करते समय शोधकर्ता उद्देश्य या लक्ष्य से भटक जाता है, वह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि वास्तव में उनकी समस्या क्या है ऐसी परिस्थिति में शोधकर्त्ता को उन बिन्दुओं पर केन्द्रित रहना चाहिए जो शोध समस्या के लिये आवश्यक हो।

शोधकर्ता अपनी समस्या को सही प्रकार से जब ही समझ एवं प्रस्तुत कर सकता है जबकि उसे समस्या से संबंधित व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक जानकारी हो। इसके लिये शोधकर्ता इन कठिनाइयों को अपने दिमाग में रखते हुए एक आधारभूत सिद्धान्त का परिपालन करना चाहिए। इस प्रकार अगर समस्या का समाधान करना हो तो यह सामान्यतः जानना आवश्यक है कि समस्या क्या है ? ऐसा कहा जाता है कि एक समस्या के समाधान का अधिकांश भाग इस तथ्य में निहित रहता है कि क्या करने का प्रयत्न कर रहा है ? समाधान का अन्य भाग इस जानकारी से हो जाता है कि समस्या क्या है और विशेष रूप से वैज्ञानिक समस्या क्या है ? इसलिए समस्या के चयन में जहाँ एक ओर संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, वही दूसरी ओर अनुभवी शिक्षाविदों से सम्पर्क कर समस्या को चयनित किया जाता है।

शोध समस्या के चयन के ठीक बाद शोध प्रारूप तैयार करते हैं जो न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होती है। इसके अन्तर्गत शोध उद्देश्य, न्यादर्श–प्रविधि तथा उसका आकार, शोधविधि, प्रदत्तों के संकलन के परीक्षण तथा प्रदत्तों के विश्लेषण की प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार शोध प्रारूप के अन्तर्गत उन सभी क्रियाओं में प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हो सके। शोधकार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसके प्रारूप का नियोजन करना आवश्यक है। शोध प्रारुप में निम्नलिखित अवयवों को सम्मिलित किया जाता है–

- शोध विधि या शोध व्यूह रचना।
- न्यादर्श का प्रारूप तथा प्रविधि।

- शोध यंत्रों का चयन तथा
- सांख्यिकी प्रविधियों का चयन।

शोध–विधि विज्ञान में कुछ क्रमबद्ध प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है। शोधकर्ता को समस्या के चयन से निष्कर्षों तक क्रियाओं को पहचानना होता है। शोध–विधि में अनुसंधान की क्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से वैध रूप में नियोजन किया जाता है। शोध विधि में प्रकरण तथा प्रविधियों को दिया जाता है, जिससे समस्या का समाधान ज्ञात किया जाता है। शोध प्रक्रिया एवं प्रविधियों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। शोधकर्ता को प्रकरणों तथा प्रविधियों का ज्ञान होना जरुरी है तभी वह उनका समुचित प्रयोग कर सकता है। शोध विधि में समस्या सम्बन्धी सामान्य क्रियाओं को किया जाता है तथा सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की सहायता से परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। उनकी पुष्टि के लिए प्रकरणों, परीक्षणों का चयन किया जाता है तथा प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन उक्त सभी विधियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

3.02.0 शोध का शीर्षक :

प्रस्तुत शोध अध्ययन झाँसी मण्डल के तीन जनपद झाँसी, महोबा एवं हमीरपुर में किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक निम्नानुसार है –

"उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियों एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

3.03.0 शोध के चर

चर उस गुण विशेष को कहते है जिसको परीक्षण में बदल सकते है और न्यादर्श का प्रत्येक सदस्य उस चर के सन्दर्भ में एक दूसरे से भिन्न होता है। समूह की विषमता की गणना अंकीय मूल्यों से की जा सकती है।

वैज्ञानिक शोध कार्यों में चरों को ही महत्व दिया जाता है। चरों को प्रकृति परिमाणात्मक होती है। गुणात्मक विशेषताओं को कम महत्व दिया जाता है। परिकल्पना चरों की भूमिकाओं को निर्धारित करती है। शोध के अनुसार चरों की भूमिकायें बदलती रहती है। साधारणतः चरों को भूमिकाओं के आधार पर पाँच वर्गों (स्वतंत्र चर, आश्रित चर,, परिमित चर, नियन्त्रित चर, मध्यस्थ चर) में विभाजित किया जाता है ।

शोध चरों के चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखकर चरों का चयन करना ठीक रहता है–

- चरों की परिभाषा का यह निर्णय लिया जाता है कि समान परिस्थिति के विभिन्न न्यादर्श लेने पर एक ही निष्कर्ष प्राप्त हो सकेंगे।

- चरों की परिभाषा में जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाये उनके अर्थ की विश्वसनीयता होनी चाहिए।
- व्यावहारिक रूप में जिन शब्दों की परिभाषा की गई है उन शब्दों के पर्यायवाची नहीं होने चाहिये।
- जिन परिभाषाओं का चयन किया गया है, उनकी शोध की दृष्टि सार्थकता होनी चाहिए और अध्ययन की दृष्टि से समुचित होना चाहिए।
- परिभाषा का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो शोध की सभी परिस्थितियों में प्रयुक्त हो सके।

प्रस्तुत शोधकार्य में निम्नांकित चरों का उपयोग किया गया है–

स्वतंत्र चर – जाति एवं लिंग

आश्रित चर – नामांकन, ठहराव, गुणवत्तापरक शिक्षा एवं भौतिक संसाधन

प्रस्तुत शोध में लिंग को दो समूहों में विभक्त किया गया है। समूह–1 छात्रों के लिये तथा समूह 2 छात्राओं के लिये। इसी प्रकार जाति को तीन समूहों में विभक्त किया गया। समूह–1 सामान्य जाति, समूह–2 पिछड़ी जाति तथा समूह–3 अनुसूचित जाति/जनजाति।

3.04.0 शोध समस्या की सीमाएं :

किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा तैयार करते समय ही उसकी सीमाओं का निर्धारण करना अति आवश्यक है। बिना सीमा के निर्धारण किये शोध कार्य करने से अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करने में कठिनाई आती है तथा पूरा शोधकार्य बिखरा–बिखरा दिखाई देता हैं तथा उसके नियंत्रण करने में कठिनाई आती है। किसी शोध की समस्या को निश्चित सीमा में हम तीन स्तरों में बाँधते है। सबसे पहले उसका शीर्षक अर्थात् विषय, सरल कथन या प्रश्न के रूप में स्पष्ट तथा सूक्ष्म ढंग से लिखते है जिसे समूह का कथन कहते है, फिर शीर्षक के मूल शब्दों की क्रिया–विधि मूलक परिभाषा देते है और अन्त में जिन परिकल्पनाओं की जाँच करनी है उनका सूत्रीकरण करते है। अतः शोधकार्य में आँकड़ों का संकलन करने के पूर्व शोधकार्य की सीमाओं का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। इससे जहाँ एक ओर निर्धारित लक्ष्यों की ओर होता है। इस अध्ययन में शोधकर्ता ने कुछ सीमाओं का निर्धारण किया जो निम्नानुसार है–

- शोधकार्य प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा में सीमित रखा गया।
- भौगोलिक दृष्टि से इसे उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा गया किन्तु प्रदेश की विशालता को दृष्टिगत रखते हुए क्रियान्वयन सम्बन्धी अध्ययन झाँसी मण्डल तक ही सीमित रखा गया ।

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिये अब तक किये गये कार्य का अध्ययन किया गया ।
- इसे बच्चों के नामांकन, ठहराव, गुणवत्तापरक शिक्षा तथा विद्यालय के भौतिक संसाधन तक सीमित रखा गया ।
- प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया ।

3.05.0 न्यादर्श का चयन

व्यावहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यों में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोधकार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि विज्ञान के विषयों में भी न्यादर्श का प्रयोग होता है परन्तु न्यादर्श के चयन की समस्या नहीं होती है। जनसंख्या को जो भी अंश उपलब्ध होता है वही जनसंख्या का शुद्ध रूप में प्रतिनिधितव करता है, परन्तु सामाजिक विषयों में न्यादर्श के चयन में प्रमुख समस्या होती है कि किस प्रकार न्यादर्श की इकाइयों का जनसंख्या में से चयन किया जाय जो उसका प्रतिनिधित्व कर सके। सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना कठिन होता है तथा कभी–कभी असम्भव भी होता है। न्यादर्श प्रविधि शोध कार्य को व्यावहारिक तथा समय, धन–शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती है। न्यादर्श के प्रयोग से शोध परिणामों को अधिक शुद्ध एवं मितव्ययी बनाया जाता है।

अनुर्संधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाओं को दिया जाता है। शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण वास्तव में न्यादर्श का आकार तथा उसकी प्रविधि पर निर्भर होता है। एक शुद्ध रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श से शोध के सामान्यीकरण के बारे में अधिक से अधिक सूचनायें प्रस्तुत करता है। सामाजिक विषयों, व्यावहारिक विज्ञानों के शोधकार्यों एवं सांख्यिकीय विधियों के लिए न्यादर्श मूल आधार होता है। यदि न्यादर्श का चयन समुचित नहीं किया गया तब कोई सांख्यिकीय विधि परिणामों एवं निष्कर्षों को नहीं सुधार सकती है। वास्तव में न्यादर्श–शोध की प्रमुख प्रविधि है। शोधकर्त्ता को इसके ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए। न्यादर्श के चयन में ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है कि जनसंख्या से चयन की गई इकाइयाँ प्रतिनिधित्व कर सकें। प्रत्येक इकाई को न्यादर्श में सम्मिति होने का समान अवसर दिया जाय।

न्यादर्श की जानकारी देते समय ध्यान देना चाहिए कि न्यादर्श किस प्रकार निश्चित किया गया, अध्ययन का क्षेत्र क्या है, न्यादर्श में किस विधि का प्रयोग किया गया है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या है, (क्षेत्र, आयु, व्यवसाय, परिवार आदि) आदि। न्यादर्श के चयन में निम्नांकित बातों का ध्यान देना आवश्यक है –

- न्यादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाए कि वह जनसंख्या (समष्टि) का प्रतिनिधित्व करें वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रमपूर्ण होंगे। न्यादर्श में इस विशेषता को लाने के लिए

यादृच्छिक विधि का उपयोग करना आवश्यक है। जब न्यादर्श जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है तो न्यादर्श से प्राप्त मान जनसंख्या के मान के लगभग बराबर होता है।

- न्यादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए अगर आकार पर्याप्त नहीं होगा तो वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेगा। न्यादर्श का आकार अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है।

सही न्यादर्श के चयन से शोधकार्य में निम्नानुसार फायदे होते है–

- समय की बचत होती है।
- धन की बचत भी होती है, मितव्ययी विधि है।
- अधिक सत्यता का ज्ञान होता हैं
- प्रशासकीय सुविधायें हो जाती है।
- विस्तृत जानकारी हो जाती है।
- सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन असम्भव होता है तब न्यादर्श से अध्ययन सम्भव हो जाता है।

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया –

क्र.सं.	उपकरण	झाँसी	ललितपुर	जालौन (उरई)	योग
1.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों	400	400	400	1200
2.	विद्यालय प्रधानाध्यापक	25	25	25	75
3.	अध्यापक	100	100	100	300
4.	अभिभावकों से	200	200	200	600
5.	एन.पी.आर.सी. समन्वयक	10	10	10	30
6.	बी.आर.सी. समन्वयक/ए.बी.एस.ए.	5	5	5	15
7.	डी.सी./बी.एस.ए./डायट	5	5	5	15
8.	राज्यस्तरीय अकादमिक एवं प्रशासनिक स्टाफ	–	–	–	10

3.06.0 शोध उपकरण

यह जानना आवश्यक है कि शोध में समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, और न्यादर्श के निर्धारण के पश्चात् शोध के आंकड़ों का संग्रह करने के लिए किन–किन उपकरणों का उपयोग किया जाएं। कौन सा उपकरण हमारे शोध में सहायक सिद्ध होगा

और यदि परिकल्पना के अनुरूप उपकरण निर्मित नहीं है तो उसका निर्माण किया जायेगा। शोधकर्ता को उपकरणों के माध्यम से ही आंकड़े प्राप्त होते हैं। अतः शोधकार्य में उपकरणों की विशेष स्थिति होती है। शोध में प्रयोग आने वाले विभिन्न उपकरण – प्रश्नावली, चेक लिस्ट, अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, अभिवृत्ति मापनी आदि है । शोध कार्य के प्रयोग में आने वाले उपकरणों का विश्वसनीय होना अति आवश्यक है वरन् प्राप्त परिणाम भी विश्वसनीय नहीं होंगे।

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता ने स्वयं उपकरणों का निर्माण किया। शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा निर्मित उपकरण निम्नानुसार है–

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये
- विद्यालय प्रधानाध्यापक हेतु
- अध्यापक हेतु
- अभिभावकों हेतु
- न्याय पंचायत समन्वयक हेतु
- बी.आर.सी. समन्वयक हेतु
- जिला समन्वयक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/डायट सदस्य हेतु/राज्यस्तरीय अकादमिक एवं प्रशासनिक स्टाफ हेतु

3.07.0 शोध उपकरणों का प्रशासन एवं फलांकन :

शिक्षा शोध में परीक्षणों का प्रयोग अधिक होता है। इसके लिये उपकरणों का निर्माण शोधकर्ता द्वारा स्वयं कर उसको प्रशासित किया गया। इन उपकरणों के समस्त प्रशासन के लिये एक वर्ष से अधिक का समय लगा। वर्ष 2005–06 में शोधकर्ता द्वारा मैदानी कार्य किया गया। इस कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व पहले शोधकर्ता ने आवश्यक उपकरणों को निर्माण के उपरान्त विभिन्न शिक्षाविदों तथा जिले स्तर पर कार्यरत विभिन्न अकादमिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के सहयोग से अंतिम रूप दिया। परीक्षण के प्रशासन करने से पूर्व संबंधित अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं समुदाय के सदस्यों से उपकरणों को प्रशासित करने के लिये समय माँगा गया। उसी के अनुसार परीक्षणों का प्रशासन किया गया। परीक्षणों के प्रशासन के पूर्व निम्न चीजों का विशेष ध्यान रखा गया–

- प्रशासन के समय उचित वातावरण एवं प्रकाश की व्यवस्था।
- जिन पर प्रशासन किया गया उनके बैठने के लिये पर्याप्त व्यवस्था।
- जहाँ पर प्रशासन किया गया वहाँ पर किसी प्रकार शोर आदि न हो।

- परीक्षण के समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ध्यान रखा गया।
- परीक्षण के समय स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया।
- प्रत्येक व्यक्ति का अलग–अलग जानकारी प्राप्त की गई।
- परीक्षण के समय इस बात का ध्यान रखा गया कि जानकारी देने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त समय है तथा वह स्वस्थ है।

परीक्षणों के प्रशासन से पहले शोधकर्ता ने अपना परिचय तथा अपने आने का उद्देश्य बताया तथा उनके साथ 10–15 मिनट तक सामान्य चर्चा की गई। बाद में परीक्षण से संबंधित सामान्य चर्चा की एवं परीक्षण से संबंधित सामान्य निर्देश दिये गये जो निम्नानुसार है–

- परीक्षण का उद्देश्य आपसे जानकारी प्राप्त करना है। इसका आपके व्यक्तिगत कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- प्रदत्त जानकारी का उपयोग सिर्फ शोधकार्य में किया जायेगा।
- प्रदत्तों की जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा।
- उपकरण पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, जाति, लिंग, उम्र आदि आवश्यक जानकारी की पूर्ति करने को कहा गया। समुदाय के सदस्यों के उपकरणों में शोधकर्ता ने स्वयं उनसे पूछकर जानकारी की प्रतिपूर्ति की।
- प्रश्नपत्र पर छपे निर्देशों को स्वयं पढ़ने को कहा गया। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उन्हें पढ़कर सुनाया गया तथा जानकारी को प्रश्न पत्र पर अंकित किया गया।
- जानकारी अपने साथी/मित्रों से पूछकर देने से सख्त मना किया गया।
- समय–सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया।
- परीक्षणोपरान्त प्रश्न–पत्रों को वापस ले लिया गया।
- प्रश्नपत्रों का विभिन्न स्तर पर जाकर स्वयं शोधकर्ता ने प्रशासित किया।

शोधकार्य के लिये निर्मित विभिन्न प्रश्नावली का प्रशासन निम्नानुसार किया गया।

3.07.1 ग्राम शिक्षा समिति प्रश्नावली का प्रशासन

इस प्रश्नावली का निर्माण शोधकर्ता द्वारा किया गया। इस प्रश्नावली में सभी के लिये शिक्षा के लिये किये गये प्रयासों के संबंध में समिति के सदस्यों से जानकारी प्राप्त की गई तथा यह जानने का प्रयास किया गया कि इसके लिये आप किस प्रकार की भूमिका निभा रहे है। प्रश्नावली के माध्यम से 1200 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से जानकारी

प्राप्त की गई। इसके लिये प्रत्येक जनपद से 400 ग्राम शिक्षा समिति ने सदस्यों का चयन सुविधानुसार उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये किया गया।

3.07.2 विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक प्रश्नावली का प्रशासन

इस प्रश्नावली के माध्यम से यह जानने का प्रयास किय गया कि सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियों एवं क्रियान्वयन की प्रगति पर प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे है तथा उनका इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसके लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया। इस उपकरण के माध्यम से झाँसी, ललितपुर एवं जालौन जनपद से 25–25–25 प्रधानाध्यापों (कुल 75 प्रधानाध्यापक) एवं 100–100–100 अध्यापकों (कुल 300 अध्यापक) से जानकारी एकत्र की गई। इसके लिये विद्यालयों का चयन सुविधा को ध्यान में रखते हुये किया।

3.07.3 अभिभावकों पर प्रश्नावली का प्रशासन

इसके लिये शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से अभिभावकों का सभी के लिये शिक्षा के लिये किये जा रहे प्रयास के प्रति दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया। इसके अन्तर्गत झांसी मण्डल के 600 अभिभावकों (प्रत्येक जनपद से 200 अभिभावक) से जानकारी एकत्रित की गयी।

3.07.4 अकादमिक एवं प्रशासनिक स्टाफ

इसके अन्तर्गत न्यायपंचायत समन्वयक, बी.आर.सी. समन्वयक, जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक संकाय के सदस्यों के साथ राज्यस्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक स्टाफ से जानकारी एकत्र की गई। इसमें शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया गया।

3.07.5 अन्य जानकारी

इसके अतिरिक्त शोधकर्ता ने विभिन्न शोधकार्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन कर जानकारी का संकलन किया। इसके लिये सामान्य जानकारी संकलन प्रपत्र का उपयोग किया गया।

3.08.0 प्रदत्तों का सारणीयन :

अनुसन्धान कार्य केवल तथ्यों को संकलित करने तक की ही प्रक्रिया नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ तो तब ही होता है जबकि हम तथ्यों को संग्रह कर चुके होते हैं तथा उन आँकड़ों को प्रदर्शन योग्य बनाने के लिए हमें वर्गीकरण करना होता है। प्रारम्भिक संकलित तथ्यों का रूप बड़ा ही विस्तृत व उलझा हुआ होता है, वर्गीकरण अर्थात् मूल या

प्रारम्भिक सामग्री को दो या दो से अधिक वर्गों में प्रस्तुतीकरण किये बिना न तो विश्लेषण ही सम्भव है और न ही कोई वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता निश्चित निष्कर्ष ही ज्ञात कर सकता है। वर्गीकरण प्रक्रिया, संकलित सामग्री या प्रदत्तों को व्यवस्थित व संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें समान व असमान लक्षणों से युक्त सामग्री को पृथक–पृथक करके विभिन्न संवर्गों में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को अनुसंधान में उपयोग करने से, विश्लेषण, परिणामों व निष्कर्षों के सामान्यीकरण की क्रिया में सरलता के साथ वैज्ञानिकता के गुण का भी समावेश हो जाता है। एलहंस के मतानुसार, "सामग्री या आँकड़ों को, उसकी एक रूपता एवं समानता के अनुसार समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को पारिभाषिक रूप में वर्गीकरण कहा जाता है।" कोनर के शब्दों में, "वर्गीकरण, वस्तुओं (वास्तविकता या उसके भावों के आधार पर) को उसके समान गुणों के अनुसार समूहों या संवर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जो इन लक्षणों की एकता की अभिव्यक्त करती है जोकि व्यक्तियों की भिन्नता में स्थित होती है" ।

शोध अध्ययन की समस्या को ध्यान में रखते हुये विभिन्न हस्ताक्षेपों को ध्यान में रखते हुय तथा आवश्यकतानुसार जाति एवं लिंग के आधार पर सारणी का निर्माण किया गया। इस अध्ययन में मुख्य लक्ष्य प्रगति को रखा गया अर्थात विभिन्न हस्तक्षेपों के बाद क्या प्रगति हुई ।

3.9.0 प्रदत्तों के संकलन में उत्पन्न कठिनाइयाँ :

प्रदत्तों के संकलन में निम्नांकित कठिनाइयाँ आई–

- विभिन्न स्तरों से आंकड़ों के संकलन करने के कारण अधिक समय लगा।
- विभिन्न अधिकारियों के कार्यालय में न मिलने का कारण बार–बार कार्यालय जाना पड़ा।
- अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के अधिकतर सदस्यों को निरक्षर होने के कारण उनसे जानकारी एकत्र करने में अधिक समय लगा।
- कुछ अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक जानकारी देने में इधर–उधर कर रहे थे इसलिये उन्हें लगातार समझाकर जानकारी प्राप्त करने में अधिक समय लगा।
- जब अभिभावकों के बीच जाकर जानकारी एकत्र की गई तो वे जानकारी देने के बजाय अपनी समस्यायें बताने लगे।
- महिला प्रधानों से जानकारी लेते समय उनके पति ही जानकारी देने लगे। ऐसे में महिला प्रधान से सूचनायें प्राप्त करने में काफी समय लगा।

- सभी को बताने में कि यह जानकारी किस लिए ली जा रही है के बारे में समझाने में काफी समय लगा।
- कुछ जगह एक साथ कई सदस्यों के आ जाने से भी जानकारी लेने में असुविधा हुई।
- विभिन्न अध्ययनों में उपलब्ध जानकारी के संग्रह में कई बार कार्यालयों में जाना पड़ा तब जानकारी मुश्किल से प्राप्त हुई।

3.10.0 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं विवेचना

शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की समस्या से संबंधित प्रदत्तों का सारणीयन एवं उपयुक्त सांख्यिकी विधियों के उपयोग से परिणामों का ज्ञात करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य उन परिणामों का विश्लेषण व विवेचना करना होता है। प्रदत्तों का विश्लेषण के आधार पर पूर्व निर्मित उपकल्पनाओं की जाँच होती है तथा इन्हीं के आधार पर शोधकर्ता वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचता है तथा चयनित समस्या के सम्बन्ध में व्यवस्थित ढंग से उत्तर दे पाता है। विश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित उपक्रियायें निहित होती है–

- सामग्री का सम्पादन
- सामग्री का वर्गीकरण
- सामग्री का संकेतीकरण
- सामग्री का सारणीयन
- सामग्री की विवेचना
- सामान्यीकरण विवेचना

प्रदत्तों या आँकड़ों का विश्लेषण करने के बाद तथा उसी के साथ ही विवेचना की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाता है। अनुसंधानकर्ता प्राप्त परिणामों के परिपेक्ष्य में ही, संबंधित समस्याओं का उत्तर देने का प्रयास करता है तथा पहले किये गये अनुसंधान परिणामों व निष्कर्षों के साथ तुलना करके अपने निष्कर्षों का सामान्यीकरण करता है। अगर उसके अनुसंधान में निर्मित उपकल्पनाओं की प्राप्त परिणामों व सांख्यिकीय आधार पर पुष्टि हो जाती है तो इससे सिद्धान्त रचना का आभास होता है परन्तु उपकल्पनाएँ अस्वीकृत हो जाती है तो अस्वीकृत होने के सम्भावित कारणों को ढूँढ़ना पड़ता है। इसके अनेक कारण हो सकते है। प्रस्तुत शोध कार्य में सामान्य सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है तथा इसमें गुणात्मक विश्लेषण के लिए content Analysis method का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अध्ययन से प्राप्त परिणामों की व्याख्या परिकल्पना के आधार पर की गई है।

अध्याय चतुर्थ

सभी के लिए शिक्षा की रणनीतियाँ

अध्याय–चतुर्थ

सभी के लिये शिक्षा की रणनीतियाँ

सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में समय–समय पर विभिन्न योजनायें संचालित की गई है । सभी योजनाओं का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 1 से 8 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है । योजनाओं को सही रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करे इसके लिये विभिन्न रणनीतियां निर्धारित की गई । इन रणनीतियों के सापेक्ष विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये गये । प्रस्तुत अध्याय में सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों को दिया गया है । ये हस्ताक्षेप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगाये गये हैं । प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार है –

1. उपागम विस्तार रणनीतियाँ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतिया निर्धारित की गई है –

- मैदानी क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।
- 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।
- कक्षा – 1 तथा 2 में 30 बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में (1 कि.मी. दूरी पर प्राथमिक विद्यालय न होने पर) शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत विद्या केन्द्र की स्थापना ।
- औपचारिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा का मॉडल निर्धारित किया गया ।

उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के शत प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत खोले गये है और वर्तमान में खोले जा रहे है । जिन बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है । वहाँ वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के लिये शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक नवाचार केन्द्र तथा ब्रिजकोर्स आवासीय एवं गैर आवासीय संचालित किये गये हैं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिये वैकल्पिक नवाचार केन्द्र संचालित

किये गये हैं । वर्तमान में प्रदेश के शत प्रतिशत बस्तियों को औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से सेवित किया जा रहा है ।

खोली गई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ एक ओर उनके लिये भवन का निर्माण किया गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें शौचालय एवं हैण्ड पम्प आदि उपलब्ध कराये गये है ।

2. धारण प्रोत्साहन रणनीतियॉ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गई है –

- **परियोजना के नियोजन, कियान्वयन और प्रबंधन के सभी पहलुओं में समुदाय की सकिय सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यकम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना :** इसके अंतर्गत ग्राम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं के आकलन से लेकर आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं की मांग समुदाय के माध्यम से की गई है । ग्राम स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक सुविधा एवं आवश्यक शैक्षिक सुविधा के लिये ग्राम स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण किया गया । ग्राम स्तरीय योजना सूक्ष्म नियोजन के आधार पर की गई । ग्राम स्तरीय योजना के आधार पर कमशः न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, विकास खण्ड के संसाधन केन्द्र फिर अंत में जिले की कार्ययोजना तैयार की गई ।
- **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुर्ननिर्माण/ अनुरक्षण सुनिश्चित करना :** इसके अन्तर्गत बहुत समय पूर्व निर्मित भवन जो पूरी तरह के जर्जर हो गये है तथा जो बच्चों के बैठने के लायक नहीं हैं या बाढ़ आदि के कारण जर्जर हो गये है। ऐसे भवनों के पुर्ननिर्माण की व्यवस्था की गई । आंशिक या छोटे–छोट मरम्मत योग्य भवनों के लिये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) रू0 5000/– की विद्यालय अनुरक्षण राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि विद्यालय के छोटे–छोटे मरम्मत करा कर उसकी पुताई आदि कर के विद्यालय को आकर्षक कार्य बनाया जा सके ।
- **अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण :** प्रत्येक विद्यालय में कक्षा–छात्र अनुपात 1:40 को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा–कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर आवश्यक कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये जा रहे है । प्रत्येक कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिये 70 हजार की राशि निर्धारित की गई है । यह राशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है । जिनके माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण किया जाता है ।

- **अतिरिक्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 1:40 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता :** शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- **समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल और शौचालय सुविधा प्रदान करना :** प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड़को एवं लड़कियो के लिये अलग–अलग शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
- **विद्यालय तैयारी के लिए 3–6 वय वर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी बालिकाओं को सगे भाई बहनों की देख–रेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारंभिक बाल देख–रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :** 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिये जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है वहाँ पर शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये है । इनके संचालक का उद्देश्य जहाँ एक ओर 3–6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार करना है वही दूसरी ओर छोटे बच्चों को शिशु शिक्षा केन्द्र भेजकर इन बच्चों की देखभाल करने वाले भाई बहनों को विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु भेजना है ।
- **शत प्रतिशत बालिकाओं की उपस्थित सुनिश्चित करना :** घरेलू काम काज जैसे भोजन पकाने का काम, छोटे भाई–बहिनों की देखभाल में मदद करना । असुरक्षा की भावना के कारण विद्यालय न भेजना । महत्वपूर्ण त्यौहारों के समय बालिकाओं को विद्यालय न भेजना आदि के कारण कुछ बालिकायें या तो बिल्कुल ही विद्यालय नहीं जा पाई और कुछ जाती भी है तो वे विभिन्न कार्यों के चलते नियमित विद्यालय नहीं जा पाती है । बालिकाओं को बालको के समान समानता दिलाने के लिये निम्नानुसार प्रयास किये गयें है –

ग्रीष्म कालीन शिविर : सामान्य तौर पर परीक्षा सत्र मार्च– अप्रैल होता है । इस समय खरीफ की फसल की कटाई चलती है । कृषक एवं मजदूर इस समय फसल काटने के लिये सपरिवार अपने खेतों में लग जाते हैं अथवा मजदूरी के लिये अन्यत्र चले हैं । इस समय बालिकायें अपने अभिभावकों का सहयोग करती है अथवा छोटे भाई–बहनों की देखरेख में लगी रहती है । अतः ऐसी बालिकाओं के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये ग्रीष्मकालीन ब्रिजकोर्स चलाये जाते हैं ।

कार्यानुभव : रोजगारपरक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं को विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा से जोड़ा गया है । इसके अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में जूट का कार्य, ग्रीटिंग बनाना, कुटीर उद्योग से संबंधित, सिलाई–कढ़ाई आदि कार्य कराये जाते हैं । इस कार्य को सिखाने के लिये विद्यालय में एक अलग से अनुदेश नियुक्ति किया जाता है ।

मीना मंच : बालिकाओं में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास एवं सामाजिक जागरूकता हेतु चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मीना मंच का गठन किया गया है । जिसके माध्यम से बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव, नामांकन एवं अन्य प्रकार की अनेक समस्याओं के निदान पर विचार विमर्श किया जाता है । मीना मंच को सामग्री कय एवं खाता संचालन हेतु राशि दी जाती हैं । मीना मंच को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक अध्यापिका को सुगमकर्ता के रूप में नामित किया गया है । मीना मंच हेतु अतिरिक्त कक्ष दिये जाने का प्राविधान है ।

बालिकाओं में तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु विद्यालयेां में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया । जिसके माध्यम से बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जायेगी ।

माडल कलस्टर डेवलेममेंट एप्रोच (एस.सी.डी.ए.): न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकास खण्डों के चिन्हित न्याय पंचायतों में कार्यक्रम का संचालन किया जाता है । उक्त न्याय पंचायतों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु माँ–बेटी मेलों–मीना कैंपेन, पी.एल.ए./पी.आर.ए. आदि का आयोजन किया जा रहा है । ऐसे मजरों में महिला प्रेरक समूह, एम.टी.ए./पी.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण कराया गया है जहाँ स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है तथा बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन कराया जा रहा है ।

एन.पी.ई.जी.ई.एल. : कक्षा 1 से 8 की सुविधा वंचित लड़कियों के लिये एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियाान कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है । इन कार्यक्रम के क्षेत्र, उद्देश्य, लक्ष्य तथा रणनीतियाँ निम्नानुसार है –

क्षेत्र : यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड में संचालित की गई है । शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड का तात्पर्य ऐसे विकास खण्ड से है जहाँ की ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कम है तथा जेण्डर गैप राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है । जम्मू काश्मीर के 13 जनपदों के सभी विकास खण्ड जो उक्त शर्त को पूरा करते है और जो वर्ष 1991 की जनगणना में सम्मिलित नहीं किये गये थे । जनपदों के ऐसे विकासखण्ड जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या 5 प्रतिशत तक हो तथा जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम हो, उन्हें भी इस

कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है । चुनी गई गंदी बस्तियों को भी इसके अन्तर्गत रखा गया है ।

रणनीति :

बालिका शिक्षा को समुदाय, शिक्षक, अशासकीय सदस्य आदि के माध्यम से गतिशील करना है । यह प्रक्रिया आधारिक कार्यक्रम है जिनमें सामुदायिक दायित्व और स्थानीय सहयोग मुख्य रूप से समग्र कार्यक्रम में सम्मिलित है । समग्र घटक यह सुविधा उपलब्ध कराते है कि सभी विकासखण्ड अपनी योजना में आवश्यकतानुसार गतिविधि आयोजित करे । यह योजना विकासखण्ड के निम्नांकित लक्ष्यों एवं शर्तों पर आधारित है –

- विद्यालय से बाहर लड़कियां ।
- शालात्यागी लड़कियां ।
- अधिक आयु की बालिकायें जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की ।
- कामकाजी लड़कियां ।
- निचले सामाजिक समूह की बालिकायें ।
- कम उपस्थिति वाली बालिकायें ।

बालिका शिक्षा में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री, सी.डी. फिल्म और अन्य सामग्री जो पुस्तकों के विकास, पुनर्निरीक्षण, बालिका शिक्षा के विकास में मार्गदर्शन के लिये जेण्डर संबंधीपूरक अध्ययन सामग्री जिसमें जीवन कौशल जुड़े हो की सामग्री का निर्माण करना ।

उद्देश्य : प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन में सार्थक जेण्डर गैप दिखाई देता है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की लड़कियों जिनका प्राथमिक स्तर पर 30 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 26 प्रतिशत के लगभग है से बहुत न्यून है । जेण्डर गैप को कम करने के लिये विशेष कठिन समूह में पहुंचना होगा । इसके लिये आवयक है कि निर्विवाद हस्तोक्षेपों जो उन बच्चों के लिये आवश्यक है उपलब्ध कराये जाये । एन.पी.ई. जी.ई.एल. कार्यक्रम के उद्देश्य बालिकाओं के प्रवेश के लिये प्रोत्साहन सुविधाओं का निर्माण एवं ठहराव के लिये सुविधायें देना तथा शिक्षा में महिलाओं और बालिकाओं का अहम योगदान सुनिश्चित करना । विभिन्न हस्ताक्षेपों के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना और बालिका शिक्षा एवं उनके अधिकारों के लिये गुणवत्ता और योग्यता के लिये दबाव बनाना ।

लक्ष्य : एन.पी.ई.जी.ई.एल. का लक्ष्य बालिका शिक्षा के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला स्तरीय संस्थाओं और संगठनों की प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिये योजना, प्रबंधन, मूल्यांकन तथा गतिशील प्रबंधन संरचना के निर्माण

की क्षमता विकास करना । शिक्षा में जेण्डर भेद को दूर करने के लिये नवाचारी जेण्डर संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम, संबंधित संगठन एवं महिला समूह के सहयोग से निर्माण करना जो शिक्षकों, प्रशासकों और विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में जेण्डर संबंधी सजीव संवेदन शील भूमिका निभा सके । जेण्डर संवेदीकरण गुणवत्ता, शिक्षण–अधिगम सामग्री मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषा में और स्थानीय क्षेत्र आधारित हस्ताक्षेप मॉडल के प्रतिफल (Output) को बढ़ाने के लिये शोध, विस्तार और सूचना विनिमय द्वारा विभिन्न संगठनों के बीच जुड़ाव । महिलाओं और लड़कियों में स्वसम्मान और स्वविश्वास को बढ़ाने के लिये सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रम को धनात्मक हस्ताक्षेपी भूमिका प्रदान करने के लिये गति देना जिससे वे महिलाओं के प्रति समाज, शिष्टाचार और आर्थिक क्षेत्रों में मान्यता तथा सहयोग के साथ धनात्मक तस्वीर बने ।

- शिक्षा में विषयवस्तु और प्रकिया को अपनाकर जेण्डर संबंधी रूढ़ियों को तोड़ना ।
- प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में बालिका शिक्षा की भागीदारी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये सहयेागी सुविधाओं को आवश्यक सहयागी एवं समन्वंय से उपलब्ध कराना ।
- विद्यालय, समुदाय एवं घर में बालिका शिक्षा के लिये अच्छे वातावरण का समुदाय के सहयोग से निर्माण करना । और
- प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना ।

- **समेकित शिक्षा की व्यवस्था** (शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना) : समाज के लगभग के 10 प्रतिशत बच्चे जो किसी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कमी के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से छूट जाते हैं, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की सम्प्रप्ति नहीं हो पाती । अतः सर्व शिक्षा के अन्तर्गत इन विशेष प्रकार की आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष योजना बनाई गयी है । जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाले तथा विद्यालयों से बाहर रहने वाले 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कराते हुए मेडिकल एसिसमेंट कैम्प, उपकरण एवं उपस्कर का वितरण, विकलांगता प्रमाण–पत्रों का वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा के अन्तर्गत विकलांगता की निम्न 5 श्रेणियों पर विचार किया गया है –

- दृष्टि क्षीणता
- श्रवण क्षीणता
- विकलांगता जन्य क्षीणता

- ➢ अधिगम अक्षमता
- ➢ मासिक अक्षमता

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा विद्यालयों में किया जाता है । बच्चों के रोगो का चिन्हांकन कर निदान हेतु परामर्श दिया जाता है । मेडिकल ऐसेसमेंट कैम्प में बच्चों का परीक्षण किया जाता है । अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिये विद्यालय में भवन निर्माण में आवश्यक ढलान या रैम्प का निर्माण कराया जाता है जिसमें बच्चें बिना किसी कठिनाई के विद्यालय भवन में पहुँच । विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यालय के समस्त अध्यापकों को प्रतिवर्ष विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । सर्व शिक्षा कार्यक्रम में इन बच्चों को शैक्षिक सुविधा हेतु रूपये 1200/– की राशि प्रति बच्चे की दर से निर्धारित की जाती है ।

- **विद्यालयों, प्रारम्भिक बाल देख–रेख एवं शिक्षा केन्द्रों और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिये प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कियाशील बनाना** – प्रारम्भिक शिक्षा की सम्पूर्ण देख–रेख का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को दिया जाता है । ये समितियां विद्यालय स्थापना, उनका प्रबंधन, नियत्रण करती है । ये समितियाँ अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निम्न रूप में करती है –

– **पर्यवेक्षणीय :**

- ➢ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण
- ➢ छात्रवृत्तियों का वितरण
- ➢ अध्यापकों की उपस्थिति
- ➢ मध्याह्न भोजन का वितरण
- ➢ बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा

– **प्रबंधकीय/प्रशासकीय :**

- ➢ निर्माण कार्य – विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय तथा स्वच्छ जल अपूर्ति हेतु हैण्डपम्प ।
- ➢ विद्यालय से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना ।
- ➢ विद्यालय के लिए ग्राम के नवयुवकों में से शिक्षा मित्रों तथा शिक्षा गारंटी योजना के आधीन आचार्य जी का चयन और नियुक्ति ।

– **वित्तीय :**

- ग्राम शिक्षा समिति के लेखों का रख–रखाव तथा ग्राम प्रधान का प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से परिचालन ।
- ग्राम शिक्षा समिति के अधीन प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, हैण्डपम्प, विद्यालय अनुदान रू. 2000/–, अनुरक्षण अनुदान रू. 5000/– एवं शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय, ई.सी.सी.ई. हेतु शिक्षण/अधिगम/खेल सामग्रियों का क्रय आदि हेतु प्राप्त अनुदानों का व्यवहरण ।

- **संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों) ब्लाक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक सहायता सुनिश्चित कराना –** बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्थापना के पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पठन–पाठन की देख–रेख एवं प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन की अपेक्षा जिला स्तरीय संस्थानों से की जाती थी । बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष बढ़ रहे विद्यालयों तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में पठन–पाठन के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसमर्थन का सर्वथा आभाव पाया गया । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार हेतु "उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा" के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर "न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र" जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शन में क्रियाशील किये गये हैं । इनके गठन की संकल्पना यह है कि ये विद्यालय स्तर पर बच्चों तथा शिक्षकों को सपोर्ट एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ये केन्द्र समस्त शैक्षिक गतिविधियों जैस प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बच्चों की प्रतियोगिताओं तथा सह–शैक्षिक क्रियाकलापों की कार्यवाही इकाई के रूप में कार्य करेंगे ।

प्रत्येक संकुल एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर समन्वयकों के पद सृजित किये गये हैं । वर्तमान में प्रदेश में 9832 अकादमिक पद सृजित किये गये हैं । इनके यात्रा, आकस्मिक व्यय, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण आदि के लिये विभिन्न मद में अलग–अलग राशि उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में नगरीय शैक्षिक संसाधन केन्द्रों की स्थान कर उक्तानुसार दायित्व सौपें गये हैं ।

- **नवाचार शिक्षा को प्रोत्साहित करना –** विद्यालय में नवाचार के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में जोड़ने के लिये बालिका शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, ई.सी.सी.ई. एवं अनुसूचित जाति, जनजाति शिक्षा मद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू. 50 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती

है । इस राशि का उपयोग जिले विभिन्न गतिविधियों में करके बच्चों की विद्यालय में नियमितता सुनिश्चित करते हैं ।

- **अध्यापकों की उपलब्धता** – प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक । उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

- **मुफ्त पाठ्य पुस्तकें** – सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें । प्राथमिक स्तर पर जिनकी लागत रू. 50/– प्रति बच्चा है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर रू. 150/– प्रति बच्चा है तय की गयी है ।

3. गुणवत्ता संवर्द्धन रणनीतियाँ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं –

- **बाल केन्द्रित तथा किया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक और छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःकिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यकम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन** : पाठ्य पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये पुस्तकों में आवश्यकतानुसार बदलाव किया गया है । पुस्तकों में अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं । पुस्तकें बच्चों के स्वअधिगम को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई है । पाठ्यकम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया गया है । जिसमें बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को व्यावहारिक बनाया गया है । निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के साथ विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं के लिये निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण को शिक्षण अधिगम प्रकिया के अंग के रूप में अपनाया गया है ।

- **सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकम के माध्यम से शिक्षकों के गुणवत्ता का संवर्द्धन करना** – सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रति वर्ष 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे अग्रेंजी प्रशिक्षण, कलस्टर प्रशिक्षण, समेकित प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण है । इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षामित्रों को सेवा पूर्व 30 दिवसीय कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु पर प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है ।

● **शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं तथा हस्तपुस्तिकाओं का विकास** – प्रत्येक कक्षा तथा प्रत्येक विषय के पुस्तकों पर आधारित शिक्षकों के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है । जिसमें पाठ्यवस्तु के प्रस्तुत करने की विषयवस्तु योजनाबद्ध कम में दर्शायी गयी है । इस सामग्री में जहाँ पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण तरीका दिया गया है वहीं बच्चों का मूल्यांकन आदि कैसे करें को विस्तार से दिया गया है ।

● **स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक रोचक तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धन करना** – कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को गतिविधि आधारित, बाल केन्द्रित एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये जहाँ एक ओर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है वही प्रति शिक्षक को प्रतिवर्ष रू. 500/– की राशि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है । इस राशि के उपलब्ध कराने का उद्देश्य शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री या अन्य सामग्री का उपभोग कर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग करना है । साथ ही नवाचारात्मक, शिक्षण अधिगम में बढ़ावा दे ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागे ।

● **शोध, अनुश्रवण और मूल्यांकन** – विद्यालयों के अनुश्रवण बच्चों के मूल्यांकन तथा विभिन्न स्तर पर शोध आदि कार्य हेतु प्रति विद्यालय प्रति वर्ष रू. 1400/– की दर से राशि निर्धारित की गई है ।

4. **क्षमता संवर्द्धन रणनीतियॉ** – इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं :

- **राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्थापना** – शैक्षिक प्रबंधकों के लिये शैक्षिक आंकड़ो के विश्लेषण, अभिलेखीकरण, प्रचार–प्रसार, संस्थानिक क्षमता का संवर्द्धन आदि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गई है । इसमें 5 विभाग तथा 3 सहयोगी विभाग है । विभागों में योजना एवं नीति नियोजन, शोध मूल्यांकन एवं नवाचार, प्रबंधन, शैक्षिक वित्त एवं शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विभाग तथा सहयोगी विभाग में कम्प्यूटर, प्रशिक्षण तथा पुस्तकालय है । इसके प्रारम्भ में स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया । वर्तमान में राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है । वर्तमान में संस्थान जहाँ एक ओर शैक्षिक प्रबंधको का विभिन्न प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करता है । वही दूसरी ओर शासन को विभिन्न नीतिगत निर्णय में सहयोग प्रदान करता है । प्रदेश स्तर की शैक्षिक कार्य

योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । प्रारंम्भिक शिक्षा संबंधित विभिन्न शोध कार्य किये जाते है ।

• **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) की संस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण** – राज्य स्तर पर अकादमिक सहयोग प्रदान करने करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापित है । ये शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विभिन्न अध्ययन कार्य में सहयोग प्रदान करता है । विभिन्न परियोजना के माध्यम से संस्थान को जहाँ वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है वहीं अतिरिक्त भौतिक संसाधन के साथ वहां कार्यरत स्टाफ का क्षमता संवर्द्धन किया गया है ।

• **विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का प्रति वर्ष क्षमता संवर्द्धन किया जाता है ।**

• सामुदायिक सहायता को गतिशील बनाने, विद्यालय प्रबन्धन और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण और परिवार सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को कियाशील करने हेतु प्रशिक्षण देना ।

• **ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को सुदृढ़ करने के साथ क्षमता संवर्द्धन करना** : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जहॉ एक और भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है वही वहॉ के स्टाफ के क्षमता संवर्द्धन हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण आदि आयोजित किये गये है ताकि वे अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सके । इसके लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों को शोध कार्य, कियात्मक शोध, संस्थागत प्रबंधन एवं कार्ययोजना आदि के क्षेत्र में क्षमता संवर्द्धन किया गया है ।

5. **नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन रणनीतियॉ** : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित हैं –

- **विकेन्द्रित नियोजन प्रकिया** – प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नियोजन प्रकिया अपनाया गया है । इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर से समुदाय के सहयोग से शिक्षा की आवश्यकता का आंकलन कर गाँव वार शिक्षा की योजना का निर्माण किया गया है । इसके बाद कमशः विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर इन सूचनाओं का संकलन कर उसका विश्लेषण कर जिले की कार्ययोजन का निर्माण किया जाता है । यह योजना पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है ।

- **नियोजन/कियान्वयन में शोध निवेश** – विभिन्न रणनीतियों के कियान्वयन की प्रगति को जानने के लिये समय–समय पर विभिन्न शोध कार्य आयोजित किये जाते हैं । शोध कार्य से प्राप्त परिणामों के आधार पर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का आंकलन कर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ।
- **कार्यकम संगठनों का मूल्यांकन** : इसके अन्तर्गत सबके लिये शिक्षा हेतु लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों की प्रगति जानने के लिए समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है ।

6. **पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन** – प्रदेश और जनपद स्तर पर कार्यकम के अनुश्रवण के लिये त्रैमासिक परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा विद्यालय आंकड़ो के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिये वार्षिक शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणानी को लागू किया गया है ।

उपरोक्त हस्ताक्षेपों से बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में क्या प्रगति हुई का विश्लेषण अध्याय पॉच में दिया गया है ।

अध्याय पंचम्

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

अध्याय–5
विश्लेषण एवं व्याख्या

5.01.0 **प्रस्तावना** :

ऑकड़ो के विश्लेषण का तात्पर्य व्यवस्थित ऑकड़ो के अध्ययन में अंतर्निष्ठ तथ्यो की खोज करना है । प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या शोध प्रकिया में आगमन एवं निगमन तर्क के प्रयोग पर आधारित है । इसके अन्तर्गत प्रदत्तों को उपसमूहो में विभाजित कर उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि दी गई परिकल्पना स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हो सके । इसके लिये प्रदत्तो को अनेक समूह को विभिन्न प्रकार के अभिकम देकर उनकी उपलब्धियों की तुलना की जाती है । आंकड़ों के संग्रहण से पहले विश्लेषण की योजना तैयार की जाती है ताकि हम निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर परिकल्पनाओं का सत्यापन कर सके । प्रदत्तों का विश्लेषण कर प्रदत्तों को अर्थपूर्ण बनाना, शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, सार्थक परिणाम प्राप्त करना, अनुमान लगाना अथवा सामान्यीकरण करना तथा प्राचलक के संबंध में अनुमान लगाने सम्बन्धी कार्य करते है । इसके लिए प्राचलक सांख्यिकी एवं अप्राचलक सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है ।

प्रस्तुत अध्याय में जानकारियों के संकलन के पश्चात् प्रदत्तों का विश्लेषण कर प्राप्त परिणामों की उद्देश्यवार व्याख्या निम्नांकित विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिया गया है –

- प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण हेतु किये गये प्रयासों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना ।
- सभी के लिए शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत समय–समय पर किये गये कार्यों पर प्रमुख शोध रिपोर्ट के निष्कर्षो का अध्ययन करना ।
- विभिन्न योजनाओं के द्वारा 'सबके लिय शिक्षा' के अन्तर्गत हुई प्रगति विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में कठिनाइयों / बाधाओं का अध्ययन करना ।
  - ➢ सार्वभौम नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा
  - ➢ ड्रापआउट
  - ➢ सामाजिक आर्थिक विषमता
  - ➢ विकलांग बच्चों की शिक्षा
  - ➢ भौतिक संसाधन

इसके लिए निम्नानुसार परिकल्पनायें निर्धारित की गई है –

- बच्चे के नामांकन की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है ।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है ।
- बच्चों के ठहराव की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है ।
- बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है ।
- विद्यालय के भौतिक संसाधन की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है ।
- विद्यालय के शैक्षिक परिवेश की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है ।

5.02.0 उद्देश्यवार विश्लेषण एवं व्याख्या : अध्ययन में प्रस्तुत उद्देश्यों की बिन्दुवार व्याख्या निम्नानुसार है –

5.02.1 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु किये गये प्रयासों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना : यह शोध का प्रथम उद्देश्य है । इसके माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयास की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति का एतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है । सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की सम्प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के सम्पूरक के रूप में प्रदेश के दस जनपदों में विश्वबैंक की वित्तीय सहायता से एक व्यापक परियोजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत जुलाई 1993 में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण एवं भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर हुये। यह परियोजना अक्टूबर, 1993 में संचालित होकर वर्ष 2000 तक चली। इस परियोजना में प्रदेश के 17 जनपदों यथा– वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बाँदा, हाथरस, चित्रकूट, भदोही, कौशाम्बी, औरैय्या, चन्दौली, ऊधमसिंह नगर, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी और नैनीताल में संचालित की गई। वर्तमान में इसके तीन जनपद उत्तरांचल राज्य में हैं।

सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किया जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मई 1993 में पंजीकृत किया गया। परिषद एक स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित हुई जो सामाजिक मिशन की भांति कार्य करते हुए बेसिक शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने और तद्द्वारा उत्तर प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए

प्रयत्नशील है। बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया।

इस परियोजना के कार्यक्रम घटक में पहला घटक उपागम विस्तार दूसरा धारण प्रोत्साहन, तीसरा गुणवत्ता संवर्द्धन, चौथा क्षमता निर्माण, पॉचवा नियोजन शोध एवं मूल्यांकन तथ छटवाँ पर्यवेक्षण और अनुश्रवण लिया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 193.9 मिलियन अमरीकी डालर या रुपये में 728.7 मिलियन थी ।

बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यकम की प्रगति जानने के लिए किये गये विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बच्चों के नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है ।

बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यकम के बाद : प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए वर्ष 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के रूप में समयबद्ध ढंग से प्रारम्भ किया। इसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना से अलग 22 जनपदों यथा– बदायूँ, बरेली, देवरिया, फिरोजाबाद, हरदोई, ललितपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, जे.पी. नगर, पीलीभीत, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, संतकबीर नगर, रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं वाराणसी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। वर्ष 1997 में लागू किया गया जिसके लिये कुल परियोजना परिव्यय रु. 629.93 करोड़ का रखा गया। तदोपरान्त प्रदेश के 38 जनपदों में 32 जनपद (6 जनपद यथा बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, तेहरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य में चले गये है) में (वर्तमान में 36 जनपद हो गये है) अप्रैल 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। लागू किया गया। इस कार्यक्रम के लिये भारत सरकार के साथ विश्व बैंक के साथ 18 के 27 अक्टूबर, 1999 के बीच समझौता हुआ। इस कार्यक्रम के लिये अनुमानित लागत 764.26 करोड़ निर्धारित की गयी। इस कार्यक्रम से प्रदेश के आच्छादित 32 जनपद आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर देहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पडरौना, प्रतागढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। और ।।। के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये –

- सभी 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में दर्ज कराना।

- बालिकाओं तथा अनुसूचित जातियों के नामांकन, धारण और सम्प्राप्ति स्तर में विद्यमान अन्तर को 5 प्रतिशत तक लाना।
- भाषा तथा गणित में वर्तमान सम्प्राप्ति स्तर से 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
- ड्राप आउट दर को 10 प्रतिशत से कम करना।
- राष्ट्रीय, राज्य जिला स्तर की संस्था एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासकों की दक्षता संवर्धन करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ भारत सरकार के सहयोग से जनशाला कार्यक्रम वर्ष 1998 से लखनऊ जनपद में संचालित किया गया है। ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल की पाँच राष्ट्रीय संस्थाओं (यूनीसेफ, यू0एन0डी0पी0, यूनेस्को, यू एन एफ पी ए और आईएसओ) के सहयोग से संचालित है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी मलीन बस्तियों के शिक्षा संबंधित बच्चों के लिये चलाया गया है जिसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से आवश्यक एवं बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना हैं। यह कार्यक्रम वर्ष 2004–05 तक पूर्ण हो गया है।

वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2001–02 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है । इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अन्तरालों को पूरा करना है।

शिक्षा में सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्तमान शिक्षा की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया और सम्पूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरुपता लाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए किसी धर्म, जाति अथवा स्त्री–पुरुष भेद के बिना प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने पर जोर दिया गया है। सभी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके नामांकन विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति तथा उपलब्धि के सुधार को महत्वपूर्ण बताया है। फलस्वरुप प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न

परियोजनायें राज्य स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से संचालित की गई । नियोजन, प्रबंधन एवं सहयेागी संरचना में व्यावसायिक दक्षता की उन्नति के लिये निम्नानुसार उपाय किये गये –

- परियोजना के प्रबंधन दक्षता को बढ़ाने के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतर्गत मई 1993 में सबके लिये शिक्षा परियोजना परिषद का अलग से गठन किया गया । जिसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों और पर्याप्त भौतिक सुविधा से सुदृढ़ीकरण किया गया ।
- शैक्षिक नियेाजन और प्रबंधन, बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन, शोध और नीति विश्लेषण के लिये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जो वर्तमान में संचालित है । इसके माध्यम से जहाँ शैक्षिक प्रशासकों का विभिन्न कौशलों पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है वही दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों के माध्यम से शैक्षिक प्रगति की स्थिति देखी जाती है । समय–समय पर शासन का नीतिगत निर्णयों के लिये नीति निदेशी नियम दिये जाते हैं ।
- शिक्षण प्रशिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के लिये जिला स्तरीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करना ।

- नियेाजन, प्रबंधन एवं व्यावसायिक सहायता के लिये सूचना प्रणाली को विकसित करना : इसके लिये निम्नानुसार कार्य किये गये –

  - ग्राम स्तरीय विद्यालय मैपिंग और सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपलब्ध शैक्षिक सुविधा विद्यालय जाने योग्य बच्चों तथा विभिन्न शैक्षिक सूचकों के माध्यम से ग्राम स्तरीय शैक्षिक कार्ययेाजना का निर्माण करना ।
  - शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तरीय शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करना तथा उसके आधार पर मानीटरिंग करना ।
  - परियोजना की प्रगति तथा प्रभाव की मानीटरिंग के लिये कमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया ।
  - कार्यक्रम के फीडबैक को जानने के लिये शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन करना ।
  - सामुदायिक सहभागिता के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को उनके कार्य एवं दायित्व पर प्रशिक्षण देना ।
  - विद्यालय पूर्व तैयारी को बढ़ाने के लिये ई.सी.सी.ई. केन्द्र को प्रायोगिक तौर पर नान आई.सी.डी.एस. विकास खण्डों में संचालित किया गया । आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय पूर्व तैयारी पैकेज का निर्माण किया गया ।

- शिक्षक और स्टाफ की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये शिक्षकों को भाषा, गणित और बहुकक्षा शिक्षण पर, डायट, विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र के माध्यम से विषयवस्तु पर प्रशिक्षण दिया गया । शिक्षकों की अच्छी कार्य विधि को विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से डिसेमिनेट किया गया ।
- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार : इसके अंतर्गत निम्नानुसार सुधार किया गया –
    - भाषा एवं गणित की सरल शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया ।
    - न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया ।
    - पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु, निर्माण करने का खाका और मुद्रण को गुणवत्तायुक्त बनाया गया ।
- विद्यालय प्रबंधन में सुधार करने के लिये सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयेां में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया तथा शिक्षक तथा समुदाय की व्यावसायिक कौशल के क्षेत्र में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया ।
- बालिका शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिये 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा परियोजना जनपद में केन्द्रीय सहायता से महिला समाख्या कार्यक्रम संचालित किया गया ।
- विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिये विद्यालय को विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई गई ।
- विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित कर उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया ।

बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अतिरिक्त निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये गये –

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना : यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत शिक्षण हेतु विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अधीन देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

- पक्की ईटों से बने दो बड़े कमरे जिनके सामने एक बरामदा भी होगा।

- कम से कम दो अध्यापक होंगे जिनमें यथासम्भव एक महिला होगी (धीरे–धीरे यह प्रयास होगा कि विद्यालय की हर कक्षा के लिए अलग–अलग एक–एक अध्यापक हो जाए)।
- खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिये पुस्तकें एवं शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान किट, गणित किट आदि की उपलब्धता।

सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया है–

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए।
- माध्यमिक शिक्षकों के लिए।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरान्त वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट सामान्य) को पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई जिसमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके।

प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.) : विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व सौंपा है। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्ष 1993–94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गये। प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत किए गए– **1.** न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं के विकास पर बल देना। **2.** ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग की क्षमता के वृद्धि करना तथा शिक्षकों को बाल केन्द्रित उपागम अपनाने के प्रोत्साहित करना।

क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना : इस परियोजना का संचालन यूनीसेफ की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में पाँच राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में किया गया । हमारे प्रदेश में यह योजना राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ.

प्र. के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद द्वारा मीरजापुर के दो विकास खण्ड़ों के 217 गाँवों में वर्ष 1992 से चलाई गई। इस योजना के उद्‌देश्य हैं –

- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय के जीवन और विकास से सम्बन्धित उपायों का सहयोग।
- पूर्व प्राथमिक / प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
- उन उपायों को विकसित करना जिनके द्वारा सामुदायिक सहभागिता सक्रिय हो सके।
- केन्द्र / राज्य सरकार और यूनीसेफ द्वारा विकास से सम्बन्धित संसाधनों को सम्मिलित करना।

विद्यालयी शिक्षा की तैयारी–कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को विद्यालय के साथ सामंजस्य एवं विद्यालयीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम छः सप्ताह से आठ सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में गीत, कहानी, खेलकूद एवं अन्य मनोरंजक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयीय क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें विशेषतः निम्नलिखित तीन क्षेत्रों की तैयारी पर बल दिया जाता है –

- वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी
- शैक्षिक तैयारी
- मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल
- गीत खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयी क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है।

प्री–विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम : भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. के तहत एक योजना का क्रियान्वयन हुआ है जिसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी शिक्षा केन्द्र उन स्थानों में खोले गये जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं थे और शिक्षा की माँग थी। यहाँ 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए पोषाहार तथा साक्षरता की व्यवस्था की गई। यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र अभी भी चल रहे हैं

वर्तमान में डी.पी.ई.पी. परियोजना के तहत शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं जहाँ 3–6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इनमें पोषाहार की व्यवस्था की गयी है। परियोजना का प्रयास है कि इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय के निकट

खोला जाए जिससे कि वह बच्चे जो छोटे भाई बहनों की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं अब जा सके और दोनों वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

रूचिपूर्ण शिक्षा : यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा और यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया । प्रथम चरण में राज्य के 15 जनपदों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था। पहले केवल कक्षा 1 को लिया गया था। इस योजना में चयनित प्रत्येक जनपद से राज्य स्तर पर पाँच–पाँच सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए तथा जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से पाँच–पाँच सन्दर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया है जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक है। न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र स्तर पर कक्षा एक को पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य–

- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना।
- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाये रखना।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- विद्यालय में आनन्ददायी शैक्षिक क्रियाओं के आयोजन से बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण (गीत, खेल, कहानी, मुखौटे, चित्रों, पैकेट बोर्ड द्वारा) प्रदान करना।

पोषाहार वितरण योजना : इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है। कुपोषण से मन्द बुद्धि बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सम्बन्ध तथा सीधा प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है।

यह योजना 15 अगस्त, 1995 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। उसी तिथि से यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू की गई। बच्चों के नामांकन और उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। शुरु में जवाहर रोजगार योजना के द्वारा आच्छादित विकास खण्डों में यह योजना क्रियान्वित हुआ । इस समय प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों के सभी विकास खण्डों में इस योजना को चलाया जा रहा है ।

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किये गये प्रयास : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार प्रयास किये गये –

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना (सभी के लिए शिक्षा परियोजना) : इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नानुसार घटको पर कार्य किया गया –

1. उपागम विस्तार :

- मैदानी क्षेत्र में 1.5 किमी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किमी0 की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
- 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
- प्राथमिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा का प्रतिरूप (माडल) उपलब्ध कराना।

2. धारण प्रोत्साहन :

- बेसिक शिक्षा परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबन्ध के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय, सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना।
- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
- समस्त प्रारंभिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करना।
- विद्यालय तैयारी के लिए 3–6 वयवर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी उम्र की बालिकाओं के सगे भाई–बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारंभिक बाल देख–रेख और शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
- हल्के संयत अधिगम/शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना।
- विद्यालयों प्रारम्भिक बाल देख–रेख एवं शिक्षा केन्द्रों, और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कर क्रियाशील बनाना।

- अन्य तृणमूल स्तरीय ढांचे जैसे महिला समूहों, युवा मंगल दलों आदि का सुदृढ़ीकरण/स्थापना करना ।

3. गुणवत्ता संवर्द्धन :

- बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक एवं छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःक्रिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन करना।
- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित शिक्षकों के लिए गुणवत्ता संवर्द्धन की रणनीतियां।
- स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक, रोचक तथा अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धक करना।
- संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों), ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक संसाधन सहायता सुनिश्चित करना।
- बहुश्रेणी शिक्षण (बहु कक्षा शिक्षण) के लिए रणनीतियों का विकास।
- बालकेन्द्रित, रूचिपूर्ण, दक्षता आधारित शिक्षण–अधिगम सामग्रियों को विकसित कर पाठ्यपुस्तकों का संशोधन करना ।

4. क्षमता निर्माण :

- राज्य परियोजना कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।
- विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तकें, अनुदेश सामग्री तथा मूल्यांकन प्रणाली और आधारभूत आंकलन अध्ययन सम्पादन आदि में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
- राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षण आयोजन, शैक्षिक नियोजन, और प्रबन्धन में प्रशासकों के लिए कार्यक्रम, शोध एवं मूल्यांकन, शैक्षिक सांख्यिकी का विश्लेषण, अभिलेखीकरण और प्रचार–प्रसार आदि में सांस्थानिक क्षमता का अभिवर्द्धन करना।

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त स्टाफ की व्यवस्था, उपकरण, पुस्तकें, वाहन आदि से जिला परियोजना कार्यालयों की स्थापना और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।
- शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक सहायता क्रियाकलापों के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य हेतु परियोजना जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र (ब्लाक) में ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकेन्द्रित सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना।
- सामुदायिक सहायता को गतिशील, विद्यालय प्रबंध और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण, और घरेलू (परिवार) सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना करना और उन्हें क्रियाशील बनाना ।

5. नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन :

- विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया ।
- नियोजन/क्रियान्वयन में शोध निवेश ।
- सभी स्तरों पर शोध क्षमता का निर्माण (विकास) ।
- कार्यक्रम संघटकों का मूल्यांकन ।

6. पर्यवेक्षण और अनुश्रवण :

- परियोजना प्रबन्ध सूचना प्रणाली और शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली के माध्यम से निर्माण कार्यों का तृतीय दल द्वारा मूल्यांकन, डी.पी.ई.पी. ब्यूरों द्वारा जनपद और प्रदेश के वार्षिक कार्ययोजना और बजट की वार्षिक समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा व्यवस्थाओं का अर्द्धवार्षिक अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।
- प्रदेश और जनपद स्तर कार्यक्रम क्रियान्चयन के अनुश्रवण के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा विद्यालयी आंकड़ों के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिए शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विकास करना ।

उपरोक्त हस्ताक्षेपों के अंतर्गत 7006 प्राथमिक विद्यालयेां का नव तथा पुनर्निमार्ण, 2462 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नव तथा पुर्ननिर्माण 10566 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, 5899 हैण्ड पम्प तथा 1021 शौचालय का निर्माण कराया गया । इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षकों की नियुक्त करते हुए उन्हें आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया गया । पाठ्यपुस्तकों को बालकेन्द्रित गतिविधि आधारित बनाया गया । राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर शैक्षिक एवं प्रबंधकीय स्टाफ को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया गया । जिसके कारण बच्चों के नामांकन में काफी वृद्धि हुई तथा ठहराव बढ़ा एवं ड्रापआउट दर में कमी आई । कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों पर भाषा एवं गणित में कराये गये बेसलाइन मिडटर्म एवं फाइनल मूल्यांकन के परिणामों में क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई । अर्थात् बेसिक शिक्षा परियोजना प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रही ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम जिसे विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। एवं ।।। की प्रमुख रणनीतियाँ निम्नानुसार रही –

- योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता।
- बालिका शिक्षा को विशेष महत्व।
- विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल।
- वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
- सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल।
- अध्यापक दक्षता में वृद्धि।

डी.पी.ई.पी. परियोजना में चयनित प्रत्येक जनपद को 5 वर्ष में अपनी आवश्यकतानुसार अधिकतम 40 करोड़ रूपया व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसमें धन का प्रावधान 85 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वहन किया जाना है। चूँकि डी.पी.ई.पी. एक पूरक कार्यक्रम है अतः राज्य डी.पी.ई.पी. परियोजना काल से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यय करता आ रहा था उसे करता रहेगा। डी.पी.ई.पी. में खर्च पर मितव्ययिता बरतने की कही गयी एवं संसाधनों का

संतुलित ढंग से प्रयोग करने पर बल दिया गया । अतः निर्माण कार्यों पर 24 प्रतिशत तथा प्रबन्धन पर 6 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी ।

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य परियोजना परिषद इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के रूप में क्रियाशील है। शैक्षिक/अकादमिक प्रबंधन का दायित्व राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) निर्वहन कर रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं :-

- विकेन्द्रित नियोजन और असमुच्चय लक्ष्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रणनीति का क्रियान्वयन।
- यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसकी 85 प्रतिशत परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है और शेष 15 प्रतिशत का योगदान प्रदेश सरकार करती है। भारत सरकार वित्त का स्रोत अंतराष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरण है।
- जनपदों में पांच वर्ष की परियोजना अवधि के लिए परियोजना प्रणाली का क्रियान्वयन।
- वर्तमान कार्यक्रमों और संसाधनों के अभिसरण पर बल देते हुए योजनाबद्ध तरीके से समेकित समग्र उपागम का प्रयोग।
- सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिये प्रति जनपद लगभग 30–40 करोड़ की धनराशि निर्धारित ।
- कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु के रूप में स्थायित्व और समानता पर संकेन्द्रण।
- वित्तीय सहायता अतिरिक्त सहायता के सिद्धांत के रूप में दी जाती है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए परियोजना प्रारम्भ से पूर्व होने वाला परिव्यय राज्य सरकार द्वारा निरन्तर संरक्षित रहे।
- सघन सामुदायिक सहभागिता पर बल।
- शोध और मूल्यांकन से प्राप्त पश्च पोषण की सहायता से गुणवत्ता युक्त पक्षों की प्रधानता।
- अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरणों और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा वर्ष में दो बार विशेष पर्यवेक्षण की व्यवस्था।

- प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम।
- वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने में अधिकार सम्पन्न राज्य स्तरीय रजिस्टर्ड सोसायटी में क्रियान्वयन दायित्व निहित।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम द्वितीय एवं तृतीय के अंतर्गत 11584 प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण 17787 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष 16470 शौचालय, 3496 हैण्ड पम्प तथा 652 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं 638 विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का निर्माण कार्य कराया गया । प्रत्येक विद्यालय का शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:40 करने के लिये अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई । जिनका प्रभाव बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर पड़ा । बच्चों की उपलब्धि जानने के लिये बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल सर्वे कराया गया । अध्ययन के अनुसार बच्चों का उपलब्धि स्तर काफी बढ़ा है (विस्तृत जानकारी उद्देश्य कमांक 3 में दी गई है) । बच्चों के ड्रापआउट में कमी आई है तथा बच्चों का ठहराव बढ़ा है । शिक्षकों की विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमीकरण में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता रही है ।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम : डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन के घोषणापत्र में उल्लेखित छः लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत में सर्वशिक्षा अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वस्तुतः सर्व शिक्षा अभियान उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सुनियोजित योजना/प्रयास है।

विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रति समुदाय में अपनेपन या लगाव की भावना विकसित करने पर बल देकर सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया गया है । बनाया जा सकता है। समूचे देश में गुणवत्ता पूर्ण बेसिक शिक्षा की माँग का यह समुचित उत्तर है। समुदाय के स्वामित्व में गहरी लगन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं का विकास करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान एक सुचिन्तित प्रयास है। इसकी अन्तर्निहित विशेषताएं निम्नवत् हैं :

- सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम।
- सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की माँग के प्रति समुचित उत्तर।

- बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर।
- प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्ध समितियों ग्राम तथा नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों के स्तर पर गठित शिक्षा समितियों, शिक्षक अभिभावक संगठनों, मातृ–शिक्षक संगठनों, स्वायत जनजातीय परिषदों तथा तृण–मूल स्तर के अन्य संगठनों को प्रभावी ढंग से सम्बद्ध करने का प्रयास।
- सम्पूर्ण देश में सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति।
- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच भागीदारी।
- राज्यों का प्रारम्भिक शिक्षा की अपनी संकल्पना विकसित करने का एक अवसर।

इसके लिये सर्व शिक्षा अभियान के निम्नानुसार उद्‌देश्य निर्धारित किये गये –

- सन् 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गांरटी केन्द्रों, वैकल्पिक और वापस विद्यालय/शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना।
- सन् 2007 तक सभी बच्चे पाँच की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सन् 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषप्रद गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।
- प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 तक सभी लिंग सम्बन्धी तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कराने पर बल ।
- स्न 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौम नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।

इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गयी है। वस्तुतः सर्वशिक्षा अभियान, राज्यों में सभी के लिए शिक्षा से सम्बन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करने का समग्र उपागम है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य : सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी और प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही स्कूलों के प्रबन्ध में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सहित सामाजिक, क्षेत्रीय और

लैंगिक विषमताओं को पाटने का एक दूसरा लक्ष्य भी है। उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आकांक्षा को व्यक्त करती है जो पृथक्कारी न हो और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देती हो। इसका प्रयोजन यह है कि बच्चों को अपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में ऐसे ढंग से समझने और उसके बारे में निपुणता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है ताकि वे आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों दृष्टियों से अपनी मानवीय क्षमता का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह अनिवार्यतः एक ऐसी मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए जो कि बच्चों को मात्र स्वार्थपूर्ति के प्रयोजनों की बजाय एक दूसरे के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करने का अवसर प्रदान करती हो ।

सर्व शिक्षा अभियान शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा का महत्व स्वीकार करता है और वह 0–14 वर्ष आयु वर्ग को एक अटूट क्रम के रूप में मानता है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के समर्थन के लिए आईसीडीएस केन्द्रों में अथवा गैर–आईसीडीएस क्षेत्रों मं विशेष स्कूल–पूर्व केन्द्रों में स्कूल–पूर्व अध्ययन की सहायतार्थ सभी प्रयास किए जाएंगे।

सर्व शिक्षा अभियान (रा.शि.अ.) के दो पहलू हैः

1. यह प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत अभिसारी कार्यतंत्र उपलब्ध कराता है।
2. यह एक ऐसा कार्यक्रम भी है जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट प्रावधान शामिल है।

यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय योजनाओं से सभी निवेश सर्व शिक्षा अभियान के कार्यतंत्र के एक अंग के रूप में परिलक्षित होंगे किन्तु कुछ वर्षों के भीतर वे सभी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल हो जायेंगे। एक कार्यक्रम के रूप में यह प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यूईई) के लिए अतिरिक्त संसाधनों के प्रावधान का परिचायक है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यनीतियां : सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम की महत्वपूर्ण कार्य नीतियां निम्नानुसार निर्धारित की गई है –

- **संस्थागत सुधार** : सर्व शिक्षा अभियान के एक अंग के रूप में केन्द्रीय और राज्य सरकारें आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने के लिए सुधार लायेंगी। राज्यों को अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना होगा और मौजूदा शिक्षा प्रणाली में ये क्रियाकलाप शामिल होंगे, शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, अध्यापकों की

तैनाती और अध्यापकों की भर्ती की तर्कसंगत व्यवस्था, अनुश्रवण और मूल्यांकन, बालिकाओं, अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित समूहों की शिक्षा की स्थिति, निजी स्कूलों और ईसीसीई सम्बन्धी नीति। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने के प्रयोजन से कई राज्य पहले ही कई बदलाव ला चुके हैं।

- **दीर्घकालिक वित्तपोषण** : सर्व शिक्षा अभियान इस आधार वाक्य पर टिका है कि प्रारम्भिक शिक्षा का वित्तपोषण दीर्घकालिक होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी को लेकर एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य अपनाना होगा ।

- **सामुदायिक स्वीकृति** : कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के जरिए स्कूल–आधारित हस्तक्षेपकारी उपायों की सामुदायिक स्वीकृति जरूरी होगी। महिला समूहों, वीईसी सदस्यों और पंचायती राज्य संसाधनों के सदस्यों को सहयोजित करके इस काम को बढ़ावा दिया जायेगा।

- **संस्थागत क्षमता निर्माण** : सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संस्थानों के लिए प्रमुख क्षमता निर्माण की भूमिका सौंपने की बात सोची गई है। गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से संसाधन व्यक्तियों और संस्थानों की एक समर्थनकारी सहायता प्रणाली जरुरी है।

- **मुख्य धारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधार** : इसके लिए संस्थागत विकास, नए दृष्टिकोणों के समावेशन तथा लागत प्रभावी और कारगर पद्धतियां अपनाकर मुख्यधारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधार लाना होगा।

- **पूर्ण पारदर्शिता सहित समुदाय आधारित अनुश्रवण** : इस कार्यक्रम में एक समुदाय आधारित अनुश्रवण प्रणाली होगी। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली (ईएमआईएस), सूक्ष्म योजना और सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय–आधारित जानकारी के साथ स्कूल स्तरीय आंकड़ों का तालमेल करेगी। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल को समुदाय के साथ प्राप्त हुए अनुदान सहित समूची जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक स्कूल में एक सूचना–पट लगाया जायेगा।

- **योजना की इकाई के रूप में बस्ती** : सर्व शिक्षा अभियान योजना की इकाई के रूप में बस्ती सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है। जिला योजनाएं तैयार करने का आधार बस्ती आधारित योजनाएं होंगी।

- **समुदाय के प्रति जवाबदेही** : सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों, अभिभावकों और पीआरआई के बीच सहयोग और साथ ही समुदाय के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता की बात सोची गई है।

- **बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता** : बालिकाएं विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख सरोकारों में से एक होगी।

- **विशेष समूहों पर बल** : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समूहों, शहरी वंचित बच्चों अन्य सुविधाविहीन समूहों के बच्चों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के समावेशन और सहभागिता पर बल दिया जायेगा।

- **परियोजना–पूर्व चरण** : पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान एक सुनियोजित परियोजना–पूर्व चरण के साथ शुरु किया जायेगा जिसमें आपूर्ति और अनुश्रवण प्रणाली के सुधार के निमित्त क्षमता विकास के प्रयोजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में हस्तक्षेपकारी उपायों में इस आशय के प्रावधान शामिल है । पारिवारिक सर्वेक्षण, समुदाय–आधारित सूक्ष्म योजना और स्कूल मानचित्रण, सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण, स्कूल स्तरीय क्रियाकलाप, सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए सहयोग, कार्यालय उपकरण, निदानात्मक अध्ययन आदि।

- **गुणवत्ता पर बल** : सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा को बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर बल देता है और इस प्रयोजन के लिए यह पाठ्यचर्या में सुधार, बाल–केन्द्रित क्रियाकलाप और प्रभावी अध्यापन–अधिगम कार्यनीतियां तैयार करने पर विशेष बल देता है।

- **अध्यापकों की भूमिका** : सर्वशिक्षा अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण और केन्द्रीय भूमिका स्वीकार करता है और उनकी विकासात्मक जरुरतों पर बल दिए जाने का पक्षपोषण करता है। अध्यापकों की शैक्षिक और व्यावसायिक गुणवत्ता विकसित करने के लिए ये सभी क्रियाकलाप किए गए है– अर्हताप्राप्त अध्यापकों की भर्ती, पाठ्यचर्या सम्बन्धी सामग्री के विकास में सहभागिता के माध्यम से अध्यापकों की उन्नति के अवसर, क्लासरूम प्रक्रिया पर बल और अध्यापकों के लिए नवाचारी संस्थानों के दौरे।

- **जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएं** : सर्व शिक्षा अभियान कार्यतंत्र के अनुसार प्रत्येक जिला प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले तथा आवश्यक सभी निवेशों को दर्शाते हुए एक समग्र तथा अभिसारी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करेगा। जोकि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षतया

अधिक लम्बी समय–सीमा के क्रियाकलापों को कार्यतंत्र उपलब्ध कराएगी। साथ ही एक वार्षिक कार्य–योजना और बजट भी होगा जो वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्राथमिकतापूर्ण क्रियाकलापों को सूचीबद्ध करेगा। संदर्श योजना एक गतिशील दस्तावेज भी होगा जिसमें कार्यक्रम, कार्यान्वियन के दौरान सतत रूप से सुधार करने की व्यवस्था होगी।

वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है । सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001–02 से 2004–05 तक 6574 प्राथमिक विद्यालय, 983 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 28781 अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 2380 हैण्ड पम्प का निर्माण कराया गया है । इसके अतिरिक्त 42115 शिक्षकों तथा 84084 शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है । जिसका प्रभाव बच्चों के नामांकन पर पड़ा है । बच्चों के यदि उच्च प्राथमिक स्तर के वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात को देखे तो वे क्रमशः 35.42, 37.78 एवं 35.41 एवं 37.77% है । यानि सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है । इसी प्रकार वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 का प्राथमिक स्तर का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात क्रमशः 85.47, 98.80 तथा 78.12, 86.39% पाया गया । अर्थात् बच्चों के नामांकन में भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है । वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है । विभिन्न शोध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष तथा शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित होती है ।

जनशाला कार्यक्रम : भारत सरकार ने जनशाला कार्यक्रम 1998 से चलाने का प्रयास किया। यह कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन की एजेन्सियों (UNICEF, UNDP, UNEPA, UNESCO and ILO) इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन के सहयोग से राज्य एवं केन्द्र में प्रारम्भिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु चलाया गया।

इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं तथा विद्यालयों को प्रभावी बनाने के लिए समुदाय का सहयोग, प्रभावी प्रबन्धन, बच्चों के अधिकार के सम्बंध में विकासात्मक कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, अभिसरण कार्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण की ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। इसके लिए बहुश्रेणी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया। यह कार्यक्रम चुने गये जनपदों में चलाए गये जो डी.पी.ई.पी. से आच्छादित नहीं है।

नौ राज्यों आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, लखनऊ में चल रहा है विभिन्न शहरों में यह कार्यक्रम पूर्ण प्रगति के साथ कार्यान्वित है । इस कार्यक्रम के माध्यम से समुदायिक सहयोग प्राप्त कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर सफलता मिली है ।

इस प्रकार विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये किये गये कार्यों का कमागत अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न परियोजना के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्व की स्थिति से वर्तमान में बच्चे के नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ–साथ विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं शैक्षिक परिवेश में काफी सुधार हुआ है ।

5.02.2 सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर किये गये कार्यों पर प्रमुख शोध रिपोर्ट के निष्कर्षों का अध्ययन करना : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति जानने तथा हस्ताक्षेपों के प्रभावी ढंग से कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शोध अध्ययन कराये गये । शोध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार है –

- वर्ष 2001 में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। से आच्छादित 5 जिलों महराजगंज, हरदोई, मुरादाबाद, बाराबंकी एवं ललितपुर में ड्रापआउट स्थिति का अध्ययन किया गया । अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए –

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट का प्रतिशत

क.सं.	विवरण	वर्ष	
		1993	1999
1	बालिका	60.0	34.25
2	बालक	40.0	35.43
3	समग्र	50.0	34.97
4	अनुसूचित जाति	–	32.64
5	पिछड़ावर्ग	–	37.63

स्त्रोत : सीमैट अध्ययन वर्ष 2001

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट का प्रतिशत

क.सं.	विवरण	वर्ष
		1999
1	बालिका	12.8
2	बालक	14.4
3	समग्र	13.9
4	अनुसूचित जाति	17.8
5	पिछड़ी जाति	14.8
6	सामान्य	8.8

स्त्रोत : सीमैट अध्ययन वर्ष 2001

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के ड्रापआउट दर में पहले की तुलना में काफी कमी आई है ।

- राज्य परियोजना कार्यालय, सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परियेाजना के जिलों में कराये गये बेसलाइन सर्वे, मिडटर्म सर्वे एवं फाइनल सर्वे में विद्यालय से बाहर 6–14 वय वर्ग के निम्नानुसर बच्चे पाये गये –

(आंकड़े हजार मे)

कमांक	सर्वे का नाम एवं वर्ष	बालक			बालिका			योग
		अनुसूचित जाति	जनजाति	समग्र	अनुसूचित जाति	जनजाति	समग्र	
1	बेसलाइन (1993–94)	359	12	782	430	10	1481	2263
2	मिडटर्म (1996–97)	312	9	515	349	10	1328	1843
3	फाइनल (2000–01)	88	5	112	177	5	581	693

स्रोत : राज्य परियोजना कार्यालय सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, लखनऊ (उ.प्र.)

उपयुक्र्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बच्चों का काफी नामांकन हुआ है ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर में हुई प्रगति का अध्ययन किया अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए –

कक्षा 2 के बच्चों का माध्य उपलब्धि प्रतिशत

कमांक	विषय	परीक्षण का नाम एवं वर्ष		
		बेसलाइन 1993	मिडटर्म 1996	फाइनल 2000
1	भाषा	63.23	48.40	85.01
2	गणित	37.91	46.43	87.99

स्त्रोत : बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल मूल्यांकन रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का माध्य उपलब्धि प्रतिशत

कमांक	विषय	परीक्षण का नाम एवं वर्ष		
		बेसलाइन 1993	मिडटर्म 1996	फाइनल 2000
1	भाषा	43.9	44.48	87.99
2	गणित	34.52	35.02	87.65

स्त्रोत : बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल मूल्यांकन रिपोर्ट

उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों के भाषा एवं गणित विषय में माध्य उपलब्धि प्रतिशत में कमशः काफी वृद्धि हुई है ।

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम–।। से आच्छादित जिलों के बच्चों के उपलब्धि स्तर का अध्ययन

  (बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल अध्ययन) समय–समय पर किया । अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए –

कक्षा 2 के लिंग के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्रतिशत

कमांक	विषय	परीक्षण का नाम	बालक			बालिका		
			N	Mean %	S.D	N	Mean%	S.D
1.	भाषा	BAS (1997)	6760	49.16	29.96	4303	44.53	30.31
		MAS (2000)	5610	70.60	26.13	4503	68.45	26.65

		FAS (2003)	6378	87.90	14.87	6378	87.48	14.99
2.	गणित	BAS (1997)	6760	45.33	33.72	4303	38.03	27.95
		MAS (2000)	5640	75.93	24.31	4499	72.73	24.96
		FAS (2003)	6378	88.13	14.80	6378	86.38	15.67

स्त्रोतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का लिंग के आधार पर माध्य उपलब्धि प्रतिशत

कमांक			बालक			बालिका		
	विषय	परीक्षण का नाम	N	Mean %	S.D	N	Mean%	S.D
1.	भाषा	BAS (1997)	6063	41.96	12.58	2621	42.15	12.6
		MAS (2000)	5610	70.60	26.13	4563	68.45	26.65
		FAS (2003)	5519	69.63	17.80	5519	69.26	18.32
2.	गणित	BAS (1997)	6036	32.08	11.55	2621	31.37	11.11
		MAS (2000)	5610	75.93	24.31	4503	72.73	24.96
		FAS (2003)	5519	64.54	18.52	5519	63.83	18.78

स्त्रोतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

उपर्युक्त अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार बच्चों के उपलब्धि स्तर में कक्षा विषय में लिंगवार प्रगति हुई है ।

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। से आच्छादित जिलों के बच्चों का उपलब्धि परीक्षण (बेसलाइन एवं मिडटर्म परीक्षण) किया । परीक्षण से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए –

कक्षा 2 के बच्चों का लिंग के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्रतिशत

कमांक	विषय	परीक्षण का नाम	बालक			बालिका		
			N	Mean %	S.D	N	Mean%	S.D
1.	भाषा	BAS (2000)	15765	60.70	28.45	13457	57.05	28.20
		MAS(2003)	14856	77.87	23.02	14742	75.82	23.96
2	गणित	BAS (2000)	15765	71.85	27.45	13457	58.50	28.00
		MAS(2003)	14856	81.11	21.76	14742	77.46	23.19

स्त्रोतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का माध्य प्राप्तांक

क्रमांक	विषय		अनुसूचित जाति/जनजाति			पिछड़ा वर्ग		
		परीक्षण का नाम	N	Mean %	S.D	N	Mean%	S.D
1.	भाषा	BAS (2000)	14410	46.75	15.34	10206	28.43	13.13
		MAS(2003)	14310	58.16	18.43	13950	56.87	18.29
2.	गणित	BAS (2000)	14410	31.48	14.53	10206	28.43	13.13
		MAS(2003)	14310	48.03	21.79	13950	64.39	21.76

स्त्रोतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

उपर्युक्त अध्ययन एवं सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि बच्चों के उपलब्धि स्तर में क्रमशः कक्षा, लिंग एवं विषयवार प्रगति हुई है।

- अग्रवाल रीना (2002) ने परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक की भूमिका का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का चयन किया गया। इसके अन्तर्गत 31 प्रधानाध्यापक, 46 शिक्षक (18 पुरुष, 28 महिला), 62 समुदाय के सदस्य एवं 33 पर्यवेक्षकों से जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - महिला शिक्षिका समुदाय को विद्यालय से जोड़ने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं करती है।
  - महिला शिक्षिका पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की कार्यशालाओं एवं सेमीनार में सहभागिता नहीं करती।
  - सिर्फ 50 प्रतिशत महिला शिक्षिका, शिक्षक संदर्शिका का विद्यालय की समस्या के समाधान में उपयोग करती है।
  - शिक्षिकायें बच्चों की समस्याओं को हल करने में कठिन परिश्रम करती है। अधिकतर महिलायें विद्यालय समय में व्यक्तिगत कार्य करती है।
  - प्रधानाध्यापक, पर्यवेक्षक, पुरुष शिक्षक एवं समुदाय के सदस्यों के अनुसार महिला शिक्षिक, शिक्षण की नई तकनीकी को जल्दी से अपनाती है। वे पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा बच्चों को नियंत्रित करने में ज्यादा सक्षम होती है।
  - 93 प्रतिशत महिला शिक्षिक अपनी नियुक्त दूरस्त क्षेत्रों में नहीं चाहती है।

- दवे, अंजली; मेहरोत्रा, निशी; रस्तोगी, राधा एवं भटनागर, सुमन (2001) ने आदर्श संकुल विकास उपागम (Model Cluster Development Approach) के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बदायूँ, गोण्डा एवं बाराबंकी जनपद का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
    - आदर्श संकुल विकास उपागम (MCDA) के माध्यम से समुदाय एवं शिक्षा विभाग में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखने को मिला।
    - बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में दोगुनी वृद्धि हुई।
    - आदर्श संकुल विकास उपागम को सफल बनाने में समुदाय के साथ–साथ महिला प्रेरक समूहों की प्रभावशाली भूमिका रही है।
    - अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है।
- गरिया, पी.एस. (2002) ने बी.आर.सी., संकुल स्त्रोत केन्द्र, एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिये जा रहे शैक्षिक सहयोग की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत एवं हरदोई जिले का चयन किया गया। न्यादर्श के रूप में 2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 विकास खण्ड स्रोत केन्द्र, 32 संकुल स्रोत केन्द्र तथा 80 विद्यालयों के 174 शिक्षकों को लिया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
    - जिला हरदोई की बी.आर.सी. ने शिक्षकों में माइक्रोप्लानिंग के प्रति जागरुकता पैदा की है।
    - हरदोई जिले के संकुल स्रोत केन्द्र, पीलीभीत जिले के संकुल स्रोत केन्द्रों की अपेक्षा प्रभावी संचालित नहीं है। वे पर्याप्त शैक्षिक सहयोग प्रदान नहीं कर रहे है।
    - जिले के कुछ बी.आर.सी. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार कुछ संकुल, बी.आर.सी. के सहयोग से संतुष्ट नहीं है।
    - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कम स्टाफ होने के कारण पर्याप्त सहयोग प्रदान नहीं कर पाते है। वे शिक्षक, बी.आर.सी. एवं संकुल स्रोत केन्द्र को निमंत्रित करने में असमर्थ पाये गये।
    - 50 प्रतिशत शिक्षक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्लॉक शैक्षिक संस्थान केन्द्र (बी. आर.सी.) एवं संकुल स्रोत केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले सहयोग से संतुष्ट नहीं पाये गये।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (2000) ने कक्षाकक्ष का अवलोकन कर कक्षा में संचालित होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया। इसके लिये

उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में संचालित बेसिक शिक्षा परियोजना के जिलों को लिया गया। अध्ययन में शिक्षक एवं बच्चों के बीच आदर का भाव देखने को मिला। शिक्षक एवं बच्चे शिक्षण के दौरान विषयवस्तु पर चर्चा करते है। अधिकतर विद्यालयों में कक्षा–कक्ष के अन्दर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया सहभागिता आधारित देखने को मिली।

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (2000) ने बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना की प्रगति को जानना था। इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन प्रदेश के 12 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित जिलों में किया गया। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
  - 10 जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया।
  - शहरी, ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के उपलब्धि स्तर एवं अन्य बच्चों के उपलब्धि स्तर के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से कम पाया गया।
  - बालक एवं बालिकाओं दोनों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया।

- शर्मा, ए.के. पूर्व निदेशक (एन.सी.ई.आर.टी.) (2000) ने शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर एवं फिरोजाबाद जनपद का चयन किया गया। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।
  - शिक्षक प्रशिक्षण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई तथा उनकी उपस्थिति नियमित हुई।
  - शिक्षक शिक्षण के दौरान अपने पूर्व ज्ञान का अधिक प्रयोग करते है।
  - शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री को कक्षा एवं विषयवार व्यवस्थित करते है।
  - शिक्षक एवं बच्चों के संबंधों के बीच अधिकतर औपचारिकता रहती है। शिक्षक बच्चों को शिक्षण के दौरान कम प्रतिभागिता कराते है।

- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) (2000) ने बेसिक शिक्षा परियोजना के 6 जनपदों में ड्रापआउट का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये उधमसिंह नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, बाँदा, इलाहाबाद एवं बाराबंकी का चयन किया गया। अध्ययन में निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।
  - सभी जिलों के कोहार्ट ड्राप आउट दर में कमी आई है। (वर्ष 1992 में कोहार्ट ड्रापआउट दर 34.1 प्रतिशत थी जो 1998 में 31.8 प्रतिशत हो गई)।

- वर्ष 1998–99 में सबसे अधिक ड्राप आउट दर अलीगढ़ जनपद (34.8 प्रतिशत) और वाराणसी (35.1 प्रतिशत) तथा सबसे कम उधमसिंह नगर (28.2 प्रतिशत) पाई गई।
- वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 के आंकड़ों के अनुसार रिपीटीशन एवं ड्राप आउट की गणना करने पर 28 से 35 प्रतिशत बच्चे कक्षा 5 पहुँचते–पहुँचते विद्यालय छोड़ देते है।
- वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 के बीच कोहार्ट ड्रापआउट दर में कमी आई। अलीगढ़ जनपद में सबसे अधिक (45.4 प्रतिशत से 34.8 प्रतिशत) कमी आई।
- सभी 6 जिलों में बालक एवं बालिकाओं के कोहार्ट ड्राप आउट में कोई खास अन्तर (बालक 32.0 प्रतिशत बालिका 31.4 प्रतिशत) देखने को नहीं मिला।
- अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के बच्चों के बीच ड्राप आउट में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिला।
- कक्षा 1 में रिपीटीशन दर सबसे अधिक तथा कक्षा 5 में सबसे कम पाई गई। सभी जिलों में कक्षावार रिपीटीशन दर कक्षा 1 से 5 में क्रमशः 9.7 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत पाई गई।
- सहारनपुर जनपद में कक्षा 1 में सबसे अधिक 16.0 प्रतिशत रिपीटीशन दर पाई गई, जबकि वाराणसी जनपद में सबसे कम 4.4 प्रतिशत पाई गई।
- जाति वार रिपीटीशन दर में खास अन्तर नहीं पाया गया।
- 39.7 प्रतिशत विद्यार्थी 5 वर्ष में कक्षा पास करते है।
- सकल नामांकन अनुपात में सभी जिलों में वृद्धि हुई। वर्ष (1997–98 में सकल नामांकन अनुपात 98.5 प्रतिशत तथा वर्ष 1999–2000 में 106.8 प्रतिशत)। लड़कों का सकल नामांकन अनुपात लड़कियों की तुलना में अधिक है। शुद्ध नामांकन अनुपात में भी वृद्धि हुई।

- श्रीवास्तव, मयंक (2002) ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का नामांकन एवं ठहराव पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया। इसके लये उत्तर प्रदेश के एटा एवं रामपुर जनपद का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।
  - निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणोरान्तर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है। बालिकाओं के नामांकन में बालकों की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई।
  - पिछड़े गाँवों में पाठ्यपुस्तक के वितरण का प्रभाव अन्य गाँव की तुलना में अधिक देखने को मिला। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई।

- सामाजिक दृष्टि से पिछड़े गाँव के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण से नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है।
- 83.5 प्रतिशत अभिभावक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मिलने संबंधी जानकारी से परिचित है।
- 86 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार पुस्तकों के मिलने से बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा अभिभावक खुश है।

● श्रीवास्तव, टी.के.; अहूजा, सुनीशा; गुप्ता प्रतिभा दास एवं झा, प्रभात (2000) ने वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के चार जिलों मुरादाबाद, शाहजहाँपुर लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थ नगर का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।

- बालशाला और आवासीय शिविरों में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सका है।
- वैकल्पिक केन्द्रों में बालिकाओं की संख्या बालकों के समान है (48.2 प्रतिशत)।
- वैकल्पिक केन्द्रों में अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया है।
- एक बड़ी संख्या में इन केन्द्रों से बच्चे औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। पूर्वोल्लिखित चार जनपदों से तीन हजार बच्चे औपचारिक विद्यालयों में आ चुके हैं। इनका नामांकन कुल बच्चों का 16 प्रतिशत है।
- समुदाय ने इन केन्द्रों के प्रति संतोष व्यक्त किया है और इनकी सफलता के कारण केन्द्रों की प्रशंसा की है।
- नीतिगत निर्णय के अनुसार इन केन्द्रों में अधिकांश महिला अध्यापिकाएं हैं परन्तु अध्यापकों ने समय से वेतन न मिलने पर असंतोष व्यक्त किया है और सम्बन्धित अभिकरणों का पूर्ण सहयोग न मिलने पर चिन्ता प्रकट की ।
- अधिकतर अध्यापक उसी गाँव के रहने वाले हैं जहाँ ये वैकल्पिक केन्द्र स्थित है, जिससे ये केन्द्र समय से खुलते हैं। यदि अध्यापक न आये तो दूसरे व्यक्ति को शिक्षण कार्य में लगा लिया जाता है।
- सभी अध्यापकों ने दो बार सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किया है ,और अब इनके लिए बारह दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी दिया गया है।
- कक्षा 2 के बालकों का सम्प्राप्ति स्तर बालिकाओं के स्तर से अच्छा देखने को मिला।

- चालम, के.यस. (2000) ने अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय भेजने में प्रोत्साहन की स्थिति का अध्ययन किया। इसके लिये आन्ध्रप्रदेश के 19 जिलों के विद्यालय जाने एवं न जाने वाले बच्चों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
    - 90 प्रतिशत ग्रामीण दलित बच्चों को विद्यालय में मिलने वाली प्रोत्साहन योजना से परिचित नहीं है।
    - कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे कक्षा 1 में नामांकन के बाद कक्षा 7 तक पहुँच जाते है।
    - विद्यालय स्तर की गणित से ग्राम शिक्षा समिति आदि के दलित समुदाय के लोग परिचित नहीं है।
    - छः जनपदों महबूब नगर, निजामबाद, अहिलाबाद, मेडक, विजियानगरम और नेलोटे में अनुसूचित जाति के बच्चों का कम नामांकन एवं उच्च ड्रापआउट दर पाई गई।
- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), (2002) ने विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग तथा शिक्षण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और फतेहपुर जनपद के दो–दो विकास खण्ड से 10–10 विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन में कक्षा एक से पाँच तक का कक्षा–कक्ष प्रेक्षण किया गया तथा अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों से संदर्शिकाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं जानने हेतु साक्षात्कार किया गया। अध्ययन के परिणामों व निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संदर्शिकाओं का संज्ञान शिक्षकों ने लिया है। अनेक अध्यापकों द्वारा इनको प्रयोग में लाया जा रहा है किन्तु इस सम्बन्ध में अध्ययन में कुछ मुख्य बिन्दु उभर कर आए हैं। अधिकांश अध्यापकों ने न संदर्शिकाओं को बहुत उपयोगी बताया। उनके अनुसार ये संदर्शिकाएँ ज्ञान–वृद्धि के साथ–साथ कक्षा को जीवन्त रखने में सहायता प्रदान करती है। बच्चों द्वारा जो गतिविधियाँ कराई जाती है तथा अनेक पाठसम्बन्धी जानकारियाँ दी जाती हैं उनसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ जाती है।

बच्चे भी शिक्षक द्वारा पाठ के रोचक प्रस्तुतीकरण और गतिविधि–आधारित शिक्षण के कारण मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। इनके विद्यालयों में कक्षा का वातावरण बहुत जीवन्त होता गया। अधिकांश शिक्षकों के पास संदर्शिकाएं उपलब्ध थीं परन्तु कुछ शिक्षकों को इनकी विषय–वस्तु की विस्तृत जानकारी नहीं थी। ऐसा लगा कि कुछ अध्यापकों ने इन्हें भली प्रकार से पढ़ा नहीं है। इन संदर्शिकाओं में प्रस्तुत शैक्षिक क्रियाकलाप, अभ्यास कार्य, छात्र मूल्यांकन इत्यादि सामग्री से अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सुविधा होती है।

- विनायक (2002) ने शिशु देख–रेख तथा शिक्षा कार्यक्रम (ई.सी.सी.ई.) का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय से आच्छादित चार जनपदों ललितपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद तथा शाहजहाँपुर का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–
    - प्राथमिक विद्यालय परिसर में शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना होने से केन्द्र के साथ ही विद्यालय में बच्चों के कुल नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेषरूप से बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होता है क्योंकि बालिकाओं में शिक्षा प्राप्त करने के प्रति रुचि विकसित हुई है और नामांकित बालिकाओं की संख्या में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है।
    - केन्द्रों में खेलों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने से बच्चों में अधिगम–क्षमताओं का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है। कक्षा एक में प्रविष्ट बच्चों को पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा, गणित, परिवेश आदि से सम्बन्धित अधिगम–बिन्दुओं को समझने में सहायता मिली है और इन विषयों में उनकी सीखने की गति उन बच्चों की तुलना में अधिक है जिनको इन केन्द्रों में विद्यालयपूर्व शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला है।
    - शिशु शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि से अनुकूल परिणाम प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार प्रवेश लेने वाले बच्चों की दर (ट्रांजीशन रेट) लगभग 61 प्रतिशत है।
    - शिक्षार्थियों के माता–पिता, अभिभावकों, शिक्षकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से प्राप्त उत्तरों/प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से बच्चों में विशेष रूप से बालिकाओं को सर्वाधिक लाभ हुआ है। छोटे भाई–बहनों के केन्द्र में प्रविष्ट हो जाने से इन बालिकाओं को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है और इसके फलस्वरूप उनको कक्षा एक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होती है।
    - प्राथमिक विद्यालय के कार्य समय में कोई हस्तक्षेप किये बिना अतिरिक्त दो घंटे के समय में शिशु शिक्षा केन्द्र का संचालन किये जाने से बच्चों की शिक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। केन्द्र तथा विद्यालय दोनों परस्पर पूर्ण सामंजस्य तथा तालमेल के साथ अपना–अपना कार्य करते है।
    - शिशु शिक्षा केन्द्रों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से उनमें शिशुओं को स्नेह तथा धैर्य के साथ मृदुल व्यवहार करने और उन्हें सीखने के अनुकूल अवसर देने की

कुशलताएँ विकसित हो जाती हैं। वे अपेक्षित दक्षता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं।

- सीमैट (2002) ने 'आदर्श संकुल विकास उपागम' की तीन वर्ष की सफलता तथा प्रभावकारिता का आकलन करने के उद्देश्य से एक मूल्यांकन अध्ययन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तीन जनपदों में किया गया– बदायूँ, गोण्डा तथा बाराबंकी। प्रत्येक जनपद में दो एम0सी0डी0ए0 संकुल तथा एक संकुल जिसमें एम0सी0डी0ए0 लागू नहीं था, लिये गए। एम0सी0डी0ए0 के द्वारा नामांकन तथा ठहराव में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से वंचित वर्ग की बालिकाओं के संदर्भ में यह कथन सत्य है। इसका श्रेय जाता है समुदाय के शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों को तथा भौतिक संसाधनों की सुलभता को। इस कार्यक्रम में समुदाय से वार्ताओं तथा सहयोग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में एक बड़ा परिवर्तन पाया गया,, विशेषकर महिलाओं की अभिवृत्तियों में जो कि उन के डब्लू0एम0जी0के0 एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 में सक्रिय प्रतिभाग से दर्शित है। समुदाय ने अपना सहयोग बच्चों के नियमित रूप से विद्यालय आने, शिक्षकों के विद्यालय आने तथा शिक्षा के लिए सही वातावरण बनाने के लिए दिया है। हर संकुल में "मीना" फिल्म के माध्यम से समुदाय के लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। फिल्म के बाद अभिभावकों में एक नया उत्साह देखा गया। उनका व्यवहार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के प्रति बदल चुका था। उनमें एक नई सोच पैदा हुई कि बालिकाओं की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। पढ़ लिखकर वे चिट्ठी लिख सकती हैं, उनमें सही–गलत सोचने की क्षमता आ जाएगी तथा शादी के बाद भी वे बुरे व्यवहार का सामना कर सकती है।

एम0सी0डी0ए0 (Model Cluster Development Approach) के बाद की स्थिति में बालिका नामांकन तथा ठहराव में दुगनी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य श्रेय 'स्कूल चलो अभियान', समर कैम्प व ठहराव सम्बन्धी क्रियाकलाप को जाता है। कई बार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद विद्यालय का वातावरण बालिकाओं के प्रति अच्छा हुआ है तथा शिक्षण विधियों में भी सुधार आया है। महिला शिक्षकों की नियुक्ति ने बालिका नामांकन पर काफी प्रभाव डाला है। नई शिक्षण विधियों, नवाचार तथा गतिविधि–आधारित शिक्षण भी सफल हुए हैं। समर कैम्प्स में बालिकाओं को पढ़ाई के साथ–साथ कढाई–सिलाई सिखाई जाती है। मुसलिम बालिकाओं को उर्दू पढ़ाई जाती है। इन क्रियाकलापों से अभिभावकों में बालिकाओं को विद्यालय भेजने के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है। बदायूँ में 37 समर कैम्प आयोजित हुए जिनमें 1425 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इनमें से 1406 बच्चे विद्यालय में नामांकित हुए। गोण्डा में 38 कैम्प लगे जिनमें 1523

बच्चे थे और 1515 बच्चे विद्यालय जाने लगे। इन कैम्पों द्वारा सबसे अधिक लाभान्वित बालिकाएँ हुई। इनके विद्यालयों में दुगना नामांकन हुआ था।

आदर्श संकुल विकास उपागम (एम.सी.डी.ए.) का प्रभाव उन संकुलों में भी परिलक्षित होता है जहाँ एम0सीडी0ए0 नहीं चल रहा है, खासकर उन संकुलों में जहाँ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सक्रिय थे तथा समुदाय की सहभागिता अधिक थी। एम0सी0डी0ए0 को सफल बनाने में समुदाय के साथ–साथ महिला प्रेरक समूहों (डब्लू0एमजीएस0 / एम0टी0ए0एस0 / पी0टी0ए0एस0) की बड़ी प्रभावशाली भूमिका रही है। समर कैम्प में आने के पश्चात् बालिकाओं में सरकार द्वारा दिये गये इन्सेन्टिव जैसे छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के वितरण के कारण अनुसूचित (एस0सी0), अल्पसंख्यक तथा बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय भेजने लगे हैं क्योंकि उन पर अतिरिक्त धन व्यय नहीं हो रहा है। बदायूँ में अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे छात्रवृत्ति से बच्चों के लिए नये साफ कपड़े बनवाएँ।

- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) 2002 ने नामांकन, ठहराव तथा अधिगम सम्प्राप्ति में परिवार तथा समुदाय की भूमिका का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के दो जनपदों बस्ती तथा सिद्धार्थनगर का चयन किया गया। इस अध्ययन में कुछ मुख्य परिणाम संकेत देते हैं कि यदि अभिभावक शिक्षित हो या शिक्षा के प्रति रुचि रखते हों तो वे निस्सन्देह अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, उनके सम्प्राप्ति–स्तर के लिए बराबर अध्यापकों से सम्पर्क बनाए रखेगे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं– इन सब पर ध्यान देंगे। अभिभावकों से वार्ता के द्वारा ज्ञात हुआ कि 86 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। वे रोज विद्यालय जाना चाहते हैं। 93 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय जाकर अध्यापकों से विचार–विनिमय करते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं। अध्ययन के बीच, साक्षात्कार के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं पर भी दृष्टि गई जैसे अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं पर यह शंका उनके मन में सदा बनी रहती है कि क्या शिक्षा उनके बच्चों को कुछ बना पायेगी। क्या वे इतने समर्थ हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पायेंगे? क्या शिक्षा रोजगार दिलायेगी? अभिभावक शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हैं और जब यह सपना साकार नहीं होता है तो वे शिक्षा को व्यर्थ समझते हैं। आवश्यकता है अभिभावकों को समझाने की, कि शिक्षा केवल रोजगार दिलाने का माध्यम ही नहीं है, वह बच्चों के पूर्ण विकास का साधन है। वे अपने छोटे–छोटे कार्य कर सकेंगे और लिख–पढ़ सकेंगे। अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रेरक समूहों की आवश्यकता है जो अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षा के गुणों के बारे में भलीभाँति समझा सकें।

अध्ययन के समय देखा गया कि अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है और यही कारण है कि वे किसी न किसी बहाने कभी घर के काम काज को लेकर और कभी गरीबी की दुहाई देकर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। ऐसे अभिभावकों को समझाने और प्रेरित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति, प्रेरक समूहों तथा समुदाय के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को समझाना है। बालिकाओं को विद्यालय न भेजने और उनको शिक्षा से दूर रखने के रूढ़िवादी विचारों को बदलना है। बस्ती तथा सिद्धार्थनगर में किये गये अध्ययन संकेत दे रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षकों को प्रथम पीढी के पढ़ने वाले बच्चों पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि पढ़ाई में अभिभावक उनका मार्गदर्शन न कर सकेंगे। अध्यापकों को ऐसे बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ाना है क्योंकि ये शिक्षा के वातावरण से वंचित रहे हैं और इनका मन पढ़ाई में लगने में समय लग सकता है।

उपर्युक्त अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सभी के लिये शिक्षा हेतु समय–समय पर संचालित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से लगाये गये हस्ताक्षेपों से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । अतः कह सकते है कि प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्व स्थिति के सापेक्ष बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ भौतिक संसाधन एवं विद्यालयीय परिवेश में पूर्व की स्थिति से वर्तमान में काफी प्रगति हुई है ।

5.02.3 विभिन्न योजनाओं के द्वारा सबके लिए शिक्षा के अन्तर्गत हुई प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना :

इस शोध का तृतीय उद्देश्य सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम की पूर्व की स्थिति तथा समय–समय पर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से लगाये गये हस्ताक्षेप से हुई प्रगति को जानना है कि प्रगति का कम क्या रहा था पूर्व एवं वर्तमान स्थिति की स्थिति क्या है ? इसके अन्तर्गत कार्यकम के उपागम विस्तार, धारण प्रोत्साहन, गुणवत्ता सवर्द्धन, क्षमता निर्माण, नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण और अनुश्रवण घटकों की स्थिति को लिया गया है । घटको की शैक्षिक दृष्टि से प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है –

बेसिक शिक्षा परियोजना : बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में वर्ष 1993 से 2000 तक संचालित की गई । इसकी इकाई लागत 728.78 करोड़ निर्धारित की गई ।

उक्त राशि का निम्नांकित क्षेत्रों में उपयोग किया गया जिसकी प्रगति निम्नानुसार रही –

- उपागम विस्तार और विद्यालय सुविधाओं में सुधार : इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु निम्नानुसार सविधाओं का विस्तार किया गया –
  - ➢ नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और पुनर्निर्माण : 6:11 वय वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालयीय शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4680 नवीन प्राथमिक विद्यालय (बेसिक शिक्षा परियोजना–। से 3396 तथा बेसिक शिक्षा परियोजना–।। से 1284 विद्यालय) तथा 2326 प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण (बेसिक शिक्षा परियोजना –। से 1110 तथा बेसिक शिक्षा परियोजना ।। से 1216) कराया गया ।
  - ➢ नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और पुनर्निर्माण : परियोजना जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये 2106 नवीन उच्च प्राथमिक (बेसिक शिक्षा परियोजना–। से 1464 तथा बेसिक शिक्षा परियोजना–।। से 642) विद्यालय तथा 356 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (बेसिक शिक्षा परियेाजना–। में 223 तथा बेसिक शिक्षा परियोजना–।। से 133 उच्च प्राथमिक विद्यालय) का पुनर्निर्माण कराया गया ।
  - ➢ अतिरिक्त कक्षा–कक्ष : अभिवृद्ध नामांकन से उत्पन्न कक्षा–कक्ष की मांग को पूरा करने के लिए परियोजना जिलों में 10506 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों (बेसिक शिक्षा परियेाजना–। से 3429 तथा बेसिक शिक्षा परियोजना–।। से 7077 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष) का निर्माण कार्य कराया गया ।
  - ➢ शौचालय एव हैण्ड पम्प : परियोजना जिलों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5899 हैण्ड पम्प तथा 10201 शौचालयों का निर्माण कराया गया । जिलावार प्रगति निम्नानुसार है –

बेसिक शिक्षा परियोजना प्रथम एवं द्वितीय के अन्तर्गत नव निर्माण तथा पुननिर्माण कार्य

कमांक	ज़िला	प्राथमिक विद्यालयों का नव तथा पुननिर्माण			उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नव तथा पुननिर्माण		
		बेसिक परियोजना–।	बेसिक परियोजना–।।	योग	बेसिक परियोजना–।	बेसिक परियोजना–।।	योग
1.	वाराणसी एवं चन्दौली	361	276	637	133	77	210
2.	भदोही एवं जौनपुर	159	79	238	47	26	73
3.	गोरखपुर	491	320	811	121	55	176
4.	इलाहाबाद एवं कौशाम्बी	624	438	1064	263	52	315
5.	बांदा एवं चित्रकूट	343	457	800	142	187	329
6.	इटावा एवं औरैया	601	285	886	310	75	385
7.	सीतापुर	693	147	840	204	65	269
8.	अलीगढ़ एवं हाथरस	364	145	509	154	60	214
9.	सहारनपुर	252	124	376	57	74	131
10.	पौड़ी *	327	108	435	154	53	207
11.	नैनीताल*	172	66	238	60	18	78
12.	ऊधमसिंह नगर*	119	55	174	42	33	75
	योग	**4506**	**2500**	**7006**	**1687**	**775**	**2462**

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश, वार्षिक आख्या 1999–2000

* वर्तमान में यह जनपद उत्तरांचल राज्य में चले गये हैं ।

बेसिक शिक्षा परियोजना एवं द्वितीय के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधायें

कमांक	ज़िला	अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण			हैण्ड पम्प	शौचालय का निर्माण
		बेसिक परियोजना–।	बेसिक परियोजना–।।	योग		
1.	वाराणसी एवं चन्दौली	311	1355	1666	218	702
2.	भदोही एवं जौनपुर	179	612	791	137	161
3.	गोरखपुर	384	642	1026	280	658
4.	इलाहाबाद एवं कौशाम्बी	616	2680	2296	872	1616
5.	बांदा एवं चित्रकूट	253	400	653	526	1104
6.	इटावा एवं औरैया	243	12	255	392	923
7.	सीतापुर	319	435	754	735	130
8.	अलीगढ़ एवं हाथरस	196	234	430	416	841
9.	सहारनपुर	462	434	896	466	714
10.	पौड़ी *	231	150	381	828	1260
11.	नैनीताल *	70	123	193	364	511
12.	ऊधमसिंह नगर *	165	0	165	65	405
	योग	**3429**	**7077**	**10506**	**5899**	**10201**

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश, वार्षिक आख्या (1999–2000)

* वर्तमान में यह जनपद उत्तरांचल राज्य में चले गये हैं ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा कार्यरत शिक्षकों की संख्या:

वर्ष	विद्यालय		शिक्षकों की संख्या					
			प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1950–51	31979	2854	65110	5189	**70299**	11605	2900	**14505**
1960–61	40083	4335	87340	11714	**99054**	19057	4202	**23259**
1970–71	62127	8787	170857	32502	**203359**	41306	10880	**52186**

1980–81	78606	13555	203712	44042	**247754**	58775	14326	**73101**
1990–91	79111	15072	209120	570137	**266157**	79914	19415	**99329**
2000–01	86361	19639	222131	69799	**291930**	76992	21933	**98925**
2003–04	119404	35427	200046	63146	**263192**	87821	20772	**108593**

स्त्रोत : शिक्षा की प्रगति, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 2003–04

जाति एवं लिंग के आधार पर विभिन्न वर्षों में नामांकन की स्थिति

वर्ष	सामान्य								
			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			योग
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1997–98	1220335	982876	498882	355704	8005	7737	1227222	1346317	**3073539**
1998–99	1220771	1047538	500887	379349	6880	7255	1728538	1434142	**3162680**
1999–2000	1293368	1068315	516029	411766	9434	9103	1818831	1489184	**3308018**

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियोजना की कियान्वयन की पूर्णतः रिर्पोट : 2000 पृष्ठ 36–38

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

कक्षा	1997–98	1998–99	1999–00
I	45.83	46.22	45.77
II	45.27	46.55	45.84
III	43.42	45.60	45.81
IV	41.45	43.57	44.51
V	40.08	41.66	42.08
I ls V	41.66	41.87	41.63

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियोजना की कियान्वयन की पूर्णतः रिर्पोट : 2000 पृष्ठ 39

बेसिक शिक्षा परियोजना की विभिन्न वर्ष की कक्षावार प्रगति आख्या

कक्षा	1997–98	1998–99	1999–2000	1997–98 से 99–2000 का अन्तर	वृद्धि दर
I	936116	853909	853119	–82997	–8.87
II	761326	770713	739382	–21944	–2.88
III	580919	660923	696517	115598	19.90
IV	430555	490606	574827	144272	33.51
V	364840	386529	444170	79330	21.74
I ls V	3073756	3162680	3308015	234259	7.62

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन

	बच्चों का नामांकन					
	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
वर्ष	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1950–51	2392175	334948	**2727123**	278339	69798	**348137**
1960–61	3170868	787660	**3958528**	446139	103688	**549827**
1970–71	6748031	3867691	**10615722**	1095740	285166	**1380906**
1980–81	6593572	2774829	**9368401**	1412783	391731	**1804514**
1990–91	7893063	4068501	**11961564**	2026314	721254	**2747568**
2000–01	8076496	4478442	**12554938**	2028155	910505	**2938660**
2003–04	16773000	6034000	**22807000**	4403000	3295000	**7698000**

स्त्रोत : शिक्षा की प्रगति, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (2003–2004)

बेसिक शिक्षा परियोजना में सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

क्रमांक	बेसिक शिक्षा परियोजना के सूचक आधारित लक्ष्य	बेसलाइन में स्थिति	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति (1999–2000)
1.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात	50	71	95
2.	उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात	30	64	65
3.	प्राथमिक स्तर पर बालिको का सकल नामांकन अनुपात	82	85	115
4.	उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिको का सकल नामांकन अनुपात	57	76	78.5
5.	प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात	39	71	97
6.	उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात	9	22	43
7.	प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालको का सकल नामांकन अनुपात	91	109	118
8.	उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालको का सकल नामांकन अनुपात	32	43	61

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियेाजना की कियान्वयन की पूर्णतः रिर्पोट : (2000) पृष्ठ 7

ड्राप आउट बच्चों की प्राथमिक स्तर पर स्थिति

विवरण	वर्ष 1993	वर्ष 1998
बालिका	60	34.25
बालक	40	35.43
योग	**50**	**34.97**

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियोजना की क्रियान्वयन की पूर्णतः रिर्पोट : (2000) पृष्ठ 41

बेसलाइट, मिडटर्म एवं फाइनल उपलब्धि अध्ययन : बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ के समय बेसलाइन (वर्ष 1993) तथा आधी परियोजना के बाद मिडटर्म (वर्ष 1996) तथा परियोजना की समाप्ति पर फाइनल उपलब्धि परीक्षण (वर्ष 2000), कक्षा 2 एव 5 में अध्ययनरत् बच्चों का भाषा एवं गणित विषय पर किया गया । तीनों उपलब्धि परीक्षणों से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए ।

बेसिक शिक्षा परियोजना की लिंग के आधार पर शैक्षिक प्रगति का माध्य प्राप्तांक

क0	ज़िला		कक्षा–2				कक्षा–5			
			भाषा		गणित		भाषा		गणित	
			Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
1.	अलीगढ़	BAS	63.40	57.50	NA	NA	45.21	44.79	40.5	38.7
		MAS	47.65	41.20	45.57	41.92	41.8	39.85	32.92	31.82
		FAS	81.90	81.00	82.40	79.80	81	80.7	80..3	79.6
2.	इलाहाबाद	BAS	57.95	57.20	45.43	39.93	41.1	39.3	33.6	28.6
		MAS	51.60	48.95	47.42	43.14	43.82	44.48	34.42	32.87
		FAS	83.20	83.60	88.40	87.40	91.7	91.8	92.8	92.3
3.	बांदा	BAS	61.65	62.70	44.43	38.43	43.7	41.9	38	36.6
		MAS	58.65	57.95	55.28	54.07	46.63	45.07	37.67	36.4
		FAS	84.70	83.70	94.50	94.70	86.6	87.8	88.8	89.4
4.	भदोही	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	49.20	49.60	57.92	53.71	46.04	44.79	42.77	47.45
		FAS	88.30	87.20	88.40	88.30	92.5	91.8	91.5	90.8
5.	इटावा	BAS	49.20	51.20	22.93	26.43	42.1	37.5	31.9	28..5
		MAS	42.45	36.30	47.92	44.64	43..03	42.53	32.62	31.62
		FAS	87.00	88.20	86.00	85.00	90.2	88.7	88	87.4
6.	गोरखपुर	BAS	61.25	60.05	53.92	40.42	41.94	38.79	34.92	30.62
		MAS	55.55	46.80	64.78	59.85	44.61	44.14	34.37	36.65
		FAS	77.90	78.30	95.30	95.00	87.7	86.7	89.4	88.9

7.	नैनीताल	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	56.15	49.05	56.71	49.78	44.2	43.54	33.95	30.7
		FAS	87.50	87.70	90.50	89.40	82.7	83.9	80.7	81.8
8.	पौड़ी	BAS	66.10	63.70	NA	NA	49.35	41.86	35.07	75
		MAS	46.90	45.20	53.50	48.21	50.45	47.75	35.77	34.62
		FAS	80.80	81.10	80.00	79.60	78	77.4	77.2	77
9.	सहारनपुर	BAS	70.70	66.05	NA	NA	51.3	50.97	39.97	39.4
		MAS	51.75	54.55	47.35	40.85	46.98	44.82	33.75	31.2
		FAS	89.60	89.50	88.80	88.10	91.1	90.5	90.2	90.6
10.	सीतापुर	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.8	23.4
		MAS	38.25	37.30	45.35	40.57	45.22	45.11	35.62	38.7
		FAS	76.90	75.50	80.80	79.90	91.3	90.4	91.3	90..5
11.	ऊधमसिंह नगर	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	45.90	44.85	57.64	52.92	44.01	43.16	31.97	30.87
		FAS	88.70	88.60	89.90	89.90	89.6	88.5	88.3	88
12.	वाराणसी	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38.27	35.6
		MAS	53.50	48.45	54.07	44.35	46.	40.01	35.92	32.92
		FAS	94.50	94.50	94.90	94.20	95.2	95.2	94.2	94.2

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना इम्पलीमेन्टेशन कम्पलीशन रिपोर्ट (2000)

BAS= बेसलाईन उपलब्धि स्तर अध्ययन

MAS= मिडटर्म उपलब्धि स्तर अध्ययन

FAS= अंतिम (परियोजना अवधि की समाप्ति पर) उपलब्धि स्तर अध्ययन

बेसिक शिक्षा परियोजना की जाति के आधार पर शैक्षिक प्रगति का माध्य प्राप्तांक

क्र0	ज़िला		कक्षा–2				कक्षा–5			
			भाषा		गणित		भाषा		गणित	
		मूल्यांकन विवरण	अनु0जाति / जनजाति	अन्य	अनु0जाति / जनजाति	अन्य	अनु0जाति / जनजाति	अन्य	अनु0जाति / जनजाति	अन्य
1.	अलीगढ़	BAS	57.00	63.25	NA	NA	42.78	46.59	NA	NA
		MAS	41.90	46.75	403.78	46.00	41.57	41.11	32.22	33.55
		FAS	80.30	82.30	79.70	82.00	81.2	82.1	79.9	79.3
2.	इलाहाबाद	BAS	52.70	59.40	37.28	45.78	42.42	42.42	29.4	33.83
		MAS	48.10	51.80	39.71	43.147	46.35	46.35	32.27	26
		FAS	84.30	82.80	88.20	88.10	84.1	84.1	92.7	92.3
3.	बांदा	BAS	53.95	66.25	37.50	46.64	47.56	47.56	33.25	37.95
		MAS	55.15	60.40	51.85	56.64	45.48	45.48	33.8	34.95
		FAS	84.40	84.10	94.20	94.90	84.7	84.7	88.4	89.2
4.	बहराइच	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	47.35	51.50	54.57	58.78	47.54	47.54	42.52	48.3
		FAS	87.40	88.00	87.80	88.10	8737	87.7	90.9	91.3

	इटावा	BAS	47.70	51.00	22.57	25.14	42308	42.08	28.1	31.13
		MAS	34.05	42.60	43.00	48.50	44317	44.17	30.25	34.07
		FAS	87.70	87.50	86.20	85.70	8932	89.2	86	88.8
	गोरखपुर	BAS	57.75	63.30	45.35	50.00	42.1	42.1	31.22	34
		MAS	45.35	56.50	57.78	65.57	46.08	46.08	34.65	34.55
		FAS	77.10	79.10	94.80	95.20	80.4	80.4	89	87.3
	नैनीताल	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.95	34.25
		MAS	46.40	55.65	48.14	55.78	63.17	63.17	31.6	32.82
		FAS	84.50	89.50	88.40	9030	88.5	88.5	81.2	80.9
	पौड़ी	BAS	48.60	67.40	NA	NA	46.54	46.54	NA	NA
		MAS	41.00	47.25	48.42	51342	49	49	34.2	35.42
		FAS	78.30	81.70	77.60	81300	81.9	81.9	75.2	77.7
	सहारनपुर	BAS	65.10	71.05	NA	NA	56.03	56.03	NA	NA
		MAS	47.05	56.05	38.78	47.28	69.25	69.25	31.92	34.07
		FAS	89.10	89.90	87.50	90.40	90.6	90.6	90.2	91
).	सीतापुर	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.32	27.75
		MAS	32.20	42.70	40.14	46.44	45.22	45.22	35.99	36
		FAS	73.00	78.50	78.50	82.10	80.1	80.1	89.1	92
1.	ऊधमसिंह नगर	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	44.20	46.55	55.64	56.85	4392	43.92	31.57	32.15
		FAS	88.80	88.50	89.50	88.70	87.7	87.7	88.2	88.4
2.	वाराणसी	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.77	37.97
		MAS	44.50	53.95	47.00	57.57	42.09	42.09	36.12	37.22
		FAS	93.80	94.70	94.10	96.20	95.4	95.4	94.3	94.5

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना इम्पलीमेन्टेशन कम्पलीशन रिपोर्ट (2000)

बेसिक शिक्षा परियोजना का क्षेत्रवार शैक्षिक प्रगति का माध्य प्राप्तांक

क0	ज़िला		कक्षा–2				कक्षा–5			
			भाषा		गणित		भाषा		गणित	
		मूल्यांकन विवरण	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
.	अलीगढ़	BAS	61.80	60.20	NA	NA	46.26	44.95	36.52	40.25
		MAS	64.85	41.60	57.85	41.71	39.85	41.48	36.95	32.1
		FAS	79.40	81.90	80.80	81.20	82.7	80.7	83.6	79.7
2.	इलाहाबाद	BAS	61.00	57.10	54.64	41.71	44.7	39.88	31.1	32.3
		MAS	49.10	50.90	51.92	45.14	45.64	43.78	32.47	34.12
		FAS	NA	8.40	NA	87.90	NA	91.7	NA	92.6
3.	बांदा	BAS	8315	60.10	80.57	38.86	56.6	41.9	43.2	37
		MAS	76.40	57.30	70.57	53.85	49.29	45.84	37.2	37.3
		FAS	90.50	83.80	99.80	94.20	94.2	86.8	93.4	88.9
4.	भदोही	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	26.25	51.45	45.64	57.57	51.42	45.29	41.65	44.37
		FAS	86.90	87.90	87.50	88.40	89.5	92.4	88.6	91.4

5.	इटावा	BAS	51.85	49.70	37.93	23.93	42	39.8	28.7	30.8
		MAS	NA	39.35	NA	46.42	NA	42.84	NA	32.25
		FAS	91.60	86.80	88.30	84.90	91.4	89.2	88.7	87.6
6.	गोरखपुर	BAS	61.10	61.10	39.95	47.57	45.69	40.55	95.95	85.17
		MAS	47.75	51.95	60.64	62.78	48.09	44.25	33.42	35.45
		FAS	74.40	78.50	94.00	95.50	86.1	87.2	87.5	89.3
7.	नैनीताल	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	NA	52.50	NA	53.21	NA	43.91	NA	32.52
		FAS	NA	87.61	NA	89.90	NA	83.3	NA	81.3
8.	पौड़ी	BAS	72.70	64.45	NA	NA	63.05	44.29	44.15	32.55
		MAS	62.35	43.80	51.28	51.50	59.91	46.69	37.65	34.62
		FAS	80.70	81.00	76.40	80.00	76.5	77.8	76.6	77.1
9.	सहारनपुर	BAS	74.15	67.70	NA	NA	59.38	47.54	42.82	38.4
		MAS	66.70	49.45	52.42	46.92	52.41	44.11	37.65	31.15
		FAS	89.80	89.50	89.30	88.30	90.8	90.8	90.9	903
10.	सीतापुर	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	NA	37.90	NA	43.50	NA	45.19	NA	35.02
		FAS	NA	76.40	NA	80.40	NA	90.9	NA	91
11.	ऊधमसिंह नगर	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	48.55	44.60	NA	53.64	42.4	44.17	28.17	32.85
		FAS	89.40	88.40	92.40	89.10	89.8	88.8	87.9	88.2
12.	वाराणसी	BAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		MAS	NA	51.45	NA	50.07	NA	41.78	NA	34.77
		FAS	NA	94.50	NA	94.60	NA	95.2	NA	94.2

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना इम्पलीमेन्टेशन कम्पलीशन रिपोर्ट (2000)

बेसिक शिक्षा परियोजना में विभिन्न वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि लाख में)

विवरण	1993—94	1994—95	1995—96	1996—97	1997—98	1998—99	1999—00	2000—01
बेसिक शिक्षा परियोजना—I	613.79	4311.81	16125.58	14169.32	13846.22	12011.89	11599.94	1631.65
बेसिक शिक्षा परियोजना—II	—	—	—	—	1660.11	9583.55	12081.91	4913.87
योग	**613.79**	**4311.81**	**16125.58**	**14169.32**	**15506.33**	**21595.44**	**23681.85**	**6545.52**

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा परियोजना की Implementation Completion Report (2000) पृष्ठ 56—57

इस प्रकार बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सभी के लिये शिक्षा हेतु समय–समय पर किये गये प्रयासों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है । इसके माध्यम से जहाँ विद्यालीय भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं में विकास हुआ है वहीं विद्यालय में बच्चों के नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा में पहले की तुलना में काफी वृद्धि हुई है । शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता संवर्द्धन में भी हुई है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम द्वितीय :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम द्वितीय उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में वर्ष 1997 से 2003 तक संचालित किया गया । इसकी इकाई लागत 629.93 करोड़ रू. निर्धारित की गई थी । इसके अंतर्गत विभिन्न हस्ताक्षेपों की प्रगति निम्नानुसार है –

- निर्माण कार्य : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदवार निम्नानुसार निर्माण कार्य कराये गये –

निर्मित प्राथमिक विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं शौचालय की प्रगति

कमांक	जिले का नाम	निर्मित प्राथमिक विद्यालय	निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष	निर्मित शौचालय
1	महराजगंज	379	424	825
2	सिद्धार्थनगर	315	428	636
3	गोण्डा	257	267	636
4	बलरामपुर	106	94	372
5	बदायूँ	403	380	1229
6	लखीमपुर खीरी	293	484	1845
7	ललितपुर	160	331	600
8	पीलीभीत	289	450	730
9	बस्ती	352	280	512
10	संतकबीरनगर	196	152	305
11	मुरादाबाद	334	168	546
12	ज्योतिबाफूलेनगर	166	80	248
13	शाहजहाँपुर	584	360	1218

14	सोनभद्र	274	432	850
15	देवरिया	306	583	675
16	हरदोई	457	329	772
17	बरेली	261	507	725
18	फिरोजाबाद	250	169	752
19	रामपुर	134	427	699
20	बहराइच	184	430	330
21	श्रावस्ती	173	280	670
22	बाराबंकी	222	564	1245
23	फैजाबाद	10	28	50
योग		6105	7647	16470

स्रोत : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम Implimentation Complition Report 2003

विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की निर्माण कार्य प्रगति

कमांक	जिले का नाम	निर्मित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	निर्मित विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	विद्यालयों में हैण्ड पम्प
1.	महराजगंज	102	12	160
2.	सिद्धार्थनगर	160	14	125
3.	गोण्डा	166	15	200
4.	बलरामपुर	101	9	95
5.	बदायूँ	164	18	500
6.	लखीमपुर खीरी	156	15	0
7.	ललितपुर	48	6	153
8.	पीलीभीत	73	7	155
9.	बस्ती	139	13	65
10.	संतकबीरनगर	77	6	105
11.	मुरादाबाद	95	12	355
12.	ज्योतिबाफूलेनगर	47	6	169
13.	शाहजहाँपुर	126	14	430

15.	सोनभद्र	66	8	52
16.	देवरिया	176	14	265
17.	हरदोई	191	19	285
18.	बरेली	144	14	241
19.	फिरोजाबाद	79	9	0
20.	रामपुर	75	6	30
21.	बहराइच	118	12	18
22.	श्रावस्ती	72	6	17
23.	बाराबंकी	135	15	320
24.	फैजाबाद	5	0	0
25.		2515	250	3440

स्रोत : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम Implementation Completion Report 2003

नामांकन में प्रगति :

- वर्ष 1996–97 में 49.29 लाख कुल बच्चे नामांकित थे जिनमें से 19.82 लाख लड़कियां थी । वर्ष 2001–02 में बच्चों का नामांकन बढ़कर 68.27 लाख (39% की वृद्धि हुई) लाख का रहा ।
- वर्ष 1996–97 में बालक एवं बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 85.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2001–02 में बढ़कर 107 प्रतिशत (25 प्रतिशत की वृद्धि हुई) हो गया ।
- वर्ष 1996–97 में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 70.5 प्रतिशत था जो वर्ष 2001–02 में 101.0 प्रतिशत (43 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया ।

उपरोक्त नामांकन की प्रगति की संक्षिप्त रुप में हम निम्न तालिका की सहायता से संक्षिप्त रुप में देख सकते हैं ।

विवरण	1996–97	2001–02	प्रतिशत वृद्धि
नामांकन सभी का	42.29 लाख	68.27 लाख	39
बालिका	19.82लाख	30.44 लाख	54
सकल नामांकन अनुपात (सभी)	85.6 प्रतिशत	107 प्रतिशत	25
सकल नामांकन अनुपात बालिका	70.5 प्रतिशत	101 प्रतिशत	43

स्रोत : सबके लिये शिक्षा प्रगति रिपोर्ट 2002

जनपदवार सकल एवं शुद्ध अनुपात को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते हैं–

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात सारणी

मांक	जिला	सकल नामांकन अनुपात				शुद्ध नामांकन अनुपात			
		1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
	बदायूँ	50.9	77.4	98.6	105.6	43.5	69.6	86.3	97.
	बरेली	74.8	73.8	91.0	93.6	61.9	65.1	80.0	82.
	देवरिया	66.8	75.1	83.5	83.2	55.7	64.0	72.4	71.
	फिरोजाबाद	81.1	84.9	102.3	96.2	67.8	73.2	88.1	84.
	हरदोई	85.7	86.5	99.4	116.0	76.6	78.9	91.5	89.
	ललितपुर	74.6	100.5	103.9	108.3	62.7	90.0	94.3	97.
	महाराजगंज	71.4	88.0	99.3	97.4	54.7	78.5	87.8	87.
	मुरादाबाद एवं जे.पी. नगर	81.7	78.8	100.0	94.1	70.2	62.0	78.2	81.
.	पीलीभीत	43.2	87.7	92.6	104.4	36.1	78.3	87.4	94.
0.	शाहजहाँपुर	66.9	64.5	97.7	95.9	61.1	56.0	84.4	87.
1.	सिद्धार्थ नगर	54.9	67.0	82.4	87.4	52.2	63.4	79.0	75.
2.	सोनभद्र	62.2	60.6	71.3	104.7	50.9	58.2	68.1	101.
3.	गोण्डा एवं बलरामपुर	88.2	70.6	82.6	84.5	76.9	60.0	70.4	73.
4.	लखीमपुर	74.0	88.9	104.6	108.7	63.4	80.1	94.3	99.
5.	बस्ती एवं संत कबीर नगर	-	76.7	86.5	80.7	_	69.3	78.8	74.
6.	रामपुर	-	-	53.8	74.3	-	-	41.2	57.
7.	बहराईच	-	-	82.6	83.1	-	-	82.9	80.
8.	श्रावस्ती	-	-	86.0	85.1	-	-	77.0	76.
9.	बाराबंकी	-	-	98.5	100.1	-	-	41.2	57.
	माध्य प्रतिशत	**69.7**	**84.3**	**90.3**	**94.9**	**59.5**	**74.7**	**78.1**	**82.**

स्त्रोत : पहुँच एवं धारण रिपोर्ट, सीमैट इलाहाबाद – 2002

विभिन्न वर्षों में लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात माध्य को देखने से स्पष्ट होता है कि लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई लेकिन उसके बावजूद हम आज भी अपने लक्ष्य से पीछे है । इसे हम निम्न ग्राफ एवं तालिका की सहायता से देख सकते हैं ।

लड़कियों का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात सारणी

कमांक	जिला	सकल नामांकन अनुपात				लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात			
		1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
1.	बदायूँ	50.9	77.4	98.6	105.6	37.9	60.3	79.8	90.8
2.	बरेली	74.8	73.8	91.0	93.6	60.6	62.4	79.5	86.4
3.	देवरिया	66.8	75.1	83.5	83.2	69.6	78.7	83.1	89.9
4.	फिरोजाबाद	81.1	84.9	102.3	96.2	73.9	80.1	97.0	93.4
5.	हरदोई	85.7	86.5	99.4	116.0	73.5	76.2	104.8	89.3
6.	ललितपुर	74.6	100.5	103.9	108.3	63.6	84.5	105.1	100.4
7.	महाराजगंज	71.4	88.0	99.3	97.4	57.8	77.6	87.6	89.2
8.	मुरादाबाद एवं जे.पी. नगर	81.7	78.8	100.0	94.1	37.9	65.8	85.4	85.5

9.	पीलीभीत	43.2	87.7	92.6	104.4	37.9	60.3	79.8	90.8
10.	शाहजहाँपुर	66.9	64.5	97.7	95.9	49.4	57.4	91.0	92.5
11.	सिद्धार्थ नगर	54.9	67.0	82.4	87.4	57.0	52.3	68.3	67.3
12.	सोनभद्र	62.2	60.6	71.3	104.7	45.8	63.4	88.8	93.8
13.	गोण्डा एवं बलरामपुर	88.2	70.6	82.6	84.5	78.8	54.3	65.6	72.5
14.	लखीमपुर	74.0	88.9	104.6	108.7	67.7	81.1	91.7	104.6
15.	बस्ती एवं संत कबीर नगर	0.0	76.7	86.5	80.7	0.0	73.4	83.5	81.5
16.	रामपुर	0.0	0.0	53.8	74.3	0.0	0.0	46.1	0.0
17.	बहराईच	0.0	0.0	82.6	83.1	0.0	0.0	65.5	71.7
18.	श्रावस्ती	0.0	0.0	86.0	85.1	0.0	0.0	69.7	71.0
19.	बाराबंकी	0.0	0.0	98.5	100.1	0.0	0.0	91.6	95.6
	माध्य प्रतिशत	**69.7**	**84.3**	**90.3**	**94.9**	**58.0**	**68.5**	**82.3**	**87.0**

स्त्रोत : पहुँच एवं धारण रिपोर्ट, सीमैट इलाहाबाद – 2002

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। के जनपदों के सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार परिणाम परिलक्षित होते है –

- वर्ष 2000–01 के शैक्षिक सूचना प्रबंध प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। के जनपदों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत माध्य 94.9 तथा शुद्ध नामांकन अनुपात प्रतिशत माध्यम 82.5 प्रतिशत है ।
- वर्ष 1997–98, 98–99, 2000–01 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों में सकल एवु शुद्ध नामांकन अनुपात के दर का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है ।
- वर्ष 2000–01 में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात का प्रतिशत माध्य 87.0 प्रतिशत है । जोकि लड़कों की अपेक्षा काफी कम है ।
- विभिन्न वर्षो के आंकड़ों का विश्लेषण से स्पष्ट है कि लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम लक्ष्य से काफी पीछे है ।

रिपीटीशन दर :

शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। के जनपदों के आंकड़ों के विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि रिपीटीशन दर में लगातार कमी आयी है । वर्ष 1997–98, 1998–99 एवं 1999–2000 में रिपीटीशन दर क्रमशः 6.3, 4.9 एवं 3.8 प्रतिशत पाई गई । जिले का रिपीटीशन दर को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते है

रिपीटीशन दर सारणी

क्र. सं.	जिला	1997–98						199–99						1999–2000					
		I	II	III	IV	V	माध्य प्रतिशत	I	II	III	IV	V	माध्य प्रतिशत	I	II	III	IV	V	माध्य प्रतिशत
1.	बदायूँ	10.0	7.9	7.4	5.4	2.5	6.6	7.2	6.6	5.8	4.5	2.2	5.3	0.0	1.6	2.8	2.2	1.7	1.7
2.	बरेली	9.0	6.7	6.6	4.6	2.4	7.3	1.7	1.4	1.9	1.5	0.8	1.8	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1
3.	देवरिया	5.7	3.1	2.3	1.6	1.0	3.4	6.9	3.5	2.2	1.5	0.6	3.7	6.1	3.0	2.5	1.7	1.0	3.6
4.	फिरोजाबाद	15.9	7.9	6.4	4.3	2.1	9.2	8.9	5.2	4.3	2.6	1.2	5.6	9.2	5.1	4.2	2.9	0.9	5.6
5.	हरदोई	6.5	4.1	4.8	3.6	1.5	5.1	3.5	2.5	3.7	2.5	1.2	3.3	0.3	0.1	1.8	1.5	0.9	1.1
6.	ललितपुर	11.6	6.8	8.6	7.2	4.4	9.6	4.3	4.1	6.1	4.4	2.1	5.3	5.2	6.2	9.1	7.6	3.8	8.0
7.	महाराजगंज	9.8	5.1	3.0	2.1	0.9	5.2	6.7	3.5	2.5	1.4	0.7	3.7	4.4	2.9	2.1	1.3	0.5	2.8
8.	मुरादाबाद एवं जे.पी. नगर	8.0	3.8	2.4	1.3	0.5	4.0	4.6	2.8	1.7	0.8	0.4	2.6	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	1.0
9.	पीलीभीत	8.3	2.0	1.6	0.8	0.4	3.3	7.0	1.0	0.4	0.2	0.2	2.2	7.0	2.5	2.2	1.7	1.0	3.6
10.	शाहजहाँपुर	2.4	4.8	7.7	6.6	6.7	7.0	0.9	2.0	3.3	3.3	3.8	3.3	2.1	3.1	3.0	2.0	1.4	2.9
11.	सिद्धार्थ नगर	24.0	6.3	4.2	2.6	1.2	9.6	12.4	3.6	2.9	1.8	0.7	5.4	14.3	5.5	4.0	2.8	1.3	7.0
12.	सोनभद्र	9.5	6.1	4.6	3.0	1.1	6.1	1.1	1.3	0.8	3.0	0.6	1.7	2.7	2.7	2.1	1.2	0.8	2.4
13.	गोण्डा एवं बलरामपुर	8.2	6.2	5.6	4.0	1.5	6.4	1.6	3.0	3.2	3.6	1.5	3.3	5.2	4.0	3.8	3.2	1.4	4.4
14.	लखीमपुर	7.2	5.3	5.5	4.3	1.8	6.0	7.6	4.2	5.3	4.7	2.1	5.9	7.1	4.5	4.9	3.8	1.8	5.5
15.	बस्ती एवं संत कबीर नगर	11.4	4.1	2.7	1.8	0.6	5.1	4.7	1.4	1.0	0.5	0.3	2.0	9.7	3.2	2.7	1.8	0.7	4.5
16.	रामपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		6.9	4.1	5.0	3.5	1.3	5.2
17.	बहराईच	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		3.7	3.0	4..7	3.7	1.4	4.1
18.	श्रावस्ती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0	2.7	3.1	2.5	1.0	3.8
19.	बाराबंकी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		8.4	3.5	3.2	2.2	0.8	4.5
		9.8	**5.3**	**4.9**	**3.6**	**1.9**	**6.3**	**5.3**	**3.1**	**3.0**	**2.4**	**1.2**	**3.7**	**3.9**	**2.4**	**2.4**	**1.8**	**0.9**	**2.9**

स्रोत – पहुँच एवं धारण रिपोर्ट, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद 2002

यदि हम वर्ष 1999–2000 के रिपीटीशन दर के आंकड़ों का विश्लेषण से प्राप्त माध्य प्रतिशत में कक्षा 1 में रिपीटीशन दर सबसे अधिक (कक्षा 1 का रिपीटीशन दर माध्य 3.9

प्रतिशत) तथा कक्षा 5 में रिपीटीशन दर माध्य दर सबसे कम (कक्षा 5 का रिपीटीशन दर माध्य 0.9 प्रतिशत) है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। के जनपदों के रिपीटीशन दर का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार परिणाम परिलक्षित होते है –

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। के जनपदों के कक्षावार रिपीटीशन दर के प्रतिशत माध्य का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि रिपीटीशन दर में लगातार कमी आई है ।
- यदि हम विभिन्न वर्षवार रिपीटीशन दर को देखे तो रिपीटीशन दर में कमी दिखाई देती है ।
- वर्ष 99–00 के आंकड़ों के आधार पर यदि हम रिपीटीशन दर प्रतिशत माध्य को देखे तो ललितपुर जनपद में दर सबसे अधिक 8.0 प्रतिशत तथा बरेली जनपद में दर सबसे कम 0. 1 प्रतिशत है ।

ड्रापआउट दर :

शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। से आच्छादित जनपदों में ड्रापआउट में आंशिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ।

यदि कक्षावार ड्रापआउट दर का माध्य प्रतिशत देखे तो ड्रापआउट दर में लगातार उतार–चढ़ाव की स्थिति दिखाई देती है । इसे हम निम्न ग्राफ की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार ड्रापआउट दर को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते हैं –

जिलेवार ड्रापआउट की स्थिति

क्र. सं.	जिला	1997—98						199—99						1999—2000					
		I	II	III	IV	V	माध्य प्रतिशत	I	II	III	IV	V	माध्य प्रतिशत	I	II	III	IV	V	माध्य प्रतिशत
1.	बदायूँ	16.8	9.1	10.3	4.9	-	10.3	13.4	11.4	12.	8.3	-	11.5	13.	6.1	12.8	10.	-	10.5
2.	बरेली	21.3	18.8	20.5	15.1	-	18.9	12.0	17.9	20.	12.5	-	15.6	8.	8.2	19.2	15.	-	12.8
3.	देवरिया	24.3	8.0	6.2	1.3	-	10.0	26.8	13.5	15.	11.2	-	16.7	19.	15.9	19.1	17.	-	18.1
4.	फिरोजाबाद	22.3	12.4	10.3	1.2	-	11.6	22.7	10.6	12.	5.7	-	12.8	16.	9.9	10.6	5.	-	10.7
5.	हरदोई	13.9	10.4	14.1	10.7	-	12.3	0.5	2.7	8.	1.5	-	3.2	11.	8.1	15.3	12.	-	11.9
6.	ललितपुर	7.9	11.0	12.1	10.8	-	10.5	4.7	10.7	12.	11.5	-	9.9	6.	5.2	11.6	12.	-	9.0
7.	महाराजगंज	24.1	7.0	2.6	0.5	-	8.6	21.9	11.0	7.	0.1	-	10.0	29.	18.2	22.0	17.	-	21.8
8.	मुरादाबाद एवं जे.पी. नगर	21.5	10.1	8.3	0.5	-	10.1	20.3	12.9	13.	5.2	-	12.9	26.	19.1	25.2	20.	-	22.8
9.	पीलीभीत	5.3	17.4	23.1	17.2	-	15.7	5.5	14.2	22.	19.5	-	15.5	1.	0.5	14.2	17.	-	8.5
10.	शाहजहाँपुर	19.0	3.9	2.6	0.5	_	6.5	3.4	0.5	2.	0.5		1.6	24.	12.9	22.3	24.	-	21.1
11.	सिद्धार्थ नगर	14.0	12.6	14.4	12.6	_	13.4	8.1	10.2	11.	10.0		9.9	18.	17.6	19.7	18.	-	18.6
12.	सोनभद्र	11.5	4.7	9.7	0.5	_	6.6	4.5	0.5	2.	0.5		4.9	10	9.6	12.9	12.	-	11.3
13.	गोण्डा एवं बलरामपुर	27.0	19.3	17.6	9.8	_	18.4	27.2	19.9	21.	11.6		20.1	22.	13.0	21.1	15.	-	17.9
14.	लखीमपुर	18.8	14.8	16.6	8.9	_	14.8	10.6	14.8	18.	10.3		13.5	10.	6.9	13.1	9.	-	9.9
15.	बस्ती एवं संत कबीर नगर	28.9	6.0	3.4	0.5	_	9.7	27.0	13.4	18	11.6		17.7	25.	15.1	17.8	9.	-	16.9
16.	रामपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.	0.5	8.0	2.	-	2.9
17.	बहराईच	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.	12.1	21.2	21.	-	17.2
18.	श्रावस्ती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		10.2	19.7	21.	-	12.9
19.	बाराबंकी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.	6.1	10.2	6.	-	8.1
		18.4	**11.0**	**11.5**	**6.3**	**0.0**	**11.8**	**13.9**	**10.9**	**13.**	**8.0**	**0.0**	**11.5**	**12.**	**8.8**	**13.5**	**11.**	**0.0**	**11.7**

स्रोत – शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली रिर्पोट

वर्ष 1997—2000 के ड्रापआउट दर के माध्य प्रतिशत आंकड़ों का कक्षवार अध्ययन करने पर कक्षा 3 में ड्रापआउट दर सबसे अधिक (ड्रापआउट दर का माध्य 16.6 प्रतिशत) तथा कक्षा 2 में ड्रापआउट दर सबसे कम (ड्रापआउट दर माध्य 9.8 प्रतिशत) है ।

वर्ष 99—00 के आंकड़ों के आधार पर यदि हम जनपवाद ड्रापआउट दर का विश्लेषण करे तो निम्नानुसार वर्गअंतराल प्राप्त होता है ।

ड्रापआउट दर की कक्षावार आवृत्ति (1990–2000)

वर्ग अंतराल	जनपदों की ड्रापआउट दर की कक्षावार आवृत्ति				
	I	II	III	IV	V
0–4	3	2	0	1	–
4–8	1	4	1	2	–
8–12	5	5	3	4	–
12–16	2	7	5	5	–
16–20	4	4	6	5	–
20–24	2	0	5	4	–
24–28	4	0	2	1	–
28–32	2	0	0	0	–
योग	**22**	**22**	**22**	**22**	

स्त्रोत : पहुंच एवं धारण रिपोर्ट, सीमैट, 2002

- विभिन्न वर्षों के कक्षावार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर वर्ष 98–99 से 1999–2000 में कक्षा ।।। एवं IV में ड्रापआउट बढ़ा है जबकि कक्षा । एवं ।। में ड्रापआउट घटा है ।
- वर्ष 99–00 के ड्रापआउट आंकड़ों को यदि हम वर्ग अंतराल में देखे तो अधिकतर जनपद 12–16 एवं 16–20 वर्ग अंतराल में आते है ।
- वर्ष 99–00 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। के जनपदों के कोहर्ट का माध्य प्रतिशत 44.2 प्रतिशत है । यदि हम 97–98, 89–99, 99–00 वर्षों के कोहर्ट का माध्य प्रतिशत देखे तो स्पष्ट है कि कोहर्ट ड्राप आउट दर में कमी आई, लेकिन लगभग 1 प्रतिशत के लगभग ।
- वर्ष 99–00 के आंकड़ों के अनुसार जनपद मुरादाबाद एवं जे.पी.नगर को कोहर्ट ड्रापआउट दर 65.0 प्रतिशत है जो अन्य जनपदों की तुलना में सबसे अधिक है ।

अन्य शैक्षिक सुविधा एवं संरचना

अपव्यय एवं अवरोधन :–

- वर्ष 2001–02 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष में कक्षा 5 की शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत माध्य 47.1 प्रतिशत है । सिद्धार्थनगर जनपद का 5 वर्ष में कक्षा 5

करने वाले बच्चों की संख्या 30.68 प्रतिशत है । जो कि अपेक्षित लक्ष्य 100 प्रतिशत के एक तिहाई से कम है । 5 वर्ष में कक्षा 5 पास करने वाले बच्चों की संख्या 22 जनपदों में से 11 जनपदों की 50 प्रतिशत से कम है । यदि हम इन जनपदों की Coefficient of Efficiency देखें तो यह 69 प्रतिशत के लगभग है । प्रति जनपद औसतन विद्यार्थी वर्ष 6738 रिपीटीशन के कारण तथा औसतन विद्यार्थी 97567 वर्ष ड्रापआउट के कारण अपव्यय होता है । औसत 7.4 वर्ष बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में लगते हैं ।

विद्यालय से बाहर बच्चे :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। के जनपदों में 6–11 वय वर्ग के 10 प्रतिशत बच्चे जिनमें से 9.4 प्रतिशत लड़के तथा 10.8 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से वंचित है जिन्हें की प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है । ललितपुर जनपद सबसे अधिक 18.3 प्रतिशत 6–11 वय वर्ग के बच्चे प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से वंचित है, जबकि देवरिया जनपद में 3.0 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा सुविधा से वंचित है । जनपदवार विद्यालय से वंचित 6–11 वय वर्ग के बच्चों को हम निम्न आवृत्ति सारणी से देख सकते है ।

वर्ग अंतराल (प्रतिशत में)	जनपदों की 6–1 वय वर्ग के बाहर बच्चों की आवृत्ति	
	लड़के	लड़कियाँ
0–4	2	1
4–8	6	7
8–12	3	4
12–16	10	4
16–20	1	4
20–24	0	2
योग	**22**	**22**

स्त्रोत : पहुंच एवं धारण रिपोर्ट, सीमैट, 2002

बच्चों का उपलब्धि स्तर :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। से आच्छादित जनपदों में बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिये परियोजना प्रारम्भ के समय (वर्ष 1997) परियोजना के मध्य (वर्ष 2000) एवं

परियोजना की समाप्ति पर (वर्ष 2003) कमशः बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल अध्ययन किये गये । अध्ययन से निम्नानुसार लिंग एवं कक्षावार परिणाम प्राप्त हुए ।

कक्षा 2 के बच्चों का लिंग के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्रतिशत

विषय	परीक्षण का नाम	बालक			बालिका		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
भाषा	BAS	6760	49.16	29.96	4303	44.53	30.31
	MAS	5610	70.60	26.13	4503	68.45	26.65
	FAS	6756	87.90	14.87	6001	87.48	14.99
गणित	BAS	6760	45.33	33.72	4303	38.0	27.95
	MAS	5640	75.93	24.31	4499	72.73	24.96
	FAS	6756	88.30	14.90	6001	86.38	15.67

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यकम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, बच्चों की उपस्थित रिपोर्ट

BAS = बेसलाईन उपलब्धि स्तर अध्ययन, MAS = मिडटर्म उपलब्धि स्तर अध्ययन, FAS = परियोजना अवधि की समाप्ति पर उपलब्धि स्तर अध्ययन

कक्षा 2 के बच्चों का क्षेत्र के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

विषय	परीक्षण का नाम	ग्रामीण			शहरी		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
भाषा	BAS	9800	47.28	30.34	1245	44.15	29.87
	MAS	8114	68.89	26.51	2025	72.50	25.79
	FAS	10187	87.61	14.87	2570	88.06	15.13
गणित	BAS	9800	42.07	28.25	1245	42.45	27.79
	MAS	8114	73.45	24.97	2025	78.78	22.86
	FAS	10187	87.25	15.20	2570	87.53	15.39

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

कक्षा 2 के बच्चों का जाति के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

विषय	परीक्षण का नाम	अनुसूचित जाति / जनजाति			पिछड़ा वर्ग			अन्य		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
भाषा	BAS	3666	40.94	30.03	5317	48.64	30.45	2066	53.59	'31.31
	MAS	3377	65.45	28.25	4516	70.65	25.8	2245	73.8	24.09
	FAS	3917	86.26	15.84	5994	88.20	14.37	2846	88.62	14.63
गणित	BAS	3666	37.88	27.90	5317	44.32	28.51	2066	49.29	30.26
	MAS	3377	70.09	26.12	4516	75.19	23.94	2245	79.75	22.54
	FAS	3917	85.67	16.77	5994	88.13	14.36	2844	87.83	14.64

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

कक्षा 2 के बच्चों का लिंग के आधार पर समग्र रूप में उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

कमांक	परीक्षण का नाम	बालक			बालिका		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
1	BAS	11045	46.69	32.26	11045	27.08	19.0
2	MAS	10139	69.61	26.21	10139	74.51	24.65
3	FAS	12757	87.70	14.93	12757	87.31	15.24

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का लिंग के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

विषय	परीक्षण का नाम	बालक			बालिका		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
भाषा	BAS	6063	41.96	12.58	2621	42.15	12.6
	MAS	5610	70.60	26.13	4503	68.45	26.65
	FAS	6036	69.68	17.80	5003	69.26	18.32
गणित	BAS	6063	32.08	11.55	2621	31.37	11.11
	MAS	5610	75.93	24.31	4503	72.73	24.96
	FAS	6036	64.54	18.52	5003	63.83	18.78

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का क्षेत्र के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

विषय	परीक्षण का नाम	ग्रामीण			शहरी		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
भाषा	BAS	7322	41.45	10.3	1035	43.51	11.10
	MAS	8114	0.89	26.51	2025	72.50	25.79
	FAS	8875	68.83	18.15	2164	72.18	17.32
गणित	BAS	7322	32.17	11.38	1035	32.07	10.31
	MAS	8114	73.45	24.97	2025	78.78	22.86
	FAS	8875	64.34	18.79	2164	63.73	17.99

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का जाति के आधार पर उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

विषय	परीक्षण का नाम	अनुसूचित जाति / जनजाति			पिछड़ा वर्ग			अन्य		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
भाषा	BAS	2389	40.51	9.89	3944	41.80	10.50	2024	43.31	11.12
	MAS	3377	65.45	28.05	4516	70.65	25.80	2245	73.8	24.09
	FAS	3751	68.40	18.60	4769	70.01	17.63	2519	70.12	17.90
गणित	BAS	2389	30.66	10.34	3944	33.08	11.87	2024	33.45	11.49
	MAS	3377	70.09	26.12	4516	23.94	23.94	2245	79.75	22.54
	FAS	3751	63.56	18.98	4769	65.03	18.39	2519	63.68	18.55

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

कक्षा 5 के बच्चों का समग्र रूप में उपलब्धि का माध्य प्राप्तांक

कमांक	परीक्षण का नाम	बालक			बालिका		
		संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य प्रतिशत	प्रमाप विचलन
1	BAS(1997)	8357	41.41	10.02	8357	32.39	11.50
2	MAS(2000)	8799	50.48	15.16	8799	44.96	17.87
3	FAS(2003)	11039	69.49	18.04	11039	64.22	18.64

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ : बच्चों की उपलब्धि रिपोर्ट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। की शैक्षिक एवं भौतिक प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त परियोजना के माध्यम से जहाँ एक ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमागत वृद्धि हुई है वही बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है । परियोजना अवधि के प्रारम्भ, मध्य एवं परियोजना अवधि के समाप्ति पर किये गये कमशः बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल मूल्यांकन के अनुसार कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों में जाति, लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर भाषा एवं गणित विषय में बच्चों के मध्य प्राप्तांक में कमशः काफी वृद्धि हुई है । अर्थात हम कह सकते है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय के माध्यम से सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम तृतीय :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम तृतीय उत्तर प्रदेश के 36 जनपदों में वर्ष 2000 से 2005 तक संचालित किया गया । इसकी इकाई लागत 764.26 करोड़ रूपये निर्धारित की गई थी । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम तृतीय में भी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। के समान जहाँ निर्धारित मापदण्ड के अनुसार असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई वही विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ विद्यालय के परिवेश को आकर्षक बनाया गया । शिक्षकों एवं विभिन्न प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धन किया गया । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिहिन्त कर उनकी आवश्यकता को जानते हुए उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया । विभिन्न नवाचारों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया । राज्य एवं जिला स्तर से शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिये अलग से कार्यालय खोलकर अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई ताकि वे वर्तमान कार्यरत संरचना में अतिरिक्त सहयेाग प्रदान कर सके । विभिन्न क्षेत्रों में किये गये कार्यो के फलस्वरूप जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के जिलों में निम्नानुसार शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया जिसकी प्रगति निम्नानुसार रही –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम ।।। के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्य

वर्ष	प्रा.वि. भवन का निर्माण	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	हैण्डपम्प	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र
2000–01	2419	5887	55	388	4005
2001–02	2453	4253	0	0	0

2002—03	607	0	0	0	0
2003—04	0	0	0	0	0
2004—05	0	0	0	0	0
योग	**5479**	**10140**	**55**	**388**	**4005**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय रिपोर्ट

शिक्षक तथा शिक्षामित्रों की स्थिति

वर्ष	शिक्षकों की नियुक्ति	शिक्षामित्रों की नियुक्ति	योग
2000—01	1216	3646	4862
2001—02	1173	8822	9995
2002—03	347	717	1064
2003—04	0	0	0
2004—05	0	0	0
योग	**2736**	**13316**	**15921**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय रिपोर्ट

वर्ष 2001—2002 से सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित हो जाने के कारण निर्माण तथा अन्य नये कार्य सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किये गये हैं ।

नामांकन में प्रगति :

- वर्ष 1999—2000 में 64.27 लाख बालक एवं बालिका नामांकित थे । वर्ष 2001—02 में यह नामांकन बढ़कर 98.97 लाख (54 प्रतिशत की वृद्धि हुई) हो गया ।
- वर्ष 1999—2000 में बालिकाओं का नामांकन 26.88 लाख था जो वर्ष 2001—02 में 45.80 लाख (70 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया । बालिकाओं के नामांकन में काफी अधिक वृद्धि हुई ।
- बालक एवं बालिकाओं का समग्र रूप से सकल नामांकन अनुपात वर्ष 1999—2000 में 84.0 प्रतिशत था जो वर्ष 2001—02 में बढ़कर 102.0 प्रतिशत (21 प्रतिशत की वृद्धि) हुई । इसी प्रकार वर्ष 1999—2000 में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 81.0 प्रतिशत था जो वर्ष

2001–02 में 100.4 प्रतिशत (23.1 की वृद्धि) हो गया । उक्त नामांकन की प्रगति को हम निम्न तालिका की सहायता से संक्षिप्त रूप में देख सकते है –

विवरण	वर्ष 1999–2000	वर्ष 2001–02	वृद्धि (प्रतिशत में)
नामांकन	64.27 लाख	98.97 लाख	54
बालिका	26.88 लाख	45.80 लाख	70
सकल नामांकन अनुपात सभी	84 प्रतिशत	102 प्रतिशत	21
सकल नामांकन अनुपात बालिका	81 प्रतिशत	100.4 प्रतिशत	23.1

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा रिपोर्ट 2002

प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

क.सं.	जिला	सकल नामांकन अनुपात				शुद्ध नामांकन अनुपात			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	आगरा	72.4	80.7	80.56	86.13	63.00	70.8	73.37	79.16
2	अम्बेडकर नगर	116.7	98.7	99.21	104.19	98.5	84.6	86.01	93.71
3	आजमगढ़	96.7	80.8	86.81	100.56	84.1	80.8	81.33	98.90
4	बागपत	57.9	106.7	110.51	105.16	47.6	86.3	90.26	70.56
5	बहराइच	-	-	83.01	102.87	-	-	73.83	84.04
6	बलिया	97.1	83.6	88.33	92.98	87.3	75.9	83.63	90.13
7	बाराबंकी	-	-	92.00	97.05	-	-	81.48	81.54
8	बिजनौर	84.5	94.7	82.36	90.12	67.5	76.6	68.73	76.39
9	बुलंदशहर	75.7	103.2	105.16	96.92	60.9	80.1	79.84	69.91
10	एटा	101.4	93.2	96.72	98.22	85.4	77.9	81.18	84.16
11	फैजाबाद	85.6	78.4	82.40	99.93	73.7	67.0	70.45	87.04
12	फर्रुखाबाद	84.6	74.8	75.86	92.48	72.3	71.4	73.26	81.87
13	फतेहपुर	93.5	75.9	82.08	88.78	80.8	71.6	81.88	87.30
14	जी.बी. नगर	59.3	103.3	107.84	103.90	50.9	82.9	86.38	83.42
15	गाजियाबाद	43.8	77.9	87.06	103.55	36.6	65.8	75.19	89.07
16	गाजीपुर	103.1	74.2	83.58	89.16	92.6	73.0	83.53	86.28
17	हमीरपुर	106.1	80.1	80.90	89.82	85.1	64.4	71.17	84.26
18	जालौन	105.1	90.2	90.37	92.9	87.0	77.8	78.03	83.22
19	जौनपुर	123.1	91.4	89.5	96.73	121.8	91.4	89.44	96.70

20	झाँसी	93.3	89.0	103.42	94.79	82.9	78.0	94.15	86.44
21	कन्नौज	47.7	68.3	78.60	78.71	42.1	59.7	69.48	67.55
22	कानपुर देहात	93.1	79.7	80.61	82.33	82.0	72.8	75.86	81.18
23	कुशीनगर	65.6	104.8	101.89	96.47	55.6	86.6	89.38	91.64
24	महोबा	98.4	93.5	94.98	94.94	85.1	87.0	94.10	93.45
25	मैनपुरी	89.9	75.8	86.45	90.87	71.8	58.7	86.09	89.59
26	मथुरा	92.6	75.2	73.36	95.08	77.4	62.2	63.22	82.87
27	मउ	99.6	93.1	100.61	108.95	78.5	82.2	91.38	84.93
28	मेरठ	51.7	64.0	63.2	74.61	36.7	52.8	53.96	60.99
29	मिर्जापुर	102.7	83.3	81.61	95.80	97.2	80.4	80.74	93.90
30	मुजफ्फरनगर	54	52.4	51.76	85.21	44.4	36.1	35.93	59.99
31	प्रतापगढ़	101.2	94.7	92.13	96.48	96.7	89.9	91.80	95.78
32	रायबरेली	88.3	78.0	78.80	93.98	76.3	75.9	73.91	89.13
33	रामपुर	-	-	96.29	109.67	-	-	82.17	97.73
34	श्रावस्ती	-	-	91.99	106.60	-	-	81.62	96.08
35	सुल्तानपुर	104.5	74.9	80.34	94.88	94.9	69.4	76.93	80.09
36	उन्नाव	102.8	83.5	95.95	99.66	86.0	74.6	93.50	98.05
	प्रतिशत माध्य	87.3	84.3	87.67	95.29	75.1	73.9	78.98	84.92

स्रोत : राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ई.एम.आई.एस. रिपोर्ट

अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात

कमांक	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		अनुसूचित जाति का सकल नामांकन अनुपात	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	आगरा	1850	1894	76.38	113.52
2	अम्बेडकर नगर	1389	1418	91.76	127.99
3	आजमगढ़	1912	2466	138.37	100.51
4	बागपत	605	634	65.14	89.84
5	बहराइच	1479	1565	84.62	95.00
6	बलिया	1853	1967	103.47	96.91
7	बाराबंकी	1936	1917	105.54	125.08
8	बिजनौर	2199	2353	78.7	127.82
9	बुलंदशहर	1760	1753	68.1	95.23
10	एटा	2099	2263	94.75	112.11
11	फैजाबाद	1200	1323	93.77	135.94
12	फर्रुखाबाद	1023	1108	80.53	90.12

13	फतेहपुर	1733	1837	84.98	91.7
14	जी.बी. नगर	532	628	89.98	95.69
15	गाजियाबाद	970	1175	61.91	94.25
16	गाजीपुर	1666	1726	97.61	101.65
17	हमीरपुर	922	941	92.17	109.19
18	जालौन	1491	1509	84.95	108.69
19	जौनपुर	2361	2390	94.18	117.53
20	झाँसी	1334	1350	95.54	88.43
21	कन्नौज	829	885	80.95	104.93
22	कानपुर देहात	1432	1356	79.37	88.76
23	कुशीनगर	1530	1878	93.6	152.2
24	महोबा	737	756	88.33	85.46
25	मैनपुरी	1233	1298	111.9	131.51
26	मथुरा	1271	1481	74.19	126.48
27	मउ	1100	1173	186.58	187.19
28	मेरठ	1213	1282	42.55	90.43
29	मिर्जापुर	1347	1533	93.89	105.51
30	मुजफ्फरनगर	1307	1504	84.86	103.03
31	प्रतापगढ़	1746	1921	98.77	91.46
32	रायबरेली	1707	1864	85.84	123.14
33	रामपुर	1304	1416	88.1	170.4
34	श्रावस्ती	872	885	80.95	96.32
35	सुल्तानपुर	2309	2391	87.57	91.87
36	उन्नाव	1941	2165	95.97	135.02
	प्रतिशत माध्य	52192	56005	90.15	113.91

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट

बालिकाओं का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

कमांक	जिला	सकल नामांकन अनुपात		शुद्ध नामांकन अनुपात		अनुसूचित जाति बालिका का सकल नामांकन अनुपात	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	आगरा	82.66	83.83	75.32	77.11	76.47	111.52
2	अम्बेडकर नगर	100.35	108.77	86.21	97.89	92.74	131.89
3	आजमगढ़	91.46	99.77	85.6	98.11	143.65	99.61
4	बागपत	113.43	110.88	93.38	74.86	69.54	92.27
5	बहराइच	82.52	102.8	73.36	83.92	84.84	100.83
6	बलिया	91.48	93.17	88.71	90.45	103.71	96.51
7	बाराबंकी	92.14	98.76	81.71	83.03	106.16	128.64
8	बिजनौर	79.38	94.79	66.69	80.73	82.46	133.85
9	बुलंदशहर	103.36	97.34	78.5	70.39	75.35	92.78
10	एटा	97.53	100.43	81.95	86.27	96.72	114.05
11	फैजाबाद	88.94	105.35	76.12	91.91	99.05	139.29

12	फर्रुखाबाद	78.17	98.17	75.51	87.25	84.23	91.9
13	फतेहपुर	82.13	91.41	81.93	89.87	80.99	93.61
14	जी.बी. नगर	112.14	110.17	89.97	89.03	92.43	96.49
15	गाजियाबाद	92.86	109.16	80.24	94.08	64.9	96.9
16	गाजीपुर	87.32	93.75	87.28	91.21	100.62	102.22
17	हमीरपुर	83.42	93.5	73.78	88.04	93	111.81
18	जालौन	89.92	93.47	78.08	83.97	85.68	108.85
19	जौनपुर	90.37	100.84	90.31	100.81	94.71	113.68
20	झाँसी	105.31	95.69	96.25	87.44	89.67	89.69
21	कन्नौज	82.22	83.45	72.55	71.95	73.17	216
22	कानपुर देहात	84.6	84.28	79.68	83.14	81.59	92.69
23	कुशीनगर	111.84	97.54	98.13	92.51	100.95	153.16
24	महोबा	93.81	94.35	93.02	92.94	85.51	83.53
25	मैनपुरी	91.32	94.92	90.95	93.66	114.91	134.46
26	मथुरा	75.05	93.82	64.98	82.06	74.99	124.53
27	मउ	105.51	115.22	95.61	90.44	193.65	194.18
28	मेरठ	64.26	78.32	54.94	64.36	42.78	99.72
29	मिर्जापुर	81.2	94.58	80.35	92.76	94.79	105.69
30	मुजफ्फरनगर	52.28	87.16	36.43	62.07	93.63	102.98
31	प्रतापगढ़	94.92	100.01	94.59	99.22	101.92	93.34
32	रायबरेली	81.46	95.91	76.58	91.42	89.17	123.35
33	रामपुर	91.5	107.44	77.58	96.01	87.33	98.12
34	श्रावस्ती	82.68	108.87	73.24	98.1	76.7	98.4
35	सुल्तानपुर	83.99	102.05	80.18	86.18	89.25	95.71
36	उन्नाव	96.74	99.67	94.25	98.05	96.13	133.64
	प्रतिशत माध्य	89.4	97.77	80.64	87.26	92.02	116.53

स्त्रोत : स्टेप रिपोर्ट (शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली) 2003–04

कोहार्ट ड्राप आउट, कक्षा 5 पास करने में लगा औसतन समय, निकाय की अतिरिक्त दक्षता तथा निवेश प्रतिफल सूचक

कमांक	जिले का नाम	कोहार्ट ड्राप आउट दर		कक्षा 5 में पास करने में लगा औसतन समय		निकाय की आंतरिक दक्षता		निवेश प्रतिफल अनुपात	
		2000-01	2002-03	2000-01	2002-03	2001-01	2002-03	2000-01	2002-03
1	आगरा	41.1	36.7	6.68	6.4	75	77.9	1.34	1.3
2	अम्बेडकर नगर	46.3	34.8	6.53	6.1	77	82.1	1.31	1.2
3	आजमगढ़	58.9	2.1	8.32	5.2	60	95.4	1.66	1
4	बागपत	43.9	47.4	6.5	6.8	77	73.7	1.3	1.4
5	बहराइच	42.5	24.6	7.23	6	72	83.2	1.41	1.2
6	बलिया	47.8	13	7	5.3	71	94.7	1.4	1.1
7	बाराबंकी	35.2	2	6.7	5.1	69	98.8	1.32	1
8	बिजनौर	10.9	21.2	5.43	5.7	92	87.7	1.09	1.1
9	बुलंदशहर	71.9	33.2	9.77	5.9	51	85.04	1.95	1.2

10	एटा	62.8	27.6	8.87	6	56	83.1	1.77	1.2
11	फैजाबाद	63.5	7.2	8.61	5.4	58	92.9	1.72	1.1
12	फर्रुखाबाद	60.1	2.8	8.9	5.2	56	96.08	1.78	1
13	फतेहपुर	64.2	10.1	9.83	5.5	51	96.6	1.97	1.1
14	जी.बी. नगर	34.4	2.1	6.28	5.3	80	94	1.26	1.1
15	गाजियाबाद	66.1	2.1	8.75	5.2	57	95.8	1.75	1
16	गाजीपुर	66.7	31.7	9.05	6	55	83.3	1.81	1.2
17	हमीरपुर	51.3	9.9	7.65	5.4	65	93.4	1.53	1.1
18	जालौन	47.4	7.2	7.4	5.3	68	95	1.48	1.1
19	जौनपुर	51.3	16.9	7.24	5.5	69	91.5	1.45	1.1
20	झाँसी	46.3	12	7.34	5.4	68	92.1	0.47	1.1
21	कन्नौज	87.4	24.9	20.8	5.9	24	84.2	4.12	1.2
22	कानपुर देहात	57.3	15.6	8.17	5.2	61	95.8	1.63	1
23	कुशीनगर	73.9	15.6	10.32	5.2	48	95.8	2.06	1
24	महोबा	25.8	29.9	6.05	6.4	83	77.9	1.21	1.3
25	मैनपुरी	77.8	16.6	13.11	5.8	38	86.6	2.62	1.2
26	मथुरा	60.7	3.6	8.83	5.3	57	93.8	0.77	1.1
27	मउ	55.9	15.3	7.24	5.3	69	94.7	1.45	1.1
28	मेरठ	43.8	36.1	6.63	6.2	75	81.3	1.33	1.2
29	मिर्जापुर	33.2	2	6.63	5.2	75	96.5	0.33	1
30	मुजफ्फरनगर	76.9	9.6	12.06	5.6	41	90.1	2.41	1.1
31	प्रतापगढ़	55.2	2.4	8.03	5.2	62	95.3	1.61	1
32	रायबरेली	40	2.8	7.11	5.2	70	96	1.42	1
33	रामपुर	59.2	9.5	8.12	5.3	63	94.4	1.89	1.1
34	श्रावस्ती	51.4	32.6	7.63	6.4	61	77.6	1.76	1.3
35	सुल्तानपुर	57.1	10.1	8.1	5.3	61	93.6	1.64	1.1
36	उन्नाव	74.9	2.1	11.98	5.2	42	95.5	2.4	1
	प्रतिशत माध्य	57.3	7.4	8.12	5.2	62	95.3	1.62	1

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान रिपोर्ट 2003–04

ट्रांजीशन दर : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।।। से आच्छादित जनपदों की विभिन्न वर्षो में ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है –

क.सं.	जिला	ट्रांजीशन दर		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	आगरा	31.5	43.4	55.4
2	गौतमबुद्धनगर	36.5	38.8	84.7
3	गाजियाबाद	36.2	47.3	94.3
4	गाजीपुर	21.1	30.6	33.7
5	हमीरपुर	49	54.4	63.3
6	रामपुर	26.2	55.5	60.4

7	कानपुर देहात	35.5	45.1	53.6
8	कन्नौज	32.5	59.9	55.9
9	मेरठ	45.4	63.3	72.4
10	मउ	30.5	36.5	46.9
11	मैनपुरी	36	43.7	57.6
12	बाराबंकी	34.7	42.4	83.4
13	बहराइच	34	40	44.8
14	श्रावस्ती	46.1	49	57.3
15	आगरा	51.9	48.2	57.6
16	मथुरा	36.6	43.1	55.4
17	झाँसी	42.3	57.7	61.5
18	जालौन	38.7	42.2	52.9
19	महोबा	77.2	78.1	70.8
20	प्रतापगढ़	35.6	40.8	66.9
21	फतेहपुर	46.2	56	60
22	जौनपुर	25	34.4	36
23	उन्नाव	21.7	44.8	64.2
24	सुल्तानपुर	51.5	59	67
25	मुजफ्फरनगर	42.6	44.4	65.1
26	मिर्जापुर	23.3	44	75.6
27	रायबरेली	41.3	53.1	62.8
28	कुशीनगर	41.7	60.6	89.5
29	फैजाबाद	43.3	63.6	93.4
30	एटा	43.3	48.3	64.3
31	बुलंदशहर	13.7	17.1	18.9
32	बिजनौर	44.1	45.7	59.7
33	बलिया	31.1	48.6	58.4
34	अम्बेडकरनगर	50.7	67.3	76.4
35	आजमगढ़	26.1	36.1	69
36	बागपत	82.8	66.7	80.9
	प्रतिशत माध्य	39.05	48.60	80.90

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली रिपोर्ट 2003–04

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में ट्रांजीशन दर में वृद्धि हुई है ।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।।। के अंतर्गत सबके लिये शिक्षा हेतु किये गये कार्यों की प्रगति जानने के लिये शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली तथा मूल्यांकन रिपोर्टों का विश्लेषण करने के उपरान्त निम्नानुसार जानकारी प्राप्त हुई ।

सकल नामांकन अनुपात :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। से आच्छादित जनपदों की सकल नामांकन अनुपात की शैक्षिक प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है –

- सभी जनपदों का सकल नामांकन अनुपातं वर्ष 2001–02 में 84.3 प्रतिशत, 2002–03 में 87.67 प्रतिशत था , जो वर्ष 2003–04 में 95.29 प्रतिशत हो गया है यानि एक वर्ष में (वर्ष 2002–03 से 2003–04 में) 7.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
- वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद मऊ, रामपुर, श्रावस्ती का सकल नामांकन अनुपात 100 से 110 के बीच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, फैजाबाद, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कुशीनगर,, महोबा, मैनपुरी,, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं उन्नाव जनपद का 90 से 110 के बीच, आगरा, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात एवं मुजफ्फरनगर जनपद का 80 से 90 के बीच तथा कन्नौज (78.71 प्रतिशत) तथा मेरठ (74.61 प्रतिशत) जनपदों का 70 से 80 प्रतिशत के बीच है । रामपुर जनपद का सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक (109.67 प्रतिशत) तथा मेरठ जनपद का सबसे कम (74.61 प्रतिशत) है ।
- अनुसूचित जाति में वर्ष 2002–03 का सकल नामांकन अनुपात 90.15 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 113.91 प्रतिशत है । अर्थात् एक वर्ष में सकल नामांकन अनुपात की 13.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
- वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 97.77 प्रतिशत है । वर्ष 2002–03 के आंकड़ों के अनुसार बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात में 8.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जबकि अनुसूचित जाति की बालिकाओं में इस वृद्धि का प्रतिशत 24.51 (वर्ष 2002–03 का सकल नामांकन अनुपात 92.02 प्रतिशत तथा वर्ष 2003–04 के नामांकन 116.53 प्रतिशत) है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में लड़कों की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है । इसी प्रकार अनुसूचित जाति की लड़कियों में अन्य लड़कियों की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है ।

शुद्ध नामांकन अनुपात :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। से आच्छादित जनपदों के शुद्ध नामांकन अनुपात की शैक्षिक प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है –

- जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात वर्ष 2001–02 में 73.9 प्रतिशत, वर्ष 2002–03 में 78.98 प्रतिशत तथा वर्ष 2003–04 में 84.92 प्रतिशत हो गया है । अर्थात् वर्ष 2002–03 के सापेक्ष वर्ष 2003–04 में 5.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
- वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, कुशीनगर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रामपुर, श्रावस्ती, एवं सुल्तानपुर, का शुद्ध नामांकन अनुपात 90 से 100 के बीच, जनपद बहराइच, बाराबंकी, एटा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कानपुरदेहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, रायबरेली एवं सुल्तानपुर का शुद्ध नामांकन अनुपात 80 से 90 से बीच : जनपद आगरा, बागपत एवं बिजनौर का शुद्ध नामांकन अनुपात 60 से 70 के बीच तथा मुजफ्फरनगर जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात सबसे कम 59.99 प्रतिशत है ।
- वर्ष 2002–03 के आंकड़ों के अनुसार बालकों का शुद्ध नामांकन अनुपात 77.57 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2003–04 का शुद्ध नामांकन अनुपात 82.92 प्रतिशत है । अर्थात् बालकों शुद्ध नामांकन अनुपात में वर्ष 2002–03 के सापेक्ष 5.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
- बालिकाओं का वर्ष 2002–03 में शुद्ध नामांकन अनुपात 80.64 प्रतिशत था, जो वर्ष 2003–04 में 87.26 प्रतिशत हो गया । यानि 6.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई । बालिकाओं शुद्ध नामांकन अनुपात बालकों, तुलना में अधिक (बालकों के वृद्धि का प्रतिशत 5.35 तथा बालिकाओं का 6.32 प्रतिशत है) ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लड़कियों के शुद्ध नामांकन अनुपात में लड़कों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है । जनपद मुजफ्फरनगर का वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध नामांकन अनुपात सबसे कम 62.07 प्रतिशत है जबकि जौनपुर जनपद का शतप्रतिशत है ।

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ||| से आच्छादित जनपद का वर्ष 03–04 के शैक्षिक सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:72.25 है । बहराइच, कुशीनगर एवं रामपुर जनपदों का शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:100 से अधिक है जबकि गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, झाँसी महोबा, मथुरा एवं मेरठ जनपदों का 1:60 से कम तथा बागपत एवं जालौन जनपद का शिक्षा विद्यार्थी अनुपात 1:50 से कम है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जालौन एवं बागपत जनपद को छोड़कर शेष जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ||| के जनपदों का शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:50 से अधिक है ।

प्रमोशन, रिपीटीशन एवं ड्राप आउट :

वर्ष 2003–04 के शैक्षिक सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ||| से आच्छादित जनपदों के प्रमोशन, रिपीटीशन एवं ड्रापआउट की स्थिति निम्नानुसर है –

प्रमोशन दर :

वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ||| से आच्छादित जनपदों का कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5 की प्रमोशन दर क्रमशः 90.25 प्रतिशत, 96.87 प्रतिशत, 96.86 प्रतिशत, 97.50 प्रतिशत एवं 98.54 प्रतिशत है । विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रमोशन दर कक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है । सबसे कम प्रमोशन दर कक्षा एक की तथा सबसे अधिक प्रमोशन दर कक्षा 5 की है । प्रमोशन दर के कक्षवार विश्लेषण में कक्षावार प्रमोशन दर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया । जनपद का सभी कक्षाओं के प्रतिशत माध्य के आधार पर औसतन प्रमोशन दर 96.0 प्रतिशत पाई गई ।

रिपीटीशन दर :

वर्ष 2003–04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ||| से आच्छादित जिलों में कक्षा एक, दो, तीन, चार एवं पाँच की रिपीटीशन दर क्रमशः 4.04 प्रतिशत, 2.63 प्रतिशत, 2.64 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत एवं 1.46 प्रतिशत है । रिपीटीशन दर कक्षा 1 में सबसे अधिक तथा कक्षाओं का स्तर बढ़ने के साथ रिपीटीशन दर क्रमशः घटती जाती है । जनपदों का प्रतिशत माध्य के रूप में सभी कक्षाओं की रिपीटीशन दर औसतन 2.55 प्रतिशत के लगभग पाई गई ।

ड्रापआउट दर :

वर्ष 2003–04 के शैक्षिक सूचना प्रणली के आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।।। आच्छादित जिलों में कक्षा एक, दो तीन, चार एवं पाँच का ड्रापआउट क्रमशः 5.71 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत एवं 0.0 प्रतिशत पाया गया । उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि छोटी कक्षाओं में ड्रापआउट सबसे अधिक तथा कक्षाओं के बढ़ने के साथ ही ड्रापआउट क्रमशः घटता जाता है । कक्षा 5 में ड्रापआउट नगण्य पाया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जिले में औसतन ड्रापआउट दर 1.45 है ।

प्रमोशन, रिपीटीशन एवं ड्राप आउट दर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि छोटी कक्षाओं में बड़ी कक्षाओं की ओर प्रमोशन दर का प्रतिशत बढ़ता जाता है, जबकि रिपीटीशन एवं ड्रापआउट छोटी कक्षाओं के बड़ी कक्षाओं की ओर जाने पर क्रमशः घटता जाता है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जिलों में प्रमोशन, रिपीटीशन एवं ड्रापआउट दर का औसत अनुपात क्रमशः 96.0, 2.55 एवं 1.45 प्रतिशत पाया गया ।

कोहर्ट ड्रापआउट एवं ठहराव दर :

वर्ष 2003–04 के शैक्षिक सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण करने पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। से आच्छादित जिलों का औसतन कोहर्ट ड्राप आउट दर एवं कोहार्ट ठहराव दर क्रमशः 7.4 प्रतिशत एवं 92.6 प्रतिशत पाई गई । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जिलों में 10 प्रतिशत से कम कोहर्ट ड्रापआउट दर गाजियाबाद, हमीरपुर, जालौन, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर तथा उन्नाव जिलों में पाया गया जबकि गाजीपुर, मेरठ, और श्रावस्ती जिलों में 30 से 37 प्रतिशत के बीच पाया गया । कोहार्ट ठहराव दर गाजीपुर, मेरठ एवं श्रावस्ती जिलों में 70 प्रतिशत से कम पाई गई जबकि गाजियाबाद, हमीरपुर, जालौन, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर एवं उन्नाव जिलों में कोहार्ट ठहराव दर 90 प्रतिशत से अधिक पाई गई ।

अन्य शैक्षिक सूचकांको की प्रगति :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जिलों के वर्ष 2003–04 के शैक्षिक सूचना प्रणाली के आंकड़ों के विश्लेषण करने से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त् हुए –

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों के निकाय की दक्षता 95.3 प्रतिशत के लगभग पाई गई ।

- बच्चों को कक्षा 5 पास करने में औसतन 5.2 वर्ष का समय लगता है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के गाजीपुर, महोबा, मेरठ एवं श्रावस्ती जिलों के कक्षा 5 पास करने में बच्चों को 6 से 6.5 वर्ष के बीच का समय लगता है । अधिकतर जनपदों को 5 से 5.5 वर्ष के बीच का समय लगता है ।
- वर्ष 2002–03 एवं 03–04 के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जिलों में वर्ष 2002–03 में नामांकित 2754137 बच्चों में से 2,240, 670 बच्चे (81 प्रतिशत) 5 वर्ष में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करते हैं वर्ष 2002–03 के नामांकित बच्चों में से कुल 628517 विद्यार्थी वर्ष (रिपीटीशन के कारण 334918 तथा ड्रापआउट के कारण 293599 विद्यार्थी वर्ष) का अपव्यय होता है ।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के आच्छादित जिलों में वर्ष 2002–03 में कक्षा 5 की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों में से 60 प्रतिशत से अधिक अंको के साथ पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत 40.51 प्रतिशत के लगभग पाया गया । महोबा जिले में सबसे अधिक 50.41 प्रतिशत तथा उन्नाव जिले में सबसे कम 19.93 प्रतिशत पाया गया ।

बच्चों की उपलब्धि स्तर :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – ।।। के प्रारम्भ में बेसलाइन सर्वे (वर्ष 2000) तथा मध्य सत्र में मिडटर्म सर्वे (वर्ष 2003) कराया गया जिसका प्रगति जाति, लिंग एवं क्षेत्रवार कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों में भाषा एवं गणित विषय में निम्नानुसार पाई गई –

कक्षा 2 के बच्चों का भाषा में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम						माध्य अंतर	कांतिक अनुपात
		बेसलाइन मूल्यांकन			मिडटर्म मूल्यांकन				
		N	M%	SD%	N	M%	SD%		
1	आगरा	781	51.57	29.50	838	67.27	27.74	15.70	11.01**
2	अम्बेडकर नगर	857	65.73	26.48	888	82.73	19.07	17.00	15.34**
3	आजमगढ़	914	61.66	27.26	931	63.63	26.79	19.7	1.57
4	बागपत	808	71.06	23.87	863	90.42	13.62	19.36	20.18**
5	बहराइच	755	34.75	31.80	791	79.38	22.64	44.63	31.66**
6	बलिया	818	62.95	32.54	589	75.22	22.13	12.27	8.42**
7	बाराबंकी	684	43.20	30.95	752	74.98	23.01	31.78	21.91**

8	बिजनौर	757	59.00	29.00	843	70.59	25.41	11.59	8.46**
9	बुलंदशहर	791	54.15	31.12	750	81.84	19.64	27.69	21.00****
10	एटा	851	56.25	28.48	912	75.61	24.96	19.36	15.13****
11	फैजाबाद	836	63.39	29.78	897	76.44	23.32	13.05	10.11**
12	फर्रुखाबाद	749	62.17	23.32	713	81.08	20.03	18.91	16.66**
13	फतेहपुर	931	53.63	30.99	856	60.24	22.88	6.61	5.16**
14	जी.बी. नगर	721	60.11	29.35	843	80.71	21.70	20.60	15.56**
15	गाजियाबाद	797	56.15	35.11	841	81.47	17.18	25.32	18.38**
16	गाजीपुर	865	66.35	26.80	836	84.32	17.66	17.97	16.38**
17	हमीरपुर	737	66.38	27.83	721	75.07	21.80	6.80	6.41**
18	जालौन	717	47.83	28.91	645	82.53	20.80	34.70	23.57**
19	जौनपुर	818	59.66	29.09	725	75.99	22.71	16.33	12.36**
20	झाँसी	878	68.74	27.71	925	79.46	20.64	10.72	9.28**
21	कन्नौज	773	61.07	21.68	856	83.51	20.03	22.44	21.63**
22	कानपुर देहात	832	53.34	28.69	771	81.24	23.47	27.90	21.37**
23	कुशीनगर	794	63.32	31.24	941	86.28	16.41	23.60	19.17**
24	महोबा	854	59.90	31.56	796	71.48	21.00	11.58	8.83**
25	मैनपुरी	765	39.65	29.45	844	68.26	30.08	28.61	19.26**
26	मथुरा	799	23.33	20.13	788	59.20	28.39	35.87	29.00**
27	मउ	805	61.37	30.03	762	83.21	18.67	21.84	17.39**
28	मेरठ	847	65.47	25.60	910	91.45	13.70	25.98	26.24**
29	मिर्जापुर	890	57.79	28.79	718	86.80	16.96	29.01	25.14**
30	मुजफ्फरनगर	892	64.70	29.54	837	85.79	19.96	21.09	17.49**
31	प्रतापगढ़	951	58.78	25.95	939	69.46	25.79	10.68	8.72**
32	रायबरेली	913	56.85	27.80	1024	61.11	25.22	4.26	3.52**
33	रामपुर	654	50.02	34.40	803	77.47	18.36	27.45	18.39**
34	श्रावस्ती	755	34.75	31.80	809	84.60	15.22	49.85	39.10**
35	सुल्तानपुर	871	56.07	29.95	893	70.83	23.55	14.76	12.24**
36	उन्नाव	862	42.78	34.02	748	71.82	24.06	29.04	19.96**
	समग्र रूप में	29222	58.25	29.75	29598	76.85	23.51	18.60	84.06**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र., लखनऊ की मूल्यांकन रिर्पोट

*= .05 स्तर पर सार्थकता, **= .01 स्तर पर सार्थकता

कक्षा 2 के बच्चों का गणित में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम						माध्य अंतर	कांतिक अनुपात
		बेसलाइन परीक्षण			मिडटर्म परीक्षण				
		छ	ङ	व	छ	ङ	व		
1	आगरा	781	54.07	31.77	838	79.74	21.72	25.67	18.85**
2	अम्बेडकर नगर	857	69.50	24.80	888	82.57	18.38	13.07	12.47**

3	आजमगढ़	914	62.44	26.86	931	70.30	27.19	78.6	6.25**
4	बागपत	808	76.50	22.70	863	91.07	12.26	7.86	16.17**
5	बहराइच	755	30.85	24.70	791	79.75	22.61	48.90	40.55**
6	बलिया	818	66.83	27.84	589	81.99	20.29	15.16	11.81**
7	बाराबंकी	684	41.42	23.87	752	83.65	19.08	42.23	37.39**
8	बिजनौर	757	65.12	23.27	847	75.81	25.92	10.69	8.00**
9	बुलंदशहर	791	57.09	35.95	843	78.04	24.63	20.95	13.40**
10	एटा	951	44.89	32.56	912	91.09	22.30	36.20	27.05**
11	फैजाबाद	851	68.73	28.21	897	81.09	22.25	36.20	7.91**
12	फर्रुखाबाद	749	66.96	23.74	713	83.66	18.89	9.70	14.92**
13	फतेहपुर	931	57.44	30.90	856	69.09	22.48	11.65	9.16**
14	जी.बी. नगर	721	72.39	26.91	847	82.76	20.45	10.37	8.47**
15	गाजियाबाद	797	69.70	20.08	843	77.39	22.89	76.9	5.80**
16	गाजीपुर	865	65.55	30.70	836	81.88	18.89	7.69	13.26**
17	हमीरपुर	737	66.59	28.20	721	80.19	21.56	13.60	10.36**
18	जालौन	717	51.52	28.68	645	84.56	18.44	33.04	25.53**
19	जौनपुर	818	61.82	29.29	725	81.27	18.69	19.45	15.72**
20	झाँसी	878	69.90	26.06	925	81.10	20.26	11.20	10.15**
21	कन्नौज	773	64.49	23.54	856	78.73	24.56	14.24	11.94**
22	कानपुर देहात	832	60.09	28.32	771	82.80	21.37	22.71	18.20**
23	कुशीनगर	794	68.80	29.22	941	78.85	23.06	10.05	7.85**
24	महोबा	854	64.79	30.33	796	79.38	21.75	14.59	11.29**
25	मैनपुरी	765	40.77	32.27	844	73.39	28.80	32.62	21.31**
26	मथुरा	799	33.19	23.75	728	60.29	28.80	27.10	20.74**
27	मउ	805	57.17	25.77	788	76.57	28.10	19.40	15.79**
28	मेरठ	847	71.45	26.62	910	92.89	11.67	21.44	21.59**
29	मिर्जापुर	890	62.74	27.00	718	83.31	20.47	20.57	17.37**
30	मुजफ्फरनगर	892	73.27	27.28	837	27.60	16.83	14.33	13.23**
31	प्रतापगढ़	951	57.98	29.47	939	73.01	26.01	15.03	11.39**
32	रायबरेली	913	60.31	28.02	1024	67.96	25.00	76.5	6.31**
33	रामपुर	654	42.64	28.79	803	83.70	15.12	76.50	6.31**
34	श्रावस्ती	755	30.85	24.70	809	82.84	16.38	51.99	48.70**
35	सुल्तानपुर	971	63.79	28.39	893	76.89	22.22	13.10	10.77**
36	उन्नाव	862	50.00	29.81	748	77.69	21.93	27.69	21.40**
	समग्र रूप में	29222	62.05	28.15	29598	79.29	22.56	17.24	81.90**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

* = 0.05 स्तर पर सार्थकता, ** = 0.01 स्तर पर सार्थकता

M= माध्य N= संख्या SD= प्रमाप विचलन

कक्षा 5 के बच्चों का भाषा में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम						माध्य अंतर	क्रांतिक अनुपात
		बेसलाइन परीक्षण			मिडटर्म परीक्षण				
		N	M%	SD	N	M%	SD%		
1	आगरा	534	45.62	11.09	705	58.23	20.29	12.61	13.97**
2	अम्बेडकर नगर	993	45.80	14.84	956	54.60	20.42	8.80	10.85**
3	आजमगढ़	1028	49.18	15.07	951	53.97	14.30	4.79	7.25**
4	बागपत	714	50.53	17.61	738	65.43	17.83	14.90	16.02**
5	बहराइच	439	42.60	10.50	620	59.44	18.47	16.84	18.81**
6	बलिया	773	43.55	10.17	597	56.19	17.39	12.64	15.80**
7	बाराबंकी	484	41.25	10.34	744	50.47	16.54	18.22	23.75**
8	बिजनौर	669	50.59	17.77	830	60.86	15.23	10.27	11.85**
9	बुलंदशहर	718	48.07	13.21	652	61.89	15.39	13.82	17.75**
10	एटा	626	42.71	14.28	686	50.79	17.22	8.08	9.28**
11	फैजाबाद	701	51.01	17.96	855	65.20	15.50	14.19	16.48**
12	फर्रुखाबाद	638	43.29	13.54	699	61.93	19.12	18.64	20.71**
13	फतेहपुर	784	43.78	15.58	843	50.60	12.04	6.82	9.83**
14	जी.बी. नगर	717	45.94	17.11	859	58.00	22.15	12.06	12.19**
15	गाजियाबाद	606	46.45	16.57	803	51.11	11.42	4.66	5.91**
16	गाजीपुर	821	44.63	15.71	871	57.97	18.20	13.34	16.17**
17	हमीरपुर	500	43.24	16.16	719	58.04	21.03	14.80	15.51**
18	जालौन	592	36.30	14.50	614	55.38	13.81	19.08	23.38**
19	जौनपुर	664	40.11	17.36	740	62.08	20.37	21.97	21.81**
20	झाँसी	1021	45.96	14.91	1011	57.74	22.11	11.78	14.07**
21	कन्नौज	601	45.96	14.28	828	53.51	21.01	7.95	8.51**
22	कानपुर देहात	684	45.45	15.49	745	60.30	22.32	14.85	14.71**
23	कुशीनगर	635	45.92	14.25	839	5441	21.60	8.49	9.07**
24	महोबा	562	46.12	13.63	634	58.33	15.78	12.21	14.36**
25	मैनपुरी	633	38.56	11.42	686	52.90	14.89	14.34	19.71**
26	मथुरा	585	3833	11.92	779	54.76	14.23	16.43	23.17**
27	मउ	820	44.93	16.49	756	59.46	19.14	14.53	16.08**
28	मेरठ	586	48.35	15.24	798	64.62	18.12	16.27	18.10**
29	मिर्जापुर	748	41.63	16.56	824	58.44	21.56	16.81	17.42**
30	मुजफ्फरनगर	670	55.58	17.55	832	59.05	19.37	6.47	6.78**
31	प्रतापगढ़	845	46.72	15.10	1135	55.26	18.85	8.54	11.19**
32	रायबरेली	928	47.15	18.63	779	53.71	12.48	6.56	9.98**
33	रामपुर	411	43.08	10.02	502	60.12	16.91	17.04	18.89**
34	श्रावस्ती	439	42.60	10.50	679	63.74	21.13	21.14	22.18**

35	सुल्तानपुर	749	46.95	14.26	1001	54.10	16.56	7.15	9.68**
36	उन्नाव	698	42.24	14.64	750	55.54	11.87	13.30	18.91**
	समग्र रूप में	24616	45.77	15.00	28260	57.52	18.37	11.75	80.93**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

** = 0.01 स्तर पर सार्थकता

कक्षा 5 के बच्चों का गणित में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम						माध्य अंतर	कांतिक अनुपात
		बेसलाइन परीक्षण			मिडटर्म परीक्षण				
		N	M%	SD	N	M%	SD%		
1	आगरा	534	31.83	11.03	705	49.26	17.93	17.43	21.08**
2	अम्बेडकर नगर	993	31.44	14.93	956	47.21	19.92	15.77	19.72**
3	आजमगढ़	1028	34.38	13.89	951	39.30	22.58	4.92	5.78**
4	बागपत	714	30.76	15.41	738	72.80	15.87	42.04	51.21**
5	बहराइच	439	32.40	9.25	620	44.24	21.43	11.84	12.24**
6	बलिया	773	32.92	10.21	597	49.45	20.28	16.53	18.21**
7	बाराबंकी	484	29.58	9.63	744	47.02	19.35	17.44	20.92**
8	बिजनौर	669	37.12	15.64	830	41.72	18.72	4.60	5.18**
9	बुलंदशहर	718	33.40	13.60	652	51.94	21.03	18.54	19.16**
10	एटा	625	21.23	12.69	686	41.71	19.98	20.48	22.36**
11	फैजाबाद	701	37.00	19.25	855	43.69	20.59	6.69	6.61**
12	फर्रुखाबाद	628	31.67	12.62	699	52.40	21.44	20.73	21.76**
13	फतेहपुर	784	33.22	14.19	843	34.67	11.42	14.5	2.26*
14	जी.बी. नगर	717	28.83	12.98	859	46.26	20.30	17.43	20.62**
15	गाजियाबाद	606	27.18	13.16	803	28.85	14.86	1.67	2.23*
16	गाजीपुर	821	33.92	17.84	871	51.89	21.03	17.97	18.99**
17	हमीरपुर	500	31.21	12.05	719	52.80	21.72	21.59	22.19**
18	जालौन	592	19.45	12.09	614	58.57	20.81	39.12	40.09**
19	जौनपुर	664	24.08	15.10	740	52.93	19.50	28.85	31.16**
20	झाँसी	1021	33.52	14.13	1011	50.36	23.52	16.84	19.54**
21	कन्नौज	601	30.62	12.37	828	42.95	21.94	12.33	13.49**
22	कानपुर देहात	684	30.40	14.52	745	55.22	22.86	24.82	24.70**
23	कुशीनगर	635	29.15	14.67	839	48.62	20.84	19.47	21.04**
24	महोबा	562	31.72	14.78	634	41.97	21.43	10.25	9.72**
25	मैनपुरी	635	21.83	9.28	686	35.79	20.72	13.96	15.99**
26	मथुरा	585	24.94	9.64	779	40.37	18.28	15.43	20.13**
27	मउ	820	27.87	15.99	756	52.05	24.92	24.18	27.71**
28	मेरठ	586	29.82	12.99	708	70.68	14.02	40.86	54.27**
29	मिर्जापुर	748	27.37	13.99	824	36.06	20.32	28.69	32.85**

30	मुजफ्फरनगर	670	36.24	17.23	832	46.81	18.69	10.57	11.38**
31	प्रतापगढ़	845	34.80	15.51	1135	47.37	20.61	12.57	15.49**
32	रायबरेली	928	28.83	18.92	979	31.72	14.49	28.9	3.73**
33	रामपुर	411	31.80	10.40	502	48.46	18.02	16.66	17.46**
34	श्रावस्ती	439	32.40	9.25	679	53.75	23.84	21.35	21.02**
35	सुल्तानपुर	749	31.09	14.75	1001	46.35	19.84	15.26	18.46**
36	उन्नाव	698	25.52	11.81	750	37.98	12.83	12.46	19.24**
	समग्र रूप में	24616	30.33	13.78	28260	47.31	21.75	16.98	18.58**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

* = 0.05 स्तर पर सार्थकता ** = 0.01 स्तर पर सार्थकता

कक्षा 2 के बच्चों का लिंग के आधार पर भाषा में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम	बालक			बालिका			माध्य अंतर	कांतिक अनुपात
			बेसलाइन परीक्षण			मिडटर्म परीक्षण				
			N	M%	SD	N	M%	SD%		
1	आगरा	BAS	429	52.70	30.25	352	50.15	28.55	25.5	1.21
		MAS	427	69.30	27.00	411	65.12	28.36	41.8	2.18*
2	अम्बेडकरनगर	BAS	465	66.65	26.05	392	64.60	26.95	20.5	1.13
		MAS	458	83.46	18.26	430	81.95	29.89	15.1	1.18
3	आजमगढ़	BAS	429	64.50	26.65	485	59.20	27.55	53.0	2.95**
		MAS	450	67.07	26.36	481	60.42	26.82	66.5	3.81**
4	बागपत	BAS	443	72.70	23.95	365	59.10	23.65	36.0	2.14*
		MAS	438	90.92	13.45	425	89.91	23.78	10.1	1.09
5	बहराइच	BAS	536	36.00	29.80	219	31.70	29.30	43.0	1.82
		MAS	420	79.45	22.81	371	79.30	22.47	01.5	0.09
6	बलिया	BAS	400	63.75	33.70	418	62.20	31.45	15.5	0.68
		MAS	249	74.82	22.61	340	75.51	21.80	06.9	0.37
7	बाराबंकी	BAS	435	44.85	30.94	249	39.45	29.15	54.0	2.28*
		MAS	390	75.99	22.12	362	73.90	23.91	20.9	1.24
8	बिजनौर	BAS	394	59.35	29.15	363	59.65	28.90	07.0	0.33
		MAS	386	69.88	24.53	457	71.19	26.14	13.1	0.75
9	बुलन्दशहर	BAS	449	57.65	31.35	342	49.55	30.20	81.0	3.68**
		MAS	390	81.62	19.98	360	82.08	19.28	04.6	0.32
10	एटा	BAS	446	58.80	28.20	405	53.40	28.55	54.0	2.77**
		MAS	457	78.21	23.40	455	73.01	26.21	52.0	3.16**
11	फैजाबाद	BAS	422	63.30	29.90	414	63.50	29.70	02.0	0.10
		MAS	438	77.18	23.81	459	75.74	22.86	14.4	0.92
12	फर्रूखाबाद	BAS	372	64.60	23.25	377	59.75	23.15	48.5	2.86**
		MAS	358	83.16	19.95	355	78.99	19.92	41.7	2.79**
13	फतेहपुर	BAS	451	57.25	30.65	380	50.20	30.95	70.5	3.49**
		MAS	428	61.79	23.69	428	58.69	21.96	31.0	1.99*
14	गौतमबुद्धनगर	BAS	393	60.05	29.65	328	60.20	29.05	01.5	0.77
		MAS	422	81.50	21.33	421	79.92	22.06	15.8	1.06
15	गाजियाबाद	BAS	439	57.30	35.35	358	54.75	34.80	25.5	1.02
		MAS	419	82.11	16.57	422	80.83	17.76	12.8	1.08
16	गाजीपुर	BAS	411	69.05	26.35	454	63.90	27.00	51.5	2.84**
		MAS	423	83.97	17.75	413	84.69	17.58	07.2	0.59
17	हमीरपुर	BAS	400	69.45	26.65	337	62.75	28.80	67.0	3.26**
		MAS	328	78.26	22.50	393	72.40	24.64	58.6	3.33**
18	जालौन	BAS	368	49.40	29.45	349	46.15	28.35	32.5	1.51
		MAS	347	82.80	21.35	298	82.23	20.30	05.7	0.35

19	झांसी	BAS	451	62.55	28.10	367	56.05	29.95	65.0	3.17**
		MAS	401	77.53	22.67	324	74.09	22.65	34.4	2.03*
20	जौनपुर	BAS	437	71.80	26.95	441	65.70	28.15	61.0	3.28**
		MAS	474	79.87	21.50	451	79.02	19.71	08.5	0.63
21	कन्नौज	BAS	417	60.90	22.40	356	61.30	20.80	05.0	0.26
		MAS	450	84.18	19.42	406	82.77	20.70	14.1	1.02
22	कानपुरदेहात	BAS	403	54.00	29.40	429	52.75	28.05	12.5	0.63
		MAS	381	83.20	21.15	390	79.32	25.42	38.8	2.31*
23	कुशीनगर	BAS	420	66.60	30.50	374	59.50	31.70	71.0	3.21**
		MAS	458	88.50	14.98	483	85.34	17.54	31.6	2.98**
24	महोबा	BAS	490	62.10	32.30	364	56.90	30.35	52.0	2.41*
		MAS	416	72.82	20.65	380	70.00	21.29	28.2	1.89
25	मैनपुरी	BAS	394	42.25	30.75	371	36.90	27.80	53.5	2.53*
		MAS	394	69.04	29.39	450	67.58	30.69	14.6	0.71
26	मथुरा	BAS	463	25.05	21.30	336	20.95	18.20	41.0	2.92**
		MAS	366	59.67	28.88	422	58.79	27.99	08.8	0.43
27	मउ	BAS	409	65.35	29.55	396	57.25	30.05	81.0	3.85**
		MAS	354	83.57	18.01	408	82.89	19.24	06.8	0.50
28	मेरठ	BAS	437	68.30	25.35	410	62.50	25.50	58.0	3.32**
		MAS	462	90.18	14.73	448	92.75	12.44	25.7	2.85**
29	मिर्जापुर	BAS	510	59.35	28.45	380	55.65	29.15	37.0	1.89
		MAS	385	86.74	17.12	333	86.86	16.79	01.2	0.09
30	मुजफ्फरनगर	BAS	47	65.20	28.90	420	64.10	30.30	11.0	0.55
		MAS	421	85.26	20.23	416	86.33	19.70	10.7	0.78
31	प्रतापगढ़	BAS	415	60.15	26.25	436	57.50	25.65	26.5	1.49
		MAS	474	71.75	25.40	465	67.12	25.99	46.3	2.76**
32	रायबरेली	BAS	483	57.05	28.25	430	56.60	27.35	04.5	0.24
		MAS	514	61.76	25.72	510	60.45	24.72	13.1	0.83
33	रामपुर	BAS	462	52.65	32.05	192	44.35	32.85	83.0	2.96**
		MAS	412	76.75	18.03	391	78.22	18.70	14.7	1.13
34	श्रावस्ती	BAS	536	36.00	29.80	219	31.70	29.30	43.0	1.82
		MAS	482	84.63	15.49	327	84.57	14.82	00.6	0.06
35	सुल्तानपुर	BAS	49	58.40	27.15	442	53.80	26.55	46.0	2.53*
		MAS	417	71.70	23.10	476	70.06	23.93	16.4	1.04
36	उन्नाव	BAS	455	43.85	33.95	407	41.60	34.10	22.5	0.97
		MAS	367	73.69	23.98	381	70.03	24.04	36.6	2.08*
	समग्र रूप में	BAS	15765	60.70	28.45	13457	57.05	28.20	36.5	10.98**
		MAS	14856	77.87	23.02	14742	75.82	24.96	20.5	7.34**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

* = 0.05 स्तर पर सार्थकता ** = 0.01 स्तर पर सार्थकता

कक्षा 2 के बच्चों का लिंग के आधार पर गणित में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम	बालक			बालिका			माध्य अंतर	क्रांतिक अनुपात
			बेसलाइन सर्वे			मिडटर्म सर्वे				
			N	M%	SD	N	M%	SD%		
1	आगरा	BAS	429	56.65	32.20	352	50.90	31.00	5.75	2.53*
		MAS	427	82.69	19.17	411	76.67	23.71	6.02	4.03**
2	अम्बेडकरनगर	BAS	465	73.45	23.75	392	64.80	25.25	8.65	5.13**
		MAS	458	83.95	17.59	430	81.09	19.10	2.86	2.32*
3	आजमगढ़	BAS	429	67.10	25.80	485	58.30	27.15	8.80	5.02**
		MAS	450	75.14	26.46	481	65.77	27.12	9.37	5.33**
4	बागपत	BAS	443	81.00	21.00	365	70.05	23.50	9.95	6.28**
		MAS	438	91.03	11.83	425	91.12	12.69	0.09	0.11
		BAS	536	32.07	24.93	219	27.71	26.07	4.36	2.11*

5	बहराइच	BAS	536	32.07	24.93	219	27.71	26.07	4.36	2.11*
		MAS	420	80.11	22.06	371	79.34	23.24	0.77	0.48
6	बलिया	BAS	400	70.90	27.30	418	62.95	27.85	7.95	4.12**
		MAS	249	84.22	19.42	340	80.37	30.78	3.85	2.31*
7	बाराबंकी	BAS	435	44.00	23.27	249	36.79	29.05	7.21	3.35**
		MAS	390	85.13	18.36	362	82.06	19.73	3.07	2.20*
8	बिजनौर	BAS	394	68.05	27.55	363	61.95	26.80	6.10	3.09**
		MAS	386	77.91	24.58	457	74.03	26.89	3.88	2.19*
9	बुलन्दशहर	BAS	449	63.30	34.80	342	48.95	35.85	14.35	5.65**
		MAS	390	79.55	24.52	360	76.40	24.68	3.15	1.75
10	एटा	BAS	446	48.00	32.40	405	41.45	32.45	6.55	2.94**
		MAS	457	83.35	21.22	455	78.82	23.13	4.53	3.08**
11	फैजाबाद	BAS	422	72.10	27.85	414	6.53	28.20	6.80	3.51**
		MAS	438	80.49	21.58	459	76.47	22.73	4.02	2.72**
12	फर्रूखाबाद	BAS	372	70.75	22.10	377	63.25	24.70	7.50	4.38**
		MAS	358	86.37	16.95	355	80.93	20.32	5.44	3.88**
13	फतेहपुर	BAS	451	62.90	30.55	480	52.45	30.40	10.45	5.23**
		MAS	428	71.38	22.51	428	66.80	25.25	4.58	2.99**
14	गौतमबुद्धनगर	BAS	393	74.70	25.55	328	69.65	28.25	5.05	2.50*
		MAS	422	84.99	17.97	421	80.53	22.48	4.46	3.18**
15	गाजियाबाद	BAS	439	72.20	30.45	358	66.65	29.35	5.55	2.61**
		MAS	419	78.60	27.79	422	76.18	22.94	2.42	1.53
16	गाजीपुर	BAS	411	70.75	29.10	454	60.85	31.35	9.90	4.82**
		MAS	423	83.38	18.08	413	80.34	19.59	3.04	2.33*
17	हमीरपुर	BAS	400	72.20	26.80	337	59.95	28.40	12.25	5.99**
		MAS	328	83.58	19.98	393	77.37	22.43	6.21	3.93**
18	जालौन	BAS	368	52.00	27.45	349	51.00	30.00	1.00	0.46
		MAS	347	84.88	17.98	298	84.18	18.98	0.70	0.48
19	झांसी	BAS	451	67.65	27.25	367	54.65	30.15	13.00	6.40**
		MAS	401	83.59	17.07	324	78.40	20.18	5.19	3.69**
20	जौनपुर	BAS	437	75.10	25.40	441	64.75	25.70	10.35	6.00**
		MAS	474	82.84	20.30	451	79.28	20.08	3.57	2.69**
21	कन्नौज	BAS	417	66.20	24.25	356	62.45	22.55	3.75	2.23*
		MAS	450	79.80	24.97	406	77.55	24.07	2.25	1.34
22	कानपुरदेहात	BAS	403	65.05	28.05	429	55.45	27.85	9.60	4.95
		MAS	381	83.61	20.67	390	82.01	22.03	1.60	1.04
23	कुशीनगर	BAS	420	71.85	27.15	374	63.10	30.45	10.75	5.22**
		MAS	458	80.81	21.21	483	70.97	23.71	1.80	2.38*
24	महोबा	BAS	490	09.05	29.40	364	59.03	40.00	10.00	4.80**
		MAS	416	81.54	19.54	380	77.01	23.74	4.31	2.02*
25	मैनपुरी	BAS	394	10.90	32.73	371	44.33	30.33	12.43	9.14**
		MAS	394	73.96	28.99	450	72.00	38.66	1.06	0.53
26	मथुरा	BAS	463	37.35	24.10	336	27.45	22.05	9.90	6.02**
		MAS	366	61.83	28.83	422	58.95	27.40	2.88	1.43
27	मउ	BAS	409	62.90	25.35	396	51.25	24.90	11.65	6.58**
		MAS	354	79.18	21.37	408	74.31	23.85	4.87	2.97**
28	मेरठ	BAS	437	76.30	24.95	410	66.35	27.35	9.95	5.52
		MAS	462	93.47	11.19	448	92.29	12.13	1.18	1.52**
29	मिर्जापुर	BAS	510	66.30	26.65	380	57.95	26.75	8.35	4.61**
		MAS	385	83.5	21.26	333	86.06	19.56	0.46	0.30
30	मुजफ्फरनगर	BAS	47	76.85	26.20	420	69.25	27.95	7.07	4.17**
		MAS	421	88.42	10.17	416	80.77	17.45	1.05	1.42
31	प्रतापगढ़	BAS	415	60.30	30.10	436	55.80	39.70	4.50	2.23*
		MAS	474	75.38	26.19	465	70.59	25.63	4.79	2.83**
32	रायबरेली	BAS	483	6.15	28.00	430	58.25	27.95	3.90	2.10*
		MAS	514	6.95	23.63	510	66.69	24.00	2.53	1.62
33	रामपुर	BAS	462	44.71	26.46	192	37.93	24.58	6.78	3.14**
		MAS	412	84.28	14.83	391	83.09	15.42	1.19	1.11
34	श्रावस्ती	BAS	536	32.07	24.83	219	27.71	26.07	4.36	2.11*
		MAS	482	82.53	16.45	327	83.29	16.29	0.76	0.65
35	सुल्तानपुर	BAS	49	67.25	28.15	442	60.35	28.20	6.90	3.61**
		MAS	417	79.74	21.26	476	74.39	22.75	5.35	3.63**

36	उन्नाव	BAS	455	54.75	29.70	407	44.65	29.05	10.10	5.04**
		MAS	367	81.40	20.70	381	74.11	22.50	7.29	4.61**
	समग्र रूप में	BAS	15765	71.85	27.45	13457	58.50	28.00	13.35	40.99**
		MAS	14856	80.11	21.76	14742	77.46	23.19	2.65	10.14**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र., लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

* = 0.05 स्तर पर सार्थकता   ** = 0.01 स्तर पर सार्थकता

कक्षा 5 के बच्चों का लिंग के आधार पर भाषा में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम	बालक			बालिका			माध्य अंतर	कांतिक अनुपात
			बेसलाइन सर्वे			मिडटर्म सर्वे				
			N	M%	SD	N	M%	SD%		
1	आगरा	BAS	328	46.33	11.80	206	44-33	9-61	1.80	1.92
		MAS	338	37.24	20.42	347	50-20	20-12	2.03	1.33
2	अम्बेडकरनगर	BAS	521	47.90	1533	472	45-47	13-94	4.43	4.77**
		MAS	487	56.10	2041	469	53-04	20-35	3.06	2.32*
3	आजमगढ़	BAS	530	51.51	1604	498	42-61	13-54	8.90	9.64**
		MAS	428	55.29	1375	523	52-89	14-67	2.40	2.60*
4	बागपत	BAS	445	31.34	1809	269	49-20	16-73	2.14	1.61
		MAS	380	64.09	1732	352	00-90	18-28	2.81	2.14*
5	बहराइच	BAS	353	42.37	1083	86	43-75	8-93	1.42	1.27
		MAS	362	61.02	1909	258	57-23	17-34	3.79	2.57**
6	बलिया	BAS	408	44.39	1083	365	41-90	9-31	2.49	3.43**
		MAS	300	56.63	1749	297	55-73	17-32	0.90	0.63
7	बाराबंकी	BAS	346	41.62	1091	138	40-32	9-47	1.30	1.30
		MAS	359	60.49	1687	385	58-52	16-18	1.97	1.62
8	बिजनौर	BAS	423	51.39	1590	246	49-23	20-57	2.16	1.42
		MAS	433	62.20	1488	397	59-41	15-50	2.79	2.64**
9	बुलन्दशहर	BAS	447	48.53	1370	271	47-33	12-34	1.20	1.21
		MAS	339	61.47	1933	319	61-20	15-44	1.21	1.0
10	एटा	BAS	387	43.17	1411	239	41-98	14-53	1.19	1.01
		MAS	377	52.69	1716	309	48-48	17-03	4.21	3.21**
11	फैजाबाद	BAS	375	51.93	1849	326	49-06	17-30	1.97	1.46
		MAS	375	65.84	1506	480	64-69	15-83	1.15	1.08
12	फर्रूखाबाद	BAS	330	44.90	1481	308	41-56	11-81	3.34	3.16**
		MAS	315	62.03	1940	384	61-86	18-91	0.17	0.12
13	फतेहपुर	BAS	415	4.40	1500	369	40-13	15-50	1.21	1.10
		MAS	379	51.27	1269	464	50-03	11-46	1.22	1.43
14	गौतमबुद्धनगर	BAS	416	46.54	1677	301	45-09	17-57	1.46	1.12
		MAS	446	50.00	3381	413	38-83	21-30	2.07	1.37
15	गाजियाबाद	BAS	374	47.47	1619	232	44-80	17-09	2.67	1.91
		MAS	397	50.30	1097	406	51-90	11-81	1.60	1.99
16	गाजीपुर	BAS	428	47.27	1554	309	41-40	15-33	5.87	5.41**
		MAS	401	30.52	1034	470	56-61	18-13	2.88	2.33*
17	हमीरपुर	BAS	319	43.99	1815	181	41-9	10-47	2.07	1.94
		MAS	338	56.83	1299	381	59-11	19-91	2.28	1.44
18	जालौन	BAS	313	37.23	1549	79	35-24	13-26	1.99	1.68
		MAS	345	54.83	1442	269	56-08	12-98	1.25	1.13
19	झांसी	BAS	394	40.99	1754	270	38-84	17-04	2.14	1.57
		MAS	425	62.82	2042	315	61-07	20-29	1.75	1.16
20	जौनपुर	BAS	571	47.64	1591	450	45-86	13-27	3.79	4.14**
		MAS	507	57.00	2201	504	37-49	22-23	.50	0.36
21	कन्नौज	BAS	340	46.99	1537	261	43-51	12-46	3.47	3.06**
		MAS	403	33.07	2120	425	53-07	20-84	0.90	0.62
22	कानपुरदेहात	BAS	356	48.44	1723	328	42-20	12-60	6.24	5.44**
		MAS	372	62.50	2030	373	58-12	24-00	4.38	2.69*
23	कुशीनगर	BAS	380	48.07	1489	246	42-51	12-46	5.56	5.07**
		MAS	490	54.82	2110	349	53-84	22-30	.98	0.64
24	महोबा	BAS	403	46.33	1356	159	45-49	13-86	0.74	0.58
		MAS	353	60.59	1568	281	55-51	15-47	5.08	4.08**
25	मैनपुरी	BAS	326	40.29	1216	307	36-73	10-19	3.56	3.98**
		MAS	357	33.96	1481	329	51-76	14-91	2.20	1.94
26	मथुरा	BAS	378	39.04	1277	207	37-01	10-07	2.03	2.11*
		MAS	396	55.35	1475	383	54-14	13-66	1.21	1.19
27	मउ	BAS	428	46.10	1693	392	43-66	15-9	2.44	2.13*
		MAS	373	60.85	1967	383	58-10	18-54	2.75	1.98*
28	मेरठ	BAS	316	49.2	1497	270	47-74	15-53	1.86	1.47
		MAS	399	63.87	1744	399	65-36	18-76	1.49	1.16
29	मिर्जापुर	BAS	495	41.77	1656	253	41-37	16-59	0.40	0.31
		MAS	431	58.44	2189	393	58-43	21-22	0.01	0.01

30	मुजफ्फरनगर	BAS	396	54.46	1664	274	49-89	18-49	4.57	3.28**
		MAS	390	60.62	1998	442	57-67	18-73	2.95	2.19*
31	प्रतापगढ़	BAS	467	48.56	1543	378	44-44	14-39	4.11	4.00**
		MAS	551	57.10	1932	584	53-52	18-23	3.58	3.21**
32	रायबरेली	BAS	501	47.40	1807	427	46-84	18-67	0.56	0.45
		MAS	514	53.81	1269	465	53-61	12-26	0.20	0.25
33	रामपुर	BAS	306	42.61	1014	105	44-42	11-25	1.81	1.46
		MAS	266	60.03	1645	236	60-21	17-46	0.18	0.12
34	श्रावस्ती	BAS	353	42.33	1083	86	45-75	8-93	1.42	1.27
		MAS	421	63.52	2140	258	64-10	20-72	0.58	0.35
35	सुल्तानपुर	BAS	424	47.13	1447	325	46-76	14-00	0.40	0.38
		MAS	499	54.94	1609	520	53-26	16-99	1.68	1.61
36	उन्नाव	BAS	385	42.93	1549	313	41-39	13-49	1.54	1.41
		MAS	338	54.76	1132	412	56-19	12-28	1.43	1.66
	समग्र रूप में	BAS	14410	31.48	1451	10206	28-43	13-13	3.05	17.17**
		MAS	14310	58.16	1843	13950	56-87	18-29	1.29	5.91**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

* = 0.05 स्तर पर सार्थकता,   ** = 0.01 स्तर पर सार्थकता.

कक्षा 5 के बच्चों का लिंग के आधार पर गणित में उपलब्धि स्तर का माध्य प्रतिशत

कमांक	जिले का नाम	परीक्षणों का नाम	बालक			बालिका			माध्य अंतर	कांतिक अनुपात
			बेसलाइन सर्वे			मिडटर्म सर्वे				
			N	M%	SD	N	M%	SD%		
1	आगरा	BAS	328	32.50	11.95	206	30.75	9.28	1.75	1.89
		MAS	138	49.85	19.14	347	48.65	16.59	1.20	0.89
2	अम्बेडकरनगर	BAS	521	33.65	15.68	472	29.00	13.68	4.65	4.99**
		MAS	487	48.41	20.02	469	45.96	1977	2.45	190
3	आजमगढ़	BAS	530	36.35	13.80	498	32.28	13.70	4.08	4.75**
		MAS	428	38.68	21.90	523	39.81	23.13	1.13	0.77
4	बागपत	BAS	445	31.65	15.90	269	29.30	14.48	2.35	2.02*
		MAS	380	73.71	15.20	352	71.80	16.54	1.91	1.63
5	बहराइच	BAS	353	33.08	9.55	86	29.70	7.35	3.38	3.59**
		MAS	362	45.10	21.63	258	4303	21.14	2.07	1.19
6	बलिया	BAS	408	33.65	12.23	365	32.10	8.48	1.55	2.07*
		MAS	300	49.89	19.52	297	49.01	21.04	0.88	0.53
7	बाराबंकी	BAS	346	30.55	9.82	138	27.13	8.67	3.42	3.77**
		MAS	359	49.05	19.47	385	45.14	19.08	3.91	2.76
8	बिजनौर	BAS	423	37.38	14.40	246	36.70	17.58	0.67	0.51
		MAS	433	43.05	18.99	397	40.26	18.33	279	2.15*
9	बुलन्दशहर	BAS	447	34.13	14.45	271	32.20	12.00	193	1.93
		MAS	339	53.34	21.02	319	50.43	20.96	2.91	1.77
10	एटा	BAS	387	22.48	13.23	239	19.20	11.50	3.28	3.27**
		MAS	377	42.65	21.07	309	40.57	18.54	2.08	1.37
11	फैजाबाद	BAS	375	39.28	20.13	326	34.38	17.90	4.90	3.41**
		MAS	375	44.97	19.87	480	42.69	21.10	2.28	1.62
12	फर्रूखाबाद	BAS	330	32.75	12.38	308	30.50	12.80	225	2.25*
		MAS	315	52.02	21.09	384	52.71	21.75	0.69	0.42
13	फतेहपुर	BAS	415	32.68	14.68	369	33.85	13.68	1.17	1.16
		MAS	379	34.93	12.75	464	34.46	10.21	0.47	0.58
14	गौतमबुद्धनगर	BAS	416	25.93	13.03	301	28.63	12.93	0.30	0.31
		MAS	446	45.72	20.49	413	46.83	20.10	1.11	0.80
15	गाजियाबाद	BAS	374	28.33	13.00	232	25.33	13.23	3.00	2.73**
		MAS	397	2878	15.13	406	28.92	14.61	0.14	0.13
16	गाजीपुर	BAS	428	36.65	17.98	309	30.58	17.13	6.08	4.94**
		MAS	401	55.12	20.78	470	49.12	20.88	6.00	4.24**

17	हमीरपुर	BAS	319	33.23	12.88	181	27.68	9.48	5.55	5.51**
		MAS	338	53.39	20.91	381	52.26	22.43	1.13	0.70
18	जालौन	BAS	313	20.00	12.08	79	18.83	12.10	1.18	1.18
		MAS	345	59.75	21.68	269	57.07	19.57	2.68	1.61
19	झांसी	BAS	394	24.75	14.95	270	2310	15.28	1.65	1.38
		MAS	425	54.29	18.63	315	51.10	20.49	3.19	2.18*
20	जौनपुर	BAS	571	35.88	15.48	450	30.55	11.60	5.33	6.28**
		MAS	507	50.21	23.52	504	50.51	23.54	0.30	0.20
21	कन्नौज	BAS	340	32.10	12.83	261	28.70	11.50	3.40	3.42**
		MAS	403	43.47	23.01	425	42.46	20.88	1.01	0.66
22	कानपुरदेहात	BAS	356	32.75	16.05	328	27.85	12.18	4.90	4.52**
		MAS	372	55.26	22.42	373	55.19	23.31	0.07	0.04
23	कुशीनगर	BAS	380	30.98	14.98	246	26.25	13.73	4.73	4.08**
		MAS	490	48.74	20.62	349	48.46	21.17	0.28	0.19
24	महोबा	BAS	403	31.93	14.38	159	31.20	15.80	0.73	0.50
		MAS	353	44.50	20.81	281	38.78	21.80	5.72	3.35**
25	मैनपुरी	BAS	326	22.70	9.48	307	20.93	9.00	1.78	2.42*
		MAS	357	37.21	20.44	329	34.26	20.95	2.95	1.86
26	मथुरा	BAS	378	25.43	10.43	207	24.05	7.98	1.38	1.78
		MAS	396	41.51	18.13	383	39.20	18.39	2.31	1.76
27	मउ	BAS	428	30.28	16.35	392	25.23	15.18	5.05	4.59**
		MAS	373	53.59	24.81	383	50.55	24.97	3.04	1.68
28	मेरठ	BAS	316	31.10	13.93	270	28.30	11.68	2.80	2.65**
		MAS	399	70.88	14.75	399	70.47	15.11	0.41	0.39
29	मिर्जापुर	BAS	495	29.28	14.45	253	23.68	12.28	5.60	5.55**
		MAS	431	55.49	20.17	393	56.68	20.50	1.19	0.84
30	मुजफ्फरनगर	BAS	396	38.65	16.75	274	32.75	17.35	5.90	4.39**
		MAS	390	47.85	19.31	442	45.89	18.09	1.96	1.50
31	प्रतापगढ़	BAS	467	36.03	15.75	378	33.30	15.10	2.73	2.56*
		MAS	551	49.21	20.73	584	45.63	20.36	3.58	2.93**
32	रायबरेली	BAS	501	29.83	18.28	427	27.68	18.13	2.15	1.79
		MAS	514	31.39	13.09	465	32.09	14.92	0.70	0.75
33	रामपुर	BAS	306	31.90	10.43	105	31.48	10.36	0.42	0.36
		MAS	266	47.18	18.08	236	49.90	17.88	2.72	1.69
34	श्रावस्ती	BAS	353	33.08	9.55	86	29.70	7.35	3.38	3.59**
		MAS	421	52.88	23.80	258	55.16	23.89	2.28	1.21
35	सुल्तानपुर	BAS	424	31.03	16.70	325	31.18	14.15	0.15	0.13
		MAS	499	46.67	19.02	520	46.04	20.64	0.63	0.50
36	उन्नाव	BAS	385	26.00	11.88	313	24.93	11.75	1.08	1.20
		MAS	338	37.63	12.79	412	38.26	12.88	0.63	0.67
	समग्र रूप में	BAS	14410	31.48	14.53	10206	26.00	13.13	5.48	30.86**
		MAS	14310	48.08	21.79	13950	46.51	21.69	1.57	6.07**

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिपोर्ट

* = 0.05 स्तर पर सार्थकता,   ** = 0.01 स्तर पर सार्थकता

निष्कर्ष :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। से आच्छादित जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के आँकड़ों एवं बच्चों के उपलब्धि स्तर की मूल्यांकन रिपोर्ट के के विश्लेषण से निम्नानुसार शैक्षिक प्रगति प्राप्त होती है –

- सभी जनपदों के सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में लगातार वृद्धि पाई गई । लड़कियों तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में

लड़कों एवं अन्य जाति के बच्चों की तुलना में सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में वृद्धि पाई गई ।

- सभी जिलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:50 से अधिक पाया गया ।
- छोटी कक्षाओं से (कक्षा 1 से 5 की तक) बड़ी कक्षा की ओर प्रमोशन दर का प्रतिशत बढ़ता हुआ पाया गया । जबकि रिपीटीशन एवं ड्रापआउट छोटी कक्षाओं से बड़ी कक्षा की ओर जाने पर क्रमशः घटता हुआ पाया गया ।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों में औसतन कोहार्ट ड्रापआउट दर 7.4 प्रतिशत एवं कोहार्ट ठहराव दर 92.6 प्रतिशत के लगभग पाई गई ।
- जिलों के निकाय की औसतन दक्षता 95.3 प्रतिशत के लगभग पाई गई ।
- बेस लाइन एवं मिडटर्म सर्वे के जाति, लिंग एवं क्षेत्रवार परिणामें का विश्लेषण करने पर कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों में भाषा एवं गणित विषय में उपलब्धि स्तर में सभी क्षेत्रों में वृद्धि पाई गई । अर्थात् बेस लाइन सर्वे की तुलना में मिडटर्म सर्वे के परिणाम काफी अच्छे पाये गये । परिणामों में सार्थक अंतर भी पाया गया ।
- बच्चों को औसतन 5.2 वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षकों पूरा करने में समय लगता है । कक्षा 1 में नामांकित बच्चों में से 81 प्रतिशत बच्चे 5 वर्ष में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करते हैं ।
- कक्षा 5 की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों में से 40.51 प्रतिशत बच्चे 60 प्रतिशत बच्चे से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम :

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 70 जनपदों में संचालित है । इस कार्यक्रम को बेसिक शिक्षा परियोजना के 16 जिलों में वर्ष 2001–02 से संचालित किया गया । वर्ष 2003–04 से यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 70 जिलों में संचालित है । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम स्कूल प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में एक प्रयास है । इसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी और प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है । इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की वित्तीय साझेदारी नौवीं योजना के दौरान 85:15, दसवीं योजना के दौरान 75:25 और तदनुसार 50;50 के अनुपात में रखी गई है । यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के समान

विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । अब तक लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के सापेक्ष इसकी प्रगति निम्नानुसार है –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य

वर्ष	प्राथमिक	उच्च	अतिरिक्त कक्ष	हैण्डपम्प
2001—2002	516	450	3174	408
2002—2003	371	1767	2773	703
2003—2004	3111	5353	4282	1214
2004—2005	2576	2413	18552	—
योग	6574	9983	28781	2380

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (2004-05)

वर्ष	शिक्षकों की नियुक्ति	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति	योग
2001—2002	7458	6108	13566
2002—2003	5672	371	6043
2003—2004	19170	67111	86281
2004—2005	9815	10494	20309
योग	**42115**	**84084**	**126199**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (2004-05)

उच्च प्राथमिक स्तर का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

कंमाक	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		जी.ई.आर.		एन.ई.आर		अनुसूचित जाति का जी.ई.आर.	
		2002—03	2003—04	2002—03	2003—04	2002—03	2003—04	2002—03	2003—04
1.	आगरा	245	254	21.31	23.99	21.31	23.99	18.02	29.71
2.	अम्बेडकरनगर	262	340	70.53	66.73	70.62	66.71	60.88	75.51
3.	आजमगढ़	203	361	22.44	85.46	22.44	85.45	30.69	81.66
4.	बागपत	154	182	38.83	49.62	38.83	49.352	29.44	31.82
5.	बहराईच	211	254	20.36	25.47	20.34	25.50	18.87	24.76
6.	बलिया	317	403	49.59	48.49	49.59	48.49	61.39	38.62
7.	बिजनौर	193	246	24.77	67.93	25.77	67.93	34.50	77.36
8.	बाराबंकी	378	446	34.25	37.25	34.24	37.25	43.30	47.83
9.	बुलन्दशहर	101	157	7.19	8.24	7.19	8.23	7.32	9.73
10	एटा	399	605	30.70	42.43	30.69	42.33	32.08	49.17
11	फैजाबाद	220	324	38.33	49.15	38.37	49.13	45.91	56.55
12	फरूर्खाबाद	150	212	18.75	20.54	18.74	20.54	21.45	31.57
13	फतेहपुर	322	362	40.23	47.26	40.23	47.25	47.36	55.57

14	जी.बी. नगर	70	127	22.23	44.55	22.23	44.53	22.78	26.81
15	गाजियाबाद	166	276	16.73	32.83	16.39	32.53	15.76	25.19
16	गाजीपुर	178	223	22.72	30.88	22.72	30.33	26.88	33.48
17	हमीरपुर	237	257	55.12	50.03	55.12	50.03	58.76	58.26
18	जालौन	279	323	48.86	51.19	48.83	51.17	50.37	45.77
19	जौनपुर	335	384	41.81	28.75	41.81	28.75	46.87	39.67
20	झाँसी	315	319	88.23	62.75	88.10	62.71	72.52	58.89
21	कन्नौज	123	157	13.63	22.89	13.67	22.36	23.60	36.84
22	कानपुर देहात	260	292	43.23	46.30	43.28	46.30	50.04	51.68
23	कुशीनगर	204	339	26.20	40.43	26.20	40.43	23.42	51.34
24	महोबा	158	168	65.80	61.44	65.80	61.41	57.10	54.75
25	मैनपुरी	1	246		27.77		27.371		39.21
26	मथुरा	216	248	33.24	31.08	33.22	31.03	28.97	32.54
27	मऊ	137	185	25.59	29.47	25.59	29.17	33.57	48.40
28	मेरठ	312	396	17.54	29.11	17.54	29.11	19.08	34.22
29	मिर्जापुर	201	340	46.52	63.74	46.92	63.70	46.29	63.69
30	मुजफ्फरनगर	242	318	9.17	22.79	9.17	22.79	11.41	31.15
31	प्रतापगढ़	263	425	31.86	51.22	31.86	51.22	31.02	63.25
32	रायबरेली	281	355	39.88	40.43	39.86	40.42	39.40	4.44
33	रामपुर	159	245	18.75	21.18	18.74	21.13	19.83	39.30
34	श्रावस्ती	116	137	34.69	36.66	34.68	36.54	24.77	35.68
35	सुल्तानपुर	372	455	41.64	41.66	41.54	41.63	39.98	42.02
36	उन्नाव	249	455	17.79	40.03	19.79	40.03	20.94	45.00
	योग	**8029**	**10816**	**33.77**	**41.10**	**33.76**	**41.09**	**34.70**	**44.65**
37	अलीगढ़	348	440	29.21	23.49	29.21	23.49	33.23	37.52
38	इलाहाबाद	523	583	34.17	30.43	34.17	30.42	21.57	35.07
39	औरैया	232	399	27.91	61.53	27.91	61.53	30.37	76.11
40	बलरामपुर	165	206	18.17	19.25	18.17	1925	22.18	23.30
41	बाँदा	338	409	43.15	51.53	43.15	51.52	42.40	58.80
42	बरेली	365	430	51.38	26.23	51.38	26.20	54.69	49.62
43	बस्ती	405	332	51.97	40.67	51.96	40.66	52.39	49.83
44	भदोही	199	237	64.94	63.98	64.94	63.97	6305	73.44
45	बदायूँ	205	355	13.44	24.99	13.44	24.96	13.30	39.46
46	चन्दौली	232	304	60.26	56.61	60.26	56.77	60.04	70.34
47	चित्रकूट	171	255	89.68	78.03	89.66	78.03	88.87	86.01
48	देवरिया	223	283	13.33	21.85	13.33	21.84	24.65	41.00
49	इटावा	322	523	36.64	57.59	36.63	57.58	51.34	71.97
50	फिरोजाबाद	201	270	24.98	31.32	24.98	31.32	28.25	30.01
51	गोण्डा	256	274	26.21	28.85	26.21	28.85	18.20	29.97
52	गोरखपुर	335	513	39.36	49.52	39.36	49.52	40.18	48.15
53	हरदोई	463	523	45.83	34.25	45.47	34.24	48.30	39.35
54	हाथरस	133	193		35.29		35.29		46.69
55	जे.पी. नगर	145	139	31.94	29.66	31.94	29.65	29.36	44.43
56	कानपुर नगर	545	1328	18.49	50.00	18.49	50.00	21.18	42.27
57	कौशाम्बी	165	201	25.42	30.61	25.42	30.61	22.15	30.19
58	खीरी	266	387	25.53	33.49	25.53	33.48	27.85	38.60
59	ललितपुर	216	259	62.49	65.59	62.33	65.43	51.57	63.04
60	लखनऊ	248	327	15.9	28.18	15.90	28.318	23.53	32.51
61	महराजगंज	98	132	22.78	24.47	22.78	24.47	22.66	33.93

62	मुरादाबाद	365	380	33.28	36.18	33.37	36.13	66.20	36.11
63	पीलीभीत	243	267	35.97	31.73	35.96	31.72	3961	52.16
64	सहारनपुर	334	465		30.54		30.50		50.31
65	संतकबीर नगर	147	163	41.53	29.45	41.52	29.45	45.36	45.59
66	शाहजहाँपुर	221	330	17.80	20.14	17.80	20.14	23.65	20.98
67	सिद्धार्थ नगर	174	269	21.59	26.42	21.259	26.41	24.10	42.43
68	सीतापुर	570	661	36.96	43.86	37.02	4384	42.28	52.41
69	सोनभद्र	164	189	36.92	26.16	36.92	26.16	27.91	30.70
70	वाराणसी	236	342	36.32	42.62	36.32	42.62	41.02	50.03
	योग / प्रतिशत माध्य	**9253**	**12368**	**35.42**	**37.78**	**35.41**	**37.77**	**37.85**	**46.24**

स्त्रोत : स्टेप रिर्पोट (ई.एम.आई.एस.) 2003-04

उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

कमांक	जिले का नाम	जी.ई.आर.		एन.ई.आर		अनुसूचित जाति का जी.ई.आर.	
		2002–03	2003–04	2002–03	2002–04	2002–03	2002–04
1.	आगरा	18.24	20.37	18.24	20.36	15.31	25.31
2.	अम्बेडकरनगर	70.86	68.32	70.85	68.30	61.41	81.88
3.	आजमगढ़	21.77	82.89	21.77	82.88	28.63	81.28
4.	बागपत	36.28	46.21	36.27	46.21	24.51	28.66
5.	बहराईच	16.63	23.36	16.62	23.38	12.83	22.70
6.	बलिया	51.68	48.74	51.68	48.74	60.95	36.35
7.	बिजनौर	23.16	72.23	23.16	72.23	31.12	81.56
8.	बाराबंकी	36.51	42.94	36. 49	42.93	46.72	51.86
9.	बुलन्दशहर	7.76	8.15	7.76	8.20	7.98	9.42
10.	एटा	27.60	37.55	27.58	37.52	27.93	42.94
11.	फैजाबाद	40.65	50.28	40.64	50.26	46.20	56.87
12.	फरूर्खाबाद	22.26	14.75	22.25	14.75	20.77	30.59
13.	फतेहपुर	25.93	53.30	25.93	53.30	47.32	56.87
14.	जी.बी. नगर	22.18	40.36	22.18	40.33	22.70	22.13
15.	गाजियाबाद	17.63	34.46	17.62	34.46	17.69	26.48
16.	गाजीपुर	21.28	30.18	21.28	30.18	24.95	32.76
17.	हमीरपुर	52.81	50.83	52.81	50.83	56.68	58.56
18.	जालौन	48.29	54.41	48.28	54.41	48.48	54.42
19.	जौनपुर	37.01	29.98	37.01	29.98	45.56	39.71
20.	झाँसी	82.76	59. 75	82.62	59.71	73.70	56.95
21.	कन्नौज	13.31	21.13	13.30	21.09	22.79	32.60
22.	कानपुर देहात	47.49	48.04	47.49	48.04	54.93	50.87
23.	कुशीनगर	19.90	36.72	19.90	36.72	18.95	45.54
24.	महोबा	60.62	55.34	60.62	55.32	48.62	44.27
25.	मैनपुरी	-	28.83	-	28.79	-	39.04
26.	मथुरा	29.06	25.11	29.03	25.04	24.31	25.78
27.	मऊ	25.37	31.82	25.37	31.82	33.02	52.48
28.	मेरठ	18.45	29.68	18.45	29.68	20.62	35.43
29.	मिर्जापुर	40.29	61.00	40.29	61.94	34.07	57.25
30.	मुजफ्फरनगर	8.14	22.80	8. 14	22.80	9.38	28.36

31.	प्रतापगढ़	33.37	53.69	33.37	53.69	30.19	63.21
32.	रायबरेली	38.44	40.40	38.43	40.39	34.37	37.33
33.	रामपुर	13.90	17.98	13.90	17.98	13.31	30.27
34.	श्रावस्ती	21.16	26.40	21.16	26.32	12.36	22.27
35.	सुल्तानपुर	34.80	40.82	34.69	40.79	28.31	41.39
36.	उन्नाव	22.14	41.46	22.14	41.46	26.06	44.26
	प्रतिशत	**31.65**	**40.31**	**31.64**	**40.30**	**32.36**	**42.99**
37.	अलीगढ़	25.83	20.48	25.83	20.48	28.37	31.13
38.	इलाहाबाद	31.68	29.27	31.68	29.27	25.79	29.93
39.	औरैया	29.73	64.55	29.73	64.55	31.84	81.22
40.	बलरामपुर	12.42	13. 56	12.42	13.56	12.95	19.07
41.	बाँदा	39.30	53.65	39.30	53.63	38.79	53.73
42.	बरेली	38.55	20.42	38.55	20.40	42.26	41.55
43.	बस्ती	48.59	38.42	48.59	38.42	61.25	46.05
44.	भदोही	56.30	58.34	56.30	58.34	42.44	57.96
45.	बदायूँ	9.12	18.35	9.12	18.33	9.21	29.28
46.	चन्दौली	62.54	55.74	62.54	56.09	60.53	67.30
47.	चित्रकूट	90.47	75.41	90.42	75.41	88.95	79.07
48.	देवरिया	14.01	23.36	14.01	23.35	24.47	41.69
49.	इटावा	38.41	62.90	38.40	62.88	53.77	75.34
50.	फिरोजाबाद	24.84	29.81	24.84	29.81	31.38	30.03
51.	गोण्डा	19.43	22.20	19. 42	22.20	11.91	20.49
52.	गोरखपुर	40.86	51.21	40.86	51.21	38.34	48.01
53.	हरदोई	50.85	29.73	49.91	29.72	36.38	32.23
54.	हाथरस	-	32.37	-	32.37	-	40.95
55.	जे.पी. नगर	28.48	25.64	28.48	25.64	25.11	39.15
56.	कानपुर नगर	18.73	55.81	18.73	55.81	21.01	48.36
57.	कौशाम्बी	23.31	26.15	23.31	26.15	16.49	21.97
58.	खीरी	21.75	27.97	21.75	27.97	21.45	34.40
59.	ललितपुर	51.81	56.43	51.75	56.35	38.49	48.65
60.	लखनऊ	16.28	41.32	16.27	41.32	20.16	29.12
61.	महराजगंज	19.52	21.19	19.52	21.19	18.99	31.35
62.	मुरादाबाद	42.44	33.19	42.54	33.16	70.03	31.72
63.	पीलीभीत	31.19	27.70	31.19	27.69	34.95	47.09
64.	सहारनपुर	-	29.42	-	29.36	-	47.55
65.	संतकबीर नगर	35.65	26.07	35.65	26.07	39.45	41.68
66.	शाहजहाँपुर	12.63	16.06	12.63	16.06	17.82	16.20
67.	सिद्धार्थ नगर	15.81	19.04	15.81	19.03	17.72	32.41
68.	सीतापुर	32.29	38.83	32.35	38.82	35.08	46.81
69.	सोनभद्र	30.84	21.95	30.84	21.95	17.89	21.01
70.	वाराणसी	36.81	43.94	36.81	43.94	38.79	48.68
71.	**प्रतिशत**	**32.83**	**35.60**	**32. 80**	**35. 60**	**33.50**	**41.51**

स्रोत : स्टेप रिपोर्ट (ई.एम.आई.एस.) 2003-04

प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

क्रमाक	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या			जी.ई.आर.			एन.ई.आर		अनुसूचित जाति का जी.ई.आर.	
		2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	आगरा	1850	1894	80.7	80.56	86.13	70.8	73.37	79.16	76.38	113.52
2.	अम्बेडकरनगर	1389	1418	98.9	99.21	104.19	84.6	86.01	93.71	91.76	127.99
3.	आजमगढ़	1912	2466	80.8	86.81	100.56	80.8	81.33	98.90	138.37	100.51
4.	बागपत	605	634	106.7	110.51	105.16	86.3	90.26	70.56	65.14	89.84
5.	बहराईच	1479	1565	82.4	83.01	102.87	71.5	73.83	84.04	84.62	95.00
6.	बलिया	1853	1967	83.6	88.33	92.98	75.9	83.63	90.13	103.47	96.91
7.	बिजनौर	1936	1917	94.7	92.00	97.05	76.6	81.48	81.54	105.54	125.08
8.	बाराबंकी	2199	2353	81.3	82.36	90.12	67.3	68.73	76.39	78.70	127.82
9.	बुलन्दशहर	1760	1753	103.2	105.16	96.92	80.1	79.84	69.91	68.10	95.23
10.	एटा	2099	2263	93.2	96.72	98.22	77.9	81.18	84.16	94.75	112.11
11.	फैजाबाद	1200	1323	78.4	82.40	99.93	67.0	70.45	87.04	93.77	135.94
12.	फरूर्खाबाद	1023	1108	74.8	75.86	92.48	71.4	73.26	81.87	80.53	90.12
13.	फतेहपुर	17336	1837	75.9	8208	88.78	71.6	81.88	87.30	84.98	91.70
14.	जी.बी. नगर	532	628	103.3	107.05	103.90	82.9	86.38	83.42	89.98	95.69
15.	गाजियाबाद	970	1175	77.9	87.05	103.55	65.8	75.19	89.07	61.91	94.25
16.	गाजीपुर	1666	1726	74.2	83.58	89.16	73.0	83.53	86.28	97.61	101.65
17.	हमीरपुर	922	941	80.1	80.90	89.82	64.4	71.17	84.26	92.17	109.19
18.	जालौन	1491	1509	90.2	90 .37	92.91	77.8	78.03	83.22	84.95	108.69
19.	जौनपुर	2361	2390	91.4	89.50	96.73	91.4	89.44	96.70	94.18	117.53
20.	झासी	1334	1350	89.0	103.42	94.79	78.0	94.15	86.44	95.54	88.43
21.	कन्नौज	829	885	68.3	78.60	78.71	59.7	69.48	67.55	70.61	204.93
22.	कानपुर देहात	1432	1356	79.7	80.61	82.33	72.8	75.86	81.18	79.37	88.76
23.	कुशीनगर	1530	1878	104.8	101.89	96.47	86.6	89.38	91.64	93.60	152.20
24.	महोबा	737	756	93.5	94.98	94.94	87.0	94.10	93.45	88.33	85.46
25.	मैनपुरी	1233	1298	75.8	86.45	90.87	58.7	86.09	89.59	111.90	131.51
26.	मथुरा	1271	1481	75.2	73.36	95.08	62.2	63.32	82.87	74.19	126.48
27.	मऊ	1100	1173	93.1	100.61	108.95	82.2	91.38	84.93	186.58	187.19
28.	मेरठ	1213	1282	64.0	63.20	74.61	52.8	53.96	60.99	42.55	90.43
29.	मिर्जापुर	1347	1533	83.3	81.61	95.80	80.4	80.74	93.90	93.89	105.51
30.	मुजफ्फरनगर	1307	1504	54.0	51.76	85.21	35.0	35.93	59.99	84.86	103.03
31.	प्रतापगढ़	1746	1921	101.2	92.13	86.48	89.9	91.80	95.78	98.77	91.46
32.	रायबरेली	1707	1864	88.3	78.80	93.88	75.9	73.97	89.13	85.84	123.14
33.	रामपुर	1304	1416	93.5	96.29	109.67	81.0	82.17	97.73	88.10	170.40
34.	श्रावस्ती	872	885	90.0	91.99	106.60	79.4	81.62	96.08	80.95	96.32
35.	सुल्तानपुर	2309	2391	104.5	80.34	94.88	69.4	76.93	80.09	87.57	91.87
36.	उन्नाव	1941	2165	102.8	95.95	99.66	74.6	93.50	98.05	95.97	135.02
	प्रतिशत माध्य	**52192**	**56005**	84.3	**87.67**	**95.29**	**73.9**	**78.98**	**84.92**	**90.15**	**113.91**
37.	अलीगढ़	1472	1681	-	67.30	86.16	-	67.30	86.16	88.76	121.64
38.	इलाहाबाद	2091	2221	-	65.64	75.21	-	65.25	70.73	82.46	113.01
39.	औरैया	797	1087	-	76.94	97.81	-	60.21	87.39	67.47	119.34
40.	बलरामपुर	1095	1131	-	79.24	102.20	-	96.62	94.83	91.84	157.35
41.	बाँदा	1159	1263	-	81.37	95.07	-	79.06	86.62	89.46	105.82
42.	बरेली	2097	2176	-	97.36	89.87	-	85.78	80.72	75.19	141.18
43.	बस्ती	2307	1575	-	104.53	99.91	-	92.57	85.69	187.22	142.99

44.	भदोही	609	663	-	99.34	102.84	-	99.33	98.10	101.21	132.31
45.	बदायूँ	2070	2196	-	75.70	107.08	-	67.52	97.27	76.10	162.23
46.	चन्दौली	867	936	-	97.34	100.56	-	97.29	98.86		158.58
47.	चित्रकूट	646	785	-	101.18	95.43	-	94.17	93.97	87.46	103.51
48.	देवरिया	1611	1624	-	75.08	87.02	-	65.90	78.35	133.98	174.14
49.	इटावा	1015	1289	-	81.43	99.23	-	68.68	82.72	84.36	113.67
50.	फिरोजाबाद	1341	1390	-	94.01	100.52	-	86.10	95.51	121.60	145.05
51.	गोण्डा	1879	1925	-	101.71	111.36	-	87.11	97.43	80.92	148.75
52.	गोरखपुर	1730	2106	-	71.22	92.22	-	66.87	90.73	79.07	101.46
53.	हरदोई	2886	3020	-	100.08	100.64	-	97.17	99.45	100.83	96.98
54.	हाथरस	742	913	-	62.87	94.35	-	53.77	86.87		152.58
55.	जे.पी. नगर	1147	1047	-	106.84	100.25	-	78.75	95.64	74.67	122.19
56.	कानपुर नगर	1810	4212	-	43.97	58.16	-	42.10	52.25	54.94	47.99
57.	कौशाम्बी	667	683	-	70.96	103.59	-	70.96	98.49	77.45	148.93
58.	खीरी	2009	2097	-	107.02	91.79	-	97.44	89.40	86.96	93.16
59.	ललितपुर	926	943	-	115.15	103.28	-	97.56	88.41	98.60	109.02
60.	लखनऊ	1572	1787	-	59.49	69.25	-	57.46	67.81	57.27	57.84
61.	महराजगंज	1265	1314	-	99.53	97.61	-	97.32	96.92	85.74	114.11
62.	मुरादाबाद	2363	2442	-	94.20	104.06	-	60.20	93.97	129.91	95.97
63.	पीलीभीत	1148	1162	-	91.51	104.85	-	84.75	98.20	80.11	140.37
64.	सहारनपुर	1666	1743	-	70.41	75.62	-	65.38	62.13	101.23	111.75
65.	संतकबीर नगर	796	794	-	71.62	75.87	-	65.31	70.14	74.68	133.71
66.	शाहजहाँपुर	2094	2318	-	91.02	99.77	-	86.71	90.80	123.63	99.76
67.	सिद्धार्थ नगर	1310	1346	-	104.75	91.35	-	96.86	84.99	63.06	134.30
68.	सीतापुर	2536	2649	-	80.60	81.12	-	80.53	77.31	84.22	96.08
69.	सोनभद्र	1115	1127	-	99.72	87.25	-	99.21	87.21	84.40	124.82
70.	वाराणसी	934	1083	-	66.97	73.96	-	64.89	72.08	74.56	62.79
	प्रतिशत माध्य	**49769**	**54725**	-	**85.47**	**92.80**	-	**78.12**	**86.39**	**90.61**	**120.10**

स्त्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट 2003–04

लड़कियों का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

कमांक	जिले का नाम	जी.ई.आर.		एन.ई.आर		अनुसूचित जाति का जी.ई.आर.	
		2002-03	2003-04	2002-03	2002-04	2002-03	2002-04
1.	आगरा	82.66	83.83	75.32	77.11	76.47	111.52
2.	अम्बेडकरनगर	100.35	108.77	86.81	97.89	92.74	131.89
3.	आजमगढ़	91.46	99.77	85.60	98.11	143.65	99.61
4.	बागपत	113.43	110.88	93.38	74.86	69.54	92.27
5.	बहराईच	82.52	102.80	73.36	83.92	84.84	100.83
6.	बलिया	91.48	93.17	86.71	90.45	103.71	96.51
7.	बिजनौर	92.14	98.76	81.71	83.03	106.16	128.64
8.	बाराबंकी	79.38	94.79	66.69	80.73	82.46	133.85
9.	बुलन्दशहर	103.36	97.34	78.50	70.39	75.35	92.78
10.	एटा	97.53	100.43	81.95	86.27	96.72	114.05
11.	फैजाबाद	88.94	105.35	76.12	91.91	99.05	139.29
12.	फरूर्खाबाद	78.17	98.17	75.51	87.25	84.23	91.90

13.	फतेहपुर	82.13	91.41	81.93	89.87	80.99	93.61
14.	जी.बी. नगर	112.14	110.17	89.97	89.03	92.43	96.49
15.	गाजियाबाद	92.86	109.16	80.24	94.08	64.19	96.90
16.	गाजीपुर	87.32	93.75	87.28	91.21	100.62	102.22
17.	हमीरपुर	83.42	93.50	73.78	88.04	93.00	111.81
18.	जालौन	89.92	93.47	78.08	83.97	85.68	108.15
19.	जौनपुर	90.37	100.84	90.31	100.81	94.71	113.68
20.	झाँसी	105.31	95.69	96.25	87.44	89.67	89.69
21.	कन्नौज	82.22	83.45	72.55	71.95	73.17	216.00
22.	कानपुर देहात	84.60	84.28	79.68	83.14	81.59	92.69
23.	कुशीनगर	111.84	97.54	98.13	92.51	100.95	153.16
24.	महोबा	93.81	94.35	93.02	92.94	85.51	83.53
25.	मैनपुरी	91.32	94.92	90.95	93.66	114.91	134.46
26.	मथुरा	75.05	93.82	64.98	82.06	74.99	124.53
27.	मऊ	105.51	115.22	95.61	90.44	193.65	194.18
28.	मेरठ	64.26	78.32	54.94	64.36	42.78	99.72
29.	मिर्जापुर	81.20	94.58	80.35	92.76	94.79	105.69
30.	मुजफ्फरनगर	52.28	87.16	36.43	62.07	93.63	102.98
31.	प्रतापगढ़	94.92	100.01	94.59	99.22	101.92	93.34
32.	रायबरेली	81.46	95.91	76.58	91.42	89.17	123.35
33.	रामपुर	91.50	107.44	77.58	96.01	87.33	198.12
34.	श्रावस्ती	82.68	108.87	73.25	98.10	76.70	98.40
35.	सुल्तानपुर	83.99	102.05	80.58	86.18	89.25	95.71
36.	उन्नाव	96.74	99.67	94.25	98.05	96.13	133.64
	प्रतिशत माध्य	**89.40**	**97.77**	**80.64**	**87.26**	**92.02**	**116.53**
37.	अलीगढ़	69.12	87.65	69.12	87.65	91.80	120.00
38.	इलाहाबाद	70.53	77.84	70.16	73.22	87.04	111.23
39.	औरैया	83.33	100.58	65.46	90.46	70.22	119.04
40.	बलरामपुर	93.05	90.76	90.45	83.76	80.35	146.40
41.	बाँदा	83.68	95.81	81.37	87.28	91.34	106.32
42.	बरेली	97.86	87.14	86.29	78.32	77.91	143.44
43.	बस्ती	104.40	102.20	92.62	87.92	182.22	147.35
44.	भदोही	104.08	101.54	104.07	96.79	101.91	124.80
45.	बदायूँ	72.43	97.18	64.99	88.29	74.56	154.98
46.	चन्दौली	106.77	101.71	106.72	100.04		154.65
47.	चित्रकूट	100.76	94.23	93.62	93.05	87.02	99.25
48.	देवरिया	83.78	95.95	73.86	86.54	143.85	186.59
49.	इटावा	88.58	106.91	74.76	89.52	88.77	116.15
50.	फिरोजाबाद	91.88	97.82	84.14	93.12	119.71	142.54
51.	गोण्डा	96.86	105.67	83.02	92.58	81.61	140.58
52.	गोरखपुर	76.53	97.02	71.94	95.46	83.50	101.48
53.	हरदोई	105.48	100.37	102.48	99.19	105.56	99.06
54.	हाथरस	64.22	93.12	55.16	85.75		151.40
55.	जे.पी. नगर	100.51	97.85	73.95	93.29	77.18	119.64
56.	कानपुर नगर	45.89	61.81	43.98	55.73	56.76	52.14
57.	कौशाम्बी	71.35	102.22	71.35	97.17	77.20	145.34
58.	खीरी	104.76	93.03	95.23	90.64	85.98	94.43
59.	ललितपुर	147.72	99.85	126.25	86.12	100.30	108.24

60.	लखनऊ	62.16	72.82	59.97	71.29	61.59	61.86
61.	महराजगंज	90.35	95.06	88.32	94.40	85.97	111.90
62.	मुरादाबाद	99.22	103.02	63.39	93.06	141.40	97.69
63.	पीलीभीत	93.54	103.79	86.72	97.17	83.94	144.92
64.	सहारनपुर	71.43	76.92	66.65	63.36	103.42	114.72
65.	संतकबीर नगर	75.82	77.81	69.23	72.07	78.58	137.51
66.	शाहजहाँपुर	84.29	95.41	80.43	86.84	123.97	98.47
67.	सिद्धार्थ नगर	105.84	82.78	97.97	77.13	76.75	127.83
68.	सीतापुर	79.86	81.09	79.78	77.29	87.29	99.92
69.	सोनभद्र	96.60	83.52	96.08	83.48	73.33	115.31
70.	वाराणसी	71.60	84.85	69.36	82.73	77.92	50.48
71.	**प्रतिशत माध्य**	**88.07**	**92.51**	**80.56**	**86.20**	**92.47**	**118.99**

स्त्रोत : स्टेप रिर्पोट (ई.एम.आई.एस.) 2003–04

वर्ष 2003–04 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 60 प्रतिशत से अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाली बच्चों की संख्या

कमांक	जिले का नाम	कुल बैठे	कक्षा 4/5			60 प्रतिशत से अधिक	अनुत्तीर्ण
			बालक	बालिका	योग		
1.	आगरा	25691	4544	3523	8067	31.40	25217
2.	अलीगढ़	22456	4795	3770	8565	38.14	21979
3.	इलाहाबाद	48392	10018	8024	18042	37.28	48087
4.	अम्बेडकरनगर	29130	5092	4719	9811	33.68	29002
5.	औरैया	16733	2613	2543	5156	60.81	16203
6.	आजमगढ	56035	10014	8690	18704	33.38	55200
7.	बागपत	8138	2405	2073	4478	553.03	8131
8.	बहराईच	26112	5347	3493	8840	33.85	25652
9.	बलिया	31299	7930	7548	15478	49.45	31076
10.	बलरामपुर	11689	3351	1451	4802	41.08	11508
11.	बाँदा	17612	3443	2308	5751	32.65	17425
12.	बाराबंकी	6695	1667	1486	3153	47.09	6666
13.	बरेली	31851	5684	4217	9901	31.09	30865
14.	बस्ती	23905	4265	3352	7617	31.86	2374
15.	भदोही	21861	4289	3194	7483	34.23	21661
16.	बिजनौर	30954	5848	5724	11572	37.38	30426
17.	बदायूँ	36523	5637	3243	8880	24.31	36108
18.	बुलन्दशहर	23437	5058	3917	8975	38.29	23064
19.	चन्दौली	25474	5918	4953	10871	42.67	25081
20.	चित्रकूट	12552	2130	1440	3570	28.44	12305
21.	देवरिया	29241	5394	5202	10596	36.24	28717
22.	एटा	28210	5133	4308	9441	33.47	27732

23.	इटावा	17223	2933	2811	5744	33.35	16899
24.	फैजाबाद	25537	4645	4477	9122	35.72	25423
25.	फर्रूखाबाद	16290	2180	1779	3959	24.30	15800
26.	फतेहपुर	28061	4731	4248	8979	32.00	24643
27.	फिरोजाबाद	14987	3070	2647	5717	38.18	14667
28.	गौतमबुद्ध नगर	7452	1562	1463	3025	40.59	7380
29.	गाजियाबाद	13968	3836	3858	7694	55.08	13891
30.	गाजीपुर	37499	6785	6122	12907	34.42	37051
31.	गोण्डा	27235	6473	4326	10799	39.65	26896
32.	गोरखपुर	28450	3255	2783	6038	21.22	27869
33.	हमीरपुर	13354	2235	2050	4285	32.09	13114
34.	हरदोई	41116	5655	4203	9858	23.98	40091
35.	हाथरस	13427	2233	1905	4138	30.82	13027
36.	जालौन	17780	2975	2565	5540	31.16	17580
37.	जौनपुर	46038	6271	5301	11572	25.14	45301
38.	झाँसी	19417	4442	3476	7918	40.78	18990
39.	ज्यातिबाफुलेनगर	12565	2193	1761	3954	31.47	12367
40.	कन्नौज	17479	2188	2130	4318	24.70	16716
41.	कानपुर देहात	121615	15547	15766	31313	25.75	118634
42.	कानपुर नगर	20988	3266	3485	6751	32.17	20505
43.	कौशाम्बी	13279	2862	1993	4855	36.56	12938
44.	खीरी	44521	7016	5147	12163	27.32	43850
45.	कुशीनगर	25369	4799	3446	8245	32.50	25106
46.	ललितपुर	13025	2248	1464	3712	28.50	12712
47.	लखनऊ	20084	3322	3489	6811	33.91	19783
48.	महाराजगंज	1888	3145	2161	5306	28.09	18453
49.	महोबा	8995	2559	1975	4534	50.41	8760
50.	मैनपुरी	192469	2972	2826	5798	30.13	18713
51.	मथुरा	18641	3960	3171	7131	38.25	18337
52.	मऊ	20043	3426	3506	6932	34.59	19822
53.	मेरठ	15775	3501	3734	7235	45.86	15501
54.	मिर्जापुर	31326	5578	3872	9450	30.17	31092
55.	मुरादाबाद	65050	6339	5882	12221	18.79	64306
56.	मुजफ्फरनगर	24364	5715	5373	11088	45.51	24166
57.	पीलीभीत	20793	3296	2270	5566	26.77	20385
58.	प्रतापगढ़	37779	6196	5736	11932	31.58	37200
59.	रायबरेली	39231	5842	5299	11141	28.40	38775
60.	रामपुर	16836	3579	2641	6220	36.94	15486
61.	सहारनपुर	24433	4593	4743	9336	38.21	24208
62.	शाहजहाँपुर	31444	5861	4005	9866	31.38	30834
63.	श्रावस्ती	11514	3077	1649	4726	41.05	11360
64.	सिद्धार्थनगर	19939	4410	2402	6812	34.16	19773

65.	सीतापुर	42281	7062	5761	12823	30.33	41494
66.	सोनभद्र	16196	3140	1945	5085	31.40	16069
67.	सुल्तानपुर	52355	9666	9026	18692	35.70	52096
68.	संतकबीरनगर	13311	2784	1987	4771	35.84	13249
69.	उन्नाव	34342	3620	3223	6843	19.93	33651
70.	वाराणसी	33100	7320	6510	13830	41.78	32761
	महायोग / प्रतिशत माध्य	**1836631**	**324938**	**271570**	**596508**	**34.26**	**1806603**

स्त्रोत : स्टेप रिर्पोट (ई.एम.आई.एस.) 2003–04

सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में जनपदवार खोले गये प्राथमिक विद्यालय

कमांक	जनपद	प्राथमिक विद्यालय				
		वर्ष 2001–02 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2002–03 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2003–04 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2004–05 स्वीकृत नवीन विद्यालय	कुल प्राथमिक विद्यालय
1.	अलीगढ़	60	57	13	23	153
2.	हाथरस	29	20	75	0	124
3.	इलाहाबाद	66	60	60	85	271
4.	कौशाम्बी	5	0	65	0	70
5.	कानपुर नगर	40	3	75	47	162
6.	इटावा	30	25	21	33	109
7.	औरैया	18	30	52	0	100
8.	गोखपुर	20	15	15	15	65
9.	बॉदा	30	4	15	61	110
10.	चित्रकूट	28	62	15	15	120
11.	सीतापुर	20	9	60	97	186
12.	लखनऊ	60	60	0	13	133
13.	सहारनपुर	25	3	16	14	58
14.	वाराणसी	25	15	51	5	96
15.	चन्दौली	45	5	10	0	60
16.	भदोही	15	3	0	29	47
17.	महाराजगंज	0	0	92	6	98
18.	सिद्धार्थनगर	0	0	72	96	168
19.	गोण्डा	0	0	15	89	104
20.	बलरामपुर	0	0	50	22	72
21.	बदायूँ	0	0	59	221	280
22.	लखीमपुर खीरी	0	0	118	43	161
23.	ललितपुर	0	0	86	32	118
24.	पीलीभीत	0	0	20	0	20

25.	बस्ती	0	0	50	82	132
26.	संतकबीरनगर	0	0	81	0	81
27.	मुरादाबाद	0	0	76	71	147
28.	जे.पी.नगर	0	0	70	0	70
29.	शाहजहाँपुर	0	0	0	0	0
30.	सोनभद्र	0	0	64	20	84
31.	देवरिया	0	0	40	15	55
32.	हरदोई	0	0	83	63	146
33.	बरेली	0	0	0	108	108
34.	फिरोजाबाद	0	0	138	51	189
35.	आगरा	0	0	17	80	97
36.	एटा	0	0	40	41	81
37.	मैनपुरी	0	0	66	23	89
38.	मथुरा	0	0	24	38	62
39.	फतेहपुर	0	0	55	30	85
40.	प्रतापगढ़	0	0	56	38	94
41.	कानपुर देहात	0	0	86	145	231
42.	फर्रूखाबाद	0	0	45	70	115
43.	कन्नौज	0	0	40	0	40
44.	फैजाबाद	0	0	63	88	151
45.	अम्बेदकरनगर	0	0	45	0	45
46.	सुल्तानपुर	0	0	0	15	15
47.	कुशीनगर	0	0	68	67	135
48.	झाँसी	0	0	53	9	62
49.	जालौन	0	0	50	9	59
50.	हमीरपुर	0	0	19	9	28
51.	महोबा	0	0	11	4	15
52.	उन्नाव	0	0	0	162	162
53.	रायबरेली	0	0	66	59	125
54.	मेरठ	0	0	0	2	2
55.	बुलन्दशहर	0	0	53	13	66
56.	गाजियाबाद	0	0	7	0	7
57.	जी.बी.नगर	0	0	42	0	42
58.	बागपत	0	0	11	0	11
59.	मुजफ्फरनगर	0	0	0	1	1
60.	बिजनौर	0	0	15	21	36
61.	गाजीपुर	0	0	48	19	67
62.	जौनपुर	0	0	0	0	0
63.	आजमगढ़	0	0	53	77	130
64.	बलिया	0	0	73	56	129
65.	मऊ	0	0	18	16	34

66.	मिर्जापुर	0	0	65	19	84
67.	बाराबंकी	0	0	32	60	92
68.	बहराइच	0	0	90	49	139
69.	श्रावस्ती	0	0	68	0	68
70.	रामपुर	0	0	75	0	75
	योग	**516**	**371**	**3111**	**2576**	**6574**

स्रोत : राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से प्राप्त जानकारी 2004-05

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में जनपदवार खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	जनपद	उच्च प्राथमिक विद्यालय				
		वर्ष 2001–02 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2002–03 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2003–04 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2004–05 स्वीकृत नवीन विद्यालय	कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	अलीगढ़	25	50	76	10	161
2.	हाथरस	13	20	22	0	55
3.	इलाहाबाद	25	50	150	95	320
4.	कौशाम्बी	25	25	50	0	100
5.	कानपुर नगर	35	8	122	37	202
6.	इटावा	20	40	90	12	162
7.	औरैया	30	21	117	0	168
8.	गोखपुर	30	57	76	34	197
9.	बॉदा	39	11	82	3	135
10.	चित्रकूट	25	38	51	2	116
11.	सीतापुर	30	70	125	41	266
12.	लखनऊ	21	52	17	19	119
13.	सहारनपुर	22	53	100	29	204
14.	वाराणसी	30	0	62	5	97
15.	चन्दौली	50	17	33	0	100
16.	भदोही	30	40	49	13	132
17.	महाराजगंज	0	21	89	66	176
18.	सिद्धार्थनगर	0	20	200	156	376
19.	गोण्डा	0	18	97	118	233
20.	बलरामपुर	0	22	141	76	239
21.	बदायूँ	0	25	50	99	174
22.	लखीमपुर खीरी	0	21	71	31	123
23.	ललितपुर	0	22	67	21	110
24.	पीलीभीत	0	24	81	0	105
25.	बस्ती	0	23	103	123	249
26.	संतकबीरनगर	0	20	76	0	96

27.	मुरादाबाद	0	23	97	83	203
28.	जे.पी.नगर	0	22	103	0	125
29.	शाहजहाँपुर	0	25	95	0	120
30.	सोनभद्र	0	15	130	15	160
31.	देवरिया	0	26	64	32	122
32.	हरदोई	0	30	31	39	100
33.	बरेली	0	19	19	61	99
34.	फिरोजाबाद	0	22	66	39	127
35.	आगरा	0	22	58	68	148
36.	एटा	0	23	32	9	64
37.	मैनपुरी	0	22	67	17	106
38.	मथुरा	0	22	89	39	150
39.	फतेहपुर	0	23	55	20	98
40.	प्रतापगढ़	0	27	63	12	102
41.	कानपुर देहात	0	21	67	0	88
42.	फर्रूखाबाद	0	20	70	73	163
43.	कन्नौज	0	18	67	13	98
44.	फैजाबाद	0	22	105	49	176
45.	अम्बेदकरनगर	0	19	56	0	75
46.	सुल्तानपुर	0	37	25	14	76
47.	कुशीनगर	0	20	113	39	172
48.	झाँसी	0	24	96	9	129
49.	जालौन	0	21	115	43	179
50.	हमीरपुर	0	18	46	22	86
51.	महोबा	0	18	56	34	108
52.	उन्नाव	0	15	45	80	140
53.	रायबरेली	0	28	92	49	169
54.	मेरठ	0	24	34	0	58
55.	बुलन्दशहर	0	21	129	65	215
56.	गाजियाबाद	0	13	56	0	69
57.	जी.बी.नगर	0	18	57	0	75
58.	बागपत	0	13	25	14	52
59.	मुजफ्फरनगर	0	25	70	22	117
60.	बिजनौर	0	24	73	73	170
61.	गाजीपुर	0	24	41	65	130
62.	जौनपुर	0	37	43	0	80
63.	आजमगढ़	0	30	70	100	200
64.	बलिया	0	26	57	80	163
65.	मऊ	0	21	99	14	134
66.	मिर्जापुर	0	23	92	0	115
67.	बाराबंकी	0	22	104	66	192

68.	बहराइच	0	21	53	65	139
69.	श्रावस्ती	0	21	132	0	153
70.	रामपुर	0	24	99	0	123
	योग	**450**	**1767**	**5353**	**2413**	**9983**

स्त्रोत : राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से प्राप्त जानकारी 2004-05

बच्चों को औसतन 5.2 वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षकों पूरा करने में समय लगता है । कक्षा 1 में नामांकित बच्चों में से 81 प्रतिशत बच्चे 5 वर्ष में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करते है ।

कक्षा 5 की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों में से 40.51 प्रतिशत बच्चे 60 प्रतिशत बच्चे से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं ।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न वर्षों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं तथा किये जा रहे है । साथ ही विद्यालयों को भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराकर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये प्रयास किये गये है । शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–द्वितीय, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–तृतीय एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक ओर सभी बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहीं विद्यालयों को पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है जिनका प्रभाव बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर दिखाई दे रहा है । इस प्रकार हमारी परिकल्पना कि विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के फलस्वरूप विद्यालय के भौतिक संसाधन, शैक्षिक परिवेश, बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है निरस्त की जाती है । अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम विद्यालय के भौतिक संसाधन, शैक्षिक परिवेश, बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में पूर्व की स्थिति से वर्तमान में काफी प्रगति हुई है, जिनका प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में दिखाई पड़ता है ।

5.02.04 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में कठिनाइयों/बाधाओं का अध्ययन करना: – प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु शासन स्तर से अनेक प्रयास किये गये हैं एवं जा रहे हैं । विभिन्न कठिनाइयों/बाधाओं के चलते हम अपने शत प्रतिशत लक्ष्य के करीब नहीं पहुँच सके हैं । विभिन्न कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ विभिन्न अध्ययनों तथा माइक्रो प्लानिंग रिर्पोट से प्राप्त हुई –

शिक्षा की पहुँच सम्बंधी :– इसके अन्तर्गत निम्नानुसार समस्यायें हैं –

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निवास स्थान से दूर होना ।
- भौगोलिक परिस्थितियों का बाधक होना ।
- छोटी–छोटी बस्तियों में मानक के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा का न उपलब्ध कराया जाना ।
- बच्चों के अभिभावकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कामकाज के लिये पलायन हो जाने से उस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा का न मिल पाना ।

नामांकन सम्बंधी :– इसके अन्तर्गत निम्नानुसार समस्यायें हैं –

- बालिकाओं को घरेलू व परिवारिक जिम्मेदारी से जोड़ देने के कारण उनका विद्यालय न जा पाना ।
- अभिभावकों का अपनी बालिकाओं के प्रति असुरक्षा के पाये जाने के कारण विद्यालय न भेजा जाना ।
- अनपढ़ अभिभावकों की शिक्षा के प्रति रूचि न होने के कारण अपने बच्चों को विद्यालय न भेजा जाना ।
- आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर आर्थिक धन अर्जन के कार्य से जोड़ देना ।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षिकाओं के न होने के कारण बड़ी उम्र की लड़कियों को विद्यालय न भेजना ।
- उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजना ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों के न होने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं ।

ठहराव सम्बंधी :– विद्यालय में बच्चों के नामांकन के उपरान्त अधिकतर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं । बीच में पढ़ाई छोड़ने के निम्नानुसार कारण देखने में आते है ।

- विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक/शिक्षिकाओं के न हाने के कारण ।

- अभिभावकों का शिक्षित न होना ।
- बच्चों का अपने माता–पिता के साथ बाहर काम हेतु पलायन कर जाना ।
- परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होना ।
- विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों को रुचिकर न लगना ।
- बच्चों के बैठने के लिये विद्यालय में पर्याप्त स्थान का न होना।
- क्षेत्र की पिछड़ी जातियों में बाल–विवाह की परम्परा के कारण इन जातियों की बच्चियों गृहस्थी के काम में फँस जाने और शर्म के कारण विवाह के बाद स्कूल जाना बंद कर देती है ।
- विकलांग बच्चे शारीरिक अक्षमता के साथ दूसरे सहपाठियों के अपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं ।
- विद्यालय के शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में लगे होने के कारण वे बच्चों पर ध्यान नहीं देते । बच्चे अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हुए विद्यालय को छोड़ देते हैं ।
- विद्यालय के वातावरण का आकर्षक न होना ।
- विद्यालय में पानी तथा शौचालय की व्यवस्था न होना ।

गुणात्मक शिक्षा :– इसके प्रमुख कारण निम्नानुसार है –

- विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं कक्षा–कक्ष का न होना ।
- बच्चों के अनपढ़ अभिभावकों का बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देना ।
- शिक्षक का प्रत्येक बच्चे पर ध्यान न देकर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षण कराना ।
- शिक्षक द्वारा बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान न दिया जाना ।
- शिक्षक का बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान न दिया जाना ।
- शिक्षक द्वारा बिना किसी कार्य योजना के नीरस शिक्षण कार्य कराना ।
- शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के उपागम न किया जाना ।

उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न हस्ताक्षेप जनपद की आवश्यकता के अनुसार लगाये जा रहे हैं ताकि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

5.02.5 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु किये गये प्रयास पर विभिन्न स्तरीय शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुदाय के दृष्टिकोण का अध्ययन करना –

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये किये गये प्रयासों तथा उसकी प्रगति के बारे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों, बच्चों के अभिभावक एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो से विभिन्न प्रश्नों पर सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । विभिन्न स्तर पर प्राप्त दृष्टिकोण का विवरण निम्नानुसार है –

विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों का दृष्टिकोण :

विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों का दृष्टिकोण जानने के शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों में सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । प्रस्तुत उपकरण में 35 प्रश्न थे । सभी प्रश्न प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के धनात्मक दृष्टिकोण को लेकर लिये गये थे । इस उपकरण से 1275 प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में तीनों जनपद से प्रश्नवार सहमत आंशिक सहमत एवं असहमत में निम्नानुसार उनका दृष्टिकोण पाया गया -

विद्यालय प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का दृष्टिकोण

(प्रतिशत में)

क.	प्रश्न	सहमत				आशिंक सहमत				असहमत			
		झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र
1.	सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी./सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं ।	92.8	93.6	91.0	**92.5**	3.2	3.5	3.7	**3.5**	4.0	2.9	5.3	**4.1**
2.	विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/जा रहे हैं ।	96.8	96.6	96.8	**96.7**	3.2	2.9	2.4	**2.8**	0.0	0.5	0.8	**0.4**

3.	विद्यालय को प्रतिवर्ष मूल–भूत आवश्यकता हेतु रू. 2000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विद्यालय की छोटी–छोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ।	97.6	96.3	96.0	**96.6**	0.0	2.1	1.9	**1.3**	2.4	1.6	2.1	**2.0**
4.	विद्यालय को प्रतिवर्ष विद्यालय रख–रखाव मद में रू. 5000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है जिससे विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा आनंददायी बना है ।	94.4	94.6	91.2	**93.4**	5.6	5.1	5.9	**5.5**	0.0	0.3	2.9	**1.1**
5.	प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया जाता है ।	93.6	95.2	93.8	**94.2**	6.4	4.8	5.1	**5.4**	0.0	0.0	1.1	**0.4**
6.	सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाया गया है ।	78.4	80.2	80.3	**79.6**	21.6	18.7	16.5	**18.9**	0.0	1.1	3.2	**1.4**
7.	शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के पठन कौशल को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित तथा नवाचारी बनाया गया है ।	88.8	88.6	88.0	**88.5**	5.6	6.1	8.0	**6.6**	5.6	5.3	4.0	**5.0**
8.	मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।	72.0	72.8	74.1	**73.0**	16.0	13.3	15.2	**14.8**	12.0	13.9	10.7	**12.2**
9.	मध्याह्न भोजन व्यवस्था से बच्चों के नामांकन एवं	69.6	68.6	66.7	**68.3**	7.2	10.1	11.7	**9.7**	23.2	21.3	21.6	**22.0**

	ठहराव में वृद्धि हुई है ।												
10.	छात्रवृत्ति मिलने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं ।	68.0	65.8	61.6	**65.1**	8.8	9.9	12.3	**10.3**	23.2	24.3	26.1	**24.5**
11.	शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।	99.2	98.9	99.2	**99.1**	0.8	1.1	0.0	**0.6**	0.0	0.0	0.8	**0.3**
12.	कक्षा विद्यार्थी के अनुपात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं जा रहे हैं ।	98.4	96.8	98.1	**97.8**	1.6	2.7	1.9	**2.1**	0.0	0.5	0.0	**0.2**
13.	विद्यालय में शौचालय के निर्माण से बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन बढ़ा है ।	96.0	98.1	96.2	**96.8**	4.0	1.6	2.7	**2.8**	0.0	0.3	1.1	**0.5**
14.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं का विद्यालय की ओर झुकाव बढ़ा है ।	100.0	100.0	86.9	**98.9**	0.0	0.0	2.1	**0.7**	0.0	0.0	1.1	**0.4**
15.	विद्यालय में हैण्ड पम्प की सुविधा हो जाने से बच्चों को स्वच्छ जल मिल रहा है तथा बच्चे पानी के बहाने घर को नहीं भागते ।	92.8	90.4	86.9	**90.0**	7.2	8.0	9.9	**8.4**	0.0	1.6	3.2	**1.6**
16.	विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।	94.4	93.4	93.6	**93.8**	5.6	2.9	3.7	**4.1**	0.0	3.7	2.7	**2.1**

17.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।	63.2	65.4	63.2	**63.8**	9.6	10.1	11.2	**10.3**	27.2	24.5	25.6	**25.8**
18.	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है ।	88.0	86.4	62.1	**78.8**	12.0	12.3	11.5	**11.9**	0.0	1.3	26.4	**9.2**
19.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण से विद्यालय को पर्याप्त स्थान मिला है ।	100.0	100.0	100.0	**100.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**
20.	एन.पी.आर.सी एवं बी.आर.सी समन्वयक विद्यालय को पर्याप्त अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।	74.0	76.0	71.7	**73.9**	4.0	3.7	4.3	**4.0**	22.0	20.3	24.0	**22.1**
21.	शिक्षक एवं समुदाय के बीच के संबंध अच्छे हुये है ।	67.2	70.1	69.3	**68.9**	9.6	8.8	9.1	**9.2**	23.2	21.1	21.6	**22.0**
22.	मानीटरिंग व्यवस्था के कारण शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे है ।	92.0	89.9	88.6	**90.2**	8.0	8.0	7.7	**7.9**	0.0	2.1	3.7	**1.9**
23.	शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।	64.0	70.6	73.6	**69.4**	0.0	2.7	3.5	**2.1**	36.0	26.7	22.9	**28.5**
24.	विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को उच्च स्तर से दूर किया जा रहा है ।	53.6	61.9	59.3	**58.3**	0.0	1.9	1.3	**1.1**	46.4	36.2	39.4	**40.7**
25.	विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों / प्रधानाध्यापक के कार्य कौशल में वृद्धि हुई है ।	96.8	94.4	91.5	**94.2**	3.2	5.6	6.1	**5.0**	0.0	0.0	2.4	**0.8**

26.	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।	98.4	100.0	98.9	**99.1**	1.6	0.0	0.0	**0.5**	0.0	0.0	1.1	**0.4**
27.	बच्चों की औसतन उपस्थित 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।	63.2	73.3	71.2	**69.2**	0.0	0.0	3.2	**1.1**	36.8	26.7	25.6	**29.7**
28.	न्याय पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक से विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान होता है ।	92.0	88.8	89.9	**90.2**	0.0	3.5	4.8	**2.8**	8.0	7.7	5.3	**7.0**
29.	कक्षा 5 के बच्चों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 95 से अधिक होता है ।	96.8	91.5	90.9	**93.1**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	3.2	8.5	9.1	**6.9**
30.	बच्चों का ठहराव 95 प्रतिशत से अधिक है ।	79.2	80.3	78.4	**79.3**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	20.8	19.7	21.6	**20.7**
31.	बच्चों का ड्राप आउट 5 प्रतिशत या इससे कम है ।	81.6	80.3	77.3	**79.7**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	18.4	19.7	22.7	**20.3**
32.	नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	82.4	81.8	83.2	**82.5**	4.0	4.3	5.6	**4.6**	13.6	13.9	11.2	**12.9**
33.	बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	96.8	95.2	95.7	**95.9**	3.2	2.9	2.7	**2.9**	0.0	1.9	1.6	**1.2**
34.	लिंग के अनुसार औसतन उपस्थिति में अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	88.8	83.2	82.4	**84.8**	11.2	12.0	12.5	**11.9**	0.0	4.8	5.1	**3.3**
35.	वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।	70.4	71.2	73.3	**71.6**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	29.6	28.8	26.7	**28.4**
	प्रतिशत माध्य	**85.2**	**85.4**	**83.7**	**84.8**	**4.7**	**4.8**	**5.3**	**4.9**	**10.2**	**9.7**	**10.9**	**10.3**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से निम्नानुसार प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है –

- विभिन्न प्रशिक्षणों से शिक्षकों के कार्यकौशल में वृद्धि हुई है जिसमें वे कक्षा कक्ष में रूचिपूर्ण शिक्षण कार्य कराने से बच्चों के उपलब्धि स्तर वृद्धि हुई है में 90 प्रतिशत से अधिक प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक सहमत पाये गये ।
- शत प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विद्यालय को आर्थिक, भौतिक एवं शैक्षिक सहयोग प्राप्त हुआ है । उनके अनुसार विद्यालयें को विभिन्न मद में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग तथा शिक्षक प्रशिक्षण से कक्षा शिक्षण रूचिपूर्ण एवं आनंददायी बना है । अध्यापकों के कार्यकौशल में वृद्धि हुई है । लगातार मानीटरिंग एवं समीक्षा बैठकों से विद्यालयों में आने वाली समस्याओं का समाधान हुआ है । समुदाय एवं विद्यालय के संबंध अच्छे हुए है । विद्यालय में शौचालय एवं पेय जल की व्यवस्था होने से बच्चों को विद्यालय में ही स्वच्छ पानी मिलने लगा है ।
- 90 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के अनुसार सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किये गये बदलाव से बच्चों के उपलब्धि स्तर तथा शिक्षकों के पढ़ाने की शैली में बदलाव आया है ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रगति के संबंध में झाँसी, ललितपुर एवं जालौन जनपद के कमशः 85.2, 84.4 एवं 83.7 प्रतिशत सहमत, में 4.7, 4.8 एवं 5.3 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 10.2, 9.7 एवं 10.9 प्रतिशत असहमत में अपना विचार दिया । अर्थात तीनों जनपद को यदि समग्र रूप में देखा जाय तो 84.8 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के अनुसार सबके लिये शिक्षा कार्यकम में हुई प्रगति पर सहमत पाये गये तथा 10.3 प्रतिशत द्वारा असहमत एवं 4.9 प्रतिशत द्वारा आंशिक सहमत में विचार व्यक्त किया ।

- सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये है में 92.5 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों द्वारा सहमत में 3.5 प्रतिशत द्वारा आंशिक सहमत में तथा 4.1 प्रतिशत द्वारा असहमत में अपना विचार व्यक्त किया ।
- विद्यालय को उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शिक्षण का रूचिपूर्ण बना में लगभग 95 प्रतिशत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक सहमत पाये गये ।
- मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं छात्रवृत्ति वितरण से लगभग 69 प्रतिशत प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के द्वारा बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई तथा उनके अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजते है पर सहमत पाये गये जबकि 22 प्रतिशत से अधिक असहमत थे ।
- विभिन्न योजनाओं से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है में 90 प्रतिशत से अधिक प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक सहमत पाये गये ।

इस प्रकार विद्यालयों के 90 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के अनुसार सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य से विद्यालय में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की वृद्धि हुई है जिससे बच्चों नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में काफी सुधार हुआ है तथा जेण्डर एवं सामाजिक अन्तर कम हुआ है । अर्थात् प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगायें गये विभिन्न हस्तोक्षेपों से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।

प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों का दृष्टिकोण : सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों के दृष्टिकोण को जानने के लिए एक 35 प्रश्नों की एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसमें सभी प्रश्न घनात्मक थे । इन पर उनसे सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में विचार प्राप्त किया गया । निर्मित प्रश्नावली में 70 विभिन्न स्तरीय अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी का संकलन किया गया । 35 प्रश्नों के अतिरिक्त खण्ड

'ब' में खुले विचार से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर पर लिखाये गये । प्राप्त उत्तरों की जनपदवार विश्लेषण कराने से निम्नानुसार उनका दृष्टिकोण पाया गया –

प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों का दृष्टिकोण

(प्रतिशत में)

कमांक	प्रश्न	सहमत				आशिंक सहमत				असहमत			
		झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र
1.	निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।	98.3	100	96.7	**98.3**	1.7	0.0	3.3	**1.7**	0.0	0.0	0.0	**0.0**
2.	निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।	88.4	86.6	81.7	**85.6**	3.3	1.7	5.0	**3.3**	8.3	11.7	13.3	**11.1**
3.	आपके कार्य क्षेत्र के सभी विद्यालयों में पेयजल/शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ।	91.7	93.3	88.3	**91.1**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	8.3	6.7	11.7	**6.9**
4.	विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है ।	66.6	66.7	60.0	**64.4**	16.7	18.3	21.7	**18.9**	16.7	15.0	18.3	**16.7**
5.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना	80.0	85.0	76.7	**80.6**	20.0	15.0	23.3	**19.4**	0.0	0.0	0.0	**0.0**

	से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है ।												
6.	बी.आर.सी. /एन.पी.आर.सी. की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।	90.0	85.0	86.7	**87.2**	10.0	15.0	13.3	**12.8**	0.0	0.0	0.0	**0.0**
7.	समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई है ।	86.7	93.3	88.3	**89.4**	8.3	5.0	10.0	**7.8**	5.0	1.7	1.7	**2.8**
8.	नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीयाँ अपनाई गयी है/जा रही है ।	98.3	100.0	96.7	**98.3**	1.7	0.0	3.3	**1.7**	0.0	0.0	0.0	**0.0**
9.	पर्यविक्षण से शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है ।	91.7	90.0	86.7	**89.5**	8.3	6.7	8.3	**7.8**	0.0	3.3	5.0	**2.8**
10.	शिक्षक की फील्ड सम्बंधी कठिनाइयों को उच्च स्तरीय कार्यायल द्वारा दूर किया जाता है ।	93.3	98.7	93.3	**95.1**	0.0	0.0	1.7	**0.6**	6.7	1.3	5.0	**4.3**
11.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये है ।	71.6	68.4	70.0	**70.0**	6.7	8.3	11.7	**8.9**	21.7	23.3	18.3	**21.1**

12.	शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है ।	85.0	78.3	71.7	**78.3**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	15.0	21.7	28.3	**21.7**
13.	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।	95.0	96.7	91.7	**94.5**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	5.0	3.3	8.3	**5.5**
14.	शिक्षक विद्यालय के सभी अभिलेखों का व्यवस्थित रखते है ।	80.0	83.3	81.7	**81.7**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	20.0	16.7	18.3	**18.3**
15.	बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाता है ।	93.3	95.0	96.7	**95.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	6.7	5.0	3.3	**5.0**
16.	बच्चों की औसतन उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।	71.7	66.6	70.0	**69.4**	0.0	1.7	0.0	**0.6**	28.3	31.7	30.0	**13.0**
17.	कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अन्तर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम है ।	85.0	86.7	86.6	**86.1**	3.3	3.3	1.7	**2.8**	11.7	10.0	11.7	**11.1**
18.	लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम है ।	86.7	90.0	88.3	**88.3**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	13.3	10.0	11.7	**11.7**
19.	औसतन उपस्थिति में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।	83.3	80.0	86.7	**83.3**	10.0	11.7	8.3	**10.0**	6.7	8.3	5.0	**6.7**

20.	लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।	88.3	88.4	91.6	**89.4**	1.7	3.3	1.7	**2.2**	10.0	8.3	6.7	**8.3**
21.	लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।	83.3	86.7	83.3	**84.4**	0.0	0.0	1.7	**0.6**	16.7	13.3	15.0	**15.0**
22.	शिक्षक बच्चों में जाति एवं लिंग के अनुसार किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करते है ।	96.7	98.3	95.0	**96.7**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	3.3	1.7	5.0	**3.3**
23.	विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं पर शिक्षक/प्रधानाध्यापक चर्चा करता निकलवाते है ।	91.7	98.3	93.3	**94.4**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	8.3	1.7	6.7	**5.6**
24.	शिक्षक पढ़ाने के ढंग तथा बच्चों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करते है	83.3	83.3	81.7	**82.8**	6.7	5.0	8.3	**6.7**	10.0	11.7	10.0	**10.6**
25.	प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के बीच अच्छे सामाजिक संबंध विकसित हुये है ।	88.3	90.0	86.7	**88.3**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	11.7	10.0	13.3	**11.7**
26.	वर्ष भर के कार्यक्रम निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयोजित किये जाते है ।	96.7	98.3	98.3	**97.8**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	3.3	1.7	1.7	**2.2**
27.	विद्यालय के सभी स्तरों में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार आया है ।	98.3	96.7	96.7	**97.2**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	1.7	3.3	3.3	**2.8**
28.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।	73.3	70.0	71.7	**71.7**	15.0	16.7	13.3	**15.0**	11.7	13.3	15.0	**13.3**

29.	पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गति विधि आधारित तथा जेण्डर भेदभाव रहित है ।	95.0	95.0	96.6	**95.5**	3.3	1.7	1.7	**2.2**	1.7	3.3	1.7	**2.2**
30.	पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।	88.7	91.7	86.7	**89.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	11.3	8.3	13.3	**11.0**
31.	विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।	93.3	95.0	91.7	**93.3**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	6.7	5.0	8.3	**6.7**
32.	शिक्षक/प्रधानाध्यापक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।	98.3	95.0	93.3	**95.5**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	1.7	5.0	6.7	**4.5**
33.	विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है ।	100	100.0	100.0	**100.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**
34.	सभी स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है ।	100	100.0	100.0	**100.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**
35.	विभिन्न पर्यवेक्षण तंत्रों की विभिन्नता स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।	96.7	95.0	98.3	**96.7**	0.0	0.0	0.0	**0.0**	3.3	5.0	1.7	**3.3**
	प्रतिशत माध्य	**88.8**	**88.3**	**87.5**	**88.5**	**3.3**	**3.2**	**4.0**	**3.5**	**7.9**	**7.5**	**8.5**	**7.9**

- तीनो जनपद के 88.5 प्रतिशत अधिकारी सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपो तथा उसकी प्रगति के प्रति सहमत पाये गये जबकि 3.5 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 7.5 प्रतिशत असहमत पाये गये ।

- बच्चों के नामांकन में वृद्धि, ठहराव एवं औसतन उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी सहमत तथा 12 प्रतिशत के लगभग असहमत पाये गये ।
- नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा में जेण्डर एवं सोशल गैप 5 प्रतिशत से कम हुआ के प्रति 85 प्रतिशत अधिकारी सहमत पाये गये ।
- 98.3 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।
- निः शुल्क पाठयपुस्तक, छात्र वृत्ति एवं मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों के नामांकन के साथ ठहराव बढ़ा के प्रति 80 प्रतिशत अधिकारी सहमत तथा 20 प्रतिशत आंशिक सहमत पाये गये ।
- बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिला है के प्रति 90 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकरी सहमत तथा 10 प्रतिशत आंशिक सहमत पाये गये ।
- समुदाय की शिक्षा के प्रति जागरूकता आयी है के प्रति 71 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी सहमत पाये गये । उनके अनुसार ग्राम शिक्षा समिति के गठन तथा विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में समुदाय की प्रतिभागिता से समुदाय का विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण बदला है तथा वे अब अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे है तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भरपूर सहयोग देते है ।
- विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन के साथ विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य क्षमत में वृद्धि के प्रति 100 प्रतिशत अधिकारी सहमत पाये गये ।
- 100 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनतर्गत विकलांग बच्चों को चिन्हित कर उनको विद्यालय लाने का प्रयास किया जा रहा है । शिक्षकों को विकलांग बच्चों को कैसे शिक्षण करावे पर प्रशिक्षित किया गया है । विकलांग बच्चों का समय–समय पर मेडिकल कैम्प आयोजित किये जाते है तथा अवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये जाते है । इसके लिये प्रति बच्चा रूपया 1200/– की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गई है ।

इस प्रकार प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों के अनुसार सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत किये गये कार्य से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी प्रगति हुई है ।

बच्चों के अभिभावकों का दृष्टिकोण : विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावको से प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये कार्य तथा उसकी प्रगति जानने के लिये उनसे साक्षात्कार कर प्रपत्र में जानकारी एकत्र की गई । साक्षात्कार अनुसूची में 25 प्रश्न थे जो कि सभी धनात्मक तथा सभी के उत्तर सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में देना था । साक्षात्कार सूची के खण्ड 'ब' में उनसे चर्चा करके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना था । झाँसी मण्डल के प्रत्येक जनपद से 200–200 बच्चों के अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की गई । अर्थात 600 बच्चों के अभिभावकों से जानकारी संकलित की गई । संकलित जानकारी के विश्लेषण से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

बच्चों के अभिभावकों का दृष्टिकोण

(प्रतिशत में)

क्र.	प्रश्न	सहमत				आंशिक सहमत				असहमत			
		झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र
1.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है ।	94.7	94.8	95.1	**94.9**	5.2	4.4	3.8	**4.5**	0.1	0.8	1.1	**0.7**
2.	विगत कुछ वर्षों में विद्यालय की भौतिक सुविधाओं प्रगति हुई है ।	92.0	91.6	88.8	**90.8**	2.9	3.6	6.9	**4.5**	5.1	4.8	4.3	**4.7**
3.	विद्यालय में कक्षा–कक्षों तथा शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है ।	92.3	94.1	90.3	**92.2**	4.5	4.3	5.8	**4.9**	3.2	1.6	3.9	**2.9**
4.	विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।	91.8	94.1	88.8	**91.6**	1.7	0.8	2.9	**1.8**	6.5	5.1	8.3	**6.6**
5.	समुदाय के लोगों की अपने बच्चों की शिक्षा सुविधा के प्रति रूचि बढ़ी है ।	85.6	87.7	87.2	**86.8**	3.8	2.7	4.2	**3.6**	10.6	9.6	8.6	**9.6**

6.	समुदाय के लोग सतत् विद्यालय के सम्पर्क में रहते हैं ।	89.5	91.7	90.9	**90.7**	5.7	5.0	4.9	**5.2**	4.8	3.3	4.2	**4.1**
7.	ग्राम शिक्षा समिति को दिये गये प्रशिक्षण से वे अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित हुये हैं।	81.7	82.5	80.6	**81.6**	4.1	4.3	6.8	**5.1**	14.2	13.2	12.6	**13.3**
8.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये हैं ।	84.5	86.1	81.1	**83.9**	5.9	5.3	7.5	**6.2**	9.6	8.6	11.4	**9.9**
9.	विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।	76.0	79.6	74.6	**76.7**	7.8	6.6	8.3	**7.6**	16.2	13.8	17.1	**15.7**
10.	बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।	63.3	64.4	63.6	**63.8**	14.2	11.6	15.6	**13.8**	22.5	24.0	20.8	**22.4**
11.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।	84.8	87.8	84.9	**85.8**	7.3	5.4	7.5	**6.7**	7.9	6.8	7.6	**7.4**
12.	शिक्षकों के शिक्षण शैली में बदलाव आया है ।	84.8	88.3	83.5	**85.5**	6.9	5.3	8.1	**6.8**	8.3	6.4	8.4	**7.7**
13.	शिक्षक मन लगाकर शिक्षण कार्य कराते हैं ।	78.7	84.1	74.9	**79.2**	11.4	8.4	12.3	**10.7**	9.9	7.5	12.8	**10.1**
14.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेदभाव में कमी आई है ।	81.2	85.3	74.9	**80.5**	7.7	6.3	8.3	**7.4**	11.1	8.4	16.8	**12.1**
15.	शिक्षक समुदाय की समस्याओं पर भी चर्चा कर दूर करने में सहयोग प्रदान करते हैं ।	77.5	79.2	71.3	**76.0**	8.1	7.9	9.8	**8.6**	14.4	12.9	18.9	**15.4**
16.	विद्यालय स्तरीय विभिन्न समस्याओं पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में चर्चा करके दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।	94.3	95.6	89.5	**93.1**	1.6	1.1	2.7	**1.8**	4.1	3.3	7.8	**5.1**

17.	शिक्षक स्थानीय बोली में शिक्षण कार्य कराते हैं ।	92.4	93.1	87.9	**91.1**	1.3	2.1	3.9	**2.4**	6.3	4.8	8.2	**6.4**
18.	गाँव के सभी बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते है ।	89.5	93.4	87.5	**90.1**	3.3	1.3	4.2	**2.9**	7.2	5.3	8.3	**6.9**
19.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।	87.1	87.2	87.4	**87.2**	5.8	4.8	6.3	**5.6**	7.1	8.0	6.3	**7.1**
20.	शिक्षक प्रत्येक बच्चे के नाम से परिचित है ।	86.8	96.2	94.6	**95.9**	2.4	3.4	4.2	**3.3**	0.8	0.4	1.2	**0.8**
21.	विगत कुछ वर्षो में विद्यालय के प्रति समुदाय की घनात्मक सोच में वृद्धि हुई है ।	92.5	91.9	91.3	**91.9**	1.1	2.3	3.4	**2.3**	6.4	5.8	5.3	**5.8**
22.	विगत कुछ वर्षो में विद्यालय की मूल–भूत सुविधा की कमी की पूर्ति हुई है ।	94.3	95.8	92.1	**94.1**	1.6	0.9	2.1	**1.5**	4.1	3.3	5.8	**4.4**
23.	बच्चों, शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है ।	92.8	93.8	93.6	**93.4**	1.2	0.9	1.8	**1.3**	6.0	5.3	4.6	**5.3**
24.	बच्चों में लागू की गई प्रोत्साहन योजनायें काफी प्रभावी हैं ।	83.6	84.8	81.8	**83.4**	1.8	2.4	2.0	**2.1**	14.6	12.8	16.2	**14.5**
25.	बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है ।	77.2	77.6	76.2	**77.0**	7.8	8.3	10.6	**8.9**	15.0	14.1	13.2	**14.1**
	प्रतिशत माध्य	**86.4**	**83.4**	**84.5**	**84.7**	**5.0**	**4.4**	**6.2**	**5.2**	**8.6**	**12.2**	**9.3**	**10.1**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि –

- विभिन्न प्रश्नों के प्रतिशत माध्य का अवलोकन करने पर सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य तथा प्रगति से 84.7 प्रतिशत अभिभावक सहमत, 5.2 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं 10.1 असहमत पाये गये ।
- 80 प्रतिशत से अधिक अभिभावक के अनुसार ग्रम शिक्षा, समिति के गठन से समुदाय का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है । समुदाय की अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति रूचि जागी है । समुदाय तथा शिक्षण संबंध अच्छे हुये है । बच्चे विद्यालय नियमित जाते है तथा शिक्षक उनको मन लगाकर पढ़ाते है ।

- 95 प्रतिशत अभिभावको के अनुसार गॉव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये जाते है । गॉव के 2 या 3 बच्चे पढ़ने के लिये नहीं जाते । इन बच्चों के पढ़ने न जाने का मुख्य कारण यह बताया गया कि वे अपने घर के काम में हाथ बटाते है इसलिए विद्यालय नही जाते ।
- 100 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार विगत कुछ वर्षो में विद्यालय के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है ।
- 100 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है । विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया है, शौचालय का निर्माण तथा हैण्ड पम्प लगवाये गये है ।

इस प्रकार अभिभावकों के अनुसार विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है । समुदाय का विद्यालय के प्रति झुकाव बढ़ा है । बच्चों के नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता परक शिक्षा में वृद्धि हुई है ।

ग्रम शिक्षक समिति के सदस्यों का दृष्टिकोण : विद्यालय स्तर पर विद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये गठित ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से प्रारम्भिक शिक्षा के लिये समय–समय पर लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपो तथा उसकी प्रगति के प्रति दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया । इस साक्षात्कार अनुसूची में 25 प्रश्न थे जो कि सभी धनात्मक थे । इसके अतिरिक्त खण्ड 'ब' में प्रश्न पूछकर उनके द्वारा विचार प्राप्त किया गया । प्राप्त जानकारी के संकलन एवं विश्लेषण के पश्चात् निम्नानुसार सारणी प्राप्त हुई जिनकी व्यख्या सारणी के नीचे दी गई है –

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य का दृष्टिकोण

(प्रतिशत में)

क.	प्रश्न	सहमत				आंशिक सहमत				असहमत			
		झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र	झाँसी	ललितपुर	जालौन	समग्र
1.	विद्यालय का भौतिक परिवेश में बदलाव आया है ।	89.0	88.6	84.5	**87.4**	4.2	5.7	7.3	**5.7**	6.8	5.7	8.2	**6.9**
2.	बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है	100.0	100	100	**100**	0:0	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0	0.0	**0.0**

3.	बच्चों के ठहराव में वृद्धि हुई है ।	95.5	96.5	89.9	**94**	3.2	2.7	7.3	**4.4**	1.3	0.8	2.8	**1.6**
4.	बच्चों के ड्राप आउट में कमी आई है ।	91.8	92.4	92.3	**92.2**	1.0	1.3	2.2	**1.5**	7.2	6.3	5.5	**6.3**
5.	बच्चे ठीक सीख रहे है ।	91.1	94.4	89.2	**91.6**	7.1	5.4	8.3	**6.9**	1.8	0.2	2.5	**1.5**
6.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।	90.3	93	89	**90.8**	6.7	5.2	4.7	**5.5**	3.0	1.8	6.3	**3.7**
7.	विद्यालय में संसाधनों के आभाव में कमी आई है ।	97.7	98.5	97.4	**97.9**	2.3	1.3	1.8	**1.8**	0.0	0.2	0.8	**0.3**
8.	शिक्षक एवं अभिभावकों के सम्बंध अच्छे हुये है ।	93.3	94.4	93.8	**93.8**	4.2	3.8	3.0	**3.7**	2.5	1.8	3.2	**2.5**
9.	शिक्षक बच्चों में बिना कोई भय दिये शिक्षण कार्य कराते हैं ।	86	86.6	80.2	**84.3**	7.3	8.2	6.8	**7.4**	6.7	5.2	13.0	**8.3**
10.	बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।	84.9	99.3	96.8	**97.0**	1.3	0.0	1.7	**1.0**	3.8	0.7	1.5	**2.0**
11.	विभिन्न स्तरों से मानीटरिंग बढ़ी है तथा शिक्षक का विश्वास जागा है ।	92.7	94.3	90	**92.3**	5.8	4.7	7.8	**6.1**	1.5	1.0	2.2	**1.6**
12.	शिक्षक एवं बच्चों के बीच सम्बंध अच्छे है ।	89.5	90.3	84.4	**88.1**	9.7	8.5	13.3	**10.5**	0.8	1.2	2.3	**1.4**
13.	समुदाय को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है ।	80.4	85	81.0	**82.1**	5.8	4.2	7.3	**5.8**	13.8	10.8	11.7	**12.1**
14.	शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है।	87.3	84.7	88.1	**86.7**	12.7	13.0	11.2	**12.3**	0.0	2.3	0.7	**1.0**

15.	विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ जल तथा शौचालय सुलभ हुये है ।	89.3	87.3	84.9	**87.2**	10.7	9.7	12.8	**11.1**	0.0	3.0	2.3	**1.8**
16.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।	87.5	90.3	80.1	**86.0**	2.5	1.2	5.7	**3.1**	10.0	8.5	14.2	**10.9**
17.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेद–भाव में कमी आई है ।	93.3	96.5	94.2	**94.7**	1.5	1.0	1.8	**1.4**	5.2	2.5	4.0	**3.9**
18.	विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त एवं स्वच्छ स्थान उपलब्ध हुआ है ।	93.8	94.8	91.1	**93.2**	6.2	5.0	7.2	**6.1**	0.0	0.2	1.7	**0.6**
19.	बच्चों की कमजोरियों को जानते हुये उन्हें दूर किया जाता है ।	86.6	93.1	86.9	**88.9**	1.6	2.2	1.8	**1.9**	11.8	4.7	11.3	**9.3**
20.	शिक्षक एवं समुदाय एक दूसरी की समस्या को मिल बैठकर दूर करने का प्रयास करते हैं ।	83.2	84.2	83.5	**83.6**	5.5	6.0	7.7	**6.4**	11.3	9.8	8.8	**10.0**
21.	शिक्षक बच्चों की कठिनाईयों एवं समस्याओं पर अभिभावकों से चर्चा करते हैं ।	78.4	78.1	73.3	**76.6**	7.3	5.2	11.2	**7.9**	14.3	16.7	15.5	**15.5**

22.	शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर बाल–मेला, प्रतियोगिता एवं बाल सभा आयोजित करते है ।	92.8	92.9	92.5	**92.7**	7.2	5.3	4.8	**5.8**	0.0	1.8	2.7	**1.5**
23.	विद्यालय जाने से आपके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है ।	82.6	78.8	74.1	**78.5**	4.7	2.2	8.3	**5.1**	12.7	19.0	17.6	**16.4**
24.	गाँव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये विद्यालय जाते हैं ।	96.3	95.6	93.8	**95.2**	1.3	1.8	3.2	**2.1**	2.4	2.6	3.0	**2.7**
25.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।	83.4	84.7	81.1	**83.1**	5.3	4.5	3.7	**4.5**	11.3	10.8	15.2	**12.4**
	प्रतिशत माध्य	**89.9**	**91.0**	**87.7**	**89.5**	**5.0**	**4.3**	**6.0**	**5.1**	**5.1**	**4.7**	**6.3**	**5.4**

उपरोक्त तालिका के अनुसार

- 89.5 प्रतिशत ग्रम शिक्षा समिति के सदस्य प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत किये गये कार्य तथा उसकी प्रगति से सहमत पाये गये जबकि 5.4 प्रतिशत द्वारा असहमत में जवाब दिया ।
- 90 प्रतिशत से अधिक समिति के सदस्यों के अनुसार बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है, ड्राप आउट में कमी आई है तथा बच्चे सीख रहे हैं के प्रति सहमत पाये गये ।
- विद्यालय में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि के प्रति 90 प्रतिशत से अधिक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सहमत पाये गये ।
- 96.3 प्रतिशत समिति के सदस्यों के अनुसार गॉव के सभी बच्चे पढ़ने के लिय जाते है ।

- 93.3 प्रतिशत समिति के सदस्यों के अनुसार विद्यालय एवं समुदाय में जाति एवं लिंग के अनुसार भेदभाव में कमी आई है । विद्यालय की लगातार मांनीटरिंग से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावी हुआ है तथा समुदाय में जागरूकता आई है ।

इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत किये गये विभिन्न प्रयासों से बच्चों के नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में काफी प्रगति हुई है ।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, बच्चों के अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण करने पर निम्न प्रकार की बात निकल कर आती है –

- विद्यालयें के भौतिक एवं मानवीय संसांधनों में पूर्व की स्थिति से काफी प्रगति हुई है ।
- बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में पहले की स्थिति से काफी प्रगति हुई है ।
- विद्यालय का वातावरण पूर्व की स्थिति से काफी अच्छा हुआ है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । अतः हमारा यह मानना कि बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा तथा विद्यालय के वातावरण में पूर्व की स्थिति से कोई अन्तर नहीं आया है निरस्त किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि पूर्व की स्थिति से वर्तमान में बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं शैक्षिक परिवेश में काफी प्रगति हुई है ।

अध्याय-छः

शोधसार, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय - छः

शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव

6.01.0 प्रस्तावना

प्रारम्भिक स्तर पर सभी के लिये शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रयास किये है । इन प्रयासों के अंतर्गत विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से जहाँ निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहीं विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है । विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये विद्यालय के वातावरण को आकर्षक एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये विद्यालय को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है । पाठ्यपुस्तकों को बालकेन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाना गया है तथा इस पर विद्यालय के शिक्षकों प्रशिक्षित किया गया है । मानीटरिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये 9832 पर्यवेक्षक तंत्र को जिला, विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्ति किया गया है तथा उनकों पर्यवेक्षण प्रणाली पर प्रशिक्षित किया गया है । समय–समय पर शोध एवं मूल्यांकन के माध्यम से कर्मियों को चिन्हित कर दूर करने का प्रयास किया गया है । शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बच्चों के नामांकन ठहराव एवं नियमितता संबंधी मानीटरिंग को सशक्त बनाया गया है । उपरोक्त रणनीतियां के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से किया गया है । अध्ययन 5 में इसकी प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है । इस अध्याय में विश्लेणोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों एवं सुझावों के साथ शोध का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया है ।

इस खंड में समस्या का पुनः आरेख, प्रयुक्त प्रक्रियाओं का वर्णन, परिणामों पर चर्चा तथा अध्ययन के निष्कर्ष सम्मिलित है । अध्ययन के दौरान आई समस्याओं को भी प्रस्तुत अध्याय में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है । इसमें निष्कर्षों को उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिक्षित परिकल्पनाओं से सीधा संबंधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है । अंत में सुझाव तथा भावी शोध हेतु समस्यायें प्रस्तुत की गई है ।

6.02.0 संक्षेपिका

प्रस्तुत शोध प्रबंध को छः अध्यायों में विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याय मे शोध परिचय, द्वितीय अध्याय में संबंधित साहित्य का अध्ययन, तृतीय अध्याय में शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रकिया, चतुर्थ अध्याय में सभी के लिये शिक्षा की रणनीतियां, पंचम अध्याय में विश्लेषण एवं

व्याख्या एवं षष्टम अध्याय में शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव तथा अंत में संदर्भ ग्रंथ एवं परिशिष्ट में उपयोग किये गये उपकरणों को लिया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन की अध्यायवार संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है –

6.02.1 प्रथम अध्याय :

इस अध्याय में सबके लिये शिक्षा की विभिन्न आयोगों की संस्तुतियाँ, हर्टांग समिति और प्राथमिक शिक्षा, स्वतंत्रता के पूर्व एवं बाद के शिक्षा का स्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं सभी के लिये शिक्षा, सबके लिये शिक्षा का विश्व स्तरीय परिदृश्य, सबके लिये शिक्षा क्रियान्वयन के लिए निर्धारित कार्य, सबके लिये शिक्षा की विश्व स्तरीय प्रगति, सबके लिये शिक्षा का भारत देश का परिदृश्य, सबके लिये शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य, सबके लिये शिक्षा के लिये किये गये संवैधानिक प्रावधान, शोध में चयनित जनपदों का शैक्षिक परिदृश्य, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये संचालित की गई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी, प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व, प्रस्तुत शोध का कथन, प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या, शोध उद्देश्य एवं उसकी शून्य परिकल्पनाओं की दिया गया है ।

शोध कथन : प्रस्तुत शोध का कथन निम्नानुसार है –

"उत्तर प्रदेश में ' सभी के लये शिक्षा' कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियों एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोध के उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयेां की शिक्षा तक सीमित रखते हुए अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये–

- प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु किये गये प्रयासों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना ।
- सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर किये गये कार्यों पर प्रमुख शोध रिपोर्ट के निष्कर्षों का अध्ययन करना ।
- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा सबके लिये शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में कठिनाइयों/बाधाओं का अध्ययन करना ।
    - ☐ सार्वभौम नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा
    - ☐ ड्रापआउट
    - ☐ सामाजिक आर्थिक विषमता

- विकलांग बच्चों की शिक्षा
- भौतिक संसाधन

परिकल्पनायें

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न शोध परिकल्पनाओं को लिया गया है–

- बच्चे के नामांकन की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- बच्चों के ठहराव की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- विद्यालय के भौतिक संसाधन की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- विद्यालय के शैक्षिक परिवेश की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या : प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या निम्नानुसार है –

सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम :

'सभी के लिये शिक्षा' से तात्पर्य 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराना तथा उनके शत–प्रतिशत नामांकन एवं धारण क्षमता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने सम्बन्धी कार्यक्रम है ।

प्रारम्भिक शिक्षा :

प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वयवर्ग के सभी बच्चों को 1–8 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने से है ।

संकल्पना, रणनीतियां एवं कियान्वयन :

संकल्पना से तात्पर्य सभी के शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट किये जाने से है, रणनीतियों का तात्पर्य प्रमुख हस्ताक्षेपों एवं प्रविधियों तथा कियान्वयन का तात्पर्य किसी योजना के लागू करने से है ।

शोध सीमाएं :

प्रस्तुत शोध की निम्न सीमाएं निर्धारित की गई थी –

- शोध कार्य को प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा तक सीमित रखा गया ।

- भौगोलिक दृष्टि से इसे उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा गया । किन्तु प्रदेश की विशालता को दृष्टिगत रखते हुए कियान्वयन संबंधी अध्ययन को उ.प्र. में सबके लिये शिक्षा के कियान्वयन के साथ झाँसी मण्डल तक ही सीमित रखा गया ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के लिये अब तक किये गये कार्य का अध्ययन किया गया ।
- इसे बच्चों के नामांकन, ठहराव गुणवत्तापरक शिक्षा तथा विद्यालय के भौतिक संसाधनों एवं परिवेश तक सीमित रखा गया ।
- प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया ।

न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश में सभी के लिये शिक्षा हेतु किये गये कार्य को न्यादर्श के रूप में लिया गया । इसके अतिरिक्त झाँसी मण्डल के तीन जनपदों से प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोत से विस्तृत जानकारी को एकत्र करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया । झाँसी मण्डल के जनपदों से उपलब्ध आंकड़ों के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों से निम्नानुसार जानकारी स्वयं निर्मित उपकरणों से एकत्र की गई –

क.सं.	उपकरण के माध्यम से प्राप्त जानकारी	योग
1	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों	1200
2	विद्यालय प्रधानाध्यापक	75
3	विद्यालय अध्यापक	300
4	अभिभावक	600
5	एन.पी.आर.सी. समन्वयक	30
6	बी.आर.सी. समन्वयक	15
7	डी.सी./बी.एस.ए./डायट/एस.पी.ओ./सीमैट	15

इसके अतिरिक्त विभिन्न मूल्यांकन एवं शोध की जानकारी को न्यादर्श के रूप में अलग किया गया ।

6.02.2 द्वितीय अध्याय में शोध समस्या से संबंधित पूर्व में उत्तर प्रदेश, देश एवं विदेश में किये गये शोध अध्ययनों की जानकारी तथा प्राप्त परिणामों का उल्लेख किया गया है ।

6.02.3 तृतीय अध्याय में शोध समस्या प्रविधि, न्यादर्श, शोध उपकरणों की जानकारी, प्रदत्तों का सारणीयन, प्रदत्तों के संकलन में उत्पन्न कठिनादयां, विश्लेषण की विधि आदि की जानकारी दी गई है ।

6.02.4 चतुर्थ अध्याय में सभी के लिये शिक्षा हेतु लगाई गई रणनीतियों का उल्लेख किया गया है ।

6.02.5 पंचम अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या दी गई है । प्रदत्तों का विश्लेषण उद्देश्यवार परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

6.03.0 निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध में प्रथम एवं द्वितीय स्त्रोत से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए –

उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना रणनीतियां तथा कियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति का अध्ययन किया गया । अध्ययन में निर्धारित किये गये उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्रोतों (फील्ड से, उपलब्ध रिपोर्ट, शोध अध्ययन आदि) से प्राप्त जानकारी के गणितीय आंकड़ों को सांख्यिकी विधि तथा गुणात्मक विश्लेषण के लिये Content Analysis Method का उपयोग किया गया । अध्ययन में उत्तर प्रदेश के संदर्भ के साथ–साथ झाँसी मण्डल को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए –

- बच्चों के नामांकन में पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में काफी अन्तर पाया गया ।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। के जनपदों का वर्ष 1997–98 में सकल नामांकन अनुपात 69.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2000–01 में 94.9 प्रतिशत होगा ।
- बेसिक शिक्षा परियोजना के जिलो में बेसलाइन सर्वे में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत था जो वर्ष 1999–2000 में 95 प्रतिशत हुआ । जबकि अनुसूचित जाति की बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हुआ ।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जनपदों का वर्ष 2000–01 में सकल नामांकन अनुपात 87.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2000–01 में बढ़कर 95.29 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2002–03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 90.15 था जो वर्ष 2003–04 में 113.91 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2002–03 के आंकड़ों के अनुसार बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 92.02 प्रतिशत था जो वर्ष 2003–04 में 116.53 प्रतिशत हो गया ।
- सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम से आच्छादित सभी जनपदों का वर्ष 2002–03 में सकल नामांकन अनुपात 85.47 प्रतिशत था जो वर्ष 2003–04 में 92–80 प्रतिशत

हो गया । अनुसूचित जाति के बच्चों का वर्ष 2002—03 में सकल नामांकन अनुपात 90.61 प्रतिशत था जो वर्ष 2003—04 में 120.10 प्रतिशत पाया गया । प्राथमिक स्तर में वर्ष 2002—03 में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 88.07 प्रतिशत था जो वर्ष 2003—04 में बढ़कर 92.51 प्रतिशत होगा ।

- सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के जनपदों में उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002—03 में बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 35.42 प्रतिशत था जोकि 2003—04 में 37.78 प्रतिशत बढ़ा, जबकि लड़कियों एवं अनुसूचित जाति के बच्चों का वर्ष 2002—03 में सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 32.83 एवं 33.50 प्रतिशत था जो वर्ष 2003—04 में बढ़कर क्रमशः 35.60 एवं 41.51 प्रतिशत हो गया ।
- यदि हम झाँसी, जालौन एवं ललितपुर जनपदों के सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात को देखे तो उनमें पूर्व की तुलना में काफी वृद्धि परिलक्षित होती है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों के नामांकन में पूर्व की स्थिति से वर्तमान में काफी वृद्धि हुई है अर्थात पूर्व की तुलना में वर्तमान स्थिति में काफी अन्तर है । अर्थात नामांकन में काफी प्रगति हुई है ।

- बच्चों की नियमित उपस्थिति में पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में काफी अन्तर पाया गया । प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक ग्राम शिक्षा समिति के संदस्यों से चर्चा तथा विद्यालयीय अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति में पहले की तुलना में काफी वृद्धि हुई है ।
- बच्चों के ठहराव में पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में अन्तर पाया गया । अर्थात पहले की स्थिति से ठहराव में काफी वृद्धि हुई है तथा ड्राप आउट में कमी आई है । इसे हम परियोजनावार निम्नानुसार देख सकते है ।
    - बेसिक शिक्षा परियोजना के जनपदों में वर्ष 1993 में ठहराव दर 50 प्रतिशत (बालक 60 एवं बालिका 40 प्रतिशत) थी जो वर्ष 1998 में बढ़कर 65.03 प्रतिशत (बालक 64.57 तथा बालिका 65.75) हो गया है ।
    - शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। से आच्छादित जनपदों में वर्ष 1997 में ठहराव दर 88.2 प्रतिशत थी जो वर्ष 1999—200 में बढ़कर 88.3 प्रतिशत हो गई ।

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के जनपदों में वर्ष 2000–01 में कोहार्ट ठहराव दर 42.7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2002–03 में बढ़कर 92.6 प्रतिशत हो गई है ।

इस प्रकार हम देखते है कि सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बच्चों के ठहराव में पूर्व की तुलना में काफी वृद्धि हुई है ।

- बच्चों की गुणवत्तपरक शिक्षा की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में काफी अन्तर पाया गया । विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कराये गये मूल्यांकन परीक्षणों से निम्नानुसार प्रगति परिलक्षित होती है –
  - बेसिक शिक्षा परियोजना के जनपदों में कराये गये बेसलाइन, मिडटर्म एवं फाइनल परीक्षण में निम्नानुसार उपलब्धि स्तर पाया गया ।

कमांक	कक्षा	विषय	परीक्षण का नाम एवं वर्ष		
			बेसलाइन (1993)	मिडटर्म (1996)	फाइनल (2000)
1	2	भाषा	63.23	48.40	85.01
2	2	गणित	37.91	46.43	87.99
3	5	भाषा	43.91	44.48	87.99
4	5	गणित	34.52	35.02	87.65

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिर्पोट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। से आच्छादित जनपदों में निम्नानुसार प्रगति पाई गई –

कमांक	कक्षा	विषय	परीक्षण का नाम एवं वर्ष		
			बेसलाइन (1997)	मिडटर्म (2000)	फाइनल (2003)
1	2	भाषा	46.85	69.53	87.68
2	2	गणित	41.67	74.33	87.34
3	5	भाषा	42.06	69.53	69.47
4	5	गणित	31.73	74.33	64.19

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिर्पोट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। से आच्छादित जनपदों में निम्नानुसार प्रगति पाई गई –

कमांक	कक्षा	विषय	परीक्षण का नाम एवं वर्ष	
			बेसलाइन (1993)	मिडटर्म (1996)
1	2	भाषा	58.25	76.85
2	2	गणित	62.05	79.29
3	5	भाषा	45.77	57.52
4	5	गणित	30.33	47.31

स्त्रोत : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र. लखनऊ की मूल्यांकन रिर्पोट

- सर्वशिक्षा अभियान के जनपदों में वर्ष 2003–04 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की बोर्ड परीक्षा में बैठे बच्चों में से 34.26 प्रतिशत बच्चे 60 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर पास हुए जबकि 3 प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए ।

इस प्रकार विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कराये गये मूल्यांकन कार्यो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूर्व की स्थिति से बच्चों के उपलब्धि स्तर में काफी वृद्धि हुई है ।

- विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं शिक्षा विभाग के शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साक्षात्कार एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के रिपोर्टो के विश्लेषण के अनुसार विद्यालय के भौतिक संसाधनों एवं शैक्षिक परिवेश में पूर्व की स्थिति से काफी अन्तर आया है । अर्थात विद्यालयों को भौतिक संसाधनों के साथ विभिन्न मदों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक बना है । जिसका प्रभाव बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में पड़ा है ।

6.04.0 सुझाव

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये शासन स्तर से अनेक प्रयास किये गये है । इन प्रयासों में हमें काफी सफलता मिली है, फिर भी हम अपने शतप्रतिशत लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके है । खास तौर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में । अतः सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते है –

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक विज्ञान/गणित का शिक्षक हो ।

- प्राथमिक स्तर पर पाठ्यसहगामी क्रियाओं को अधिक से अधिक स्थान दिया जाय ताकि बच्चे विद्यालय में आनंद की अनुभूति करते हुए विद्यालय की ओर आकर्षित हो सके ।
- प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में कार्यानुभव की शिक्षा दी जाय ताकि बच्चे कार्यानुभव शिक्षा के माध्यम से भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्य से अलग रखा जाय ताकि शिक्षक बच्चों को अधिक समय देते हुए उनमें गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित कर सके ।
- विद्यालयों से सूचनाओं का संकलन वर्ष में एक या दो बार किया ताकि शिक्षक सूचनाओं का अपना ध्यान न देकर शिक्षण कार्य में दे सके ।
- बच्चों में पठन एवं लेखन क्षमता के बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध कराये जाय ।
- शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाय । सभी शिक्षकों को एक जैसा प्रशिक्षण न दिया जाय । प्रशिक्षण विषयवार तथा शिक्षकों की आवश्यकता पर आधारित हो ।
- समुदाय को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराते हुए विद्यालयीन शिक्षा में उनका अधिक से अधिक सहयेाग प्राप्त किया जाय ।
- विद्यालय का वातावरण आनंददायी, रुचिपूर्ण तथा भयमुक्त बनाया जाय ताकि बच्चे बिना भय के विद्यालय आये तथा अपनी समस्याओं को शिक्षकों के समझ रख सके ।
- न्याय पंचायत स्तर पर पुस्तकालय निर्माण किया जाय । जिसमें शिक्षकों एवं बच्चों के लिये उपयोगी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो ।
- शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं उनके परिणाम के आधार पर स्थानान्तरण, प्रमोशन एवं समायोजन किया जाय ।
- प्रत्येक शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा से परिचित कराते हुए उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय ।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र स्तर पर होने वाली शिक्षकों की बैठकों को अकादमिक बनाया जाय ।
- शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों का जिला एवं राज्य स्तर पर विश्लेषण के उपरान्त उनके आंकड़ों की रिपोर्ट विकासखण्ड, न्याय पंचायत एवं विद्यालय स्तर को उपलब्ध कराई जाय ताकि कमियों को दूर किया जा सके । राज्य स्तर पर भी कमियों का विश्लेषण करते हुए कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये जाय ।

- विभिन्न स्तर से होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा की शोध रिपोर्ट को विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से डिसेमिनेट कर प्राप्त कमियों को दूर करने के लिये विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये जाय ।
- सभी बच्चों को विद्यालय एक समान सुविधायें उपलब्ध कराई जाय ।
- विद्यालय में मिलने वाले पके पकाये मध्याह्न भोजन व्यवस्था को पौष्टिक एवं गुणवत्तापरक बनाया जाय ।
- प्रत्येक विद्यालय में गतिविधि केन्द्र बनाया जाय ताकि बच्चे खेल–खेल के माध्य से शिक्षण कर सके ।
- प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री, वाद्य यंत्र एवं अन्य पाठ्य सहगामी सामग्री होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिये विद्यालय की ओर आकर्षित हो ।
- बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एक बार में न देकर तीन–तीन माह में दिया जाय तथा दी जाने वाली राशि को बच्चों में उपयोग हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाय ।
- विभिन्न स्तर से होने वाली प्रशिक्षणों को प्रशिक्षणोपरान्त उसकी प्रभावकारिता कितनी रही का अध्ययन कराया जाय ।
- प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए ।
- शिक्षक विद्यार्थी तथा कक्षा विद्यार्थी अनुपात की गणना जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर न करके विद्यालय स्तर पर करनी चाहिए । उसी के अनुसार शिक्षकों एवं कक्षा–कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए ।
- ग्राम शिक्षा समिति को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग लेना चाहिए ।
- विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी स्वच्छता एवं पोषण का ध्यान रखना चाहिए ।
- विद्यालयों की मानीटरिंग विभिन्न शैक्षिक सूचकों के अंतर्गत करना चाहिए ताकि सूचकवार कमियों को जानते हुए उनको दूर करने के उपाय ढूंढ़े जा सके ।
- बच्चों का नियमित डाक्टरी परीक्षण करना चाहिए ।
- गरीब, विकलांग बच्चों के लिये समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम विद्यालयों में रखकर शिक्षित किया जाय ।
- विद्यालयीन सुविधा के बाद भी जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजे तो उनसे आंशिक जुर्माना वसूला जाना चाहिए ।

- जिन गाँव के विद्यालय के बच्चों का उपलब्धि स्तर ठीक न हो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए उन पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।
- विद्यालय ग्रेडिंग प्रणाली को अधिक तर्कसंगत तथा अकादमिक बनाना चाहिए । विद्यालय ग्रेडिंग के अनुसार ही शिक्षकों को प्रमोशन तथा मनचाहा स्थानान्तरण देना चाहिए ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निर्धारित हस्ताक्षेपों को राज्य/जिला स्तर से निर्धारित न करके ग्राम के स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाय ।
- प्रारम्भिक स्तर पर अधिक से अधिक नवाचार को प्रोत्साहित किया जाय ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के माध्य से शिक्षा को पारस्परिक बनाया जाय ताकि बच्चों का झुकाव विद्यालय की ओर बढ़े ।
- शिक्षक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहा कठिनाई महसूस करते है को जानते हुए दूर करने का उपाय करना चाहिए ।

6.05.0 भावी शोध हेतु समस्यायें :

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु लगाये गये हस्ताक्षेपों की शैक्षिक भौतिक प्रगति को जानने के लगे विभिन्न स्तर से शोध अध्ययन आयोजित करके उनकी कमियों एवं अच्छाइयों को जानते हुए आवश्यक सुधार किया गया है । सभी के लिये शिक्षा हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों के बावजूद हम अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा के शतप्रतिशत सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के लक्ष्य को विभिन्न कारणों के चलते नहीं प्राप्त कर सके है । अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि हम समय–समय पर विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किन कारणों से अभी तक सफल नहीं हो पाये है । यदि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अध्ययन किये जाय तथा अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर विभिन्न हस्ताक्षेप आयोजित किये जाय तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते है । इस दिशा में शोधकर्ता के अनुसार भावी शोध हेतु कुछ महत्वपूर्ण समस्यायें इस प्रकार हो सकती है –

- प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के नामांकन एवं ड्रापआउट की प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का अध्ययन करना ।
- बच्चों के उपलब्धि स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगाये गये हस्ताक्षेप के प्रभावों का अध्ययन करना ।
- पाठ्यसहगामी क्रियाओं का शिक्षण अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन करना ।

- गुणात्मक शिक्षा के प्रबंधन में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की भूमिका का अध्ययन करना ।
- विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की प्रभावी उपयोगिता का अध्ययन करना ।
- विद्यालय से बाहर बच्चों का विद्यालय में नामांकित न होने के कारणों का अध्ययन करना ।
- बच्चों को विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का नामांकन एवं ठहराव पर हुए प्रभाव का अध्ययन करना ।
- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ट्रांजीशन न होने के कारणों का विश्लेणात्मक अध्ययन करना ।
- कामकाजी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों का गणित एवं विज्ञान विषय में रूचि न होने के कारणों का अध्ययन करना ।
- समय–समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता का अध्ययन करना ।
- गुणात्मक शिक्षा के प्रबंधन में डायट की भूमिका का अध्ययन करना ।
- भाषा एवं गणित में बच्चे कहाँ कठिनाइयां महसूस करते है का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की प्रभावकारिता का अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का अध्ययन करना ।
- बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की प्रभावकारिता का अध्ययन करना ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिये जा रहे सहयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
- बीच में विद्यालय छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाने बच्चों के कारणों तथा उनके लिये किये गये प्रयासों का अध्ययन करना ।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में वैकल्पिक शिक्षा तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों की भूमिका का अध्ययन करना ।
- विभिन्न हस्तोक्षेपों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में आये बदलाव का कमागत अध्ययन करना ।
- जिन बच्चों का उपलब्धि स्तर कम है के कारणों का अध्ययन करना ।
- नवाचार शिक्षा के लिये सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि की प्रभावकारिता का अध्ययन करना ।
- बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
- प्रारम्भिक स्तर पर महिला शिक्षक की आवश्यकता का अध्ययन करना ।

संदर्भ ग्रंथ

संदर्भ ग्रन्थ

गैरिट हेनरी ई . 1978 : शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी कल्याणी पब्लिशर्स

बुच, एम.बी. (1979) : सेकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, सोसायटी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च, बड़ौदा

बुच, एम.बी. (1978–83) : थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, बड़ौदा

एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली(1988) : फोर्थ सर्वे ऑफ रिर्सच इन एजूकेशन

एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली(1992) : पंचम सर्वे ऑफ रिर्सच इन एजूकेशन

सीमैंट इलाहाबाद रिपोर्ट (2000) : रिर्सच इन बेसिक एजूकेशन

भारत सरकार (1991) : सेंसेस ऑफ इंडिया (पेपर– 2) मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन नई दिल्ली,

भारत सरकार (1991) : सेंसेस ऑफ इंडिया (सीरिज– 2 एम.पी. हाउसहोल्ड पापुलेशन बाई रिलीजन), मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन नई दिल्ली,

भारत सरकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली 2000 : सबके लिए शिक्षा

भारत सरकार (1995) : प्रोग्राम ऑफ एक्शन (ए पॉलिसी पार्सपेक्टिव), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

राय परासनाथ 1989 : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा

रायजादा डॉ. बी.एस. 1996 : शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान।

शर्मा, आर.ए. (1993) : शोध प्रबंध लेखन, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ

शर्मा आर.ए. (2000) : शिक्षा अनुसंधान आर.लाल बुक डिपो, मेरठ

शर्मा, हरस्वरूप (1990) : सांख्यिकी विधियॉ, राम प्रकाश एण्ड सन्स, अस्पताल रोड़, आगरा – 3

सरकार एवं मुनीर (1997) : भारत का संविधान संक्षिप्त टिप्पणियों सहित।

त्रिवेदी आर.एन. शुक्ला डी.पी. (1990) : रिसर्च मेथडालॉजी कॉलेज बुकडिपो जयपुर

समाधान (2002), प्रशिक्षण माड्यूल : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद

संकल्प (2002), प्रशिक्षण माड्यूल : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद

सहयोग (2003), प्रशिक्षण माड्यूल : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद

संवर्द्धन (2000), प्रशिक्षण माड्यूल : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद

- अभिनव, त्रैमासिक पत्रिका : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र. इलाहाबाद
- लौकेश (1984) : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली
- एच. पी . सिन्हा : शैक्षिक अनुसंधान
- नई शिक्षा नीति (1986) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन : मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
- शिक्षा की प्रगति (2001–2004) : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- वार्षिक आख्या, बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश (1999–2000) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- वार्षिक आख्या जिला प्राथामिक शिक्षा कार्यक्रम – I I (2000–01) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- वार्षिक आख्या जिला प्राथामिक शिक्षा कार्यक्रम – I I (2002–03) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी (1998–2003) : राज्य शिक्षा संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद (उ.प्र.)
- बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े (1998) : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., इलाहाबाद
- पहुंच एवं धारण रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम I I (2002) : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद
- पहुंच एवं धारण रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम I I I (2002) : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद
- स्टेप रिपोर्ट, शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (2003–04) : राज्य परियोजना कार्यालय, सभी के लिये शिक्षा, लखनऊ (उ.प्र.)
- प्रगति रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्र्म I I 2001 : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- प्रगति रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्र्म I I I 2001 : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- बेसिक शिक्षा परियोजना इम्पलीमेटंशन कम्पलीशन रिपोर्ट (2000) : राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। इम्पलीमेटंशन कम्पलीशन रिपोर्ट (2000) : राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ

टर्मिनल उपलब्धि परीक्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। मई 2003 : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ, उ.प्र.

मिडटर्म उपलब्धि परीक्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। (2003) : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ, उ.प्र.

प्रगति रिपोर्ट सीमैट (1997–98–2003) : राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद

व्हेयर डू वी स्टैण्ड नीपा रिपोर्ट (2002–03) : राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

रिसर्च एबस्ट्रेक्स (2001–04) : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ, उ.प्र.

रिसर्च एबस्ट्रेक्स (1998–2003) : राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

प्रो. एस. अग्रवाल (1998–2003), नीपा नई दिल्ली : प्रोग्राम टुअर्डस एक्सेस एण्ड रिटेनशन

सबसे लिये शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट 2004 : संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को प्रकाशन

मानव विकास रिपोर्ट 2004 : यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस

इनोवेशन एण्ड एक्सेपरीमेंट इन जनशाला 2002 : जनशाला प्रोग्राम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

बदलता परिदृश्य 2000 : राज्य परियोजना कार्यालय
सभी के लिये शिक्षा कार्यकम, लखनऊ

लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें? : यूनीसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

त्रिपाठी, शालिग राम, (1999) : भारतीय शिक्षा का इतिहास
राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली

परिपेक्ष्य त्रैमासिक शैक्षिक पत्रिका के अंक : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

परिशिष्ट

विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के लिये प्रश्नावली

प्रधानाध्यापक/अध्यापक का नाम....................................पद ....

जाति ....लिंग..............विद्यालय...

संकुल ....विकास खण्ड ....जिला..

खण्ड–अ

निर्देश : नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर चौकोर बने खाने में सही (✓) का निशान लगाये –

		सहमत	आंशिक सहमत	असहमत
1.	सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी./सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं ।			
2.	विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/ जा रहे हैं ।			
3.	विद्यालय को प्रतिवर्ष मूल–भूत आवश्यकता हेतु रू. 2000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विद्यालय की छोटी–छोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ।			
4.	विद्यालय को प्रतिवर्ष विद्यालय रख–रखाव मद में रू. 5000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है जिससे विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा आनंददायी बना है ।			
5.	प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया			

	जाता है ।			
6.	सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाया गया है ।			
7.	शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के पठन कौशल को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित तथा नवाचारी बनाया गया है ।			
8.	मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।			
9.	मध्याह्न भोजन व्यवस्था से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।			
10.	छात्रवृत्ति मिलने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं ।			
11.	शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।			
12.	कक्षा विद्यार्थी के अनुपात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं जा रहे हैं ।			
13.	विद्यालय में शौचालय के निर्माण से बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन बढ़ा है ।			
14.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं का विद्यालय की ओर झुकाव बढ़ा है ।			
15.	विद्यालय में हैण्ड पम्प की सुविधा हो जाने से बच्चों को स्वच्छ जल मिल रहा है तथा बच्चे पानी के बहाने घर को नहीं भागते ।			
16.	विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।			

17.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।			
18.	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है ।			
19.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण से विद्यालय को पर्याप्त स्थान मिला है ।			
20.	एन.पी.आर.सी एवं बी.आर.सी समन्वयक विद्यालय को पर्याप्त अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।			
21.	शिक्षक एवं समुदाय के बीच के संबंध अच्छे हुये है ।			
22.	मानीटरिंग व्यवस्था के कारण शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे है ।			
23.	शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।			
24.	विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को उच्च स्तर से दूर किया जा रहा है ।			
25.	विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों / प्रधानाध्यापक के कार्य कौशल में वृद्धि हुई है ।			
26.	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।			
27.	बच्चों की औसतन उपस्थित 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।			
28.	न्याय पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक से विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान होता है ।			
29.	कक्षा 5 के बच्चों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 95 से अधिक होता है ।			

30.	बच्चों का ठहराव 95 प्रतिशत से अधिक है ।			
31.	बच्चों का ड्राप आउट 5 प्रतिशत या इससे कम है ।			
32.	नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।			
33.	बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।			
34.	लिंग के अनुसार औसतन उपस्थिति में अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।			
35.	वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।			

खण्ड–ब

निर्देश : प्रश्नों को पढ़कर संक्षिप्त में उत्तर दें –

1. विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन में प्रगति हुई है कि नहीं ? यदि हाँ तो क्या–क्या ....

....

2. शिक्षक / प्रधानाध्यापक की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है कि नहीं ? यदि हाँ तो क्या ? ....

....

3. विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में वृद्धि हुई कि नहीं ....यदि है तो कितनी ? ....

....

....

4. पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी प्रकार का सुधार आया है कि नहीं ? यदि हाँ तो क्या ....

....

5. विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विद्यालय को किस–किस प्रकार का सहयोग मिला है तथा उनमें क्या सफलता मिली –

सहयोग	सफलता मिली

क्या समुदाय का विद्यालय की ओर रूझान बढ़ा है यदि हाँ तो किस–किस क्षेत्र में ....

....

....

....

6. क्या विभिन्न स्तरों से विद्यालयों को आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो रहा है/नहीं ? यदि हाँ तो क्या–क्या तथा किन–किन क्षेत्रों में ? ....

....

....

....

....

7. विभिन्न परियोजना के माध्यम से ऐसे क्या–क्या अतिरिक्त कार्य किये गये है जिनके शिक्षा में प्रगति हुई है ....

....

....

....

....

8. संचालित योजना शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में किन–किन कारणों से पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है ....

....

....

....

....

9. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिये आपके सुझाव क्या–क्या है? ....

....

....

....

....

बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी./जिला समन्वयक./बी.एस.ए., डायट, सीमैट, एस.पी.ओ. एवं एन.सी.ई.आर.टी. के पर्यवेक्षकों (प्रशासनिक/अकादमिक अधिकारियों) के लिये प्रश्नावली

नाम .... पद...

जाति .... लिंग............. कार्य का स्थान...

खण्ड–अ

निर्देश : नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर चौकोर बने खाने में सही (✓) (सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में से एक में) का निशान लगाये –

		सहमत	आशिंक सहमत	असहमत
1.	निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।			
2.	निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।			
3.	आपके कार्य क्षेत्र के सभी विद्यालयों में पेयजल/शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ।			
4.	विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है ।			
5.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है ।			
6.	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।			
7.	समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई है ।			

8.	नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीतियाँ अपनाई गयी है/जा रही है ।			
9.	पर्यवेक्षण से शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है			
10.	शिक्षक की फील्ड सम्बंधी कठिनाइयों को उच्च स्तरीय कार्यायल द्वारा दूर किया जाता है ।			
11.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये है ।			
12.	शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है ।			
13.	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।			
14.	शिक्षक विद्यालय के सभी अभिलेखों का व्यवस्थित रखते है ।			
15.	बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाता है ।			
16.	बच्चों की औसतन उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।			
17.	कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अन्तर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम है ।			
18.	लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम है ।			
19.	औसतन उपस्थिति में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।			
20.	लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।			
21.	लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।			
22.	शिक्षक बच्चों में जाति एवं लिंग के अनुसार किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं करते है ।			

23.	विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं पर शिक्षक/प्रधानाध्यापक चर्चा करता निकलवाते है ।			
24.	शिक्षक पढ़ाने के ढंग तथा बच्चों की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करते है			
25.	प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के बीच अच्छे सामाजिक संबंध विकसित हुये है ।			
26.	वर्ष भर के कार्यक्रम निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आयोजित किये जाते है ।			
27.	विद्यालय के सभी स्तरों में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार आया है ।			
28.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।			
29.	पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गति विधि आधारित तथा जेण्डर भेदभाव रहित है ।			
30.	पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।			
31.	विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।			
32.	शिक्षक/प्रधानाध्यापक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।			
33.	विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है ।			
34.	सभी स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है ।			
35.	विभिन्न पर्यवेक्षण तंत्रों की विभिन्नता स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।			

खण्ड–ब

निर्देश : प्रश्नों को पढ़कर संक्षिप्त में उत्तर दें –

1. विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन में प्रगति हुई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो क्या–क्या ....

   ....

   ....

   ....

   विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में वृद्धि हुई कि नहीं ? ....यदि है तो कितनी ? ....

   ....

   ....

   ....

2. पर्यवेक्षण तंत्र की दक्षता एवं कार्यप्रणाली में प्रगति हुई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो क्या ?

   ....

   ....

   ....

3. पाठ्य–पुस्तकों एवं कक्षा–कक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति हुई है कि नहीं? ....यदि हाँ तो किस प्रकार की ? ....

   ....

   ....

4. विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकता की पूर्ति हुई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो क्या–क्या ?

   ....

   ....

   ....

5. समुदाय में शिक्षा के प्रति जागृति आई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो किस प्रकार की ....

....

....

....

6. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है कि नहीं? .... यदि हाँ तो कितनी तथा किन क्षेत्रों में ? ....

....

....

....

7. विद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक/प्रशासनिक कार्यालय को शैक्षिक, प्राथमिक एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है कि नहीं? ....यदि हाँ तो किस प्रकार का ....

....

....

....

8. जेण्डर एवं सोशल गैप में कमी आई है कि नहीं?..................यदि हाँ तो किन–किन क्षेत्रों में

....

....

....

9. विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रयास किये गये हैं ? .... यदि है तो किस प्रकार के ?...

....

....

....

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये साक्षात्कार अनुसूची

नाम..पद ....

जाति ....लिंग............. व्यवसाय.......................... जिला...

खण्ड–अ

निर्देश : समिति के सदस्यों से चर्चा कर प्रश्न स्पष्ट करते हुये विचार प्राप्त कर उपयुक्त खाने में सही (✓) (सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में से एक में) का निशान लगाये –

		सहमत	आंशिक सहमत	असहमत
1.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है ।			
2.	विगत कुछ वर्षो में विद्यालय की भौतिक सुविधाओं प्रगति हुई है ।			
3.	विद्यालय में कक्षा–कक्षों तथा शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है ।			
4.	विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।			
5.	समुदाय के लोगों की अपने बच्चों की शिक्षा सुविधा के प्रति रूचि बढ़ी है ।			
6.	समुदाय के लोग सतत् विद्यालय के सम्पर्क में रहते हैं ।			
7.	ग्राम शिक्षा समिति को दिये गये प्रशिक्षण से वे अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित हुये हैं ।			
8.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये हैं ।			
9.	विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।			

10.	बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।			
11.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।			
12.	शिक्षकों के शिक्षण शैली में बदलाव आया है ।			
13.	शिक्षक मन लगाकर शिक्षण कार्य कराते हैं ।			
14.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेदभाव में कमी आई है ।			
15.	शिक्षक समुदाय की समस्याओं पर भी चर्चा कर दूर करने में सहयोग प्रदान करते हैं ।			
16.	विद्यालय स्तरीय विभिन्न समस्याओं पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में चर्चा करके दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।			
17.	शिक्षक स्थानीय बोली में शिक्षण कार्य कराते हैं ।			
18.	गाँव के सभी बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते है ।			
19.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।			
20.	शिक्षक प्रत्येक बच्चे के नाम से परिचित है ।			
21.	विगत कुछ वर्षों में विद्यालय के प्रति समुदाय की घनात्मक सोच में वृद्धि हुई है ।			
22.	विगत कुछ वर्षों में विद्यालय की मूल–भूत सुविधा की कमी की पूर्ति हुई है ।			
23.	बच्चों, शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है ।			
24.	बच्चों में लागू की गई प्रोत्साहन योजनायें काफी प्रभावी हैं ।			
25.	बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है ।			

खण्ड–ब

निर्देश : समिति के सदस्यों से प्रश्नों को पूछ कर जानकारी को नीचे दिये स्थान पर लिखें –

1. विगत कुछ वर्षों में गाँव की शिक्षा में प्रगति हुई है कि नहीं? ....यदि हाँ तो किस प्रकार की ?

....

....

....

....

2. पहले एवं आज की स्थिति में शिक्षक एवं समुदाय के सम्बंधों में ज्यादा मधुरता आई है कि नहीं? .... यदि हाँ तो किस प्रकार की? ....

....

....

3. विगत कुछ वर्षों में शिक्षा के किन–किन क्षेत्रों में प्रगति हुई है?

....

....

....

4. गाँव के लोग विद्यालय को किस रूप में देखते हैं ?

....

....

....

5. आपको लग रहा है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा वे नियमित विद्यालय जाते हैं? ....यदि हाँ तो आपके अनुसार ऐसा क्या किया गया है जिससे ऐसा हुआ ?

....

....

....

अभिभावकों के लिये साक्षात्कार अनुसूची

नाम ....जाति....................लिंग..

शैक्षिक योग्यता................................व्यवसाय........................जिला..

खण्ड—अ

निर्देश : निर्देश : समिति के सदस्यों से चर्चा कर प्रश्न स्पष्ट करते हुये विचार प्राप्त कर उपयुक्त खाने में

सही (✓) (सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत में से एक में) का निशान लगाये —

		सहमत	आशिंक सहमत	असहमत
1.	विद्यालय का भौतिक परिवेश में बदलाव आया है ।			
2.	बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है			
3.	बच्चों के ठहराव में वृद्धि हुई है ।			
4.	बच्चों के ड्राप आउट में कमी आई है ।			
5.	बच्चे ठीक सीख रहे है ।			
6.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।			
7.	विद्यालय में संसाधनों के आभाव में कमी आई है ।			
8.	शिक्षक एवं अभिभावकों के सम्बंध अच्छे हुये है ।			
9.	शिक्षक बच्चों में बिना कोई भय दिये शिक्षण कार्य कराते हैं ।			
10.	बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।			
11.	विभिन्न स्तरों से मानीटरिंग बढ़ी है तथा शिक्षक का विश्वास जागा है ।			
12.	शिक्षक एवं बच्चों के बीच सम्बंध अच्छे है ।			
13.	समुदाय को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है ।			

14.	शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है ।			
15.	विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ जल तथा शौचालय सुलभ हुये है ।			
16.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।			
17.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेद–भाव में कमी आई है ।			
18.	विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त एवं स्वच्छ स्थान उपलब्ध हुआ है ।			
19.	बच्चों की कमजोरियों को जानते हुये उन्हें दूर किया जाता है ।			
20.	शिक्षक एवं समुदाय एक दूसरी की समस्या को मिल बैठकर दूर करने का प्रयास करते हैं ।			
21.	शिक्षक बच्चों की कठिनाईयों एवं समस्याओं पर अभिभावकों से चर्चा करते हैं ।			
22.	शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर बाल–मेला, प्रतियोगिता एवं बाल सभा आयोजित करते है ।			
23.	विद्यालय जाने से आपके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है ।			
24.	गाँव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये विद्यालय जाते हैं ।			
25.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।			

खण्ड–ब

निर्देश : अभिभावकों से प्रश्न पूछकर जानकारी को नीचे दिये स्थान पर लिखें ।

1. गाँव के सभी बच्चे पढ़ने जाते है कि नहीं? ....यदि नहीं तो क्यों ? ....
....
....
....
2. विगत कुछ वर्षों में विद्यालय में बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है कि नहीं? ....
यदि हाँ तो क्यों? ....
....
....
3. पहले एवं आज की स्थिति में विद्यालय के भौतिक परिवेश में सुधार हुआ है कि नहीं? ....
यदि हाँ तो किस प्रकार की ? ....
....
....
....
4. वर्तमान में विद्यालय में किन–किन प्रकार की समस्यायें विद्यमान है ? ....
....
....
....
5. विगत कुछ वर्षों में गाँव की शिक्षा सुविधा में वृद्धि हुई है कि नहीं ? ....
यदि हाँ तो किसी प्रकार की ? ....
....
....

विद्यालय जानकारी संकलन प्रपत्र

विद्यालय का नाम..ग्राम..

न्याय पंचायत............................विकास खण्ड.....................जिला..

1. गाँव के 6 से 11 एवं 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या (30 सितम्बर, 2004 के अनुसार)

उम्र	बालक				बालिका				योग			
	सामा.	अनु./जन	पिछड़ा	योग	सामा.	अनु./जन	पिछड़ा	योग	सामा.	अनु./जन	पिछड़ा	योग
6–11												
11–14												
6–14												

2. विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों की संख्या (30 सितम्बर, 2004 के अनुसार)

वर्ग	बालक				बालिका			
	सामा.	अनु./जन	पिछड़ा	योग	सामा.	अनु./जन	पिछड़ा	योग
कक्षा 1 से 5 में नामांकित बच्चे								
कक्षा 1 से 5 में नामांकित 6–11 वय वर्ग के बच्चे								
कक्षा 6 से 8 में नामांकित बच्चे								
कक्षा 6 से 8 में नामांकित 11–14 वय वर्ग के बच्चे								

3. विद्यालय में कार्यरत शिक्षक

विवरण	पुरूष	महिला	योग
शिक्षक			
शिक्षा मित्र			
योग			

4. विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन

भौतिक संसाधन	संख्या / माप

5. पानी की व्यवस्था (है / नहीं)

6. शौचालय की व्यवस्था (है / नहीं)

7. मध्याह्न भोजन व्यवस्था संचालित (है / नहीं)

8. विद्यालय में कक्षाओं की सामान्य भौतिक दशा में मत प्रकट कीजिए –

	उत्तम	संतोषपद	– असंतोषप्रद
(i) श्यामपट्ट की गुणवत्ता			
(ii) शिक्षिक के मेज / कुर्सी की गुणवत्ता			
(iii) शिक्षिक के मेज / कुर्सी की गुणवत्ता			
(iv) कक्षा–कक्षों की स्वच्छता			
(v) विद्यालय की स्वच्छता			

9. विद्यालय की सामान्य भौतिक दशा में मत प्रकट कीजिए –

	हाँ	नहीं	– आंशिक रूप से
(i) हाल में ही पुताई हुई है ।			
(ii) भौतिक रूप से स्वच्छ तथा सुव्यस्थित है			
(iii) शौचालय में् स्वच्छता			

(iv)	भवन का भली–भाँति रख–रखाव ।			

10. पर्याप्त–अपर्याप्त में उत्तर दें –

		पर्याप्त	अपर्याप्त	अनुत्तर
(i)	कक्षा–कक्ष			
(ii)	शिक्षक			
(iii)	पानी की सुविधा			
(iv)	बच्चों के लिये बैठने के लिए चटाई			
(v)	धनराशि की उपलब्धता			
(vi)	चार्ट, ग्लोब, श्यामपट्ट, पुस्तकें, अलमारी आदि ।			
(vii)	चहारदीवारी			
(viii)	स्टेशनरी			
(ix)	खेल का मैदान			
(x)	खेल की सामग्री			
(xi)	शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु राशि			

कक्षावार नामांकन (30 सितम्बर, 2003 एवं 30 सितम्बर, 2004 के अनुसार)

जाति	योग	वर्ष	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
सामान्य		2002–03										
		2003–04										
अनु./ जन.		2002–03										
		2003–04										
पिछड़ी		2002–03										
		2003–04										
योग		2002–03										
		2003–04										

कक्षावार रिपीटर की जानकारी (30 सितम्बर, 2003 एवं 30 सितम्बर, 2004 के अनुसार)

जाति	योग	वर्ष	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
सामान्य		2002–03										
		2003–04										
अनु./ जन.		2002–03										
		2003–04										
पिछड़ी		2002–03										
		2003–04										
योग		2002–03										
		2003–04										

उम्र के अनुसार नामांकन (30 सितम्बर, 2003 एवं 30 सितम्बर, 2004 के अनुसार)

जाति	योग	वर्ष	6 वर्ष से कम		6 से 11 वर्ष		11 से 14 वर्ष		14 वर्ष से अधिक	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
सामान्य		2002–03								
		2003–04								
अनु./ जन.		2002–03								
		2003–04								
पिछड़ी		2002–03								
		2003–04								
योग		2002–03								
		2003–04								

कक्षावार औसतन उपस्थिति (अक्टूबर 2003 एवं अक्टूबर 2004 के माह में)

जाति	योग	वर्ष	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
सामान्य		2002–03										
		2003–04										
अनु./ जन.		2002–03										
		2003–04										
पिछड़ी		2002–03										
		2003–04										
योग		2002–03										
		2003–04										